राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ४३ वां दिवस [संख्या २३

बुधवार, दिनांक १४.६.१९६७

विधान सभा की बैठक म.पू. ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वित्त, स्वायत्त शासन, चुनाव, सिंचाई, राजकीय उपक्रम, शिक्षा, विद्युत्, जन-स्वास्थ्य, उद्योग वन, समाज कल्याण. खनिज, आबकारी, विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भीमसेन।

विभागीय व्यय में कटौती

४७४. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) और श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार के एक परिपत्र द्वारा राज्य के प्रत्येक विभाग के व्यय में १२॥ प्रतिशत कटौती करने को कहा गया है?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हाल ही में प्रशासन व्यय एवं अन्य खर्चों में कटौती करने का निर्णय लिया है? अगर हां, तो इससे कुल कितनी कटौती होगी तथा प्रत्येक विभाग में किस तरह की कटौती की जायेगी।

(३) उपरोक्त कटौती के कारण कुल कितने सरकारी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा तथा उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) राज्य सरकार को भारत सरकार से ऐसा कोई परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(२) हां। ६७ लाख की मितव्ययता प्रस्ताव तो पार्लियामेन्ट में प्रस्तुत किये गये राज्य सरकार के १९६७ ६८ के बजट में ही सम्मिलित कर लिये गये थे। बजट के

(श्री मथुरादास माथुर)

घाटे की पूर्ति व योजनाओं के लिये और अधिक वित्त की आवश्यकताओं को देखते हुए गैर योजना व्यय में ६ करोड़ ३५ लाख व योजना व्यय में १ करोड़ १० लाख की कटौतियों के निर्णय लिये गये हैं। कटौती की राशि प्रत्येक शीर्षक के सामने बजट भाग २ में दिखा दी गई है।

(३) मुख्य-मुख्य कटौतियों का विवरण छपे हुए बजट भाषण के पैरा ५२ में दे दिया गया है। एक मुश्त कटौतियों का विभागों द्वारा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है उसके लाने तक कटौतियों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बताना सम्भव नहीं है। कमी में आने वाले कर्मचारियों को मौजूदा रिक्त व रिटायरमेन्ट एज ५८ वर्ष से हटा कर ५५ वर्ष कर दिये जाने से आगे रिक्त होने वाले पदों पर और आवश्यक योजनाओं के लिये सृजन किये जाने वाले नये पदों पर लगा लिये जाने की आशा है, कुछ एक कर्मचारी अपने स्थाई स्थानों पर वापस लौट जावेंगे और केवल ऐसे लोग जो अस्थाई रूप में थोड़े समय के लिये ही काम पर लिये गये हो छटनी में आ सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : ऐसी छंटनी में आने वालों का नम्बर कितना हो सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : १.१०.६६ तक लोग जो टेम्पोरेरी पोस्ट पर टेम्पोरेरी एम्प्लोयमेन्ट पर हुए थे और जिनकी पोस्ट्स सरप्लस या डिस्पेन्स्ड हुई वे लोग उसमें आ सकते हैं और जिनका नम्बर बहुत कम होगा।

श्री भैरोंसिह : नम्बर कितना बताया ?

श्री मथुरादास माथुर : १.१०.६६ तक राज्य सेवा में कोई आदमी एम्प्लोय किया गया है अदरवाइज् देन रेगुलर आर० ए० एस०, आर० पी० एस० के अलावा अगर उसकी पोस्ट इकोनोमी में आ जाती है तो वह आदमी रिट्रेन्च किया जा सकता है। उसके डिपार्टमेन्ट वाइज् फिगर वर्क आउट किये जा रहे हैं और उसके बाद ही दे सकेंगे। इकोनोमी में पोस्ट आनी चाहिये। नम्बर २, आज से छः महिने पहले हो उन लोगों की पोस्ट्स इकोनामी में रिट्रेन्च हो जावेगी। १.१०.६६ से पहले के लोगों को रिट्रेन्च नहीं किया जावेगा।

प्रश्न संख्या ४७५

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७६

श्री हरिवल्लभ शर्मा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७७

श्री कृष्ण कुमार गोयल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ।

बीकानेर में ऊन की मिल

४७८. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार बीकानेर में ऊन की मिल लगाने के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है और इस मिल का काम अब कब से आरम्भ होगा।

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : बीकानेर ऊनी मिल के लिये २४.४६ लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। बीकानेर ऊनी मिल के लिये भवन निर्माण का काम हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) बीकानेर द्वारा आरम्भ किया गया है। मशीनों के स्थापन का कार्यक्रम भवन के निर्माण पर ही अवलम्बित है। मशीन स्थापन का काम पूर्ण होकर वर्ष १९६७-६८ के अन्त तक मिल चालू होने की सम्भावना की जाती है।

श्री भीमसेन : इस मिल पर भवन निर्माण और मशीनरी पर कितना खर्चा होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : दस लाख रुपया कस्टम ड्यूटी, भवन निर्माण पर रखा गया है।

श्री भीमसेन : कुल योजना में ?

श्री मथुरादास माथुर : ७०.८० लाख रुपया सबजेक्ट टू करेक्शन।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कितने कर्मचारी एम्प्लोय किये जावेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : ३५० से ३७५ तक।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। **श्री दुर्गालाल** बाढ़दार।

सरस्वती कुण्ड (जयपुर) स्कूल भवन

४७९. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर नगर, पुरानी बस्ती में सरस्वती कुण्ड में स्कूल किसकी इमारत में चल रहा है और इसकी मरम्मत की व्यवस्था किसके द्वारा होती है ?

(ख) इस स्कूल के लिये कितना एरिया शिक्षा विभाग ने ले रखा है और इसके उपर की छत पर जाने का रास्ता किसके अधिकार में है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री वीरसिंह) : (क) सरकारी इमारत में चल रहा है। इसकी वार्षिक मरम्मत की व्यवस्था निर्माण विभाग के द्वारा होती है।

(ख) उसका पूरा एरिया शिक्षा विभाग ने ले रखा है। इसके छत पर जाने का रास्ता श्री आनन्दसिंह के अधिकार में है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कब से आनन्द सिंह के अधिकार में है ? सरकार ने प्रोपर्टी दे रखी है या अनधिकृत कब्जा है ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

राव श्री धीरसिंह : ७.११.६२ से आनन्दसिंह से कब्जा किया। उसके बाद लगातार शिक्षा विभाग थाना कोटवाली को भी लिख रही है, उच्चाधिकारियों को भी लिखा जा रहा है। अभी तक वहाँ से कोई कार्यवाही नही की गई। ७.११.६२ को अनधिकृत कब्जा किया था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार ने क्या स्टेप्स लिये ?

राव श्री धीरसिंह : पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अभी तक थाने और पुलिस अधिकारियों ने चालान पेश नहीं किया है। कार्यवाही नहीं की। शिक्षा विभाग लगातार लिख रहा है। शिक्षा विभाग से गृह विभाग को भी लिखा गया है। रेफरेन्स चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि कब कब लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं पूछ रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि सरकारी सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा काफी अर्से से चला आ रहा है। इसको मंत्री महोदय भी मानते हैं। शिक्षा विभाग पुलिस विभाग को रिपोर्ट कर रहा है। पुलिस विभाग कोई स्टेप नहीं ले रहा है। यह तो सरकारी सम्पत्ति की स्थिति है। जनता की सम्पत्ति और सुरक्षा की तो क्या स्थिति हो सकती है आप ही इसका अन्दाज लगा सकते हैं। क्या यह सही है कि सरस्वती कुण्ड महन्त बालानन्दजी की प्रोपर्टी थी और महन्तजी से लोन पर ली हुई है ?

राव श्री धीरसिंह : यह प्रोपर्टी महन्त बालानन्दजी द्वारा दी गयी थी शिक्षा विभाग को और तब से शिक्षा विभाग के कब्जे में है और आनन्दसिंह ने अनधिकृत कब्जा सरकारी सम्पत्ति पर किया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लोन पर प्रोपर्टी ली गई। शिक्षा विभाग ने मिसयूज किया। स्वयम् ने अधिकार न रखा और दूसरों को अधिकार में दे दिया। इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

राव श्री धीरसिंह : शिक्षा विभाग से लापरवाही नहीं हुई है। अनधिकृत कब्जे के लिये कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये वह शिक्षा विभाग कर रहा है। नेग्लीजेन्स और डिले हो रही है तो गृह विभाग की ओर से हो रही है और यह उसी की जिम्मेदारी है। उसको लिख रहे हैं। आप गृह विभाग से पूछिये कि क्यों डिले कर रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सत्य है कि प्रत्येक चुनाव के अन्दर पोलिंग स्टेशन वहाँ बनता है और इन चुनावों में भी पोलिंग स्टेशन बना। पी० डब्लू० डी० ने रास्ता निकाला, उसे ठीक किया। पर बाद में उस पर फिर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया और दीवार तोड़ दी गई। फिर भी सरकार चुप है, कोई एक्शन विभाग ने नहीं लिया।

श्री बरकतुल्ला खां : आप एक बड़े अच्छे वकील हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि कोई भी विभाग कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले सकता इसलिये कानूनी चारा

(श्री बरकतुल्ला खां)

जोही कर सकते हैं वह की है। कानून को हाथ में लेकर हमला तो नहीं कर सकते।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैंने यह नहीं कहा। मैंने भी यही पूछा है कि क्या कानूनी स्टैप्स लिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : कानूनी कार्यवाही क्या की गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : पुलिस को रिपोर्ट की गई कि नाजायज कब्जा कर लिया है उनके अफसर ने जाकर बात की।

श्री अध्यक्ष : केस रजिस्टर हो गया ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : यही तो बात है, केस बिल्कुल रजिस्टर नहीं हुआ।

श्री बरकतुल्ला खां : पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, पर हमने फौरन रिपोर्ट कर दी कि नाजायज़ कब्जा किया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी एक वकील रहे हैं। अब वकालात छोड़ दी तो क्या हुआ। वे कानूनी मामले भूल गये हों यह मैं मानकर नहीं चलता। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने केस क्यों नहीं रजिस्टर किया ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय मंत्री महोदय को एक विभागीय खाते की तरह से नहीं समझा जावे। मंत्री स्वयं इस बारे में दूसरे विभाग से बात कर लें।

श्री बरकतुल्ला खां : हुक्म की तामील हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा।

झुंझुनूं जिले के गांवों में बिजली

४८०. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या गत वर्ष कृषि कार्यों के लिए झुंझुनूं जिले के ग्राम नरहड़ बदनगढ़, बूडानिया, घूमनसर कलां, किढवाना आदि को बिजली देने की योजना स्वीकृत की गई थी ?

(२) क्या इन ग्रामों को बिजली दी गई थी ?

(३) अगर नहीं, तो क्या वहां कार्य चालू है ?

(४) अगर नहीं तो क्यों नहीं और सरकार कार्य कब चालू कर रही है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) बापनगढ़ व बुड़निया किसी योजना में स्वीकृत नहीं हुए थे। अन्य गांवों के लिए योजना स्वीकार हुई थी।

(२) घूमनसर कलां और किडवाना को बिजली दे दी गई। बाकी को नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) इस वर्ष का कार्यक्रम बनाते समय इसका ध्यान रक्खा जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत।

अजमेर के लिये जल प्रदाय योजना

४८१. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अजमेर की जल योजना की सफलता के लिये तत्कालीन मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि २६ जनवरी, तक बनास योजना से अजमेर और नसीराबाद को जल मिलने लगेगा।

अगर हाँ, तो अभी तक जल क्यों नहीं मिल पाया है ?

(२) कब तक नवीन योजना के अनुसार अजमेर और नसीराबाद को जल मिलने लगेगा ? एवं अजमेर के तात्कालिक जल संकट को दूर करने का क्या उपाय किया जायेगा।

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये इसे स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पूर्ण सूचना प्राप्त न होने से स्थगित किया गया।

श्री विजयसिंह रावत : इस बात पर इस हाउस के अन्दर स्थगन प्रस्ताव भी आया है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये स्थगित किया गया है पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया।

बीकानेर जिले में नाजायज शराब बनाने के मामले

४८२. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गत वित्तीय वर्ष में बीकानेर जिले में स्थित आबकारी विभाग ने नाजायज शराब निकालने व बेचने के कितने मुकद्दमे पकड़े तथा उनका क्या परिणाम निकला ?

(ख) इस विभाग पर प्रति वर्ष कितना खर्चा होता है ?

(ग) इस विभाग द्वारा कितनी आय प्रतिवर्ष होती है ?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क, २२।१६ केस कम्पाउन्ड हुए। ३ एक्विट हुए। २ चालान चल रहे हैं। १ में तफतीश जारी है।

(ख) ४०,१०,२७८) रु०

(ग) ८,३८,६७८)रु०

श्री अध्यक्ष : श्री सूवालाल चौधरी

मौजमाबाद, उच्चतर माध्यमिक स्कूल में विज्ञान विषय

४८३. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) । क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.7

(श्री सुवालाल चौधरी)

क्या मोजमाबाद (तहसील दूदू) हायर सेकन्डरी स्कूल में साइन्स सबजेक्ट की कमी है ? क्या इसकी पूर्ति सरकार सन् ६७।६८ में कर सकेगी ?

उप-मन्त्री शिक्षा, (राव श्री धीरसिंह) मोजमाबाद हायर सेकन्डरी स्कूल में विज्ञान विषय नहीं है और न ही अगले सत्र में चालू होने की सम्भावना है।

श्री सुवालाल चौधरी : जहां आवश्यक नहीं वहां तो आप खोल देते हैं, पर जहां आवश्यक है वहां आप नहीं खोल सकते ?

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसी स्कूल है जहां खोल दिया हो जहां जरूरी नहीं है तब भी तो उसको इधर शिफ्ट कर दीजिये, यह मतलब है आपका ?

राव श्री धीरसिंह : इसका उत्तर तो यही है कि नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाददार : इस पर विचार किया जा सके, जनता की डिफिकल्टी को समझ कर तो सरकार इस पर गौर करेगी ?

राव श्री धीरसिंह : आप प्रस्ताव भेजेंगे तो सरकार सोचेगी।

श्री दुर्गालाल बाददार : आपका ध्यान किधर जा रहा है। जनता का प्रस्ताव आवेगा तब सोचेंगे। इस प्रश्न आने के समय नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह क्या प्रश्न पर्याप्त नहीं है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये ? अगर नहीं है, तो फिर अध्यक्ष महोदय, कोई अर्थ नहीं है प्रश्न पूछने का। इस क्वेश्चन आवर को एबोलिश कर दिया जाय। व्यर्थ सदन का समय नष्ट करना है।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने जो कहा, हमारी ऐसी कोई संशा नहीं है कि जो सवाल यहां पूछा जावे उस पर गौर न किया जाय। सवाल यह था कि नया खोला जा रहा है या नहीं। यह उसका जवाब दे दिया। फिर जब यह प्रश्न किया कि जहां पर जरूरत नहीं उनको बन्द किया जावे तो वहां के लोगों को तो इसके लिये पूछना पड़ेगा कि जरूरत है या नहीं। तो किनको प्रायरिटी रखी जावे। तो पूरी तौर से बाग्रदब अर्ज करता हूँ कि इस पर गौर किया जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा सरकार को कि जहां पर भी हायर सेकण्डरी स्कूल है, १९६७ में आप चला रहे हैं। मेरे खयाल में इस युग में अनिवार्य रूपेण इसको हायर सेकण्डरी स्कूल में साइन्स की व्यवस्था होनी चाहिये। अन्यथा तो ये स्कूल खोलने का अब कोई अर्थ नहीं है। यह तो पॉलिसी से सम्बन्धित प्रश्न है और यह भी अदब से निवेदन करना चाहूँगा कि उपमन्त्री महोदय अगर इस तरह के उत्तर देंगे कि हमारा ध्यान कोई अन्य व्यवस्था के द्वारा आकर्षित किया जावेगा तभी हमारा ध्यान आकर्षित कर पावेंगे अन्यथा प्रश्न के द्वारा पूछा जावेगा तो सदन की परम्परा के यह विपरीत है।

श्री बरकतुल्ला खां : बहुत ग्रदब से ग्रर्ज करूंगा कि न उनकी यह मंशा थी न है। उनकी मंशा सिर्फ यह थी कि जहां भंग करवाना चाहते हैं तो वहां के लोगों की मर्जी के मुताबिक ही कर सकते हैं।

जहां तक विज्ञान के विषय को खोलने का सवाल है हमारी मुश्किल यह है कि न तो ट्रेण्ड टीचर्स मिलते हैं इसके न इतना रुपया हमारे पास है इस समय। एक्सटेन्शन जरूरत से ज्यादा करने का मतलब होगा कि हम ग्रपने कमिटमेन्ट पूरे नहीं कर पावेंगे।

प्रश्न संख्या ४८४

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई (ग्रनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

बीकानेर जिले के गांवों में बोरिंग हेतु स्थान चयन

४८५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २५।२६ ग्रगस्त ६५ को हुई स्थान चयन समिति की बैठकों में जो कि मुख्य ग्रभियन्ता (जनस्वास्थ्य) के चेम्बर में ग्रायोजित की गई थी, निम्न गांवों में ई० टी० ग्रो० द्वारा डी० सी० बी० (Dug-cum-bove) एवं न्यू होल्स करने हेतु निर्णय लिये गये थे ?

(क) गांव खारी, तहसील लूणकरणसर फॉर डी० सी० बी०।

(ख) गांव कुजटी, तहसील लूणकरणसर फॉर डी० सी० बी०।

(ग) गांव सहजरासर, तहसील लूणकरणसर फॉर डी० सी० बी०।

(घ) गांव कालू, तहसील लूणकरणसर फॉर डी० सी० बी०।

(ङ) गांव शारबासर, तहसील लूणकरणसर फॉर डी० सी० बी०।

(२) गांव शेखसर, तहसील लूणकरणसर फॉर डी० सी० बी०।

(क) क्या यह भी सही है कि दिनांक २२ जनवरी, १९६६ की उपरोक्त समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :

(क) गांव सेरेरा, तहसील बीकानेर नया बोरिंग ई० टी० ग्रो० द्वारा।

(ख) गांव कालासर, तहसील बीकानेर डी० सी० बी० ई० टी० ग्रो० द्वारा।

(ग) गांव घीरेरा व खियरा तहसील लूणकरणसर डी० सी० बी० ई० टी० ग्रो० द्वारा।

(घ) गांव फूलदेसर तहसील लूणकरणसर में राजस्थान ग्रण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा हैंड बोरिंग करके खारे पानी वाले जोन को मालूम करना।

ग्रगर हां, तो इस सम्बन्ध में ग्रब तक क्या प्रगति हुई ?

Page No.9

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) (१) हां, केवल सारंगदेसर गांव तहसील लूणकरणसर का नाम बैठक में नहीं लिया गया।

ई० टी० ग्रो० द्वारा डी० सी बी० का कार्य उनके परपेशन रिग द्वारा किया जाता है। इस समय केवल एक ही रिग बीकानेर जिले में सुचारु रूप से ट्यूब वेल ग्रार्डर के गांव में कार्य करवा रही है क्योंकि डी० सी० बी० स्वीकृत स्थानों की संख्या अधिक है जो कि २५० नल कूपों की स्कीम में शामिल नहीं हो सकती, यह विभाग डी० सी० बी० के कार्य बीकानेर जिले के प्राथमिकता मुख्य अभियन्ता स्वास्थ्य व जिलाधीश व सम्बन्धित रूरल वाटर सप्लाई स्कीम मास्टर प्लान के आधार पर स्वीकृत करने पर मौजूदा मशीन द्वारा खाली होने पर समय समय पर हाथ में लिये जायेंगे जो कि स्थान सदन समिति की बैठकों से निर्णय लिया गया है।

(२) हां।

(३) जी हां।

(४) केवल सिवरन गांव की डी० सी० बी० का काम समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था न कि गांव घरंग का।

(५) जो कार्य राजस्थान अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा किया जाना था वह उन्होंने अभी तक हाथ में नहीं लिया। इस विषय में उन्हें बार बार स्मरण पत्र भेजा गया है। उन्हें साइट सलेक्शन समिति दिनांक ११।५।६७ को और याददाश्तो समिति द्वारा इस कार्य को हाथ में लेने के लिए अनुरोध किया गया है।

श्री भीमसेन : यह राजस्थान अण्डर ग्राउ ड वाटर बोर्ड ने काम शुरू नहीं किया दो साल हो गये निर्णय लिये इसका क्या कारण है ? जब उनकी मशीन लूणकरणसर आई थी तो उस गांव में क्यों नहीं आई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सेंक्शन के बाद ही यह कार्य होता है, फिर मशीनों की उपलब्धि और उसके खराब हो जाने का कारण भी हो सकता है। अब इस काम को तीव्र गति से आगे बढाया जावेगा।

श्री भीमसेन : ये सारे निर्णय लिये जा चुके हैं, फिर भी देर हो रही है। मशीनें बीकानेर जिले में कई जगहों पर आई। आवश्यक नहीं था वहां काम किया गया पर लूणकरणसर में कई गांवों में जहां मीठे पानी की सम्भावना थी, वहां काम नहीं किया गया। वहां उल्टे देरी की गई।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि अगर मशीनें खाली होंगी तो वहां के लिये प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना।

सीलीनाल सिंचाई योजना

४८६. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री फूलचन्द बाफना)

देसूरी पंचायत समिति में सीलीनाल की सिंचाई योजना के कार्यान्वयन में क्या प्रगति है एवं कब तक कार्य सम्पूर्ण हो जाने की आशा है ?

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : सीलीनाल सिंचाई योजना पर नदी में कट आफवाल तथा कट आफ ट्रेन्च का कार्य चालू है कार्य की प्रगति एवं सम्पूर्ण होना धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है। यदि उचित मात्रा में धनराशि मिल गई तो कार्य अगले ३ वर्षों में पूर्ण हो सकेगा।

श्री फूलचन्द बाफना: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कार्य जब शुरु किया तो पूरी धनराशि पास में नहीं होने पर भी कार्य चालू किया गया ?

श्री मनफूलसिंह : इस वर्ष १ लाख की धनराशि स्वीकृत है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह १ लाख के अन्दर काम पूरा हो जायेगा और जब पैसा नहीं होगा तो वह काम वहीं पर पड़ा रहेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी बांध का काम एक वर्ष में पूरा नहीं होता है। पहले उसका फेज्ड प्रोग्राम बनाना होता है और शुरु के समय उसको एक्सप्लोर करने में और दूसरे कामों में समय ज्यादा लगता है। जब कन्सट्रक्शन का काम शुरु होता है तब पैसे की जरूरत होती है इसलिए मैं समझता हूँ कि १ लाख जो इस वर्ष रखा गया है वह काफी है।

श्री फूलचन्द बाफना : काम बन्द तो नहीं होगा बीच में और चालू रहेगा ?

श्री हरिदेवजोशी : काम शुरु किया गया है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन यह कितने समय में पूरा होगा मैं आज नहीं कह सकता।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि बीच में काम बन्द नहीं होगा और चालू रहेगा।

श्री अध्यक्ष : चालू रखने के लिए ही शुरु किया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : अभी इसको बन्द कर दिया जायेगा यह मैं नहीं कह सकता। मुझ को तो जो सूचना दी है वह यह समझ कर दी है कि गवर्नमेंट ने इसको उचित समझ कर ही शुरु किया है। आपको कहीं सन्देह है क्या कि यह बन्द हो जायेगा ?

श्री फूलचन्द बाफना : मंत्री महोदय ने कहा है कि आपको सन्देह है तो सन्देह है इसलिए ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब पैसा नहीं होगा तो क्या काम चालू है वह बन्द हो जायेगा ? यही आश्वासन चाहता हूं कि जो काम चालू किया गया है वह पूरा नहीं होने तक चालू रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास जो सूचना है प्रश्न के उत्तर में प्राप्त हुई है इस प्रकार की चीज मिनिस्टर लेवल पर आती नहीं है

(श्री हरिदेव जोशी)

और आना जरूरी भी नहीं है। तो मुझे जो सूचना मिली है वह यह है कि इससे ५०० एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और इस पर ८ लाख ६३ हजार रुपया खर्च होगा। मैंने अभी ही डिपार्टमेन्ट से क्वेरी की है कि यह इकानामिक स्कीम है या नहीं और यह वर्थह्वाइल भी है या नहीं 'दैट इज टू बी सीन'।

श्री राम किशन : फिर शुरु कैसे कराई ?

श्री हरिदेव जोशी : फिगर्स सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। यह हमें सारा देखना होगा।

श्री फूलचन्द बाफना : हमें तो यही आश्वासन चाहिए कि बीच में यह कार्य बन्द नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : इसका बजट में भी प्रावीजन है मगर जो फिगर्स मैंने देखे हैं उससे मैं यह कह रहा हूं कि अभी मेरे सामने यह चीज नहीं है कि बन्द कर दी जायेगी। यह स्थिति है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन यह काम बन्द होने की सम्भावना को अधिक अनुभव करते हैं इस कारण से कि शायद फीजीबल नहीं है या इकानामिक नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : फिजीबल तो है लेकिन इकानामिकल है या नहीं इसका मुझे पता नहीं। मुझे तो स्ट्राइक हुआ था कि इकानामिक है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करने में ही खतरे में पड़ गये।

श्री फूलचन्द बाफना : बिना जांच पड़ताल किये हुए कि यह इकानामिक है या नहीं यह काम शुरु कर दिये जाते हैं क्या ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री देवीलाल।

चावंड हाई स्कूल में विज्ञान विषय

४८७. **श्री देवी लाल : (सराड़ा) क्या** शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा के गांव चावण्ड में हाई स्कूल कब से खोली गई है ?

(२) क्या यह सही है कि चावण्ड हाई स्कूल में विज्ञान की क्लासें खोली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने वाले गरीब वर्गों को विज्ञान की शिक्षा दिये जाने की भी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(१) सन् १९५८ में।

(२) जी नहीं, छात्र संख्या और साधनों की कमी है।

(३) सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार पर विशेष ध्यान देती है।

श्री देवीलाल : छात्रों की संख्या कितनी है ?

राव श्री धीरसिंह : छात्रों की संख्या इस प्रकार है :

९वीं क्लास से २४ ।

१०वीं क्लास में ३२ ।

११वीं क्लास में १० ।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई महत्त्वपूर्ण विषय ही नहीं है मैंने साइन्स खोलने के लिए कई बार मांग की इसका सरकार क्या कर रही है। जिस सराड़ा तहसील में एक ही हायर सैकेन्डरी स्कूल है उसमें भी यह व्यवस्था नहीं हो पाती है तो सरकार और क्या कर सकती है ?

राव श्री धीरसिंह : जो बिल्डिंग हायर सैकेन्डरी की पब्लिक द्वारा बनाई जानी चाहिए वह नहीं बनी है और यह क्लासेज भी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में चल रही हैं तो साइन्स कैसे खुलेगी जब तक आप बिल्डिंग नहीं बनाकर देंगे और जब कि जो मौजूदा सबजेक्ट्स हैं उसी के लिए शार्ट है तो साइन्स के लिए तो और ज्यादा जगह चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (राजखेड़ा) क्या सरकार का फर्ज नहीं है बिल्डिंग बनाने का ? क्या पब्लिक का ही फर्ज है? पब्लिक ही बनाकर देगी तब ही सरकार स्कूल खोलेगी ? यह बड़ी गलत चीज है, अध्यक्ष महोदय।

शिक्षामंत्री : (श्री बरकतुल्ला खां) अब तक यही रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की ओर से बिल्डिंग बनती है और सरकार मदद करती है लेकिन जैसे आपका इलाका पिछड़ा हुआ है उसकी हालत को देखते हुए फिर से इसके उपर गौर करेंगे।

श्री अमीलाल यादव : (बहरोड़) क्या सरकार की नीति है कि जहां बिल्डिंग होंगी वहां जरूर स्कूल खोले जायेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

झालावाड़ जिले में बिजली सप्लाई

४८८. **श्री जुझारसिंह** : (रामगंज मन्डी) [**श्री विजयसिंह** : (नसीराबाद) द्वारा पूछा गया] क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में बिजली की सप्लाई बहुत अनियमित व अनिश्चित है व पिछले एक महीने से भी अधिक से वाटर वर्क्स तक के लिए पावर बराबर नहीं मिलने से घरों में सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है ?

(२) सरकार ने आवश्यक जरूरतों के लिए निश्चित पावर दिलाने के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार किया है ?

(३) कोटा एस० ई० सर्किल में अभी और कहां कहां से बिजली उपलब्ध की जा रही है और जी. टरबाइन के पूरी तरह से काम नहीं करने के क्या कारण हैं ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) ९ अप्रेल, से ८ मई तक ऐसी परिस्थिति रही।

(श्री हरिदेव जोशी)

(२) झालनियां पर एक २.५ एम० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर ११।३३ के० वी० ए० का लगा दिया है और ६ मई से चालू कर दिया। तब से झालावाड़ में वोल्टेज सुधर गया है।

(३) कोटा सर्किल में अभी बिजली निम्न जगह से आ रही है :

(१) अमरकन्टक (२)चम्बल(३) भाखरा ता० ५-६-६७ से (४)जयपुर पावर हाउस से ता० ५-६-६७ तक भेजी गई (५) जगह जगह के स्थानीय पावर हाउस से भी।

गैस टरबाइन को। १३-४-६७ तक चलाया गया। फिर १७-५-६७ से उसके डीजल एंजिन में खराबी हो गई जिसके स्पेयर पार्ट्स यू० एस० ए० से नहीं आये हैं इस कारण ठीक नहीं हो सकी।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या काम अब तेजी से होगा क्योंकि वहां अब चुनाव होने वाले हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : चुनावों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा है कि वहां पर वोल्टेज को सुधार दिया गया है।

प्रश्न संख्या ४८६

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४९०

श्री शंकरलाल :

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री प्रद्युम्नसिंह :

धौलपुर उप-जिले के औद्योगिक फर्मों को धातुओं का कोटा

४९१. **श्री प्रद्युम्नसिंह** : (राजाखेड़ा) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) धौलपुर उप-जिले में कुल कितनी औद्योगिक फर्मों को सरकार की ओर से लोह, अलोह तथा मिश्रित धातुओं एवं टीन की चादरों का कोटा उद्योग चलाने के लिए दिया जाता है ?

(२) इन फर्मों के नाम क्या क्या हैं, तथा इनके मालिक कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि ये फर्में इस कोटे से प्रायः कोई माल नहीं बनाती तथा ये कोटा ब्लैक मार्केट में राजस्थान तथा राजस्थान के बाहर बेचा जाता रहा है ?

(४) क्या सरकार ने कभी इन फर्मों के हिसाब किताब की जांच करके यह जानने की कोशिश की है कि जितना कोटा दिया गया था उतने कोटे का माल बनाया गया या नहीं; और यदि बनाया गया तो यह माल किन व्यक्तियों अथवा फर्मों को बेचा गया ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों को ये माल बेचा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हुआ बताया गया है वे वास्तविक है या बोगस ?

(६) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इन फर्मों के बारे में कोई विस्तृत जांच कराने का विचार रखती है ?

(७) यदि हां, तो कब ? और नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री उद्योग, (श्री मनफूलसिंह) : (१) १० औद्योगिक फर्मों को।

(२) इनके नाम तथा इनके मालिकों के नाम निम्न हैं :

फर्मों के नाम	मालिकों के नाम
१. भारत आइरन वर्क्स बाड़ी	मुहम्मद युसुफ मोहम्मद यासीन
२. अमीन आइरन इन्ड० बाड़ी	यामीन खां लुहार
३. अब्दुल मजीद अब्दुल करीम	अब्दुल मजीद अब्दुल करीम
४. बाडी आइरन इन्ड० बाडी	लुहार
५. राज आइरन एण्ड स्टील कार० धौलपुर	श्री निर्मल कुमार जैन
६. धौलपुर मैटल इन्ड० धौलपुर	श्री कन्हैयालाल जैन
७. राज० मैटल वर्क्स धौलपुर	श्री पदमचन्द जैन
८. भारतीय कृषि यन्त्र उद्योग	श्री पुरषोत्तम चन्द मित्तल
९. कृष्णा आइरन वर्क्स धौलपुर	कृष्ण चन्द गुप्ता
१०. नाइकाड अलोम धौलपुर	पार्टनरशिप—सर्व श्री ओम प्रकाश अमीरचन्द

(३) जी नहीं, कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं मिली है।

(४) नये कोटा देने के समय जिला उद्योग अधिकारी पूर्व दिये गये कोटे की उपयोगिता (यूटीलाइजेशन) के आधार पर ही ऐसी सिफारिश करता है। हिसाब की विस्तृत जाँच जब ही की जाती है जब इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हो। किन व्यक्ति को बना हुआ माल बेचा गया इसका मालूम करना साधारणतया सम्भव नहीं होता इसलिए इस प्रकार की जांच शिकायत के अभाव में सम्भव नहीं है।

(५) जी नहीं।

(६) अगर कोई शिकायत किसी फर्म के बारे में प्राप्त होगी तो उसकी जांच अवश्य कराई जायेगी।

(७) जब भी कोई शिकायत प्राप्त होगी उसी समय जांच कराई जावेगी।

श्री रामकिशन (बैर) : आपने कहा

(श्री रामकिशन)
कि कोई शिकायत नहीं है और यह माल वहां बनता है तो इन १० फर्मों में से जो धौलपुर की ५ फर्में हैं इनके सब के यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट विभाग हर साल देखता है ?

श्री मनफूलसिंह : जी हां, हर साल देखता है ।

श्री रामकिशन : यह कन्हैयालाल जैन और निर्मलकुमार जैन नाम बताये इन्होंने क्या क्या माल बनाया इसके यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट्स के बारे में जानकारी देंगे ?

श्री मनफूलसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन : यह तो सम्बन्धित प्रश्न है । जब आप कहते हैं कि माल बनाते हैं तो यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स लेना जरूरी है और आप कहते हैं कि सब से लिये हैं तो फर्म्स ने क्या क्या माल बनाया यह बतायें, यह तो संबंधित प्रश्न है ।

श्री मनफूलसिंह : क्या क्या माल बनाया गया कहां कहां बेचा गया है इसकी विस्तृत जानकारी अलग से प्रश्न करने पर अलग से दी जा सकती है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपने धौलपुर की ५ फर्मों के नाम बताये इनमें से दो तीन फर्में तो ऐसी हैं कि जिनका हमने नाम ही नहीं सुना है ? मैं वहां का रहने वाला हूँ। ....अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि जो पांच फर्मों के नाम धौलपुर के बताये हैं, उनमें दो तीन छोड़ कर कोई फर्म ही एग्ज़ीस्ट नहीं करती है । वह एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर हरेक एक दूसरे को जानते हैं कि गांव में कौन-कौन है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में जांच करवायें । मेरी जानकारी है कि जो माल मिलता है उसको कुछ तो आगरा में बेच देते हैं, कुछ यहां पर बेचा जाता है, कुछ को ग्वालियर में ले जाकर बेच देते हैं और इस तरह से कोटे में मिलने वाले माल का ब्लेक मार्केटिंग करते हैं ।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : धौलपुर की पांच फर्मों को केवल एक बार दो दो टन लोहा दिया गया था देशी और उसके बाद में कोई माल नहीं दिया गया । डिपार्टमेंट के पास यह जानकारी नहीं है कि उन्होंने उस माल को ब्लेक में बेचा है या क्या किया है । केवल एक बार १६६६-६७ के अन्दर दो दो टन लोहा दिया गया था । ऐसी स्थिति में अगर आपका खयाल है कि इसका दुरुपयोग किया गया है तो उसकी इन्क्वायरी करवा लेंगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोहे के अलावा जिंक का कोटा भी मिलता है ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में डिटेल्ड इन्फोर्मेशन है कि किसको कितना कितना माल दिया गया है । इन फर्मों को सिवाय दो दो टन देशी लोहे अलावा बाकी कोई चीज नहीं दी गई है ।

श्री रामकिशन : आप तो एक साल की बात कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : केवल एक ही बार सन् १९६६-६७ में देशी लोहा इनको दिया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन पाँच फर्मों को ?

श्री हरिदेव जोशी : इसको फिर देख लेंगे। हमारा सिस्टम यह है कि डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज आफिसर जब दूसरी बार रिकमण्ड करता है कोटे के लिए तो रिकमण्ड करने से पहले उसके यूटिलाईजेशन के लिए अपने आपको सेटिस्फाईड कर लेना पड़ता है कि पहले के माल का यूटिलाईजेशन हो गया है। अब चूंकि इनको दुबारा माल नहीं दिया गया है तो इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है अभी कि क्यों नहीं माल दिया गया है। किसी शिकायत की वजह से नहीं दिया या क्या बात थी ?

श्री रामकिशन : एक बार तो दिया था उसकी जांच तो करें।

श्री हरिदेव जोशी : डिटेल्ड इन्क्वायरी करा ली जायेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये निर्मलचन्दजी को जो कोटा दिया गया है, वे क्या बनाते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि क्या बनाते हैं और क्या चीज नहीं बनाते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब मिनिस्टर दौरों पर जाते हैं तो ये क्या क्या चीज सप्लाई करते हैं उनके आमोद प्रमोद के लिए ?

श्री मनफूलसिंह : आपकी जानकारी में हो तो बता दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : किन किन मिनिस्टरों को आमोद प्रमोद की चीजें सप्लाई करते हैं यह तो बता दें।

श्री भैरोंसिंह : एम० एल० एज० सप्लाई करते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : कौन २ से एम० एल० ए० सप्लाई किए हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि सप्लाई होती है और मिनिस्टर लोग आमोद प्रमोद के साधन उनसे लेते हैं। यह तो बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं तो बैठ ही रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन हमेशा ही करता हूं, लेकिन यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इन पार्टीज को एक बार पांचों को ही दो दो टन लोहा दिया गया है। अब उन्होंने अगर यूटिलाईज नहीं किया है तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेंगे और कानूनी

(श्री हरिदेव जोशी)

तौर पर जो कुछ भी सम्भव है उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भी कोटा दिया जाता है उसका यूटिलाईजेशन सर्टीफिकेट आ जाना चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : दूसरा कोटा लेने से पहले ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा कोटा ले ही नहीं तो ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी रूल्स यही हैं, और जो आप इन्फॉर्मेशन सीक कर रहे हैं और उसकी जो पोजीशन है वही बता रहा हूँ । एग्जीस्टिंग रूल्स यह है कि दूसरा कोटा लेने से पहले उसको यूटिलाईजेशन की अपनी रिपोर्ट पेश कर देना चाहिए ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक ही कोटा ले और दूसरा कोटा नहीं लेवें तो कैसे होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि जो रूल्स हैं और जो पोजीशन है वह मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर दे रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री पुखराज कालानी !

पीपलिया कलां गांव की जल वितरण योजना

४९२. **श्री पुखराज कालानी** (सोजत) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या रायपुर तहसील की ग्राम पंचायत पीपलिया कलां द्वारा गांव में जल-वितरण हेतु नल योजना चालू करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित विभाग को पेश किया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति (योजना शुरू करने) के बाबत सम्बन्धित विभाग द्वारा ही पंचायत के हिस्से में आने वाली रकम पंचायत को जमा कराने को कहा गया व पंचायत ने रकम जमा करवादी है ? यदि रकम जमा करवा दी गई है तो किस तारीख को ?

(३) नवम्बर, १९६६ से १५ फ़रवरी, १९६७ तक राजस्थान के कितने गांवों में नई नल योजनाऐं शुरू की गयीं ? जहां-जहां ये योजनाए शुरू की गईं उनकी आबादी १९६१ में क्या थी ?

(४) पीपलिया ग्राम में रुपये जमा करवाने के बाद भी नल योजना चालू क्यों नहीं की गई ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : (१) जी हां, १५.२.१९६६ को ।

(२) जी नहीं । विभाग द्वारा रकम जमा कराने को नहीं कहा गया, परन्तु पंचायत ने ही अपने गांव की योजना प्राथमिक रूप में बनाये जाने के लिए ५०००) रु० की धनराशि दिनांक १५.२.६६ को चैक

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

द्वारा सहायक अभियन्ता, पाली जलदाय) को भेजी।

(३) सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट सं० ? देखिये)

(४) अभी तक योजना की स्वीकृति नहीं हुई है अतः चालू नहीं की गई।

श्री पुखराज कालानी : अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर आने पर पंचायत ने रुपया जमा कराया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो रकम जमा कराई गई, परन्तु अधिशासी अभियंता, पाली, जल-योजना ने यह एतराज कर दिया कि······

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, वे कहते हैं कि हमको पत्र मिला उसके आधार पर हमने रुपया जमा कराया, स्वतः ही नहीं कराया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी हाँ, वह पत्र मिला वह २५०० से नीचे के गांव की योजना थी और उसमें केवल पम्प और टैंक का ही प्रावधान था और अब जो योजना बनी है वह एक लाख की अनुमानित योजना बनाई गई है और उसी तरह से पंप और टैंक की योजना बना कर उसी प्रकार से कार्यान्वित किया जायगा।

श्री पुखराज कालानी : अब इस साल में तो इस योजना को स्वीकृत कर देंगे ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अब तो हो जायगी साहब !

श्री नारायणसिंह मसूदा : प्राप्त होते ही कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : अब क्या अस्सी हजार में भी योजना पूरी नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल बयाना : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बार-बार यह कहा जाता है कि ८० हजार में तो काम पूरा हो जाना चाहिए, और अस्सी हजार में भी योजना पूरी नहीं होगी तो यह समझ में नहीं आता कि क्या मामला है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि उस नल-योजना में यहाँ पर इतनी बड़ी बाढ़ आ गई कि कालानी नाम का आदमी बह कर कांग्रेस में चला गया ?

श्री अध्यक्ष : तैरते हुए आया।

बालोत्तरा बिजली घर

४६३. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) - क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान विद्युत मण्डल ने बालोत्तरा के बिजली घर को नगरपालिका

(श्रीमती मदनकौर)

बालोतरा से कब अपने अधिकार में लिया और उसके बदले में नगरपालिका को कितनी धनराशि देना स्वीकार किया था ?

(२) क्या विद्युत् मण्डल ने उक्त बिजली घर को अपने अधिकार में लेने के बाद उसमें नये इंजिन इन्स्टाल किये हैं ? यदि हां, तो कितने और किस वोल्टेज के ? यदि नहीं, तो कब तक नये इंजिन इन्स्टाल किये जा सकेंगे ?

(३) अधिक अन्न उपजाओ अभियान के अन्तर्गत पचपदरा तहसील के कितने कुओं पर गत वर्ष सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई गई ? इस वर्ष कितने कुओं पर देने का लक्ष्य है ?

(४) क्या बालोतरा के बिजली घर को रेवेन्यू सेक्शन बालोतरा से हटाये जाने के आदेश हो चुके हैं, जब कि यहां अब एग्रीकल्चरल कनेक्शन्स बढ़ने की सम्भावना है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) ता० ६.५.६४, मूल्यांकन हो रहा है।

(२) जी हां। चार इन्जन १६, २५, ५०, ५० किलोवाट के लगाये हैं।

(३) किसी भी कुए पर सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई इस वर्ष के लिए कोई अर्जी नहीं है।

(४) जी नहीं।

श्रीमती मदनकौर : आपने लगवाये हैं या पहले से ही लगे हुए थे ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी इन्फॉर्मेशन यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

निवाई वाटर वर्क्स योजना

४६४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाइ) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कस्बा निवाई वाटर वर्क्स की योजना कब से विचाराधीन है और अब कब काम चालू होगा और कब तक पूरा होने की आशा है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : कस्बा निवाई की जल-पेय योजना सन् १९६४ से विचाराधीन है। इस योजना का कार्य आवश्यक धनराशि की उपलब्धि होने पर चालू किया जावेगा। तत्पश्चात् एक योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धिता पर २ से ३ वर्ष का समय लग जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि निवाई म्यूनिसिपैलिटी से इस जल-योजना को चालू करने के लिए उनकी किश्तों का पैसा आपने मांगा है ?

श्रीनारायण सिंह मसूदा : जी।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही नहीं है कि निवाई म्यूनिसिपेलिटो को आपने लिखा है कि हम इस योजना को चालू कर रहे हैं और तुम अपनी किश्तों के साढ़े पांच हजार रुपया जमा कराओ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह योजना जिस वक्त बनाई गई थी पांच लाख साढ़े छासठ हजार की उस वक्त में निवाई की आबादी ८३७० की थी और अब वहाँ की आबादी १३ हजार की है। यह योजना जब भारत सरकार के पास भेजी गई तो उन्होंने उसमें कुछ तकनीकी ऑब्जेक्शन्स करके वापस भेज दिया है। उसी पिक्चर में संशोधन करके इस योजना को फिर तैयार किया जा रहा है और इसके तैयार होने के बाद में जब एल. आई. सी. से लोन इत्यादि प्राप्त कर लेंगे तब इस योजना को कार्यान्वित करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह बात गलत है कि निवाई की आबादी १३ हजार की हो गई है। आपके विभाग ने निवाई म्यूनिसिपेलिटी से मांग की है कि इतना रुपया जमा कराओ तो इस योजना को चालू करें? इस लिए मैंने पूछा कि क्या इस तरह की मांग निवाई म्यूनिसिपेलिटी से की है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि इसके अन्दर जो संशोधन किए गए थे टेक्निकल आधार पर जिससे इस प्रकार की मांग की गई होगी, लेकिन यह पूर्ण तभी हो सकती है जब कि संशोधित रूप के अन्दर यह योजना तैयार हो।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह संशोधन कब किया गया है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह संशोधन १७-१-६६ को किया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मांग कब की गई थी?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ६४ में, आपको निवेदन किया......

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मांग आपने संशोधन के बाद की है। अभी दो महीने पहले ही म्यूनिसिपेलिटी को पत्र भेजा है कि यह रुपया जमा कराओ जिससे यह योजना शुरू करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : (जन स्वास्थ्य मंत्री की ओर मुखापेक्ष) है क्या उत्तर?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह मांग तो एल. आई. सी. का लोन प्राप्त होने के बाद ही कार्यान्वित हो सकती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मैं मानता हूं कि एल. आई. सी. से लोन प्राप्त होने पर ही हो सकता है। लेकिन क्या निवाई म्यूनीसिपेलिटी से राज्य सरकार ने स्कीम मांगी थी?

Page No.21

शिक्षा मंत्री श्री अबदुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, दो तरीके से रुपया प्राप्त हो सकता है। एक तो म्यूनीसिपैलिटी रुपया दे या फिर एल. आई. सी. से उधार रुपया मिले। अब एल. आई. सी. से उधार रुपया मिलने में देर है और म्यूनीसिपैलिटी जल्दी चाहती है, तो उससे ऐसी मांग की जाती है कि उसके पास में बजट है तो वह रुपया दे दे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्र सिंह !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो उत्तर मिला है वह अनिश्चित है। मैं समझता हूं कि सभी उत्तर निश्चित रूप से नहीं मिल सकते लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपके पास वाटर वर्क्स की, राजस्थान के स्थान-स्थान पर वाटर वर्क्स की निश्चित रूप से स्कीम्स होंगी कि इतने स्थान पर वाटर वर्क्स की स्कीम के बारे में सरकार विचार करेगी तो जो आपके पास में पेंडिंग स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और जिन-जिन स्थान पर वाटर वर्क्स की स्कीम अन्डर कंटेम्प्लेशन है, उनकी जन-संख्या बताने की कृपा करें ताकि हमको आधार मिल सके।....

वित्त मंत्री श्री मथुरा दास माथुर : कल बात दी गई है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : और उसको पकड़ कर हम आगे विचार कर सकें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि एल. आई.सी.....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

नेक्स्ट। श्री महेन्द्र सिंह !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा प्रश्न है उसको प्रेस करता हूं। आपके पास ऐसी लिस्ट हो तो उसको सदन की मेज पर रख दें जिसमें सारे स्थानों के, जहां वाटर वर्क्स स्कीम इन्ट्रोड्यूस करने का सरकार का विचार है' नाम मय जन संख्या के हो।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जहां तक एल. आई. सी.....

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, जहां जहां पर वाटर वर्क्स स्कीम इन्ट्रोड्यूस करनी है, उन सब जगहों के मास्टर प्लान बना कर गवर्नमेंट आफ इंडिया को सबमिट किये जा चुके हैं और सदन की मेज पर भी रखे जा चुके हैं। उनमें सारे मामलों की सूचना एवेलेबल है और उसको सदन के माननीय सदस्य देख सकते हैं। अब उसमें जो फर्क पड़ेगा वह यह है कि सब मास्टर प्लान पहले के बने हैं, इसलिए यदि पॉपूलेशन बढ़ गई हो तो गवर्नमेंट आफ इंडिया जो पर कैपिटा ६० रुपये के आधार पर स्कीम को स्वीकार करती है, अगर पॉपूलेशन बढ़ी है तो उसके एस्टीमेट को

(श्री हरिदेव जोशी)

रिवाइज करना पड़ेगा । अब जहां तक म्यूनीसिपैलिटी को लोन मिलने का सवाल है, तो लगभग सब म्यूनीसिपैलिटियों के लिए, सब्जेक्ट टू करेक्शन, एल. आई. सी. से लोन मांग लिया गया है । और म्यूनी सिपैलिटी को लोन ऐग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कह दिया गया है यह लास्ट ईअर हुआ था । अब कईयों के तो साइन होकर आ गये हैं और कईयों के नहीं आये हैं । सबके आने पर मेरे ख्याल से जितने वाटर वर्क्स जिनको टेक्नीकल रूप से स्वीकृत किया गया है, सभी शुरू कर दिये जायेंगे ।

प्रश्न सं० ४९५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये) ।

श्री महेन्द्रसिंह ।

इन्द्रगढ़ हाई स्कूल भवन का निर्माण

४९६. **श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम इन्द्रगढ़ में ग्रामवासियों द्वारा हाई स्कूल के भवन निर्माण में बीस हजार रुपये की धनराशि लगादी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस भवन निर्माण के हेतु कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों, और यदि की गई है तो कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि पैसे की कमी के कारण यह भवन अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको पूर्ण कराने का इरादा रखती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (१) जी नहीं । जनता द्वारा करीब १७,८०० रु. खर्च किये गये हैं ।

(२) राज्य सरकार द्वारा सन् १९६२ में १०,००० रु० ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में स्वीकृत हुए थे जो सन् १९६५ तक पी. डी. खाते में जमा रहे परन्तु जनता की सहयोग की राशि प्राप्त न होने से खर्च नहीं किये गये । बाद में राजकोष में जमा करा दी गई ।

(३) जी हां । धन की कमी के कारण राज्य सरकार सहायता करने में असमर्थ है ।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि जो दस हजार रुपये राज्य सरकार ने मंजूर किये थे उसके बाद गांव वालों ने एक एप्लीकेशन राज्य सरकार को दी थी कि यह रुपया किस जगह पर खर्च किया जायगा और जो गांव वालों के कन्ट्रीब्यूशन से इकट्ठा हुआ है उसको किस जगह पर खर्च करेंगे और भवन निर्माण के लिए जगह बताई जाय यह सब नहीं बताने के कारण वह रुपया खर्च नहीं कर पाये ।

राव श्री धीरसिंह : उस वक्त जिस वक्त रुपया मंजूर किया गया, यह शर्त लगा रखी थी कि पचास प्रतिशत रुपया वह दें । उस

Page No.23

(राव श्री धीरसिंह)

समय ऐसा कोई प्रस्ताव या कोई दरख्वास्त नहीं आई थी कि हम आधा पैसा देने को तैयार हैं, यदि स्थान बताया जाय। उस वक्त जो आना चाहिये था सहयोग वह प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए यह लेप्स हो गया।

श्री महेन्द्रसिंह : यह १८ हजार रुपया कब खर्च किया गया ?

राव श्री धीरसिंह : उसके बाद १९६५ में छः कमरे और एक हाल बनाया है। यह पहले मंजूर हो गया था यह लेप्स हो गया। अब जो काम किया है, उसके बाद में जो सेंक्शन होनी चाहिये उसके लिए फंड नहीं है। इसलिए अब सेंक्शन नहीं कर रहे हैं। यह पोजीशन है।

श्री महेन्द्र सिंह : आपने १९६५ में १८ हजार रुपया खर्च किया। लेकिन जो १९६२ में मंजूर किया वह १९६५ से पड़ा रहा तो उसको आपने क्यों नहीं लगाया ?

राव श्री धीरसिंह : १८ हजार रुपये का १९६५ में काम करवाना है।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : जो रुपया लेप्स हुआ है वह किसकी गलती से हुआ है ?

राव श्री धीरसिंह : उनकी गलती से हुआ है। उनको जो दस हजार रुपया देना चाहिए था वह नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

वाणियावास बांध का निर्माण

४९७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली तहसील के वाणियावास बाँध का कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा ?

(२) वाणियावास बाँध के पानी वितरण के लिये नाल गांवा वाणियावास के ग्रामीणों की मांग के अनुसार रखा जायेगा या नहीं ?

(३) इस बांध से किस-किस गांव की कितनी-कितनी भूमि सिंचित की जावेगी ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) :

(१) सम्भवतः जून, १९६८ तक।

(२) तकनीकी दृष्टि से बाईं ओर मोरी रखना उपयुक्त नहीं है।

(३) इस बांध से सिंचाई के अन्तर्गत जो जमीन आवेगी वह इस प्रकार है :

(१) वाणियावास
(२) खारड़ी
(३) पडासला
(४) तालका
} १३०० एकड़

श्री मूलचन्द डागा : पहले जो मोरी रखी हुई है, वह और जगह थी, अब जहाँ रखी जा रही है उससे कई गाँवों को पानी उपलब्ध नहीं होगा।

Page No.24

श्री मनफूल सिंह : तकनीकी दृष्टि से मोरी दांई ओर रखना उचित है और बांई ओर जमीन है वह समतल है और उसमें कुओं से सिंचाई हो सकती है । इसलिए इन्जीनियरों ने राय दी है कि दांई ओर मोरी रखी जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : एक वाणियावास गांव वालों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था कि इसकी जांच करवाई जाय ।

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : वाणियावास गांव के प्रार्थना पत्र का आपने कहा, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने स्वयं जाकर इसको देखा था ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री दिग्विजय सिंह !

शिकार लाइसेन्स देने हेतु नियमों में परिवर्तन

४१८. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि फॉरेस्ट रूल्स में हाल ही में शिकार के लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्या परिवर्तन हुआ है ?

(२) क्या यह सत्य है कि गेम की फीस बढ़ा दी गई है और परमिट इश्यू करने का अधिकार सी० एफ० को दे दिये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसा करने से प्राथियों की असुविधायें ज्यादा बढ़ गई है ?

(४) क्या सरकार असुविधाओं को मिटाकर नियमों को सुविधाजनक बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(१) जी हां राज्य सरकार के आदेश दिनांक १२-१०-१९६६ द्वारा शिकार लाइसेन्स....

श्री अध्यक्ष : माइक पर ।

श्री नारायणसिंह मसूदा :....देने के संबंध में परिवर्तन किया गया था जिसके अनुसार आखेट के अनुज्ञा पत्र मण्डल वन अधिकारी द्वारा जारी न होकर वन संरक्षकों द्वारा प्रचलित किये जावेंगे ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या सरकार आवश्यकता को महसूस करते हुए यह अधिकार सी. सी. एफ. को पुनः देने का विचार रखती है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : विचार किया है कि सी. सी. एफ. को अधिकार दिये जायं और उस पर रेस्ट्रिक्सन किया जाय दूसरे अधिकारी को अधिकार देने के लिये ।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

यह विचार किया जा रहा है कि सी. सी. एफ. को अधिकार दिया जाय, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन की काफी आवश्यकता है, और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन बोर्ड की भी यह सिफारिश है कि उच्चाधिकारी को इस प्रकार का अधिकार दिया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : यह अधिकार सी. सी. एफ. को देने जा रहे हैं। यह निर्णय कब तक ले लेंगे ?

प्रश्न संख्या ४९९

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा !

प्रतापगढ़ आदिवासी छात्रावास में स्थानाभाव

५०० . **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रतापगढ़ आदिवासी छात्रावास में कितने ही विद्यार्थियों को स्थानाभाव के कारण प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ?

(२) क्या सरकार आदिवासी जाति के छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतापगढ़ छात्रावास की स्ट्रेंग्थ बढ़ाने का विचार रखती है ?

समाज-कल्याण मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) - (१) इस छात्रावास की स्वीकृति संख्या ५० है जिसमें से २६ छात्र पुराने तथा २४ नये छात्रों को प्रवेश दिया गया। शेष छात्रों को जिले के अन्य छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त करने की सलाह दी गई थी।

(२) सन् ६७-६८ के वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल दो अनुसूचित जन जाति के छात्रावास खोलने का प्रावधान है, जिनको खोलते समय राजस्थान के अन्य भागों की भांति इस जिले की आवश्यकता को भी ध्यान में रक्खा जायेगा।

श्री हरलाल मीणा : क्या आप बता सकते हैं कि आदिवासियों की जन संख्या को देखते हुए ५० लड़कों का छात्रावास पर्याप्त है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : यदि वह अपर्याप्त है तो भविष्य के बजट में उसको बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है लेकिन इस समय यह केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका सारा फंड मिलता है, और उनकी सिफारिश के अनुसार केवल दो छात्रावासों का अगले वर्ष में प्रावधान किया गया है, और बाकी की छात्रवृत्तियां अधिक दी जायं इस पर जोर दिया जायगा, और अन्य छात्रवृत्तियों में ५ प्रतिशत रिवर्वेशन है। इस दृष्टि से वह पर्याप्त हो जाता है इसलिए इससे अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या यह सही है कि जो छात्र लोग पढ़ रहे हैं उन सबको छात्रवृत्तियां नहीं दी जाकर कुछ प्रतिशत को छात्रवृत्ति दी जाती है और कुछ को नहीं दी जाती है। क्या आप यह पर्याप्त समझते हैं कि इससे जो आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्र हैं उनको सुविधा मिल सकती है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा: यह अलग से प्रश्न है।

श्री हीराभाई : यह अलग से प्रश्न नहीं है। आपने कहा कि छात्रावास में भर्ती किया जावे और जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह सब को नहीं दी गई है कुछ पर्सेन्टेज को ही छात्रवृत्ति मिलती है। बाकी जिनको नहीं मिलती है उसके लिये ?

श्री अध्यक्ष: आपने छात्रवृत्ति नाम ले लिया। नैक्स्ट। श्री देवीदत्त गाड़िया !

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की मांगें।

५०१. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सिंचाई विभाग के कर्मचारी संघ ने कुछ दिनों पूर्व अपनी मांगों को लेकर सरकार को कोई नोटिस दिया है ?

(२) यदि हां, तो नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने का विचार कर रही है ?

उप--मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (१) जयपुर वृत्त सिंचाई कर्मचारी संघ ने दिनांक १.५.६७ को एक नोटिस दिया था।

(२) प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) मामला विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीदत्त गाड़िया: क्या यह सही है कि कर्मचारियों ने १५ जून तक अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिये नोटिस दिया है, और क्या उनकी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्री मनफूलसिंह : इसके लिये एक कमेटी बनादी गई थी उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा श्रमिकों के प्रतिनिधि मुकर्रर किये गये हैं। मांगें तो उनकी स्वीकार कर लेंगे, उनको लागू करने की बात है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या आपस में कोई समझौता हो गया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि एडिशनल लेबर कमिशनर को लिखा और उसने यह

(श्री हरिदेव जोशी)

फैसला दिया है कि मांगें स्वीकार कर ली हैं लेकिन एग्जिक्यूट नहीं हुई हैं। उनके इम्पलीमेन्टेशन के बारे में अभी प्रश्न है। उसको एग्जिक्यूट किया जा रहा है। उस कमेटी में जो बनाई गई है उसमें लेबर के दो रिप्रेजेन्टेटिव हैं और गवर्नमेंट के भी हैं। मिल कर कार्यवाही करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि अगर उनकी मांगे १५ जून तक नहीं स्वीकार की गईं तो उन्हें बाध्य किया जावेगा नोटिस पर अमल करने के लिये।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अभी मेरे पास जो कॉपी आई है उसमें उन्होंने लिखा है''''

''''''''''संलग्न शिकायत भेजकर अङ्कित है कि यदि समझौते के अनुसार पूर्व में भेजी गई मांग पत्र के अनुसार १५ जून तक इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया और इन शिकायतों को दूर नहीं किया गया तो पुनः सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल या प्रदर्शन को जो १५ जून तक के लिए स्थगित कर दिया है उसके साथ पुनः विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।''

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जावें तो ऐसा होगा मगर आज उनकी सारी मांगें स्वीकार की जाकर उनको एग्जिक्यूट कैसे किया जाए उसके लिये ऑफिसरों की और लेबर के प्रतिनिधियों की कमेटी बना दी गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनकी मांगों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति आपको नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : उनकी मांगें तो स्वीकार कर ली गई हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(प्रश्न संख्या ५०२)

श्री भगवानदास शास्त्री !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह हाड़ा :

ग्राम सबलपुर, तहसील नैनवा की खड्डी की खान

५०३. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या खनिज मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:-

क्या यह सही है कि तहसील नैनवा के ग्राम सबलपुरा की सहकारी समिति के नाम जो खड्डी की खानें थी उनको खनिज विभाग द्वारा शान्तीलाल बारां वाले को दे दी गई हैं ? यदि हां तो कब और क्यों ?

उप-मन्त्री, खनिज विभाग : (श्री मनफूलसिंह) : जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप यह किस प्रकार कहते हैं कि वहां सहकारी समिति नहीं थी ? वहां अवश्य सहकारी समिति थी ।

श्री मनफूलसिंह : सहकारी समिति के नाम से····

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आपने कोई दूसरा जवाब पढ़ दिया होगा ।

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): एक सहकारी समिति के नाम पर कोई ठेका स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : फिर शांतिलाल बारां वाले को ठेका कैसे मंजूर हुआ ?

श्री मनफूलसिंह : श्री शांतिलाल बारां वाले को ठेका खदान खड़िया मिट्टी का ५ वर्षों के लिये १.४.६० से ३१.३.६५ तक लोहारपुरा, सबलपुर, पालसर का आयुक्त, कोटा ने २६.२.६० को स्वीकार किया था ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इससे पहले इस खान का कौन उपयोग करता था ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: इससे पहले इसका कोई न कोई तो उपयोग करता ही होगा आप बतावें कि कौन करता था ?

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी उनके पास नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : वहां पर ठेकेदार के रूप में सहकारी समिति काम कर रही थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

धौलपुर में बिजली सप्लाई

५०४. श्री **प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) १ जुलाई, १९६६ से ३० अप्रेल, १९६७ तक धौलपुर बिजलीघर उपभोक्ताओं को कुल कितनी बार बिजली देने में असफल रहा ?

(२) क्या यह सत्य है कि धौलपुर बिजलीघर द्वारा बिजली न देने के कारण धौलपुर की सभी चक्कियां तथा तेल मिल बन्द हैं ?

(३) सरकार धौलपुर बिजलीघर की इस गिरती हुई दशा को सुधारने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) उपभोक्ताओं को कुछ समय तक हर दिन में बिजली नहीं मिलने की असुविधा हुई है ।

(२) जी हां, मार्च-अप्रेल, ६७ से ।

(३) एक १०० किलोवाट का इंजिन ता. २८.४.६७ को चालू किया गया है, और जयपुर व भरतपुर से फोरमैन मय पार्टी के वहां के इंजिनों को ठीक करने के लिये

Page No.29

(श्री हरिदेव जोशी)

भेजे गये हैं इससे वहां के एक इंजिन की मरम्मत की जा चुकी है, और इंजिन अब पहिले से अच्छा चलता है। इंजिनों की रिपेयर्स होने के बाद में स्थिति में सुधार होगा। ग्वालियर से धौलपुर तक एक ३३ के० वी० की लाइन लगादी गई है और गांधी सागर से बिजली आने पर वहां की जरूरत पूरी तरह से हल हो जायेगी। मध्यप्रदेश वि० मण्डल से भी उनके ग्वालियर सब-स्टेशन से बिजली लेने के काफी प्रयत्न किये गये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब बिजली सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो फिर उन लोगों से मिनिमम चार्जेज क्यों लिये जाते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : रूल्स के अनुसार तो मिनिमम चार्जेज देने चाहिये। अगर उनको मिनिमम बिजली नहीं दी जाती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ में मैं यह भी कहूँगा कि धौलपुर में हाई टैक्निक का इंजिन लिया है उससे जल्दी बिजली दी जावेगी।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आपकी गांधी सागर से आने वाली बिजली कब तक आ जावेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : गांधी सागर में पूरा पानी उपलब्ध होगा तब।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ में बालेसर से इंजिन हटा कर धौलपुर ले जाया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री खेतसिंह : तो क्या आपने बालेसर को पाकिस्तान का हिस्सा समझ रखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : वह जोधपुर का हिस्सा है और इंजिन जिला परिषद् के प्रधान की हैसियत से आपकी इजाजत से ले जाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्री हरिवल्लभ : प्रश्न संख्या ५०५ बाकी रह गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा !

सवाई माधोपुर अध्ययन केन्द्र भवन

५०५. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाई माधोपुर कस्बे में जिस भवन में अध्ययन केन्द्र मार्च ६० तक चला वह सवाई माधोपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित कराया गया था ?

(२) अध्ययन केन्द्र उठ जाने के पश्चात् उक्त भवन पुनः शिक्षा विभाग के अधीन क्यों नहीं लिया गया ?

(३) क्या उक्त भवन कालेज की प्राथमिक कक्षाओं के लिए पर्याप्त नहीं है ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(४) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार सवाई माधोपुर में इस वर्ष कालेज खोल रही है ?

(५) यदि नहीं, तो किस अवरोध के कारण ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) जी हाँ। पर अध्ययन केन्द्र मार्च ६७ तक चला।

(२) इसके लिये जिलाधीश व निरीक्षक के बीच पत्र-व्यवहार जारी है।

(३) कालेज की प्रारम्भिक कक्षायें तो चलाई जा सकती हैं।

(४) जी नहीं।

(५) धन की कमी के कारण फिलहाल नये कालेज खोलने का अभी सरकार का विचार नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर कालेज खोले जाने की योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल थी ?

राव श्री धीरसिंह : योजना है पर अभी किस जगह खोला जावे इसके बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह भवन कौन से सन् में तैयार हो गया था....

राव श्री धीरसिंह : आवाज नहीं सुनाई दे रही है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह भवन कौन से सन् में तैयार हुआ था ?

राव श्री धीरसिंह : यह भवन पहले ओल्ड बिल्डिंग लाइन में चल रहा था। वह सन् ६० में कम्पलीट हुआ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जब वह सन् ६० में कम्पलीट किया उस समय से अब तक उसमें अध्ययन केन्द्र क्यों नहीं खोला ?

राव श्री धीरसिंह : वहाँ ८ कमरे और एक हाल बनाया गया। वहाँ पर स्कूल शिफ्ट किया मगर वहाँ पर्याप्त कमरे नहीं थे। इसके लिये कलेक्टर और शिक्षा विभाग में पत्र-व्यवहार जारी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस भवन में अब तक स्कूल चला ही नहीं। इसीलिये में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि स्कूल चला।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

राज्य सरकार के ओवर ड्राफ्ट पर प्रतिबन्ध

५०७. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के ओवर ड्राफ्ट पर कोई प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हाँ, तो क्या ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : भारत सरकार की सहमति से रिजर्व बैंक के साथ किये गये मुहायदे के अनुसार राज्य

(श्री मथुरादास माथुर)

सरकार अपने बैंक खाते में पहले १४ लाख रुपये तक का ओवर ड्राफ्ट ले सकती थी। दिनांक १.३.६७ से इसकी सीमा बढ़ा कर ६० लाख कर दी गई है। इस सीमा से अधिक ओवर ड्राफ्ट करना अनधिकृत (un-authorised) है और केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार के अनधिकृत ओवर ड्राफ्ट पर हमेशा आपत्ति की है। चालू वित्तीय वर्ष से भारत सरकार व रिजर्व बैंक आफ इन्डिया दोनों ने ही इस प्रकार के अनधिकृत ओवर ड्राफ्ट के प्रति कठोर रुख अपना लिया है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : क्या उनकी परमिशन जो मौजूदा राजस्थान सरकार का १६ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है उसके अलावा है?

श्री मथुरादास माथुर : इस वक्त १६ करोड़ का नहीं ६० लाख का ही ओवर ड्राफ्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना!

शराब पर प्रतिबन्ध

५०८. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार पूर्ण शराबबन्दी कब तक करने का विचार रखती है?

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : भारत सरकार द्वारा मद्य-निषेध कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल की न्यायाधीश श्री टेकचन्द की देखरेख में नियुक्ति की गई। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में पूर्ण मद्य-निषेध बारह वर्ष के भीतर समस्त भारत में करने की सिफारिश की। अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार पूर्ण मद्य-निषेध को लागू करने का वर्ष १९७७ है। इस कार्य-क्रम को चार अवस्थाओं में विभक्त किया गया है।

अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि प्रथम चरण में शराब की शक्ति की सीमा धीरे-धीरे कम की जावे और क्षेत्रों में मदिरा की शक्ति में समानता लाई जावे। दूसरे चरण में मदिरा की शक्ति में और कमी की जावे और मद्य-सेवियों के लिये अनुज्ञा-पत्र प्रणाली लागू की जावे। तीसरे चरण के अन्त में पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने की पृष्ठभूमि तैयार की जावेगी। और उन व्यक्तियों को जिनकी आयु ४० वर्ष से अधिक हैं उनको भी ५ प्रतिशत मदिरा देने तथा उग्र मद्य-सेवियों को ६० यू. पी. शक्तिवाली मदिरा देने का प्रावधान रखा है। चौथे चरण में पूर्ण मद्य-निषेध लागू हो सकेगा। राज्य सरकार ने अध्ययन दल के सुझाव से साधारणतया सहमति प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

अध्ययन दल ने मदिरा की शक्ति में कमी करने की जिस सीमा तक सिफारिश की है वह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि राज-स्थान की विशेष परिस्थितियां भी राज्य सरकार को निर्धारित प्रकार और निर्धारित सीमा तक मद्य-निषेध की सीमा में कमी न

(श्री मथुरादास माथुर)

करने के लिये विवश करती है। उक्त समस्या का सावधानी पूर्वक विचार करने से प्रतीत होगा कि पूर्ण मद्य-निषेध का लक्ष्य निकटतम अवधि १५ वर्ष हो जो १९८० में समाप्त होगी।

राज्य सरकार के लिये मद्य निषेध लागू करने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति जिसमें कि वार्षिक आय-वृद्धि तथा मद्य-निषेध लागू करने में होने वाला व्यय भी शामिल है, पूर्ति करना कठिन है। इनकी शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार को करनी होगी।

मद्य-निषेध पर समस्त भारत में समान नीति अपनाए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार भारत सरकार के निर्देशों का इन्तजार कर रही है। भारत सरकार से निर्देश मिलने पर राज्यसरकार उन पर विचार कर उचित कार्यवाही करेगी।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : क्या यह सही है कि गारन्टी सिस्टम लागू किया है, इस गारन्टी सिस्टम से यह शराब की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी ?

श्री अध्यक्ष : इस पर कई बार विचार हो चुका है।

श्री रामकिशन : श्री टेकचन्द समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तो प्रथम चरण में शराब घटनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : टेकचन्द समिति ने मदिरा की शक्ति को घटाने की सिफारिश की है कि ग्रो. पी. गिरानी चाहिये। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रांग शराब बनती है उसको कमजोर करना चाहिये इसलिये आपने बजट में देखा होगा कि शराब की दो और क्वालिटी इन्ट्रोड्यूस की हैं, जिसकी ग्रो. पी. कम है, एक तो सौंफ है, तो उसी आधार पर ऐसी कम शक्तिवाली शराब बनाने का फैसला किया है जिसकी ग्रो. पी. कम है, जिससे नुकसान कम पहुंचता है ताकि जो स्ट्रांग शराब पीने के आदी हैं वे कमजोर शराब पर आ जायं। टेकचन्द कमेटी की सिफारिशों के लिये हमने भारत सरकार को लिखा है कि इससे इल्लीगल डिस्टीलेशन हो जायगा, भट्टियों की दारू पीने वाले इसे नहीं पी सकेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या सरकार की मंशा है कि शराब की आय धीरे-धीरे नहीं घटाई जाय ? तो क्या आय बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जवाब में कह दिया कि भारत सरकार पूरी रेस्पोन्सिबिलिटी ले लेगी, हमें कम्पेन्सेट करने के लिये पैसे देगी तो हम प्रोहिबिशन लागू करेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह केवल भारत सरकार का ही काम है, आपका नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह भारत सरकार का और हमारा सबका ही है। भारत सरकार ने टेकचन्द कमेटी बनाई है। कोई बात भारत सरकार कहती है तो हम कोऑपरेट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : शराब की स्ट्रेन्थ घटाने की बात आपने कही है तो क्या यह बतायेंगे कि पिछले साल जिस स्ट्रेन्डर्ड की शराब बनाते थे, उनमें से किस क्वालिटी में स्ट्रेन्थ की गिरावट की है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो शराब पहले बनती थी उसकी स्ट्रेन्थ कम नहीं की है। नई क्वालिटी इन्ट्रोड्यूस की है जो कम स्ट्रेन्थ की है।

श्री रामकिशन : टेकचन्द समिति की सिफारिश थी कि शराब की स्ट्रेन्थ कम हो तो कम क्यों नहीं की ?

श्री मथुरादास माथुर : धीमे धीमे कम हो जायगी तो और कम करेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या कम स्ट्रेन्थ की शराब बनाने से यह खतरा नहीं है कि तेज शराब पीने वाले तो हैं ही, हल्की शराब पीने वाले और बढ़ जायेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार के उत्तर से समझा जाय कि टेकचन्द समिति ने ४ चरण निर्धारित किये हैं तो क्या प्रथम चरण में राज्य सरकार को उस समिति की सिफारिशों के अनुसार जो कुछ करना चाहिये वह राज्य सरकार ने किया है और क्या प्रथम चरण में वह काम पूरा हो जायगा, जिसको प्रथम चरण में पूरा करने की समिति ने सिफारिश की है ?

श्री मथुरादास माथुर : We are working in that direction.

श्री अध्यक्ष : (एक साथ अनेक माननीय सदस्य प्रश्न पूछने लगे) आॅर्डर, आॅर्डर। स्थगित प्रश्न। श्री लाभचन्द वैद ?

प्रश्न संख्या १४१। जनस्वास्थ्य मंत्री महोदय,।

स्थगित प्रश्न

(३१:५:६७ और ७:६:६७)

पड़िहारा, तहसील रतनगढ़ में वाटर वर्क्स

१४१. **श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़)** : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील के पड़िहारा में वाटर वर्क्स का कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरा होगा ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री, (श्री नारायणसिंह मसूदा) : जी हां, कार्य अधूरा पड़ा है चूंकि स्कीम में जो कुआ दिया गया था वह पंचायत के आपसी मतभेदों के कारण अभीतक जल-प्रदाय विभाग को नहीं दिया गया अतः कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

उपरोक्त कुए के मिलने व आवश्यक धनराशि के उपलब्ध होने पर कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जल-स्रोत सरकार को मिलने के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाद ही वाटर सप्लाई की स्कीम बनती है, सेंक्शन होती है और लागू की जाती है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसमें कुछ मतभेद था। एक पार्टी ११:१:६७ को भेजी थी पर विरोध होने के कारण वह कार्य नहीं हो सका। अब इस कार्य को सम्पादित करने के लिये कलेक्टर को कहा है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या सरकार ने नया कुआ बनाने के लिये पब्लिक से अलग से रुपया नहीं लिया था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अगस्त ६५ में पंचायत ने इस कुए को देना मंजूर कर लिया था।

श्री लाभचन्द वैद : मेरा प्रश्न यह है कि नया कुआ बनाने के लिये क्या सरकार ने पब्लिक से अलग से रुपया नहीं लिया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अलग से नया कुआ बनाने के लिए नहीं लिया गया।

श्री लाभचन्द वैद : यह जानकारी जो मंत्री महोदय दे रहे हैं, वह गलत है। पब्लिक से अलग से पैसा लिया गया है। कितने अर्से से यह काम बन्द है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में सरपंच ने अपना प्रस्ताव दिया था।

श्री लाभचन्द वैद : सुना नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि वाटर सप्लाई स्कीम को वहां चालू करने के लिए राज्य सरकार नये कुए का निर्माण कराने जा रही है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नए कुए का प्रश्न नहीं है। इसी कुए पर कलेक्टर की सहायता से सारा कार्य कराने का प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री लाभचन्द वैद : वहां पानी रखने के लिए टंकी बन चुकी है, वह सीमेंट की है। उसमें वर्षा से पानी नहीं है। उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, वह। काम क्या आएगी ? सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इधर से स्कीम चालू नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगित प्रश्न

(दि० ७-६-६७)

कोटा में स्टेडियम का निर्माण

२०७. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) (श्री देवदत्त गाड़िया द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि कोटा नगर में मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा स्टेडियम का शिलान्यास किया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि इस निमित्त राशि इकट्ठी हुई थी ? अगर हां, तो कब कब व किस किस साधन से ?

Page No.35

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(३) क्या यह सही है कि कोटा जिलाधीश के पास चेरिटी फंड की राशि है ? अगर हां, तो कितनी ? क्या उसमें से कुछ राशि स्टेडियम को भी एलॉट की गई है ?

(४) क्या यह सही है कि स्टेडियम के मैदान में फसल, सब्जी आदि बोई गई थी ? अगर हां, तो कब ?

(५) उक्त खेती आदि पर कुल कितना व्यय हुआ व उससे आमदनी कितनी हुई ?

(६) क्या इस समय वहां खेती हो रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(७) स्टेडियम के निर्माण पर अभी तक कितना व्यय किस कार्य पर हुआ है ?

(८) उक्त स्टेडियम कब तक तैयार हो जावेगा ।

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीर सिंह): (१) जी हां । २६ जनवरी १९६४ को ।

(२) जी हां । सन् १९६३, १९६४ व १९६६ में दशहरे के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में टिकटों की बिक्री व डोनेशन द्वारा इकट्ठी की गई ।

(३) जी हां । ३७०४९५.४८ रुपये दिनांक ३१-५-६७ तक थे । सन् १९६४ में इस फंड में से ७१००० रुपये स्टेडियम फंड में दिये गये ।

(४) जी हां, नवम्बर १९६५ से अप्रेल १९६६ तक ।

(५) कुल व्यय १४९५९ रुपये तथा आमदनी १५८५ रुपये हुई ।

(६) जी नहीं । क्योंकि उम्मेद क्लब की ओर से आपत्ति उठायी गई थी, अतः कोटा के नागरिकों के हित को ध्यान में रखकर इस वर्ष इस मैदान में खेती नहीं की गई ।

(७) सिटिंग एकोमोडेशन के कार्य पर ४८२४० रुपये तथा मैदान को समतल करने पर ७६० रुपये खर्च हुए थे ।

(८) स्टेडियम का सम्पूर्ण कार्य तीन चरणों में विभाजित है जिस पर ७५९६९८ रुपये खर्च का अनुदान है । प्रथम चरण का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाने की आशा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बाकी जो दो तीन चरण हैं वे कब तक पूरे होंगे ?

राव श्री धीरसिंह : जैसे फंड्स एवेलबुल होंगे, जल्दी कराने की कोशिश करेंगे । फंड्स नहीं हैं । कुछ फंड्स डोनेशन से और कुछ टिकट बेचने से और कलेक्टर के डिस्क्रेशनरी फंड से आये हैं उनसे जितना भी काम होगा वह जल्दी करवा रहे हैं । उसके अलावा जो ७ लाख रुपये का पूरा अनुमान है उसमें और फंड्स जैसे जैसे आयेंगे, काम कराया जायगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बाकी पैसा किस प्रकार से संग्रह होगा ?

राव श्री धीरसिंह : कुछ साधन राज्य सरकार की तरफ से लगायेंगे, कुछ जन सह-

Page No.36

(राव श्री धीरसिंह)

योग द्वारा, कुछ संस्कृत कार्यक्रमों से, कुछ कलेक्टर के फंड से देंगे, इस तरह से इसको पूरा करेंगे ।

श्री प्रेमसिंह (छिबड़ा) : इतने हजार खेती पर खर्च किए , काम तो एक हजार का भी नहीं हुआ ।

राव श्री धीरसिंह : यह काम पी. डब्ल्यू डी. की तरफ से किया गया था । उसमें खेती का काम पहली बार हुआ था । जमीन की लेवल सड़कों के नीचे थी और नालियां वगैरह भी थीं और नई चीज एस्टेब्लिश करने में इनीशियल खर्चा तो होता ही है । उसके बाद में अगर खेती की जाती तो ज्यादा होता । लेकिन उम्मेद क्लब वालों ने एतराज किया और इसलिए बन्द कर दिया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न यह नहीं है । यह सब्जी लगाने के लिए जो १४ हजार खर्चा किया है, यह लेवलिंग की व्यवस्था पर किया है ?

राव श्री धीरसिंह : ट्रैक्टरों के लिए भी किया है, उसके बाद सब्जी उगाने का काम होगा । सारा टोटल खर्चा १४ हजार रुपया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सब्जी के नाम पर १४ हजार रुपया खर्च किया और बाद में सब्जी उगाना बन्द किया यह क्यों हुआ ?

राव श्री धीरसिंह : उम्मेद क्लब वालों ने ऐतराज किया । इसमें कुछ लैंड उनकी थी इसलिए उन्होंने एतराज किया और काम बन्द कर दिया गया । उन्होंने कहा हम एलाऊ नहीं करेंगे । उस समय वार चल रही थी इसलिए सब जगह जो खाली जमीनें पड़ी थीं उन पर खेती करने की योजना चलाई, बाद में स्थिति सामान्य हो गई ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ये मंत्री लोग शिलान्यास करते हैं या सत्यानाश करते हैं ?

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

कम एवं मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्तियों को गृह-निर्माण हेतु ऋण वितरण का आधार

४७५. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या एम. आई. जी. एच. व एल. आई. जी. एच. स्कीमों के तहत जो रकम विभिन्न जिलों में राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, उसके पीछे कोई आधार है ?

(२) क्या इस रकम के वितरण के लिए जिला-स्तर पर कोई समिति का गठन किया हुआ है ?

(३) क्या जिलाधीश अपनी मर्जी के माफिक ही इस रकम का बंटवारा कर सकते हैं ?

(४) जोधपुर जिले में कुल कितनी रकम गत दो वर्षों में दी गई ? तथा उसका बंटवारा किसने किया व किस आधार पर रकम का बंटवारा किया गया था ?

Page No.37

(श्री नगर आयोजन मंत्री)

(५) गत वर्ष कितने सरकारी कर्मचारियों को यह रकम दी गई व कितने गैर सरकारी व्यक्तियों को ?

उत्तर

विभिन्न जिलों में धनराशि मध्यम अल्प आय गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण देने के लिये जिलाधीशों को आवंटन नीचे लिखे आधार पर की जाती है:—

(१) नगर अथवा कस्बे की आबादी।

(२) जिलाधीशों की मांग तथा गत वर्ष आवंटन की गई धनराशि की उपयोगिता की क्षमता।

(३) नगर का विकास।

(४) भारत सरकार तथा जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध को गई धनराशि तथा बजट अनुदान।

(२) जी नहीं।

(३) आवंटन की हुई धनराशि में से जिलाधीश ऋण नियम और प्रार्थना पत्र की प्राथमिकता ऋणियों की आवश्यकता तथा मकान को निर्धारित उंचाई तक पूर्ण करने पर मध्यम/अल्प आय गृह निर्माण योजनाओं के लिये सरकार द्वारा बनायें गये आदेशों के आधार पर देते हैं।

(४) जोधपुर जिले में उक्त गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत दो वर्षों में निम्न प्रकार से धनराशि आवंटित दी गई थी।

वर्ष	मध्यम आय गृह निर्माण योजना		अल्प आय गृह निर्माण योजना,		रिमार्क,
	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	
१	२	३	४	५	६
१९६५—६६	४५००००	१९३६००	४८९७८५	४८९६७५	२५६४०० म. आयः वर्ग में समर्पित किया
१९६६-६७	१९९०००	१९९१००	२११०१०	२१०९७५	

(श्री नगर आयोजन मंत्री)

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ऋण देने के अधिकार जिलाधीश में निहित है और जिलाधीश मध्यम / अल्प गृह निर्माण योजना के आदेशों के अनुसार हैड क्वार्टर पर उनके द्वारा नियत किये गये अधिकारी तथा अधिशासी या सहायक अभियन्ता निर्माण विभाग की सिफारिश पर ऋण स्वीकृत करते हैं।

(५) वर्ष १९६६—६७ में जोधपुर जिलाधीश द्वारा जिन २ सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों को ऋण दिया उसकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है.—

नाम योजना	संख्या सरकारी कर्मचारी	संख्या गैर सरकारी कर्मचारी
१: अल्प आय गृह निर्माण योजना	१३	३
२: मध्यम आय गृह निर्माण योजना	५	३

पंचायत समिति बौंली के प्रधान का चुनाव

४७६. **श्री हरिवल्लभ शर्मा-** (सवाई-माधोपुर) ! क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति बौंली के प्रधान का स्थान किस तारीख को रिक्त हुआ ?

(२) क्या पंचायत समिति बौंली में उप-प्रधान का स्थान भी रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(३) उक्त पंचायत समिति के उप-प्रधान का चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(४) पंचायत समिति बौंली के प्रधान का चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(५) सरकार अब उक्त समिति के प्रधान एवं उप-प्रधान के चुनाव कराये जाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति बौंली के प्रधान का स्थान २६-१२-१९६६ को रिक्त हुआ।

(२) जी हां, उप-प्रधान का स्थान २१-२-१९६६ से रिक्त है।

(३) उप-प्रधान का चुनाव कराने का अधिकार केवल पंचायत समिति के प्रधान को है। २६-१२-१९६६ के पश्चात प्रधान का स्थान रिक्त होने के कारण उप-प्रधान का चुनाव न हो सका।

(४) चौथे आम चुनाव के कारण सरकार द्वारा जनवरी, १९६७ में सभी पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनावों पर पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

(५) उप-चुनाव पर से प्रतिबन्ध हटा

(श्री पंचायत मन्त्री)

लिया गया है और यह उप-चुनाव शीघ्र ही करा दिया जायेगा ।

राणा प्रताप सागर बांध निर्माण हेतु मोडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी से इकरारनामा

४७७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राणा प्रतापसागर बांध के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार का मोडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी से फाइनल एग्रीमेन्ट लिखित रुप में कब हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि कम्पनी से प्रारम्भ में एग्रीमेन्ट फाइनल नहीं हुआ था?

(३) क्या यह सही है कि काम प्रारम्भ कर देने के बाद कम्पनी से हुए समझौते पर कई बार संशोधन किए गए ?

(४) अगर हां, तो कब-कब, किस किस क्लाज व किस प्रश्न पर इकरारनामा संशोधित हुआ ?

उत्तर

(१) दिनांक १-५-६२ को।

(२) जी-नहीं।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

सांचोर में बने बिजलीघर से बिजली सप्लाई

४८४. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सांचोर में बिजली घर काफी अर्से पहले बन चुका है ? क्या यह भी सही है कि बिजली लगाने का सारा कार्य पूरा हो चुका है ? अगर हां, तो सांचोर में बिजली देने का कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि सांचोर में बिजली सप्लाई करने का कार्य, तारीख ३१-१०-६६ तक सम्पूर्ण होना था और यही राज्य सरकार का निर्णय था ? अगर हां, तो ३१-१०-६६ तक बिजली देने का कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया? इतनी देरी के लिये जिम्मेवार कौन है ?

(३) क्या यह भी सही है कि पूरा सामान नहीं पहुंचने के कारण अभी कुछ जगह लाइनें खींचने का कार्य भी बाकी है ? अगर हां, तो वह कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

(४) अब सांचोर में बिजली सप्लाई कब तक कर दी जावेगी ? निश्चित् तिथि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(क) यह बिजली घर अक्तूबर, १९६६ में तैयार हुआ है ।

(ख) कुल करीब ६५ कूपों में से ४० पर तार खेंचे जा चुके हैं ।

(श्री विद्युत् मन्त्री)

(ग) क्योंकि पंचायत समिति द्वारा डाली गई पुरानी लाईनें अभी तक नहीं हटाई गई है ।

(२) उपरोक्त उत्तर में जवाब दे दिया गया है ।

(३) सामान के अभाव से कार्य बाकी नहीं है । पंचायत समिति द्वारा पुरानी लाइनें हटा लेने के बाद कार्य हो सकेगा ।

(४) बहुत कुछ पंचायत समिति पर निर्भर है असल निश्चित तिथि बताना संभव नहीं ।

चुरू जिले की जल-प्रदाय योजनाओं में विस्तार

१८६. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) चुरू जिले में किन जल प्रदाय योजनाओं में कहां-कहां गत जनवरी और फरवरी माह में विस्तार किया गया ?

(२) किस ने कब इनके लिए मांग की थी ? मांग के प्रार्थना-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । इन लाइनों की स्वीकृति के आदेशों की प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या जो नई पाइप लाइन डाली गई है उनके द्वारा नागरिकों को पानी मिल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(४) इन नई लाइनों पर कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(१) चुरू जिले में सरदार शहर, तारानगर एवं राजगढ़ जल-प्रदाय योजनाओं में विस्तार किया गया ।

(२) इसके लिए समय २ पर विभागीय अधिकारियों को नागरिकों तथा शिष्ट मण्डल एवं नगरपालिका द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं । प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है स्वीकृति के आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां, फरवरी माह से ।

(४) इन लाइनों पर करीब रु० ७४०००) व्यय किया गया ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

कोट किराना की प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में परिवर्तन

४६०. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के गांव कोट किराना की प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक शाला में उन्नत करने हेतु गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ?

(श्री शंकरलाल)

(२) क्या यह सही है कि यह स्कूल अभी तक माध्यमिक शाला में उन्नत नहीं की गई है ?

(३) क्या इस वर्ष इस शाला को उन्नत क्रम में प्राथमिकता दी जायगी ?

उत्तर

जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) फिलहाल इस वर्ष प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

बनास नदी से मेजा बांध में पानी

४६५. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मेजा बांध में बनास नदी को डालने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हाँ, तो इसे कब कार्यान्वित किया जा रहा है ?

(३) इस योजना की प्रगति का ब्यौरा देने की कृपा करें ?

(४ क्या सरकार के ध्यान में है कि जब तक मेजा बांध में बनास नदी डाली जाने की योजना नहीं बनती है, छोटे छोटे अनेकों तालाबों का निर्माण रुका पड़ा है ?

उत्तर

(१) जी हाँ।

(२) योजना के स्वीकृत होने पर व उचित धनराशि उपलब्ध होने पर।

(३) योजना का तखमीना पूर्ण करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके पश्चात् यदि यह योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उचित पाई गई तो इसका तखमीना तकनिकी स्वीकृति हेतु योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल-विद्युत आयोग को भेजा जावेगा।

(४) जी हाँ।

प्राइमरी स्कूलों के माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तन के आधार

४६६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में किस आधार पर अपग्रेड करती है ?

(२) चालू वित्तीय वर्ष में अलवर जिले में कितने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करने का विचार है और कौन कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्रीरामानन्दअग्रवाल)

(३) क्या यह सही है कि ग्राम बुर्जा पंचायत समिति उमरेण के ग्रामवासियों की कई वर्षों से उनके प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करने की मांग चली आ रही है ?

(४) क्या यह सही है कि मिडिल स्कूल लगाने के दृष्टिकोण से इस ग्राम में ग्रामवासियों ने बिल्डिंग भी बनाई हुई है ?

(५) क्या सरकार इस ग्राम के प्राइमरी स्कूल को चालू वित्तीय वर्ष में मिडिल स्कूल में परिवर्तित कर देगी ?

उत्तर

(१) प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करते समय क्षेत्र की आवश्यकता, छात्रों की संख्या, भवन की व्यवस्था, जन-सहयोग की मात्रा और राज्य सरकार के साधनों को ध्यान में रखा जाता है।

(२) इस वर्ष किसी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

अजमेर में लड़कियों का कालेज

५०२. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार अजमेर में केवल लड़कियों के लिये कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

ट्यूशन फीस में कमी

५०६. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोटा-यत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को ट्यूशन फीस को बढ़ाने अथवा कम करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो कृपया इस प्रस्ताव का विस्तृत विवरण देने की कृपा करें।

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरदारसमन्द से सिंचित क्षेत्र।

२४. **श्री मूलचन्द डागा** : (पाली) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पाली तहसील के सरदारसमन्द

(श्री मूलचन्द डागा)

से कितनी कितनी भूमि किन-किन गांवों की सिंचित होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि पिछले १० वर्षों में कभी भी इस बंध से पूरी जमीन सिंचित नहीं हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने जब काश्तकारों को बंधे का पानी नहीं मिला तब उनसे नहरी सिंचाई की रकम व उसका लगान उन वर्षों में वसूल नहीं किया है

(३) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट में जब बंधे में पानी नहीं होता था और काश्तकारों को पानी नहीं मिलता था तब उनको लगान बीड़ोघी से मुक्त किया जाता था ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है :

(२) जी हाँ, नियमानुसार ही सिंचित क्षेत्र से जल-कर लगाया जाता है। भूमि की बिघोड़ी (लगान) का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है।

(३) इसका सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

(कृपया परिशिष्ट ? देखिये)

बीकानेर के लिए लोहे का कोटा

२५. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर में लोहे का कोटा कुल कितना किस-किस को गत पांच वर्षों में दिया गया तथा उसका वितरण उन्होंने कैसे किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इस कोटे में से गाड़िया-लुहारों को भी कोई कोटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किसके माध्यम से ?

उत्तर

(१) लोहे का कोटा जिलेवार न देकर उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, बीकानेर जिले के उद्योगों को जो कोटा पिछले पांच वर्षों में इस विभाग के मुख्यालय द्वारा आवन्टन किया गया उसकी सूची (क) सलग्न है। जो कोटा स्टॉकिस्ट के पास सीधा पिछले पांच वर्षों में आया और जिसका वितरण जिला उद्योग अधिकारी द्वारा किया गया, उसकी सूची (ख) संलग्न है।

(२) जी हां। इसमें से जो कोटा इस विभाग द्वारा गाड़िया लुहार समिति, बीकानेर को दिया गया उसकी सूची (ग) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

Page No.44

राजकीय कालेज धौलपुर-विज्ञान विभाग

२६. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार का विचार गवर्नमेंट कालेज, धौलपुर में सत्र १९६७-६८ से विज्ञान विभाग खोलने का है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त कालेज में छात्र-छात्राओं को बैठने के लिये पर्याप्त कमरे नहीं हैं ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। साधनों की कमी है।

(२) जी हां, साधन उपलब्ध होने पर इस कठिनाई को दूर किया जावेगा।

राजस्थान में पब्लिक स्कूल

२७. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में पब्लिक स्कूल कितने हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ?

(२) इन पब्लिक स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है? अलग-अलग बताने का कष्ट करें ?

(३) इकून पब्लिक स्लों का पाठ्यक्रम (Syllabus) कौनसा है ?

(४) ये पब्लिक स्कूल कौन से विश्व-विद्यालय या बोर्ड से सम्बन्धित हैं ?

(५) इन पब्लिक स्कूलों पर अलग-अलग कितना खर्च होता है अर्थात् इनका वार्षिक बजट कितना-कितना है ? इन स्कूलों के इस खर्च को कौन वहन करता है ?

(६) इन स्कूलों में प्रवेश पाने के क्या नियम हैं ?

(७) १९६६-६७ में इन स्कूलों में हरिजन आदिवासी, पिछड़ी जातियों और किसान वर्ग के छात्र कितने-कितने थे ? छात्र संख्या वर्गवार और स्कूलवार अलग-अलग बताने का कष्ट करें।

(८) इन स्कूलों को जारी रखने में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? क्या यह सही है कि इस प्रकार की व्यवस्था विशिष्ट वर्गों के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था के लिये की हुई है ?

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

शिक्षा में पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा प्रसार

२८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए रेगिस्तानी इलाकों में शिक्षा

Page No.45

(श्री भीमसेन)

प्रसार हेतु निम्न गांवों की माध्यमिक शालाओं को सेकेण्डरी स्कूल बनाने का इरादा रखती है :—

१-गांव महाजन, तहसील लूणकरनसर।

२-गांव ऊदासर, तहसील बीकानेर।

३-गांव जामसर, तहसील बीकानेर।

(२) क्या सरकार निम्न गांवों की प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला बनाने का इरादा रखती है :-

१-ग्रांव मूंडसर, तहसील बीकानेर।

२-गांव नोरंगदेसर, तहसील बीकानेर।

३-गांव कुभाना तहसील लूणकरनसर।

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

जयपुर नगर विकास योजनाओं में गटर लाइन-व्यवस्था

२९. **श्री दुर्गालाल बाददार** (हवामहल, जयपुर) : क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर विकास न्यास ने नगर विकास हेतु कितनी योजनाएं तैयार की हैं और उन योजनाओं के अन्तर्गत गटर व पानी तथा बिजली की सुविधा का क्या ध्यान रखा गया है ?

(२) नगर विकास न्यास द्वारा पुरानी योजनाओं के अन्तर्गत बसी हुई बस्तियों तथा बनीपार्क, आदर्शनगर, लाल कोठी आदि में गटर लाईन डलवाने के लिए गत ५ वर्षों में क्या प्रयास किया गया है ?

(३) वर्तमान में जयपुर नगर न्यास के पास कितनी नवीन बस्तियां बसाने की योजना है और प्रत्येक बस्ती में कितने-कितने प्लाट्स हैं। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) सन् १९६६-६७ में जनवरी मे नगर विकास न्यास ने नीलामी के अलावा प्लाट किस-किस को अलाट किए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

३०. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में ऐसे कितने गांव हैं जहां अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ?

(२) चूरू जिले में कितने ऐसे गांव हैं जहां पानी खारा है, बिराइया है, पीने योग्य नहीं है ? ये कौन-कौन से गांव हैं ?

(श्री दौलतराम सारण)

(३) इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी और किस प्रकार ?

(४) राज्य सरकार ने पीने के पानी के अभाव वाले गांवों में अब तक क्या-क्या प्रयास करके उन्हें पानी देने की चेष्टा की है ?

(५) क्या कमी वाले गांवों में कहीं बोरिंग करवाया गया ? यदि हां, तो कितनी गहराई तक ? क्या उनका भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया गया कि वहां पानी है या नहीं ? यदि वहां भूमिगत पानी नहीं मिल सके तो उन्हें किस प्रकार पानी दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) राजस्थान में कुल ३२२४१ गांव हैं जिनमें से इस विभाग द्वारा मार्च १९६७ तक १४५ गांवों में सुरक्षित जल-वितरण व्यवस्था (Protected water supply) की जा चुकी है ।

(२) चूरू जिले में कुल २८२ ऐसे गांव हैं, जहां पानी खारा है, बिराइया है, पीने योग्य नहीं है । इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) इन गांवों के लिए सम्मिलित योजना (रीजनल स्कीम) बनाये जाने के लिए मास्टर प्लान भारत सरकार को गत वर्ष भेज दिया गया था । आवश्यक स्वीकृति एवं धनराशी की उपलब्धिता पर आगे कार्यवाही की जावेगी ।

(४) इस विभाग द्वारा चूरू जिले में पीने के पानी के अभाव वाले गांवों में अब तक कुछ नल कूप खुदवा कर पानी देने की चेष्टा की है ।

(५) जी हां, कम से कम २६१ फीट से अधिक ३४५ फीट की गहराई तक । हां, बोरिंग के साथ ही साथ भूगर्भीय सर्वेक्षण भी किया जाता है । जहां-जहां भूमिगत पानी उपलब्ध नहीं होता है वहां आसपास के क्षेत्र से जहां मीठा उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होता है, वहां से पानी का स्रोत चुनकर योजनाऐं बनाकर दिया जावेगा ।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

डीडवाना के उत्तम किस्म के नमक का भाव निर्धारण

६१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९६६-६७ में डीडवाना से फर्स्ट क्वालिटी का कितना-कितना नमक किस-किस को कब-कब किस कीमत पर दिया गया ?

(ख) इस कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया गया ? कीमत-निर्धारण के संबंध में यदि कोई नियम या आदेश हों तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(क) सन् १९६६–६७ में डीडवाना से फर्स्ट क्वालिटी का नमक जिन जिन को जिस कीमत पर दिया गया उसकी तालिका सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(ख) कीमतों का निर्धारण समीप के सरकारी एवं गैरसरकारी उत्पादन केन्द्रों की कीमत एवं तुलनात्मक नमक की क्वालिटी को देखते हुए प्रधान प्रबन्धक की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित की जाती है।

दिनांक २७.७.६६ तक नमक की दर सभी क्वालिटी के लिए एक ही थी जो कि रु० १.६५ प्रति क्वीन्टल थी उसके बाद आज तक की दरें समय-समय पर निम्न प्रकार बढ़ी हैं:—

दिनांक	क्वालिटी	दर प्रति क्विन्टल
१.४.६६	प्रथम	१.६५
,,	द्वितीय	१.६५
२६.७.६६	प्रथम	२.००
,,	द्वितीय	१.६५
१.९.६६	प्रथम	२.०५
,,	द्वितीय	१.६५
२५.९.६६	प्रथम	२.१५
,,	द्वितीय	१.६५
१.१०.६६	प्रथम	२.२५ (केवल नये उत्पादित नमक के लिए)
,,	द्वितीय	२.०५
६.५.६७	प्रथम	२.३५
,,	द्वितीय	२.१५

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

स्थगन प्रस्ताव

(१२.१५ म. प.)

श्री अध्यक्ष : लगभग एक हजार कनिष्ठ लेखकों को एफीशियेंसी बार पर रोक देना और हिंडौन एस० डी० एम० की नियुक्ति के विषय पर क्रमशः माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री श्रवण लाल ने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। उन दोनों मामलों को मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं समझता तथा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य कुशलगढ़ बागीडोरा में अनाज के राशन के कोटे में वृद्धि करने के सम्बन्ध में, माननीय हीरा-भाई, मुख्य मेनेन्जर वहां पर भेजा गया, अभी वह नहीं आ पाया है, संभवतः शाम तक आ जायेगा। इसलिए मैं कल के लिए इसको रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो एक हजार एल. डी. सीज के सम्बन्ध में, जिनको एफीशियेंसी बार क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस बारे में जो भी स्थिति है, सरकार की ओर से स्पष्टीकरण होना चाहिए। सिर्फ इस कारण एफीशियेंसी बार क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं कि उन्होंने टाइप की परीक्षा पास नहीं की है। इस बारे में स्केल नं० ९ में जो संशोधन सरकार ने किया है वह १९६५ से किया है और बहुत से क्लर्क जो १९६५ से पहले ही एल० डी० सी० की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उन पर यह नियम लागू करना, उनके साथ अन्याय है और लगभग ४-५

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

साल से वे १०२) मासिक तनख्वाह पर अटके हुए हैं, यह उनके साथ हार्डशिप है। सरकार के पास टाइप ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, टाइप उनके लिए आवश्यक नहीं है, और पुराने लोगों को टाइप परीक्षा के लिए मजबूर करना. ठीक नहीं है। आपके पास ट्रेनिंग की सुविधायें नहीं हैं। आपने बाद में अमेन्ड किया है इसलिए रिट्रॉस्पेक्टिवी लागू करने से उन लोगों के साथ हार्डशिप है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, हजारों लोग जो तीन-तीन चार-चार साल से एफीशियेंसी बार पर रुके हुए हैं, उस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मांगों पर विचार।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था उसमें हमारे हिंडौन के अन्दर करीब तीन महीने से........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैं उस पर अनुमति नहीं देता हूँ। प्रश्न ही समाप्त हो जाता है।

श्री श्रवणलाल : अनुमति नहीं दी, लेकिन वहाँ पर तहसीलदार जो वर्क कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : फिर आपने बात शुरू कर दी।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि मेरा स्थगन प्रस्ताव लगातार १२ दिन से पड़ा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : ये बातें अंदर करने की हैं, सदन का समय नहीं लेना है। आप तो वैसे भी मुझसे मिलते-जुलते रहते हैं और बड़े इतमिनान से मिलते हैं।

(१२. १८. म. प.)

मांग संख्या १२

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ – पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८, ८६, ७१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री रामकिशन (वैर): आप इसे आधा कर दें तो हम बहस नहीं करेंगे।

मांग संख्या ११

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माँग संख्या **११**, मुख्य शीर्षक २२- कारागार के संबंध में **३१** मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ४६, ६९,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री राम किशन : इसको बढ़ा दीजिए। भोजनों का इन्तजाम ठीक नहीं है।

मांग संख्या ९

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ९,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्य पाल महोदय को २,३९,५४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(उपरोक्त माँगों पर निम्नलिखित कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत हुए)

मांग संख्या १२

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :

१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अधिका-कारियों की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह (जायल) :

२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले के पुलिस थानों के पुनर्गठन के के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में उचित कमी किये जाने के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १२

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) :

४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुकदमों की तफतीश में अनुचित देरी करने पर चर्चा के लिए)।

५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों की कठिन ड्यूटी को देखते हुए सरकार ने उनको सुविधा के साधन नहीं दिये हैं; इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ९

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक इकाई के rationalisation के संबंध में चर्चा के लिए)।

७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में inefficiency और फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिए)।

८. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिलों और तहसीलों के reorganisation हेतु चर्चा के लिए)।

९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर

(श्री पी० के० चौधरी)

दिया जाय (सामान्य प्रशासन में खर्च अधिक हो रहे हैं अतएव उन खर्चो में कमी करने हेतु चर्चा के लिए)।

१०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में जिम्मेदारियों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

११. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में विभिन्न भागों में तालमेल के अभाव पर चर्चा के लिए)।

१२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक कार्यों के निपटारे में विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिए)।

१३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००)रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त corruption के कारणों के संबंध में चर्चा के लिए)।

१४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर):

१५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते आदि नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १२

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर):

१६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००)रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ६.

१७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु कम कर दिया जाय (मन्त्रीगण का विस्तार न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२.

श्री खेत सिंह (शेरगढ़):

१८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में से १००) रू० कम कर दिया जाय (राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल की दिक्कतों पर चर्चा के लिए)।

श्री हीरा (कुशलगढ़):

१६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रू० कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा राजनीतिक प्रभाव से झूठे एफ० आई० आर० दर्ज कराके जनता को परेशान करने पर चर्चा के लिए)।

(श्री खेतसिंह)

२०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ पुलिस की हवालात में राजनैतिक बन्दियों की मार पीट करने तथा चुने हुए लोगों को हथकड़ियां लगाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११.

२१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बन्दियों की राशन मात्रा में बढ़ोत्तरी कराने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९.

२२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उप-जिला अधिकारियों तथा जिला परिषद् सचिवों के पद हटाने के वास्ते चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १२.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

२३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के प्रति राज्य सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

२४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों की राज्य सेवा में दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

२५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ११.

२६. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा जैल सुधार कमीशन को सिफारिशों को लागू न करने पर चर्चा के लिये) ।

२७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जैल सुधार कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९.

२८. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की तबादलों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति न होने के कारण राज्य कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

२९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों के तबादले में मनमानी और पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

३०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर नगर के राज्य कर्मचारियों को हाउस रेन्ट अलाउन्स दिये जाने के औचित्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

३१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (१००) रु० से कम पेन्शन पाने वाले पेन्शनरों के प्रति सरकार द्वारा किये गये भेदभाव पर चर्चा के लिए)।

३२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पेन्शनरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं देने के बारे में चर्चा के लिए)।

३३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पेन्शन के मामले तय करने में अनावश्यक देरी करने पर चर्चा के लिए)।

३४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन के गिरते हुए स्तर के कारणों पर चर्चा के लिए।

३५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से घरेलू काम लेने की प्रथा समाप्त करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

३६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्रिय कर्मचारियों के स्तर पर रखने के सिद्धान्त को मानने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

३७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक सुधार कमीशन की सिफारिशें लागू करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११.

श्री मोहन लाल मोदी (नीमका थाना):

३८. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागार में शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ६.

श्री फतेसिंह (ब्यावर)

३९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २.

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन):

४०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

जाय (पुलिस स्टेशनों पर मामले (रिपोर्ट) दर्ज करने में विलम्ब एवं लापरवाही करने संबंधी चर्चा के लिए)।

श्री गोकुलचन्द (खैरथल):

४१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खैरथल (अलवर) मण्डी की पुलिस चौकी को सशस्त्र बनाने पर चर्चा के लिए)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

४२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सन् १९६६-६७ में कस्बा लूणकरनसर की दो बड़ी चोरियों के पकड़ने में कोई विशेष प्रयत्न न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

४३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व नरेशों के राजप्रसादों के लिये नियुक्त पुलिस गार्ड के बढ़ते खर्चे पर चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Civil Defence. व होम गार्ड्स के खर्चे में कटौती पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९,

४५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जनता की शिकायतों के निराकरण हेतु प्रशासन सुधार समिति की सिफारिशों के अनुसार जिला स्तर पर प्रतिनिधि समिति की नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

४६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खर्चे में बचत करने एवं दुरुपयोग रोकने हेतु समस्त विभागों की गाडियां विभाग से ली जाकर Pool किये जाने पर चर्चा के लिए)।

४७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जन अभियोग निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासन सुधार समिति की सिफारिश के अनुसार जिलास्तर पर जन-प्रतिनिधियों की समिति की नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १२.

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) :

४८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के प्रशासन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

४९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के अधिकारियों के वेतन आदि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९.

५०. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-

(श्री शिवचरण माथुर मांडल)

सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाए (विशेष वेतन दिलाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १२.

देवोदत्त (बारां) :

५१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

५२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय। (नरेशों के प्रासादों पर निःशुल्क रक्षा दल पर चर्चा के लिए)।

५३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले के पुलिस विभाग के अधिकारी बसों में बिना किराया दिए चलते हैं व यात्रा भत्ता उठाते है इस पर चर्चा के लिए)।

५४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बारां में पुलिस चोरों से सांठ-गांठ करके भ्रष्टाचारी ढंग से चोरियों का पता नहीं चलाती एवं बदमाशों को प्रोत्साहन देती हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

५५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गुप्तचर विभाग की अकर्मण्यता के कारण कोटा जिले में छीपा बड़ोद तहसील में अराष्ट्रीय तत्वों की गतिविधियों पर चर्चा के लिए)।

५६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में पुलिस द्वारा हवालात में बन्दी बनाए गए मुलजिमों के साथ भोजन दिये जाने में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

५७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बारां पुलिस के अफसरों द्वारा पुलिस की जीप का खुलकर दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

५८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले के सिपाहियों को चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाकर अधिकारी वर्ग द्वारा अनुचित ढंग से उन राशियों का दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२.

५९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गुप्तचर विभाग के अधिकारियों में फैल रहे भ्रष्टाचार व गैर जिम्मेदारी पर चर्चा के लिये)।

६०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा वस्त्र तथा सामान आदि की खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मांग संख्या ११.

६१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२ कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बारां एवं छबड़ा कारागारों में बंदियों की खुराक दिये जाने में भ्रष्टाचार एवं बर्तनों की कमी पर चर्चा के लिये) ।

६२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बारां कारागार में फैल रहे भ्रष्टाचार एवं बंदियों से संबंधित चीजों के दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १२.

श्री विजयसिंह (मकराना) :

६३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस इन्सपेक्टर्स व सर्कल इन्सपेक्टर्स के तबादलों पर चर्चा के लिए) ।

६४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं उचित रक्षा देने के लिए पुलिस अधिकारियों के तबादले १२ मास में होना निहायत जरूरी कर दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

६५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस जनता की रक्षा के लिए जागरुक न होकर जनता की भक्षक साबित होती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

६६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार फैलने में मदद किये जाने से साधारण आदमी कुचल दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ११.

६७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२ कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागार में अपराधी को सही तरीके से सजा नहीं दी जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६.

६८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय मंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा के लिये) ।

६९. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष काल में प्रशासन के उच्च अधिकारियों की तनख्वाह में कटौती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

७०. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा लिये गये निर्णयों को लागू करने में विलम्ब होने से जनसाधारण की परेशानियों पर चर्चा के लिए) ।

७१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय की लापरवाही से

(श्री विजयसिंह)

अनेकों परेशानियां उपस्थित हो जाती हैं इस पर चर्चा के लिए) ।

७२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (एम. एल. एज को अपने क्षेत्र में छठे मास अनिवार्य रूप से चक्कर लगाने के लिए जिला पूल या पंचायत समिति से जीप की सुविधा देने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १२.

श्री रामकिशन (वैर) :

७३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ११.

७४. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जेल आयोग की रिपोर्ट पर अमल नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९.

७५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चुनाव के समय मनमाने तौर पर किये गये सरकारी अफसरों के तबादलों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या, १२.

श्री केदार नाथ (गंगानगर :

७६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को कम करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

७७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु०कम कर दिया जाय) पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने में सरकार पूर्णतया असफल रही, इस पर चर्चा के लिए) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

७८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

७९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की प्रोसीक्यूशन ब्रान्च की अनुभवहीनता के बारे में चर्चा के लिए) ।

८० मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार निरोधक ब्रांच की अकर्मण्यता के बारे में चर्चा के लिए) ।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) :

८१ मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुम्हेर पंचायत समिति के डकैती पर राजनैतिक दबाव से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए)

८२ मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ – पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जा (सेवर पंचायत समिति के कतिपय गांवों को रूपबास थाने में लगा देने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए) ।

८३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००. रु० कर कर दिया जाय (भरतपुर जिले में डकैतियों एवं अपहरण में पिछले एक साल में हुई वृद्धि से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए) ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :

८४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (राज्य में अनुसूचित जाति व जन जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन न देने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए) ।

८५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में गरीबों की पुलिस विभाग द्वारा सुनवाई न किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

८६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में चोर बाजारी व डकैतियों को रोकने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

८७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में गुंडागर्दी व अपहरणों की रोक थाम में विभागीय ढिलाई पर चर्चा के लिए) ।

८८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में गत वर्ष चोरियां अधिक हुई, उनकी रोक थाम व बरामदगी करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

८९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों को कम वेतन दिये जाने पर चर्चा के लिए) ।

९०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा चोरियों, अपहरणों और डकैतियों के माल की बरामदगी नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या, ९

९१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील निवाई में भूमि सम्बन्धी पुराने मुकदमों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

Page No.58

(श्री जगनारायण सालोदिया)

९२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) कम कर दिया जाय (सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, ट्रांसफर व प्रमोशन्स में होने वाले भेद भाव पर चर्चा के लिये)।

९३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के शिक्षित लोगों को कोटा के अनुसार सरकारी विभागों में नौकरी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़) :

मांग संख्या १२

९४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

९५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जन सुरक्षा की व्यवस्था करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

९६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा नगर में बढ़ते हुए अपराधों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, ११

९७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जेल में बनी वस्तुओं से कैदियों को लाभ देने पर चर्चा के लिये)।

९८. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जेल कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, वर्दी की सुविधाओं को पुलिस के समान करने पर चर्चा के लिए)।

९९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक २२-कारागार मे से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में जेल की अव्यवस्था अर्थात् पानी, बिजली, आवास की कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, १२

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी)

१००. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में पुलिस विभाग की धाधली व अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ९

१०१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी अधिकारियों के पक्षपात पूर्ण ढंग से तबादले व तरक्कियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, १२

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)

Page No.59

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

१०२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (थानों का क्षेत्र पुनर्गठित किया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ९

१०३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सैक्रेटैरियेट व्यवस्था समाप्त की जाकर Henad of the Department के द्वारा व्यवस्था चलाई जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

१०४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १०-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Secretariat Service को inter-transferable बनाया जाय)।

मांग संख्या, १२

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) :

१०५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांवों में भौगोलिक एवं आबादी की दृष्टि के विरुद्ध पुलिस थानों की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, ९.

१०६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन के कार्य संचालन की शिथिलता व लालफीता शाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, १२.

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

१०७ मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

१०८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) कम कर दिया जाय (जिला टोंक में पुलिस विभाग द्वारा अनावश्यक तौर पर तबादले करने पर चर्चा के लिए)।

१०९. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (थाना नगर व देवली द्वारा केसेज दर्ज होने के ८ माह बाद चालान किया गया और जो भ्रष्टाचार उस थाने में व्याप्त है, उस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, ९.

११०. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, १२.

श्री सहदेव (आमेर) :

१११. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग ग्रामों में रहने

(श्री सहदेव)

वाले लोगों की जान व माल को रक्षा करने में असमर्थ रहा, इस पर चर्चा के लिए)।

११२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३— पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के अधीनस्थ पुलिस थानों के क्षेत्र का आकार एक सा होना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या, ११.

११३ मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारागारों में रहने वाले कैदियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि सजा की अवधि समाप्त होने के बाद सामान्य नागरिक का जीवन बिता सकें, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या. १२

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर);

११४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १०० रुपया कर दिया जाय (पुलिस विभाग के सिपाहियों की आर्थिक कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, ६

११५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों पर होने वाले व्यय में कमी करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या, १२

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

११६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में गरीब लोगों के साथ पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मुन्नालाल चौधरी (दूदू) :

११७. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा चोरियों की रोक थाम नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) :

११८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कर्तव्यहीनता पर चर्चा के लिये) ।

११६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की कठिन ड्यूटी के उपरान्त भी उन्हें अलल्प वेतन देने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या, ६

१२०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन सुधार में सरकार

(श्री दौलतराम सारण)

की उपेक्षा और घोर असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, १२

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा):

१२१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, के गुजरात सरहद में अनाज को बोर्डर इलाके में जाने से रोकने में पुलिस की नाकामयाबी पर चर्चा के लिये)।

श्री देवेन्द्र कुमार मीण (गोगुन्दा):

१२२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गोगुन्दा, कोटड़ा, तहसील, जिला उदयपुर, के पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

१२३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अनुशासन में ढिलाई के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, १२

श्री केशरसिंह हाड़ा (हिन्डौली)

१२४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में पुलिस विभाग को दिये गये निजी भवनों के खाली न करने पर चर्चा के लिये)।

१२५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सब इन्स्पेक्टरों द्वारा सामान्य चुनावों के अवसर पर जनता को अनुचित रीति से दबाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ११

१२६. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २३-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बूंदी के जिला कारागार की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

१२७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के मंत्रियों पर होने वाले खर्चे में कमी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१२८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में होने वाले स्थानान्तरण व नियुक्तियों में असमानता पर चर्चा के लिए)।

१२९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा इग्लैन्ड में होने वाले व्यय पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, १२

श्री मूलचंद कटेवा (पिलानी)

(श्री मूलचन्द कटेवा)

१३०. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस गल्ले के तस्कर व्यापार को रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़) :

१३१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फतेहपुर सब डिविजन में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ९

१३२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान का प्रशासन ढीला व भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, १२

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) :

१३३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में पुलिस थानों में फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ९

१३४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, १२

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) :

१३५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों की गुण्डों से सांठ-गांठ होने से हत्याओं तक की प्रारम्भिक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तथा भद्र व्यक्तियों के साथ अशोभनीय व्यवहार होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ९

१३६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या, १२

श्री नन्दलाल (पाटन) :

१३७. माँग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने पर चर्चा के लिए)।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा):

१३८. माँग संख्या १२ मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपयो कम कर

(श्री महेन्द्रसिंह)

दिया जाय (राज्य में हत्याओं की रोक-थाम में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

१३९. माँग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अफसरों द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

१४०. माँग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कर कर दिया जाय (नकबजनी, डकैती व अपहरण के केसेज की रोक-थाम में विभाग की असफलताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री **किशनलाल शर्मा** (नाथद्वारा) :

१४१. माँग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (विभाग की कर्त्तव्य परायणता में शिथिलता समाप्त कराने पर चर्चा के लिए)।

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ़) :

१४२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

१४३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गृह रक्षा दल के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

१४४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों में फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

१४५. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते व यात्रा भत्ते तथा चिकित्सा व्यय के बिलों को पास करने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री **बृज प्रकाश** (हनुमानगढ़) :

१४६. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के लिये डिस्पेंसरी की इमारत के इस्तेमाल में जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ११

१४७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ जुडिशियल कारागार की इमारत बहुत तंग व छोटी होने से काल कोठरी के समान है जिससे अन्डर ट्रायल्स को बहुत तंग होना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ६

१४८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ जंक्शन पर स्थित

(श्री बृजप्रकाश)

रेवेन्यू कोर्ट्स को हनुमानगढ़ टाउन में शिफ्ट किया जाकर जनता को सुविधा देने पर चर्चा के लिए)।

१४९. मांग संख्या ९ मुख्य शीर्षक १९ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ में अतिरिक्त दंडनायक प्रथम श्रेणी की अदालत के कठघरों के निर्माण व अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान न देने में कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

१५०. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी क्षेत्र में जो एस. डी. एम. व तहसीलदार की अदालतें बनाई हैं उनमें आने वाले लिटिगेंट्स व अन्य लोगों के लिए धूप आदि से बचने के लिए बैठने की उचित सुविधाएं उपलब्ध करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, १२

श्री आलम अली (फतेहपुर) :

१५१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

१५२. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

१५३. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मुकुट बिहारी लाल (बयाना) :

१५४. मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बयाना (भरतपुर) पुलिस द्वारा तस्करी अनाज निकासी के कार्यों में खुला हाथ होने पर चर्चा के लिये)।

१५५. मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में क्राइम पोजीशन बढ़ जाने व भ्रष्टाचार, तस्करी में पुलिस का प्रमुख हाथ होने पर चर्चा के लिये)।

१५६. मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

१५७. मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३— पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (धौलपुर सब डिवीजन में डकैती, कत्ल, अपहरण व औरतों की बिक्री को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

१५८. मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले के पुलिस अधिकारियों के बीच पार्टीबन्दी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

१५६. मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस मे से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम नरंना चौथ, थाना दीग में पड़ने वाली डकैती के मामले में डकैतों को बचाने व भ्रष्टाचार करने इत्यादि पर चर्चा के लिये)।

मांग सं०, ११.

१६०. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार के कारागारों में राजनैतिक कैदियों के साथ अनुचित व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

१६१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले की सबसे बड़ी जेल सेवर को डिस्ट्रिक्ट जेल घोषित करने हेतु चर्चा के लिये)।

१६२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जन-आन्दोलनों से सम्बन्धित बन्दियों को कारागारों में उच्च क्लास, दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं०, ६.

१६३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग सं०, १२.

श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नू):

१६४. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कार्यालय तहसील लाडनूं के अहाते में सरकारी क्वार्टर में चपरासी की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस पता लगाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ६.

१६५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय अवेटिंग आर्डर में लम्बे समय तक कर्मचारियों को रखने के संबंध में चर्चा के लिए)।

१६६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरप्लस हुए कर्मचारियों को समय पर नियुक्त नहीं किया जाता, लम्बे समय तक इन्तजार करवाया जाता है, जिससे फालतू खर्च होता है, इस पर चर्चा के लिए)।

१६७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु०

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कम कर दिया जाय (अनियमित रूप से सीनियोरिटी तथा प्रमोशन के केस तय किये जाने के कारण अधिकारियों द्वारा कोर्टों की शरण लेने के कारण धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, १२

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

१६८. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाँसवाड़ा जिले में पुलिस स्टेशन गढ़ी में अनियमिततायें एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ६

१६९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में ढिलाई के कारण सरकारी कर्मचारियों द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, ११

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

१७०. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२ कारागार में से १००) रु कम कर दिया जाय (कारागारों में भोजन की अव्यवस्था एव अपूर्णता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, ६

१७१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कर्मचारियों को पचपन वर्ष की उम्र के उपर राज्य सेवा में रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

१७२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति की रोक-थाम पर चर्चा के लिये)।

१७३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दुर्गति पर चर्चा के लिये)।

१७४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नये व कम अनुभवी I. A. S. आफिसरों को कलेक्टर व सहायक कलक्टरों के पद पर नियुक्त किये जाने पर चर्चा के लिये)।

१७५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अधिकारियों द्वारा समय की पाबन्दगी न करने पर चर्चा के लिये)।

१७६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्त्रियों की यात्रा के अवसरों के समय अफसरों के अनावश्यक जमाव पर चर्चा के लिए)।

१७७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर

Page No.67

(श्री मूलचन्द डागा)

दिया जाय (पेशियों के होते हुए अधिकारियों का दौरों पर चला जाना और फरीकन को इसकी सूचना नहीं होने पर उनकी बर्बादी पर चर्चा के लिए)।

१७८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में ऑफिस के समय में लन्च व चाय के समय अलग अलग रखने पर चर्चा के लिए)।

१७९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समय पर अफसरों द्वारा पेशियां न लेने के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

१८०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरपूर गर्मी में भी आफिस कार्यालयों का समय १० बजे से ५ बजे तक होने पर चर्चा के लिए)।

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) :

१८१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन को ऊपर से अधिक भारी बनाने पर रोक लगाने तथा सरकारी निर्णयों को शीघ्रता से लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) :

१८२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा छोटे कर्मचारियों का जिले से बाहर तबादला किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) :

१८३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १४,३३,७१०) रुपये कम कर दिया जाय (घाटे की अर्थ-व्यवस्था को बचाने के लिये उक्त राशि की कटौती द्वारा मितव्यता)।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) :

१८४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय के विधि विभाग की नियुक्तियों व वेतन में असमानता को दूर किए जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री अमीलाल (बहरोड़) :

१८५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बढ़ते हुए राजनैतिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहन न देने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री अध्यक्ष :

श्री खेतसिंह (अनुपस्थित)।

श्री किशनलाल शर्मा (अनुपस्थित)

श्री शिवचरण माथुर (अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द (अनुपस्थित)।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (अनुपस्थित)।

श्री गोरधन सोनी।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय,........

श्री पी० के० चौधरी : They should not be allowed, who are absent.

श्री अध्यक्ष : I can not be rigid. I have to be flexible.

श्री पी० के० चौधरी : इससे दूसरों को चान्स तो मिल सकेगा।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, देश में आजादी के आने के बाद में पुलिस विभाग जिस प्रकार से अकर्मण्य हो रहा है वह देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज देश में सुव्यवस्था नहीं है। आज देश में जनता को राहत मिले इस पुलिस विभाग द्वारा वह न मिल कर आज जनता को परेशानियां भुगतनी पड रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस का काम है जनता की सेवा, उनकी सुरक्षा और लोगों के जान-माल की रक्षा करना। आज देखने में यह आता है कि जितने भी गुण्डे और बदमाश हैं वे पुलिस की सहायता से ही पनपते हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयत्न नहीं कर रही है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पुलिस इन दिनों में काफी अकर्मण्य हो गई है इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बदमाशियाँ बढ़ रही हैं और गुण्डों को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता को राहत देने के लिये, पुलिस में सेवा-भाव की जागृति हो, वह त्याग की भावना से काम करे, तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ गया है वह सब लोगों को पता है, इसके कारण यह विभाग घोर अन्धकार में है। इस कारण लोग बड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज महंगाई बढ़ी है उस अनुपात में उनकी तनख्वाहें बढ़ायी जानी चाहिये। इसके साथ-साथ उनको इस बात के लिये भी प्रेरित किया जाय ताकि वे कर्त्तव्य की भावना से प्रेरित होकर देश-सेवा, जन-सेवा की भावना से काम करें। बजाय इसके आज पुलिस वाले मनमानी करते हैं लोगों के साथ जुल्म, अत्याचार होते हैं आज उनको पुलिस कोई भी सुविधा प्रदान नहीं कर सकती है।

इसी के ताल्लुकात में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस विभाग में लापरवाही से और पक्षपात से काम होता है। मैं मेड़ता रोड का रहने वाला हूँ। वहां सेशन्स कोर्ट है। जोधपुर से मेड़ता आते जाते कैदी लोग रास्ते में भाग जाते हैं। इसी प्रकार से मेड़ता रोड और मेड़ता स्टेशन के बीच पुलिस को नींद आजाने के के कारण एक कैदी की मृत्यु तक हो चुकी है। जब पुलिस एक कैदी को मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता स्टेशन पहुँची तो पुलिस ने

(श्री गोरधन सोनी)

देखा उनके साथ जो कैदी था वह भाग चुका है उसके बाद जब मालूमात किये गये तो वह कैदी रास्ते मे मरा हुआ मिला । इस प्रकार की लापरवाही बरती जाती है वह बड़ी चिन्ता को विषय है । पुलिस को जनता की रक्षा के सजग रहना चाहिये ।

इसके बाद में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ मेड़ता में एक बड़े पुलिस अधिकारी है वे औरतों को इधर उधर करके पैसा कमाते है । एक मेड़ता के ही पास गांव का किस्सा है वहां की एक लड़की को भगाने में पुलिस अधिकारियों ने मदद की इसके अलावा धोनेराव की लड़की स्वेच्छासे कोर्ट के आदेशानुसार अपनी इच्छा के अनुसार पीहर में रह रही थी उसको जबरदस्ती वहां के जी. आई. ने हरख्या भिजवा दिया । वहां से लड़की किसी तरह भाग कर निकल गई तथा अपने पीहर धोतराव पहुची इसी दुख के कारण वह लड़की उस गांव में मरगई । जो पुलिस जान माल की रक्षा करने के लिये है, उससे लोगों को सुबिधा कहां है लोगों को इतनी तकलीफ है कि लोग पुलिस के पास जाना पसन्द नहीं करते ।

आज जरुरत इस बात की है कि पुलिस विभाग में सुधार किया जाय उनको कर्तव्य की प्रेरणा दी जाय । इसके बिना लोगों को आराम नहीं मिलेगा । मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है उसको यदि कम नहीं किया गया तो जनता का असन्तोष बढ़ता ही जायगा । पुलिस विभाग में जल्दी से जल्दी सुधार हो, वे सेवा भावना से काम करें और लोगों की जान माल की रक्षा करने में सजग रहें बस मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष: श्री रामसिंह

श्री रामसिंह : (जायल) अध्यक्ष महोदय, पुलिस की व्यवस्था के बारे में मैंने भी कटौती के प्रस्ताव रखे है । आज हम देख रहे हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था पुराने जमाने से चली आ रही है. वही व्यवस्था अभी तक कायम है । वैसे सरकार अपनी सारी व्यवस्थाओं के बारे में अच्छी तरह से काम करती है जिससे इसमें यह भी देखना चाहिये कि पुलिस वालों को क्या सुविधायें होनी चाहिये, उनमें क्या सुधार होना चाहिये ? इन सब के बारे में एक कमीशन बिठाया जाना चाहिये । आज तक इस विभाग के लिये कोई कमीशन नहीं बिठाया है । इसी कारण जो पुरानी व्यवस्था है वही चलती आ रही है ।

मैं आपके सामने नागौर जिले का उदाहरण प्रस्तुत करु कि जो पुलिस थाने है उनमे से पांच छ को छोड़कर बाकी सभी थाने सीमा पर हैं सारा क्षेत्र दूसरी तरफ और थाने किनारे पर हैं । इस कारण उन थानों से जो व्यवस्था सरकार व जनता कराना चाहती है, वह नहीं कर पाते । ये थाने जो क्षेत्र से बाहर बनाये गये हैं व सब मारवाड़ राज्य के ज़माने के हैं. जो सीमा की चौरियो आदि के सिलसिले में बनाये गये । वह व्ववस्था बदल गई है राज्य बदल बदल गया है लेकिन थाने वैसे के वैसे ही है । उस पर भी हमारी सरकार

(श्री रामसिंह)

के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज भी जनता पुरानी व्यवस्थाओं की कठिनाईयों को भुगत रही है। इस लिये मेरा निवेदन है कि पहले पुलिस कमीशन बनाया जाय जो पुलिस की सारी व्यवस्थाओं के बारे में विचार कर सके। उनको सुझाव देने का सब को मौका मिले। पुलिस कर्मचारियों में भी असन्तोष है एवं जनता में भी असन्तोष पुलिस के प्रति है उन सब के बारे में वह कमीशन विचार कर उचित निर्णय ले सके व सुझाव आदि दे सके यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री बाढ़दार

श्री पी० के० चौधरी: He Was absent.

श्री अध्यक्ष : ..I can not be rigid.

श्री पी० के० चौधरी ; यह गलत है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की व्यवस्था और पुलिस प्रशासन ये बहुत ही आवश्यक अङ्ग हैं। एक का सम्बन्ध अपराध के शमन दमन से है दूसरे का सम्बन्ध अपराधियों के सुधार से है। लेकिन आज हमारे देश में दोनों क्षेत्रों में जिस प्रकार वातावरण चल रहा है जिस वातावरण को देख कर आज जहां इस विभाग के कर्मचारी विक्षुब्ध है उसी प्रकार जनता का भी विक्षुब्ध होना स्वाभाविक है। इसके कतिपय कारण हो सकते हैं। अगर उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाय और सुधार करने की चेष्टा की जाय तो निसन्देह रूप से अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा जो महकमा इतनी बदनामी पर पहुंच चुका है उसमें सुधार होना संभव हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ ऐसी बातें है जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और अगर ध्यान दिया जाता है तो कर्मचारी ऐसा हैं जिनकी इच्छा हो तो उपाय हो सकता है. गलत हो तो उसमें सुधार हो सकता है जैसे अंग्रेजी में कहावत है Where there is a will, there is a way Where tnere is a wrong, th re is a remedy. तो इसी दृष्टिकोण से मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय आप थोड़ा ध्यान दीजियेगा। यह पुलिस के विभाग के कर्मचारी अपने आपको क्यों असन्तुष्ट पाते है? मेरी जानकारी में कुछ मुद्दे ऐसे आये है जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। आपके विभाग में पोस्टिंग का सवाल हो, आपके विभाग मेंसर्विसेज की प्रोमोशन का सवाल आता है, जहां उनकी सर्विसेज को डेपुटेशन पर देने का सवाल आता है, आपके विभाग में इन तीनों मुद्दों पर बड़ी गड़बड़ियां हैं। जहां व्यवस्था का प्रश्न है, कुछ ऐसी व्यवस्थायें आपने कर रखी है जिनके कारण आपके विभाग के कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस का महकमा वह महकमा है जिस पर देश की शान्ति और सुरक्षा दोनों ही आधारित हैं। अगर आपके विभाग के कर्मचारी भ्रष्टता की ओर चले जावगे और असन्तुष्ट रहेंगे तो हम यह आशा करके नहीं चल सकते कि हम देश में शान्ति और सुरक्षा बनाये रह सकते

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

है। इसका कारण उच्चाधिकारी और मंत्री वर्ग हैं जो अपने स्वार्थों के वश अनुचित कार्य कराने की कोशिश करते हैं। उसके कारण जो लोग अपना मार्ग दूसरी तरफ बना लेते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि जनता पर इन सब का बड़ा बुरा असर पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई पोस्टें क्रियेट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस विभाग में इन्स्पेक्टर जनरल की पोस्ट है उसके बावजूद भी एक एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट नयी क्रीयेट की गई है। अब तक यह परम्परा चली जा रही थी कि एडीशनल इन्स्पेक्टर जनरल की पोस्ट नाम की वस्तु नहीं थी। राज्य सरकार ने अब ऐसा किया है, वह भी उस स्थिति में जब कि देश की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है। यह जो एडीशनल इन्सपेक्टर जनरल की पोस्ट राजनैतिक कारणों से क्रीयेट की है यह राज्य सरकार को देखना चाहिये। अन्य सर्विसेज के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर है लेकिन पुलिस विभाग ने उचाधिकारियों का एक बोर्ड बना रखा है। उस विभाग के अधिकारी ही प्रोमोशन वगैरा करते है। राजस्थान में आर० ए० एस० और आर० पी० एस० के लिये नियम बना रहे हैं कि जो होम डिस्ट्रिक्ट का आदमी है उसको उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट नहीं किया जायगा। आई० पी० एस० के लिये यह नियम नहो है। इन्डियन लेवल की बात है। कोनसी विशेषता है आई. पी. एस. लिये यह लागू नहीं करते हैं। ऐसे बहुत इन्स्टान्सेज हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति प्रारम्भ से लेकर अखीर तक सारे अफसरान के बारे में जानकारी रखता है, किसको प्रोमोशन देना चाहिये, किसको नहीं देना चाहिये। जहां पक्षपात का प्रश्न है वहां वह गोल है। सत्यता का अन्वेषण करना है तो देखिये इन्स्पेक्टर और ए. एस. आईज. की तकरुरी हुई है। लोगों ने तो यहां तक कहा है कि उच्चाधिकारियों में रुपया निश्चित रूप से वितरित किया जिसके कारण यह हुआ है। यह स्थिति है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। आपको जानकारी करनी चाहिये। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि इम्पार्शियल बोडी पब्लिक सर्विस कमीशन की चल रही है उसके द्वारा निर्णय क्यों नहीं किये जाते हैं। प्रशासनिक कठिनाइयां आती हैं यह आपके विचारने का प्रश्न नहीं है। उसके साथ साथ अनुशासन रहे, कर्मचारी संतुष्ट रहें और जनता को सुरक्षा अच्छी तरह से मिल सके इस ओर ध्यान रखना भी यह आपका पुनीत कर्तव्य हो जाता है।

दूसरा निवेदन प्रोसिक्युटिंग और एक्जीक्युटिव ब्रान्च के सम्बन्ध में है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि कोई समस्या आपके सामने उपस्थित होती है तो उसके समाधान करने के लिये आप कमीशन और कमेटीज बिठा देते हैं। एक्सचेकर का लाखों रुपया इन कमीशन्स और कमेटीज में ही पूरा हो जाता है। वे अपनी रिपोटर्स सब्मिट करते हैं।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

अनुभव के आधार पर या जो कुछ मुद्दे आते हैं उनके आधार पर वे कुछ सुझाव राज्य सरकार के सामने रखते हैं। ऐसा लगता है कि उन सुझावों में मीठा २ आप अपना लेते हैं और कड़वा होता है उसको आप थूक देते हैं। इन कमेटीज के लिये कौनसा सवाल रह जाता है कि इनकी रिपोर्ट्स को. सुझावों को आप क्रियान्वित नहीं करते हैं। इन लोगों की क्वालिफिकेशन्स, पे-स्केल्स आदि देखने का आपका काम है।

एक छोटा सा सुझाव में और देना चाहता हूँ थानों के बारे में। जहाँ तक आपके पुलिस स्टेशन्स हैं, बहुत से ऐसे थाने हैं कि किसी के नीचे २०० किसी के नीचे १५०, किसी के नीचे कम और किसी के नीचे ज्यादा गाँव हैं। आखिर आपने इन थानों का निर्माण किया उसके लिये कोई बेसिस होना चाहिये। पुलिस अधिकारियों को ऐसी शिकायतें हैं कि दूर जंगल में थाने हैं। यदि गाँव के पास थाना हो तो एप्रोच भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे थाने हैं जहाँ पांच सात सिपाही रहते हैं। अगर लूट कर उनका कोई एम्युनिशन भी ले जाय तो कोई देखने वाला नहीं। उनकी कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिये। यदि आप इन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और कर्मचारियों की सुव्यवस्था करेंगे तो उनके हृदय में भी ऐसी भावना पैदा हो सकती है कि वे भी जनसेवा का भाव लेकर चलें। सी. आर. पी. सी. के प्रोविजन्स को इन्वेस्टिगेशन में लेकर चलते हैं। माननीय मंत्री महोदय स्वयं अनुभवी वकील हैं और वे जानते हैं कि Challan will be filed as soon as the investigation is complete.

यह 'as soon as' ऐसा शब्द है, आज केस रजिस्टर किया और पांच साल तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। आपके सामने प्रश्न पूछा और आपने उत्तर दिया कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। आखिर यह आपकी क्या मशीनरी है? जस्टिस खान ने मध्यभारत में सन् १६४२ में एक ओब्जवेशन किया था :—

"There are cases however, where the Police under the colour of its duties directs harrassment and prosecution of the innocent persons."

ये इस प्रकार के ओब्जवेशन हाई कोर्ट के जजेज कर सकते हैं तो उनके ओब्जवेशन करने का आधार तो होना ही चाहिये। आपकी कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां है, कुछ इस प्रकार की बातें हैं जिनको लेकर पुलिस के प्रति काफी असंतोष है। अगर कोई कम्पलेन्ट करने जाता है तो अमुमन चोरी की तो कोई कम्पलेन्ट ही दर्ज नहीं होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खत्म ही करने वाला हूँ।

और विभाग ने लिखा हुआ है कि कम्पलेन्ट बुक रखी हुई है। जो थाने में रहता है उसका यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह रिपोर्ट दर्ज करे। थानों का वातावरण ही ऐसा होता है कि भला आदमी

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

तो जाते हुए ही घबराता है और रिपोर्ट दर्ज कराना तो दूर रहा दो चार गालियां सुनने के बाद ही वापिस चला आता है। थानों में कम्पलेन्ट बुक रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई भला आदमी दो चार लाइन तो अपने हाथ से लिख कर आ जाय। कोई उसको देखे तो सही। कोई रिपोर्ट नहीं लिखता और कोई भला आदमी रिपोर्ट नहीं कराने आता यह सब बातें राज्य सरकार के देखने के लिये हो जाती हैं!

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपके डिपार्टमेन्ट में क्वालिफिकेशन और सर्विस का आधार इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिये। ला कमीशन की रिपोर्ट पर पुनः जोर देकर अर्ज करता हूँ कि प्रोसिक्युशिन का जहां तक ताल्लुक है एक्जीक्युटिव सर्विस को भी एप्रिशियेट करना चाहिये। उनको भी इतना महत्व देना चाहिये। ये दोनों ब्रान्चेज इन्डिपेन्डेन्ट हैं। काफी अर्से से यह चल रही हैं। प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। ऐसी क्या स्थिति पैदा हो जाती है कि इन दोनों को अलग करने की बात नहीं आती है। ये जो कठिनाइयां आती हैं इनको मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। जहां तक हो सके पुलिस अधिकारियों के दिमाग में यह बिठावे कि यह जनता की सेवा करने के लिये विभाग है।

लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। शिकायतें बहुत आई। मैं नहीं कह सकता उनमें सत्यता कहां तक है। पर पुलिस के छोटे से मोटे कर्मचारियों से ये मन्त्री लोग बजायों जनता के हित काम करवाने के अपनी क्षुद्र स्वार्थवृत्तियों के और राजनैतिक स्वार्थ के हित के लिये काम करवाते हैं। एम. एल. ए. को उनके द्वारा पकड़वाया जाना आदि काम उनसे आप करवाएंगे तो आगे आप से और उनसे भी जनता जनहित के कार्यों की अपेक्षा नहीं कर सकती।

जन हित अगर आपको प्रिय है तो इसके लिये अपने मोरल को अपने चरित्र को आपको ऊंचा उठाना होगा। चरित्र को ऊंचा बनाने के लिये अपने स्वार्थों को बलि देकर भी निष्पक्ष रहकर उदाहरण रूप में आपको अपने आपको जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा। तब हम सुधार कर सकते हैं, नव निर्माण कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जनता को इन्सेन्टिव हर क्षेत्र में काम करने के लिये दे सकते हैं। यही मेरा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन पर मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं यह महसूस करता हूँ कि प्रशासन में सुधार सबसे ज्यादा जरूरी है। जनता की आज सबसे बड़ी शिकायत प्रशासन को ढिलाई के बारे में है। उनको कोई चीज नहीं मिलती हो, ऐसा न भी हो, पर फिर भी जनता को सर्व साधारण को यह शिकायत है कि प्रशासन से कोई काम निकलता नहीं है। खास करके लोगों की शिकायत है कि प्रशासन में विलम्ब होता

(श्री पी. के. चौधरी)

है। कोई भी किसी काम की दर्खास्त दे तकावी के लिये दे या किसी लोन के लिये दे या और किसी मदद या काम के लिये दे, किसी बात के लिये दर्खास्त दे उसके डिस्पोज़न की टाइम लिमिट नहीं है कि उसका किसी समय में चार महीने में छ महीने में या कि एक साल में तो डिस्पोजल हो ही जावेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा लोगों को शिकायत प्रशासन में विलम्ब के कारण है।

करप्शन की बात कही जाती है। मैं मानता हूँ इसे कि यह है। इसके दो ही कारण हैं। एक तो विलम्ब और दूसरा कारण विलम्ब से उत्पन्न परिस्थिति। लोगों से बातें की हैं। मैंने पूछा अच्छा अफसर उसका कौन है? तो इसकी दो तरह की डेफीनेशन है। एक तो कहते हैं कि अच्छा अफसर उसको मानते है जो प्रोम्पटली केस डिसपाज आफ कर देता है। इनमें से कोई पैसा खाकर भी अगर जल्दी डिसपोज़ आफ करता है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर अफसर अच्छे से अच्छा भी है, पैसा नहीं खाता है पर केस को डिस्पोज़ आफ साल छ महीने में भी नहीं करता है तो वह भी अच्छा अवसर नहीं है। वह इनइफीसियेन्ट है। केस को लिगर आन करता रहता है और इसके बाद डिस्पोज़ ऑफ करता है तो भी डिसकन्टेन्टमेन्ट जनता में उसके प्रति रहता है।

तो सबसे पहले जरूरत है कि प्रशासन में कोई भी ब्रान्च हो और कोई भी केस हो, हाँ या ना में, फेवर में या अगेन्स्ट में तुरन्त फैसला हो जाना चाहिये। मैं तो चाहूंगा कि कोई सिस्टम इसके लिये डेवलप किया जाय।

राजस्थान में भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी अपोइन्ट हुई थी। बहुत सी बातों को इम्पलीमेन्ट किया है उसकी सिफारिशों में से। पर आज तक चाहे जैसा असर नहीं हुआ। प्रशासन में असर पड़ा या नहीं यह भी लोगों से बात करने से मालूम पड़ता है। लोग नहीं कहते कि कोई असर पड़ा है। आखिर में जो पापूलर सरकार है उसमें इफीसियेन्सी है या नहीं, उसका प्रशासन क्विक डिस्पोजल वाला है या नहीं इफीसियेन्ट है या नहीं इसका सही असैसमेन्ट भी जनता ही करती है। इन्टेलीजेन्ट होना और इफीसियेन्ट होना ही प्रशासन के गुण नहीं है। That will not be sufficient. पब्लिक को भी उससे सन्तुष्ट होना चाहिये और केस के डिस्पोजल में क्विक तो होना ही चाहिये। पब्लिक की नजरों में वही प्रशासन सबसे उत्तम है जो क्विक डिस्पोजल करता है और क्विक डिसीजन लेता है चाहे फिर वह कितना ही ओनेसूटली और सिसियरली काम करता हो।

जब तक पब्लिक का सर्टीफिकेट नहीं मिलता है, जब तक पब्लिक के दिमाग में यह बात नहीं पैदा होती है तब तक प्रशासन अच्छा नहीं कहला सकता। सबसे बड़ा इम्पेक्ट यही है। इस इम्पेक्ट को ठीक करने के लिये मैं महसूस करता हूँ कि आज तक जितने भी प्रशासनिक सुधार के स्टैप उठाये गये हैं किसी में भी हम इस इम्पेक्ट को रेज नहीं कर पाये। कारण, आज तक जितने

(श्री पी. के. चौधरी)

कदम उठाये उनमें हम किसी में भी प्रशासन में रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाये।

कोई गलत काम हो जावे, चाहे कोई आपका कन्स्ट्रक्शन का काम गलत हो गया हो, फेवर कर गया हो किसी को, लाखों करोड़ों का सरकार को नुकसान हो गया हो, पर रेस्पोन्सिबिलिटी आज तक इस प्रशासन में तय करने का कोई तरीका इवाल्व नहीं कर पाये हैं।

आज ऐसा कुछ ढांचा यह बन गया है कि रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते। यह फिक्स कर सकें किसी तरह तो प्रशासन में काफी सुधार हो सकेगा।

रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करने का एक कारण यह भी है कि हमने जो पावर किसी को डेलीगेट किये हैं वे ठीक तरह से नहीं किये। कमेटी ने कहा कि पावर डेलीगेट कर दिये जावें नीचे के लेवल पर कहाँ तक आपने पावर डेलीगेट किये हैं यह देखना है। फिर भी यह पाया गया कि जिनको पावर डेलीगेट किये वे उनको इस्तेमाल करने से डरते हैं। कतराते हैं। उनका रेफेरेन्स ऊपर कर देते हैं। अब चार के हाथ में अगर वह केस गया तो रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह पावर डेलीगेट करने के बाद भी जो उसका उपयोग नहीं करना डिसीजन क्विक्ली नहीं लेता, ऊपर टालने की नीयत से रेफर करता है उसको भी सजा मिलनी चाहिये।

तो सबसे पहले आप फील्ड अफसरों को फुल पावर डेलीगेट कर दीजिये। फिर He must be held responsible for taking decision quickly and dispose of the case quickly. जो डिसीजन नहीं ले सकता उसको इनकम्पोटेन्ट डिक्लेअर कर सकते हैं आप! आज डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। क्विक डिस्पोजल करना बहुत जरूरी है। डिसीजन नहीं लेना, उसको अवोइड करना और हायर अफसर को इन्वाल्व करना यह भी बहुत गलत है।

पावर आप मैक्सीमम डेलीगेट करिये। सेक्रेटरियट लेवल पर केवल आप पालिसी मैटर डिसाइड करिये और आप भी क्विक्ली करिये। पर आज छोटी से मोटी बात तक सेक्रेटरियट पहुँचती है। इससे डिले होती है, और लोगों के दिमाग में शंकाएं पैदा होती हैं।

तो मैं चाहूंगा कि पावर डेफीनेटली वैल डिफाइन्ड तरीके से डेलीगेट किये जाने चाहिये। और फिर He must be held responsible to take decision and quick disposal. जो ऊपर भेजेगा उसको भी एक्वली रेस्पांसिबल मानेंगे जब तक हम यह नहीं कर पावेंगे तब तक हमारा प्रशासन चुस्त और रेस्पोन्सिबल और क्विक डिसीजन और डिस्पोजल वाला नहीं बन पावेगा और ऐसा नहीं बनेगा तो जनता का विश्वास उसमें नहीं पैदा हो सकेगा।

आज तक सरकार ने ऐसा नहीं किया है कि किसी ने कोई काम खराब कर दिया हो तो किसी को रेस्पोन्सिबल ठहराया हो। यह जरूर है कि रिश्वत ले ली तो उसमें

(श्री पी. के. चौधरी)

रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स कर दी । पर वह भी बहुत देर से । for not performing the job within proper time, not performing a job properly.... आज तक इसके लिये आपने रेस्पोन्सिबल ठहराया नहीं ।

बोनाफाइडी मिस्टेक माफ की जा सकती है । मैला फाइडी अगर कुछ डिसीजन लेता है या डिस्पोजल करता है तो इसके लिये आप एक्शन लीजिये । पर पावर पूरे के पूरे नीचे डेलीगेट कर दीजिये । तो इनसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में आपने जो कदम उठाये हैं वे ठीक फल देने वाले हो सकते हैं । पर जब तक आप यह नहीं कर पावेंगे परटीकूलर परसन पर रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे तब तक आप कितने भी प्रशासनिक परिवर्तन ले आवें इस प्रशासनिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकता ।

आखिर में डिले के सम्बन्ध में कहूंगा । सबसे ज्यादा करप्शन डिले की वजह से होता है और इसके लिये ऊपर के अफसर को तो मालूम भी न हो लो लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कहिये, किसी डिपार्टमेन्ट में कहिये डाइरेक्टरेट या सेक्रेटरियट के दफ्तर में जाइये, सही बात है इस डिले के शिकार लोग देते हैं पैसे । कोई रजिस्टरी कराना चाहता है मोरगेज डीड रजिस्टर कराना चाहता है तो फिक्स अमाउन्ट है दफ्तर का सौ डेढ़ सौ पचास वह देना ही पड़ता है, नहीं तो साल भर छः महीने भी निकाल देते हैं ।

.......क्योंकि लोन वगैरह लेने का ३१ मार्च तक उसका डिस्बर्समेन्ट होना होता है तो उसका पैसा खर्च होता है डिले होने की वजह से तो मैं चाहूँगा कि डिलेज को दूर करने का कोई एक फिक्स्ड प्रिन्सिपल होना चाहिए और जिन अधिकारियों का पब्लिक से डीलिंग है उसके लिए देयर शुड बी ए रजिस्टर' और जो पब्लिक की एप्लीकेशन्स आयें वह उस रजिस्टर में जाये और उसके डिस्पोजल के लिए at each level, there should be a fixed time limit. यह पेपर किस लेवल पर कितने दिन रहना चाहिए और किस पीरियड के अन्दर और 'आॅथोरिटी काम्पीटेन्ट टू टेक डिसीजन' के पास वह कागज उतने दिन के अन्दर पुट-अप होना चाहिये, यह सारा प्रॉसीजर फिक्स हो जाना चाहिए ताकि यह जो एक इनडेफीनेट सा बन गया है कि किसी का कागज तो ६ महीने चलता रहे और किसी का १५ दिन में ही निकल जाये और उससे भी जल्दी वह डिस्पोज आॅफ हो जाये तो इसमें यूनीफार्मिटी होनी चाहिए । तो मैं चाहूँगा कि केसेज के डिस्पोजल का गवर्नमेन्ट कुछ मशीनरी इवाल्व करे और कुछ टाईमिंग्स फिक्स कर दे । गवर्नमेन्ट ने इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है और उस कमेटी ने सुझाव भी दिया है कि पेपर कितने दिन में डिस्पोज आॅफ होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट भी आई है लेकिन मैं देखता हूँ कि उसको कोई स्ट्रिक्टली फोलो नहीं करता है । इसका वायोलेशन होता है और उसके वायोलेशन्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है । मैं यही कहता हूँ कि एक बार टाइम फिक्स कर दिया जाये । मिसाल के तौर

(श्री पी. के. चौधरी)

पर मैं अध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहूँगा कि कोई भी डिपार्टमेन्ट जैसे बिजली विभाग है। मान लें कि उन्होंने तय कर दिया कि पावर कनेक्शन या बिजली का कनक्शन है उसके लिए किसी ने दरख्वास्त दी उसके बाद में कितने दिनों में सेंक्शन मिलनी चाहिए १। महीना या दो महीना ऐसा टाइम फिक्स कर दिया जाये और उसका इस टाइम के अन्दर फैसला नहीं होता है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन वह एक्शन नहीं लेते हैं। तो इसको इम्पलमेन्ट करेंगे तो डिले और करप्शन दोनों चीजें रिमूव हो सकती हैं।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय कुछ तो करप्शन इसलिये फैलता है कि गवर्नमेन्ट के जो एक्ट्स हैं और जो रूल्स हैं उनमें काफी कन्फ्यूजन होता है और बहुत सी जगह पर वह सरल नहीं है और काम्प्लीकेटेड हैं और उनका एम्बीगुअस इन्टरप्रिटेशन भी हो सकता है। आप जब नीचे के अधिकारी के पास रूल्स भेजते हैं तो उनको डिस्क्रिशन करने का मौका मिल जाता है, इन्टरप्रिटेशन की वजह से भी करप्शन बढ़ता है। तो मैं चाहूँगा कि रूल्स में या एक्ट में जो इन्टरप्रिटेशन की एम्बीगुएटी रहती है और एक ही रूल का दो-तीन तरह का इन्टरप्रिटेशन कोई भी ले सकता है उसको हमें दूर करना चाहिए और जो इन्टरप्रिटेशन डिफरेन्ट आता है वह इसलिए ही आता है कि आज हमने काफी नियम बना दिये हैं। आज नियम इतने ज्यादा हैं कि बहुत से आफिसर्स को भी जो उनके डिपार्टमेन्ट में वैरीयस रूल्स हैं उनकी उनको जानकारी नहीं होगी। बहुत से डिपार्टमेन्ट्स में तो मैन्युअल भी नहीं बना और रूल्स डिफाइन हो जाये और रूल्स के सम्बन्ध में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का भी सजेशन था कि पार्लियामेन्ट का एक मेम्बर, असेम्बली का मेम्बर, लॉ-सेक्रेटरी और डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड का सेक्रेटरी इन सब को मिलाकर एक कमेटी हो जाये और वह एग्जामिन करके देे। रूल्स के इन्टरप्रिटेशन में यह एम्बीगुएटी रहती है उसको दूर कर देना चाहिये। 'रूल्स शुड बी सिम्पल, स्टेट एण्ड नॉट सब्जेक्ट टू दी डिफरेन्ट इन्टरप्रिटेशन' और एक ही प्रकार का इन्टरप्रिटेशन हो सके इस प्रकार के रूल्स होने चाहिए। तो जो करप्शन की गुंजाइश होती है वह खत्म हो जाती है।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट का जो पोस्ट है इसके लिए कहते हैं कि सलेक्शन पोस्ट है लेकिन वह ज्यादातर सिन्योरिटी से होती है। मेरा एक सुझाव है कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है वह टेन्योर पोस्ट होना चाहिये। यह नहीं हो कि एक दफा हैड आफ दी डिपार्टमेंट बन गया तो हमेशा वह रह जाये मैं चाहूँगा कि इसको टेन्योर पोस्ट बना देना चाहिए। चाहे वे पाँच साल के लिए, चाहे सात साल के लिए हो या कितने भी समय के लिए हो। इस पर जो प्रमोशन हो वह स्ट्रिक्टली 'आन दी बेसिस आफ मैरिट्स' होना चाहिए। इसमें सीनियोरिटी का सवाल नहीं होना चाहिए।

(श्री पी. के. चौधरी)

हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट का पोस्ट स्ट्रिक्टली सलेक्शन पोस्ट होना चाहिए और it shold be strictly on the basis of merits. आज जो गवर्नमेंट सर्विस में हो वही हो यह जरूरी नहीं है। हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट के लिए दूसरे देशों में भी यह तरीका है। अब मान लो कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में किसी को लेना है, आर्डीनेंस फैक्टरी में किसी को लेना है तो दूसरे मुल्कों में ऐसा है कि जो टेक्नीकल आदमी है तो उसको ले सकते हैं। It should not be confined to the departments alone. तो हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट जैसे इन्जीनियर की पोस्ट है या टेक्नीकल पोस्ट है तो मैं तो मानता हूँ कि सर्विसेज में ही कोई टेकनीशियन हों ऐसी बात नहीं है उनसे भी अच्छे टेक्नीशियन्स बाहर हैं। तो क्यों नही हम बाहर से हैड ग्राफ दी डिपार्टमेन्ट ले सकते हैं। यह क्यों जरूरी है कि हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में से लिया जाये या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में से लिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूँगा कि हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट की पोस्ट है वह टेन्योर पोस्ट हो और पांच-सात साल के लिए हो। इसलिए यह बैन नहीं होना चाहिए कि डिपार्टमेंट से ही होना चाहिए There should be no ban. उस फील्ड में जो होगा उसको हम लेंगे और पांच-सात साल का कान्ट्रेक्ट रहेगा तो आदमी अच्छा काम करने की कोशिश भी करेगा।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव री आर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि तहसील और पंचायत समितियां को-टरमोनस बनेगी। मैं कहूँगा कि आज तहसीलें वैरायर्स साइज की हैं। कोई तो १॥ लाख की आबादी की और कोई १। लाख की आबादी की है और कोई ३० हजार और ४० हजार की पापुलेशन की हैं। मैं चाहूँगा कि एक तहसील एक लाख की बेसिस पर हो और सारी तहसीलों का रीआर्गेनाइजेशन हो जाये और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि चार-चार और पांच-पांच लाख के हैं और कोई १। लाख के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट है। मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट्स का साइज यूनीफार्म हो जाये। छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को रखने में फायदा नहीं है। अगर आपको इकानामी लानी है तो आपको यह करना चाहिये।

आखिर में एक बात अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूँगा कि गवर्नमेन्ट का जो इमेज है वह रिफलेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता हैं उससे अब जब तक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार नहीं कर पायेंगे और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और लोअर लेवल पर आज लोगों को ज्यादा असंतोष है। तो जो काश्तकार हैं या किसान हैं उनको सेक्रेटेरियट में आने का बहुत कम मौका मिलता है, हैड ग्राफ दी डिपार्टमेन्ट से वह नहीं मिल सकते हैं। उसको रोजमर्रा काम पड़ता है कलेक्टर से, तहसीलदार से या एस० डी० ओ० से या असिस्टेंट इन्जीनियर से। तो वहाँ पर जब तक काम पूरी तरह नहीं कर पायेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रे-

Page No.79

(श्री पी. के. चौधरी)

शन हमारा इमेज है वह जनता के सामने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पेश करता है तो मैं चाहूँगा कि सबसे ज्यादा ध्यान हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ उसको सुधारने में दें। इन चीजों को हमें करना चाहिये और जब तक हम इनको नहीं कर पायें तो जो लोगों के सामने इमेज है वह नहीं सुधरेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको ज्यादा सुधारा जाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय ……

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय ……

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, कौन बोलेगा ?

श्री अध्यक्ष : My Silence conveys the consent:

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री महोदय ने अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं और उसी प्रकार सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने मांग प्रस्तुत की है। अध्यक्ष महोदय, यह दो मांगें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में जितना कुछ कहा जाय उतना थोड़ा है। सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में, मुख्य मन्त्री महोदय ने जो मांग प्रस्तुत की है वह लगभग तीन करोड़ रुपये से ऊपर की है। अध्यक्ष महोदय इसमें जो बजट में व्यवस्था की गई है मन्त्रीमण्डल के सम्बन्ध में, मिनिस्टरों की तनख्वाहों के सम्बन्ध में वह लगभग २१,५४,०००) रु० की है। सन् १९६६–६७ में यह व्यवस्था १९,९९०००) की थी जिसकी रिवाईज डिमाण्ड आई २१ लाख १ हजार की और ६६–६१ की रिवाईज एस्टीमेट्स से ज्यादा धनराशि की व्यवस्था सन् ६७–६८ के बजट में मंत्रियों के सम्बन्ध में की गई है। एक बात तो निश्चित हैं कि यह राज्य सरकार जो खर्चे में कटौती की बात करती है, राज्य सरकार जनता से पेट पर पट्टी बांधने की बात करती है और वह राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के गले पर छुरी चलाने की सोचती है, यह राज्य सरकार हजारों अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को निकालने के लिए नोटिस दे रही है और यह वही राज्य सरकार है जो मंत्रियों की संख्या में वृद्धि करने वाली है। अध्यक्ष महोदय पिछली बार हमने जो बजट में व्यवस्था की थी उस व्यवस्था से ज्यादा व्यवस्था इस साल के बजट में की जा रही है। पिछली बार मन्त्रीमण्डल में मंत्रियों और उपमंत्रियों की संख्या कुल मिला कर २४ थी तो सदन को यह मानकर चलना चाहिए कि उसके आधार पर ज्यादा संख्या मंत्रियों और उपमंत्रियों की की जाएगी। यह निश्चित रूप से २४ से ज्यादा होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह सदन इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करेगा कि जो राजस्थान आज अकाल से चारों तरफ से ग्रस्त है, २६ जिलों में से २३ जिलों में अकाल की काली छाया फैली हुई है, लगभग ४५ लाख जनता अकाल से पीड़ित है। आदमियों को पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इन्सानों को खाने को नाज नहीं मिल रहा है और यहां पर पशुओं के लिए चारा नहीं है। ऐसी हालत आज राजस्थान की है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि राजस्थान की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में क्या मंत्रियों की संख्या में वृद्धि किसी प्रकार से भी जायज होगी। यह हो सकता है अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्री महोदय अपने आपको कुर्सी में बनाए रखने के लिए इस प्रकार की वृद्धि को आवश्यक समझते हों। यह भी हो सकता है कि अपने राज्य को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को खुश करने के लिए मंत्री-मण्डल में लिया जाना जरूरी हो। लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों ने विधान सभा के अन्दर यहां पर संविधान की सौगन्ध खाई है राजस्थान की बहबूदी के लिए और संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए उसकी बहबूदी के लिए अपने कर्त्तव्यों का पालन करने की सौगन्ध खाई है। मैं क्या पूछना चाहता हूं और मैं यह जानना चाहूंगा कि जो राजस्थान की सरकार आगे आने वाले समय में सभी प्रकार के खर्चों में कटौती करके करोड़ों रुपया अकाल पर खर्च करना चाहती है और इसी प्रकार राजस्थान की जनता को राजस्थान के विकास की दृष्टि से सभी प्रकार के टैक्स देने के लिए प्रेरणा देना चाहती है, वही राजस्थान की सरकार, अध्यक्ष महोदय, यदि यह सदन इस प्रकार से मंत्री मण्डल पर हमारा खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, उसके बारे में जरा सी नजर डाले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सन् १९६२–६३ में मंत्रियों के ऊपर खर्चा था तनख्वाह के बारे में लगभग १०,६२,०००) का और सन् १९६६-६७ में २१ लाख एक हजार का। ट्रैवलिंग अलाउन्सेज के लिए ६२–६३ में ९५ हजार का और ६६–६७ में २ लाख का प्रावधान किया गया। टेलीफोन्स के लिए ६२-६३ में खर्चा रखा गया था एक लाख का और ६६–६७ में दो लाख का और रिवाईज्ड एस्टीमेट्स में वह खर्चा आया ३,३०,०००) का। व्यवस्था की एक लाख का और खर्चा आया ३,३०,०००) का। इसी तरह से कारमेंटीनेंस के लिए राज्य सरकार ने खर्चा रखा ३,२०,००) का। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयों को मुफ्त में गाड़ी मिलती है। जहां पहले २७५ लीटर पैट्रोल मिलता था उसके स्थान पर अब ५०० लीटर के लगभग पैट्रोल मिलता है। इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रीसिटी पर पहले अनाप शनाप खर्चा होता था उसको अब सीमा में बांधा गया है और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से राज्यपाल महोदय ने वह सीमा निर्धारित कर दी है। उसके हिसाब से मुख्य मंत्री महोदय को १८००) रु० का अनुमानतः पानी और तीन हजार रुपया साल का बिजली का मिलेगा। मंत्रियों के लिए १८००) रु० की बिजली और ६००) रु० का पानी मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : महीने का या साल का ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साल का। अब १८००) रुपये के पानी का मतलब है डेढ सौ रुपया माहवार का पानी और डेढ सौ रुपया माहवार का मतलब है पांच रुपये रोज का पानी। पांच रुपये रोज का पानी यानि पांच हजार गैलन पानी। पांच हजार गैलन पानी मुख्य मंत्री महोदय को प्रतिदिन मिलेगा और एक गरीब को, राजस्थान के गांवों के इलाके में एक आदमी को ढाई गैलन के हिसाब से पानी नसीब नहीं होता है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना चाहिये इस सदन को कि इस प्रकार की व्यवस्था से यह कांग्रेस का राज्य राजस्थान को किस तथाकथित समाजवादी समाज की ओर ले जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा बिजली और पानी के सम्बन्ध में, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आज इस प्रकार से इतना बड़ा भारी खर्चा हम गाड़ियों पर करते हैं। बिजली और पानी के सवाल पर मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन गाड़ियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आज जो ५०० लीटर के लगभग पैट्रोल केवल शहर में गाड़ी चलाने के लिए दिया जाता है जिसका मतलब है कि १०० मील गाड़ी जयपुर शहर के अन्दर हर रोज चलेगी। इस तरह से सौ मील रोजाना के हिसाब से मंत्रीजी की गाड़ी को जयपुर शहर के अन्दर चलना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि किसी भी मंत्री की गाड़ी जयपुर शहर में सौ माईल रोजाना नहीं घूमती है और पांच सौ लिटर पैट्रोल का खर्चा महीने में आ नहीं सकता और महीने में यह खर्चा नहीं आ सकता और फिर भी पांच सौ लीटर पैट्रोल का खर्चा चार्ज करते हैं तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इस प्रकार से पैट्रोल को ब्लेक में बेचा जाता है या उस पैट्रोल को मंत्री लोग अपनी निजी कारों में भर कर चलाते हैं और उसके बदले में ट्रेवलिंग अलाउन्स चार्ज करते हैं। मुख्य मंत्रीजी इस बात की जांच करा लें जयपुर शहर में दिन भर में भी गाड़ी घुमावें तब भी निश्चित रूप से सौ मील गाड़ी जयपुर शहर में नहीं घूम सकती। तो यह निश्चित बात है कि मंत्री लॉग लोग-बुक गलत भरवाते हैं, पैट्रोल का गलत इन्द्राज किया जाता है और उस पैट्रोल को ब्लेक में बेचा जाता है। जिन मंत्रियों की पर्सनल गाड़ियाँ हैं हैं उन गाड़ियों में इस पैट्रोल को भरवा कर ट्रेवलिंग अलाउन्स चार्ज करते हैं। जब इस प्रकार के कारनामे इस मंत्रीमण्डल के हों। अध्यक्ष महोदय, तो हम कैसे प्रशासन में सुधार ला सकते हैं। दो रुपये रिश्वत के लेने वाले पटवारी को या छोटे कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल को हम गिरफ्तार करवा कर एण्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के द्वारा भ्रष्टाचार के नाम पर उस पर मुकदमा चला कर अदालत में ले जाकर उसे फांसी लगा दें लेकिन राजस्थान से भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं कर सकते। जब पानी की टंकी में जहर मिला हुआ है तो उस टंकी के नीचे नलकी पर कपड़ा बांधने से जहर धुल नहीं सकता। अगर पानी में से जहर को दूर करना है तो नल की टूंटी पर कपड़ा बाँधने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से पानी से जहर नहीं निकल सकता, जहर निकालने के लिए तो पानी को ही साफ करना होगा, नल की टूंटी को साफ करना होगा और पानी की उस टंकी को ही तोड़ना होगा। इस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। पुलिस का एक कर्मचारी, छोटा मोटा गिरदावर या दूसरे किसी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने से काम नहीं होगा, राजस्थान मंत्रिमण्डल के सदस्य जो इस प्रकार से खुला भ्रष्टाचार करते हैं उस टंकी में जो जहर फैला हुआ है तो उस टंकी को पहले साफ करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक बार ही नहीं अनेकों बार मंत्रियों के सम्बन्ध में प्रमाणों के साथ इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं और प्रमाणों के साथ आरोप लगाए गए हैं। चाहे चन्दनमलजी वैद का मामला हो, चाहे अपने रिश्तेदारों को जमीन देने का मामला हो, चाहे बालकृष्ण जी कौल के द्वारा शराब की गारण्टी के सिलसिले में पैसा खाने का मामला हो, हरिदेव जी जोशी ने चाहे जयपुर शहर से पांच मील के अन्दर सांसी कंजरों के नाम से जमीन दबा ली हो और जब भी सदन में मामला उठाया जाता है तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं मैं इस सम्बन्ध में जांच करके सदन को सूचित कर दूंगा। कहाँ है आपकी जानकारी ? कहां है आपकी सूचना ? सदन के अन्दर शराब की गारण्टी के सिलसिले में आरोप लगाए थे. क्या किया आपने ? अध्यक्ष महोदय, एक दो मंत्रियों के ऊपर इस सदन के अन्दर प्रमाणों के साथ आरोप लगाए गए थे। मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि मैं जानकारी करके सदन को सूचित कर दूंगा, कहां है वह सूचना आपकी। सूचित किया सदन को ? आज तक पता नहीं और अध्यक्ष महोदय अफसोस की बात है कि राजस्थान के अन्दर मन्त्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के प्रमाणों के साथ आरोप लगाए जावें लेकिन वे विजिलेंस कमीशन के परव्यू में आते नहीं। आज सतर्कता आयोग जांच कर नहीं सकता, एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट जांच कर नहीं सकता और ओम्बड्समेन जैसी कोई व्यवस्था यहां है नहीं।

सन्थानम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जिस प्रकार की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने की है, यह क्या जरूरी है कि उसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नहीं रखी जाय। आज राजस्थान सरकार के अन्दर हमारे जो मुख्य मन्त्री महोदय हैं, यह पिछले बीस सालों से राजस्थान के अन्दर मन्त्री रहे होंगे, और आज तेरह साल से राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री के पद पर काम करते रहे हों — लेकिन एक कांग्रेसी मित्र एम. एल. ए. के शब्दों में इन पिछले तेरह सालों से राजस्थान के मुख्य मन्त्री पद पर काय करते रहे हों लेकिन उसके लिए आपको गर्व करने की आवश्यकता नहीं है और गर्व करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि राजस्थान में अब तक जो चार मुख्य मन्त्री रहे, हैं हीरालालजी शास्त्री, मुख्य मन्त्री रहे, टीकाराम पालीवाल मुख्य मन्त्री रहे, श्री जयनारायण व्यास मुख्य मन्त्री रहे और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अब मोहनलालजी सुखाड़िया मुख्य मन्त्री हैं। पहले श्री हीरालालजी शास्त्री आये और चले गये। क्या कारण था? वह क्यों चले गये? वह कहते थे कि थे मत खाओ, मैं खाऊं। इसी प्रकार की बात टीकाराम पालीवाल के बारे में कही जाती है, वह कहते थे—मैं खाऊं थे मत खाओ। और इसी प्रकार से जयनारायणजी व्यास कहते थे कि थे मत खाओ, मैं भी नही खाऊं। अब सुखाड़िया साहब कहते हैं—थे भी खाओ, मैं भी खाऊं। और इस प्रकार से उनका तेरह साल से शासन चला आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले तेरह सालों की आप इस सदन की कार्यवाही को उठा कर देख लें, आप इस सदन में कई दफा आश्वासन दे देते हैं, पिछली बार जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग सदन से बहिर्गमन करने वाले थ। हमने उस समय एक चार्ज शीट तैयार की थी और राज्यपाल महोदय पर कुछ आरोप लगाये थे। उस समय हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने राज्यपाल महोदय के सदन मे आने से पहले हमसे आकर कहा—कि आप लोग बहिर्गमन मत करो। मैं इस सारे मामले की जांच करूंगा पिछले जो राज्यपाल महोदय थे वह राज भवन की क्राकरी खा गये, राज भवन की पेंटिंग ले गये, गलीचे ले गये। उस समय आपने आश्वासन दिया था कि आप लोग बहिर्गमन मत करो, मैं इस सारे मामले की जांच करूंगा, मैं फाइल मंगाऊंगा। कहां गई आपकी जांच, कहां गया आपका आश्वासन और राज भवन की पेंटिंग्स, क्राकरी और गलीचे कहाँ गये। इसी तरह से पिछले राज्यपाल महोदय के बारे में इस सदन में एक मामला उठाया गया था शराब के बारे में। मैं जानता हूँ कि राज्यपाल महोदय शराब नहीं पीते थे, सम्पूर्णानन्दजी शराब नहीं पीते थे--हम इस बात को जानते हैं....

श्री भैरोंसिंह : भांग पीते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भांग पीते थे-यह बात निश्चित है कि शराब नहीं पीते थे। मैं इस बात का जानता हूं अब मैं पूछना चाहता हूं कि राज भवन में लाखों रुपयों की शराब आई कन्सेशनल रेट्स के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी एक्जेम्प्ट होकर जो शराब आई, उस शराब को कौन खा गया, उस शराब को कौन पी गया, कितनी शराब बाजार में पहुंच गई। पिछली विधान सभा में कोतवाली से आने वाले माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने राज भवन के सम्बन्ध में आरोप लगाये थे लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने उनके सम्बन्ध में जाच नहीं की। उसके बाद में जो राज भवन के सम्बन्ध में इस सदन में आरोप लगाये गये प्रमाणों के साथ उनकी भी जांच मुख्य मन्त्री ने नहीं की, और पहले राज भवन के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये उनकी भी मुख्य मन्त्री जी ने जाँच नहीं की। इसके अलावा मंत्री महोदयों पर जो आरोप प्रमाण सहित लगाये गये उनकी भी आपने जांच नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मन्त्रिमण्डल के प्रति राजस्थान की दो करोड़ जनता का कैसे भरोसा हो कि आगे आने वाले समय में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसी भी संकट के अन्दर से यह राजस्थान की सरकार राजस्थान को निकाल कर आगे ले जायगी। राजस्थान को दो करोड़ जनता को कैसे विश्वास हो कि राजस्थान का यह मन्त्रिमण्डल राजस्थान की दो करोड़ जनता की गरीबी को दूर करके उसे बहबूदी के रास्ते पर ले जायगी। मैं नहीं कहना चाहता, अध्यक्ष महोदय, जब इस मन्त्रिमण्डल का पहले पहल गठन किया गया तो वह किन हालात में किया गया।

मैं इस सिलसिले में ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन पिछली बार जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था कि जिस समय महारावल साहब बोल रहे थे, मैं कांग्रेस के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप समाजवाद की बात करते हैं, आप सामन्तवाद को खिलाफत करते हैं, आप साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और प्रतिक्रियावाद की खिलाफत की बात करते हैं आप जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के गठबन्धन की बात करके प्रतिक्रियावाद और सामन्तवाद की बात करते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस समय सरकार बनाने का सवाल खड़ा हुआ था, तो राजस्थान के अन्दर कांग्रेस ने १८४ सीट में से अगर किसी एक सीट पर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, तो वह कोई सीट ऐसी नहीं थी राजस्थान विधान सभा को कि जिस पर राजस्थान का कोई सेवा-भावी, पुराना तपस्वी कार्यकर्ता आजादी का सेनानी हो या जिसने राजस्थान की सबसे ज्यादा सेवा की हो–ऐसी जिन सीटों पर ऐसे व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा है. उनमें से ऐसी कोई सीट नहीं थी जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया हो, ऐसी कोई सीट नहीं जो कांग्रेस ने चुनाव में छोड़ी हो, मनोहरसिंह मेहता जिस सीट से चुनाव लड़े, जिन्होंने राजस्थान में शराब बन्दी के आन्दोलन को आगे बढ़ाया है, जो राजस्थान के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा नहीं होता–तो बात कुछ समझ में आ सकती थी कि कांग्रेस लोकतंत्र को कितनी स्वस्थ परम्परायें राजस्थान में बनाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव के सम्बन्ध में अगर कोई सीट छोड़ी, जिस पर अपना कोई केन्डीडेट खड़ा नहीं किया, तो वह छोड़ी जहाँ पर खड़े होने वाले व्यक्ति को दो बार डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया था। और इसके बाद में जब सरकार बनाने का सवाल खड़ा हुआ था तो सबसे पहले उनको अपने अन्दर मिलाया। आप क्या तस्वीर राजस्थान में लोकतंत्र को खड़ी करना चाहते हैं? क्या यही लोकतांत्रिक शासन पद्धति है? क्या आप लोकतांत्रिक सरकार का राजस्थान की जनता के दिमाग में नक्शा बनाना चाहते हैं, क्या इमेज बनाना चाहते हैं? फिर उसके बाद आपने किसको मिलाया। हरीसिंह जी, जो बेगू से आने वाले माननीय सदस्य थे। कौनसा बेगू? जिस बेगू के आन्दोलन ने राजस्थान के इतिहास के पन्ने लिखे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर! मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्यों पर इस प्रकार से रिफ्लेक्शन न डालें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी माननीय सदस्य पर रिफ्लेक्शन नहीं डालना चाहता।

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा्ओं के विरुद्ध है और....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसी तरह के आरोप इधर से भी लगाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : और किसी माननीय सदस्य का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। मैं तो भूतकाल की बात कह रहा हूँ....

श्री अध्यक्ष : भूतकाल के सम्बन्ध में हो या वर्तमान के सम्बन्ध में, आप माननीय सदस्यों पर रिफ्लेक्शन न डालें :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं किसी भी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में एक शब्द नहीं कहूंगा....

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके जितने अल्फाज हैं, इन्होंने जो नाम लेकर कहा है, माननीय हरिसिंह जो बेग़ू....

एक माननीय सदस्य : उससे क्या हो गया ?

श्री खेतसिंह : इसके बारे में जो कहा है कि उनको कांग्रेस में मिलाया गया वह एक्सपंज किये जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने माननीय हरीसिंह जी के लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहे और न कोई एसपर्शन किया है। अगर ऐसा लगता है तो मैं उनको विथड्रा करता हूं और आप उन शब्दों को एक्सपंज कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह विथड्रा किये हुए समझे जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के किसी माननीय सदस्य के बारे में ऐसे आदेश क्यों होते हैं। कांग्रेस पक्ष के लोगों के बारे में क्यों नहीं होता है चाहे वह कुछ भी कहें। महारावल डूंगरपुर के बारे में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों के द्वारा क्या-क्या नहीं कहा गया लेकिन कभी भी वह एक्सपंज नहीं हुआ। विरोधी दल के माननीय सदस्य द्वारा एक सदस्य का नाम ले लिया गया तो सब चिढ़ कर खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं, माननीय नेता महोदय के बारे में अगर कोई बात कही गई है जो मेरे ध्यान में नहीं है...

श्री खेतसिंह : हमने कभी कुछ नहीं कहा, झूठ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : असेम्बली की प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो शर्म आ जायगी कि कांग्रेस पक्ष के लोग किस किस प्रकार की बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने स्वयं

(श्री अध्यक्ष)

महसूस कर लिया है इसलिए यह प्रश्न विवादग्रस्त नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता, बिल्कुल नहीं कहना चाहता। कुछ कहने का मेरा इरादा नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट की इमेज, राजस्थान सरकार की इमेज है....

श्री अध्यक्ष : कोई एक्स्प्लेनेशन माननीय सदस्य देना चाहते हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल : इसका मतलब है कि चार्ज स्टेण्ड करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हरीसिंह जी को लगने लगा है।

श्री अध्यक्ष : वह वियड़ा हो चुका है, उसका कोई महत्व नहीं है। आप स्थान ग्रहण करें। विवादग्रस्त विषय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : 'क्षीर सागर में' निर्मला जोशी की लिखी हुई किताब कांग्रेस पार्टी में बांटी गई है, उसमें बेयू का इतिहास लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इतिहास के प्रश्न पर आप चलेंगे तो हम खड़े नहीं रह सकेंगे। इसको आप प्रश्नवाचक रखिये।

श्री भैरोंसिंह : इतिहास पर तो हम खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : इसको आप प्रश्नवाचक रखिये क्योंकि इतिहास का मामला है, वह बहुत विस्तृत है। मैं चाहता हूं कि इसको आप प्रश्नवाचक रखिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्नवाचक रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इतिहास पर खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको ज्ञान है उसका माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उस पुस्तक में, जो कांग्रेस पार्टी में उस समय बंटी थी, नवाब साहब का जिक्र है। अब बताइये मुझे आप, कोई एक आदमी, दो आदमी का खून कर दे, अध्यक्ष महोदय, वह तो प्रतिक्रियावादी है, लेकिन कोई भी कांग्रेस के सदस्य यह खड़े होकर कह सकते हैं कि १९ आदमियों का खून करने वाला व्यक्ति समाजवादी हो सकता है....

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह समाजवादी आपकी निगाह में हो सकता है। १९-१९ आदमियों का खून जिस राज्य में किया जाय, उस राज्य का आज सुखाड़िया जी के मंत्रिमण्डल की शोभा बढ़ा सकता है डी० आई० आर० में दो-दो दफा पकड़े हुए व्यक्ति को अपने में मिला कर आप गवर्नमेन्ट बना सकते हैं...

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य : शेम-शेम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पाकिस्तानी गवर्नमेन्ट की इमेज है । मैं इसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता । मैं इसका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता । यदि मैं गंगाराम चौधरी के बारे में कुछ कहूं तो आपके चार्जेज ज्यादा बनेंगे । मेरे लैटर के बारे में इतनी इतनी बातें कहीं, उनको माननीय सदस्य भूल गये । मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, जो लैटर आपके पास पहुँच गया है, उसके सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता । मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि वह गंगाराम चौधरी का पत्र पाकिस्तान में अखबारों में छापा गया है, पाकिस्तान में उस लैटर को छापकर बांटा गया, और पाकिस्तान की विधानसभा में वह लैटर पढ़ा गया और उस लैटर को पढ़ कर हिन्दुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की विधान सभा में जहर उगला गया । आपके पास पुलिस अधिकारी हैं, राजस्थान के पुलिस अधिकारी हैं, सी० आई० डी० विभाग है, मैं पूछना चाहता हूँ कि वह लैटर उनके कब्जे में कैसे पहुँच गया । मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार जो आपके मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाते हैं, उन मंत्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, उस व्यक्ति का लैटर पाकिस्तान में बांटा जाय, वहां के अखबारों में छापा जाय, और पाकिस्तान की विधान सभा में पढ़ा जाय और उसको पढ़ कर हिन्दुस्तान के खिलाफ जहर उगला जाय—उसकी जांच कब होगी? लेकिन इस विषय पर राजस्थान की सरकार मौन रही है, चुप रही है उस राजस्थान की सरकार के लिये राजस्थान की सुरक्षा के सम्बन्ध में राजस्थान की जनता कैसे यह मान कर चले कि राजस्थान का यह मंत्रिमंडल राजस्थान की सुरक्षा करेगा । इसका जिस प्रकार से गठन हुआ है, इसका जिस प्रकार से कान्स्टीट्यूशन हुआ है, जो इस सरकार की इन्डीविजुएलिटी है, इसके लिए राजस्थान की दो करोड़ जनता कैसे समझ कर चले कि राजस्थान के आगे आने वाले समय में किसी संकट से राजस्थान का मंत्रिमंडल उनकी सुरक्षा कर सकता है । अध्यक्ष महोदय, ताशकन्द घोषणा के बाद पिछले दिनों जो हुआ वह आपको मालुम है और और उसके बारे में सदन में भी कई सवाल खड़े हुए थे । अध्यक्ष महोदय, पुलिस पर गृह मंत्री जी ने लगभग साढ़े आठ करोड़ की माँग पेश कर दी । मैं जानना चाहता हूं कि २३ जनवरी, १९६५ को ताशकन्द की घोषणा होने के बाद, आज अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर लगभग २२७ हमले हुए, ह्यूमन लाइफ में ४ आदमी मारे गए, तीन किडनेप किये गये, ७,७३८ मवेशी उठा कर ले गये और एक लाख से भी ज्यादा रुपयों का नुकसान हुआ । आज राजस्थान की सीमा पर आ कर पाकिस्तान के लोग मवेशियों को उठा कर ले जावें, आदमियों को भगा कर ले जावें, लोगों को जान से मार दें, मवेशियों को ले जावें, राजस्थान की सीमा में घुस आवें और राजस्थान के गृह मंत्री सीमा पर रहने वाली जनता की रक्षा नहीं कर सकें उससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है और होगी ।

अध्यक्ष महोदय, हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वे हमारी रक्षा करेंगे आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

८।। करोड़ रुपयों का खर्चा पुलिस पर हो रहा है।

आप पुलिस पर दिनों दिन खर्चा बढ़ाते ही जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूँगा कि १६५६-६० में अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पुलिस पर ४ करोड़ ३३ हजार और कुछ खर्च होते थे और वहां पर आज ४ करोड़ से बढ़कर पिछले सात सालों से वह ८ करोड़ से भी ऊपर चला गया है और लगभग दूना खर्चा आज पुलिस पर हो रहा है। एक तरफ तो आज पुलिस पर आप खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं दूसरी ओर पुलिस के जुल्म भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आज लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अकाल के लिए पैसा नहीं मिलता और गरीबों को काम देने के लिए आपके पास पैसे नहीं मगर आज राजस्थान में इन सब के बावजूद भी हम राजस्थान की पुलिस पर इतना अधिक पैसा खर्च करते जा रहे हैं और हमने इतना खर्चा बढ़ाया और उसका नतीजा क्या ? जितना खर्चा बढ़ता है उतने ही अपराध बढ़ते हैं। मैं आपको पिछले दो साल के आंकड़े बताता हूं। ६४० डकैतियें हुई। पहले ६६ में ६०२ लूट के केसेज हुए उसके बजाय ७५३ हुए। जहां डाकों की संख्या पहले ६२ थी वहां ६५ हुई। जहां सम्पत्ति के केसेज ६६ में १८,३५१ थे वहां १६,८७० हो गये। हत्याएं जहां ४,६६१ थीं वे २६ हजार हो गई।

इस प्रकार और भी कई जुर्म हुए हैं और उनमें दिनों दिन बढोतरी ही हुई हैं कमी नहीं हुई है जबकि पुलिस पर ज्यादा खर्चा हुआ है।

इस समय ३३ हजार अपराध हुए हैं।

ये आंकड़े मैंने पिछले दो सालों के आपके सामने प्रस्तुत किये हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधों में वृद्धि हुई है। पहले एक आई० जी० पी० थे जिनकी हम कितनी आलोचना करते थे लेकिन अब वे आई० जी० पी० नहीं रहे हैं मगर उनकी रह रह कर याद आती है। आज आपने आई० जी० पी० बढा दिये, एडिशनल आई० जी० पी० बढा दिये। डी० आई० जी० की संख्या बढ़ा दी और खर्चा बढ़ा दिया लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा क्या हुआ, नतीजा कुछ नहीं निकला। आज अध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट को देखें तो उसको देखने से मालूम होगा और मैं यह कहूँगा कि जिस माननीय सदस्य ने विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ लिया है वह निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुँचा होगा कि राजस्थान की पुलिस चोरियें करवाती है, हत्याएं कराती है, डाके डलवाती है, महिलाओं का अपहरण करवाती है और बलात्कार कराती है और जब कभी उनके पास मामले की रिपोर्ट देने के लिए जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करती है। उल्टा मुलजिम को पकड़ने के बजाय मुस्तगीस को थाने में ले जाकर परेशान करती है। पुलिस के संबंध में इलाहबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मुल्ला ने जो बातें कही हैं वे सब राजस्थान की पुलिस पर लागू होती हैं। पुलिस आज राजस्थान की जनता के जीवन की रक्षक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं रही, यह मैं आपको कह रहा हूं वह अपने मन से नहीं कह रहा हूं वह मैं आपको विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कहता हूं। राजस्थान की पुलिस आज जन जीवन की रक्षक बनने के बजाय भक्षक बन गई है। आज अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाने के लिये लोग जाते हैं तो आप उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते। इसके लिये जगह जगह शिकायतें हैं। आज राजस्थान की सरकार करप्शन के रेसेज में, अपने सारे मामलों में, किस तरह से सरकार चलाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करूंगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मगर एक बात अवश्य कहूंगा जो आज सारे हिन्दुस्तान में उठने लगी है और उसके लिए मैं भी यहां पर मांग करना चाहता हूं।

राजस्थान मे पिछले दिनों में जो घटनाए हुईं और लोकतन्त्र में केन्द्र के स्तर पर यह मांग करने लगे हैं कि हिन्दुस्तान में इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि हिन्दुस्तान की बहबूदी के लिये राज्यपाल के पदों को रखा जावे या नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस बात पर गंभीरता से विचार करना है और मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल के पदों को तुरन्त समाप्त करना चाहिये। आज राज्यपाल के बारे से जिस प्रकार की घटनाएं हुई है उसके लिये मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि किस प्रकार से व्यवहार होते हैं। आज हमारे यहां राज्यपाल पर लगभग ४.४ लाख रुपये खर्च होते हैं। इतना खर्चा करने पर भी राज्यपाल को इतना मालूम नहीं कि ९२ ज्यादा होते हैं या ९१ ज्यादा होते हैं। जिसको इतनी गिनती का ज्ञान नहीं, अध्यक्ष महोदय, इतना तो मैं समझता हूं कि एक चौथी कक्षा का विद्यार्थी भी बता सकता है कि ९२ ज्यादा हैं या ९१। वे बड़े पंडित होंगे, होंगे, ज्योतिष के पंडित होंगे, तारों की उम्र निकालते होंगे लेकिन उनको यह पता नहीं कि ९२ की संख्या ज्यादा है या ९१ ज्यादा होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर में फायरिंग हो जावे, उसके लिये यह आदेश हो कि ए०डी०एम० इसकी जांच करेंगे। केन्द्रीय सरकार कहती है कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा इसकी जांच हो। एक तरफ कहा जाता है कि गिनती नहीं होती तो इन्द्राजी कहती हैं कि गिनती होनी चाहिये। राज्यपाल महोदय कहते हैं और सिफारिश करते हैं कि राज्य विधान सभा को भंग कर दिया जावे यहां पर अशान्ति है। मगर केन्द्र ने उसको भंग नहीं किया और कहा कि इसे भंग नहीं किया जाए। राजस्थान के राज्यपाल कहते हैं शांति नहीं है राजस्थान में १५ अप्रेल को वे चले जाते हैं और एक दम शांति हो जाती है। इसलिए इस बात पर हमें सोचना होगा कि राज्यपालों पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है वह नहीं किया जाए और इनके पदों को समाप्त किया जाए। आज राजभवन की चोरियों के बारे मे, गलीचों के बारे में, और संपूर्णानन्द के समय में शराब का मामला हुआ जब कि संपूर्णानन्द शराब नहीं पीते, इन सारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मामलों की जांच कराई जावे और मैं यह कहूँगा कि राज्यपाल के पदों को समाप्त किया जावे और मन्त्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्रियों के खिलाफ पहले आरोप लगाये गये थे उस समय कहा था कि उनमें से कोई भी सज्जन जो अपने आपको ईमानदार समझता हो २४ मंत्रियों में से कोई भी एक खड़ा हो जावे और कह दे और सब सदन के सदस्य जानते हैं कोई भी खड़ा नहीं हुआ।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके प्रति भ्रष्टाचार की पूरी जांच करें और इसके लिये कोई कमेटी की व्यवस्था हो।

अध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई जांच नहीं होगी, जब तक मंत्री शुद्ध नहीं बनेंगे, जनता को विश्वास नहीं होगा, और तब तक भ्रष्टाचार नहीं समाप्त हो सकता। इसलिये इस पर सदन को विचार करना चाहिये।

इसके लिये अध्यक्ष महोदय, कहना तो बहुत कुछ था पी. एस. सी. में जो एपोइन्टमेंट्स होते हैं उनके बारे में व रोडवेज के बारे में कि राजस्थान में किस प्रकार ऊंचे ऊंचे पदों पर किस प्रकार की कार्यवाहियें और अनियमितताएं होती हैं हालां कि आपको यह पहली ही घंटी है मगर दूसरी घंटी बजे उससे पूर्व ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री हरिवल्लभ (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने पुलिस के बारे में कहा। मैं भी अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त करना चाहता हूं।

हम देखते हैं कि बड़े बड़े सुन्दर शब्दों में हमको पढ़ने को मिलता है और उन पर लिखा रहता है कि "May I serve you" लेकिन जनता उसका मतलब भी अब अच्छी तरह से जानने लग गई है। उसका मतलब यह है कि "What you have brought for me"। थाने में मेरे योग्य सेवा से इसका मतलब है लेकिन इसका अर्थ जनता जानने लग गई है और जनता को इस बात का विश्वास हो गया है कि इसका मतलब यही है कि आप मेरे लिये क्या लेकर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज पुलिस के प्रति जनता का विश्वास इतना बढ़ गया है कि जब तक आप उनको कुछ नहीं देते तब तक वे लोग आपकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करते। मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कहता हूं। हमारे यहाँ सवाई माधोपुर तहसील का ऐसा इलाका है जो मध्यप्रदेश से मिला हुआ है और वहां से बराबर डाकू लोग आकर डकैतियें डालते रहते हैं। जब चम्बल में पानी कम हो जाता है तो गर्मियों में वे आसानी से आ सकते हैं और उनका आतंक और भी ज्यादा बढ़

(श्री हरिवल्लभ

जाता है। अभी कुछ दिन पहले उधर एक डकैती का केस हुआ था उसमें आपको निवेदन करूं कि घौटा गांव में डाकू आये और वहाँ पर एक नौजवान अपने घर की छत पर से उठता है और कूद कर रात को १२ बजे थाने में गया। उस दिन खुश किस्मत से डी. आई. जी. भी वहीं थे और उनके पास जीप भी थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उन डाकुओं को पकड़ने के लिये जल्दी से जल्दी रवाना हो जाएं। गोटड़ा से रात को थानेदार को जगाते हैं। वहाँ पर डी. आई. जी. मौजूद हैं जीप उनके पास मौजूद है उनको चाहिये था कि तुरन्त डाकुओं को जाकर घेरते। मगर होता क्या है कि किसी बहाने से वहाँ पर घंटा भर लगा देते हैं और कहते हैं कि फोन करते हैं और फोर्स वहाँ से आ जाये फिर चलते हैं। वे वहाँ से जीप लेकर चलते हैं। एक घन्टे के बाद वहाँ से चलते हैं और एक मील चलकर खंडार जाने वाली सड़क पर जीप को रोक देते हैं। दो घन्टे वहाँ पर रुके रहते हैं। इस तरह से तीन घन्टे उन्होंने लगा दिये तब तक थानेदार और डी. आई. जी. सड़क पर पड़े रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं उन डकैतों को पकड़ने के लिये।

(उपाध्यक्ष, श्री पूनमचंद बिश्नोई पदासीन)

(१२.३१ म. प.)

वहाँ पर यह वारदातें होती हैं और दो नौजवानों को डाकू ने उड़ा दिया। गोटड़ा पंचायत से आधा मील दूर है। लेकिन डी. आई. जी. पी. की हिम्मत नहीं होती कि वे उनको जाकर पकड़लें। इस तरह से उन्होंने २॥ घन्टे लगाये। तब तक डाकुओं का फायरिंग बन्द हो गया। डाकू चले गये तब वहां पर वे अपना मुंह दिखाने के लिये पहुँच जाते हैं। जब वे पहुँचे तब तक डाकू लोग भाग गये। यह बड़ी विकट समस्या है। उनको कहते हैं कि रामेश्वर की तरफ डाकू गये हैं मगर पुलिस दूसरी तरफ चली जाती है और उधर नहीं जाती। मैं यह कहूँगा कि एक व्यक्ति अपनी छत से कूद कर रातों रात पुलिस में इत्तला देने के लिये जाता है और फिर भी यह हालत है तो इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार कोई न कोई प्रबन्ध करें।

इसके अलावा जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश का बोर्डर मिलता है और चम्बल नदी है उस इलाके के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर सड़कों का कमी है इसलिये सड़कों का होना बहुत जरूरी है। उधर जङ्गल बहुत हैं उसमें डाकू पड़े रहते हैं खंडार से मावली १६ मील दूर है। बीच में बनास नदी पड़ती है। बालेस से मध्य-प्रदेश की सीमा ४ मील रहती है। वहां पर एक जगह है जहां बहुत जङ्गल हैं और वहां पर डाकू जाकर छुप जाते हैं और छुपे रहते हैं। इसके लिये यह जरूरी है कि यहां पर इस १६ मील दूरी पर सड़क का प्रबन्ध कर दिया जावे और खंडार को टेलीफोन से कनेक्ट किया जावे तो जल्दी से जल्दी सूचना दी जा सकती है। सवाई माधोपुर में सूचना

(श्री हरिवल्लभ)

दी जा सकती है। मगर इसके लिये कोई उपयोग अभी तक नहीं ढूंढा गया है। अगर इसी प्रकार से वहां पर डाकुओं का आतंक लोगों में रहेगा और डकैतियां पड़ती रहेंगी तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वहां पर सड़कों का निर्माण हो जाता है तो डाकुओं को पकड़ने में बहुत सहूलियतें हो सकती हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि इनको बनाने में ५० हजार से ज्यादा एस्टीमेट नहीं लगेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको खंडार से जो सड़क सवाई माधोपुर जाती है उसको जोड़ दिया जावे तो यह समस्या सुलझ सकती है। और इसके साथ साथ उनको जैसा मैंने कहा कि टेलीफोन से कनेक्टेड कर दिया जावे तो ज्यादा ठीक होगा।

यह तो हुई डाकुओं की बात। अब मैं चोरी होती है और उसमें किस प्रकार से इन्वेस्टीगेशन होता है उसके बारे में कुछ निवेदन करूंगा।

अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ उसका किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जगह चोरी हुई। थानेदार ने क्या किया, उपाध्यक्ष महोदय, कि चोरी होती है चोर चले गये। गांव में चोरी होने की बात हुई पर थानेदार ने वहां पर गांव में एक जानवर चराने वालों के गिरोह को पकड़ लिया जो वहां पर पड़ा हुआ था। वह चोरों को पकड़ने के बजाय ४०-५० आदमियों को पकड़ लेते हैं! और उनमें से ५ आदमियों को हिरासत में ले लिया और बन्द कर दिया और उनमें से एक आदमी को जो उम्र में ज्यादा था इस बुरी तरह से पीटा कि उसकी मृत्यु इन कस्टडी ऑफ पुलिस में ही हो जाती है। उसकी शिकायत कलेक्टर के पास की जाती है मगर होता यह है कि डाक्टर से रिपोर्ट करवाते हैं कि यह टी० बी० से मर गया। वह डाक्टर जिसने यह सर्टिफाई किया था वह डाक्टर ऐसा डाक्टर नहीं था जिसको इस प्रकार की जाँच करके लिखने का अधिकार हो लेकिन थानेदार को बचाने के लिए उस पर यह लिख दिया कि वह मरीज टी. बी. का था और इसी से मर गया। इसके अलावा हमारे यहाँ से लोगों ने कई रजिस्ट्रियें सरकार को दीं कि यह थानेदार भ्रष्ट है और इसने एक लाख रुपया यहाँ पर बनाया है और उसकी लिस्ट भी साथ में दी थी। जिलाधीश से उसकी इन्क्वायरी कराई और मुझे आशा है कि उसकी रिपोर्ट निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास पहुँच गई होगी। इसका मुझे ज्ञान नहीं है कि वह रिपोर्ट पहुँची या नहीं। मगर यह मैं कह सकता हूं कि उसका नतीजा क्या हुआ। उसका यही नतीजा निकला कि उसका वहाँ से ट्रान्सफर कर दिया और फिर आगे क्या होगा। हम अपना दुख-दर्द किससे सुनावें? इसके आगे किस्सा सुनाता हूँ कि वहाँ पर कुछ ऐसे आदमी जो उनके एजेन्ट हैं वहां थानेदार की छाती पर थोप दिये गये हैं। जो इस क्षेत्र में हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक जगह से ताजिया निकलता था उसके लिये तय हुआ कि इस रास्ते से प्रोसेशन निकाला जावे और यह तय करके इन्तजाम थानेदार के हाथ में कर दिया। मगर थानेदार ने

(श्री हरिवल्लभ)

क्या किया उसने मौके पर रह कर एक काश्तकार की दीवार को तुड़वाकर बीच में से होकर ताजिया निकलवाया। यह तो ठीक हुआ कि वहाँ पर किसी प्रकार का दंगा फिसाद नहीं हुआ। यदि वहां पर दंगा हो जाता तो बहुत से लोगों को नुकसान होता और कई प्रकार की अफवाएं फैल जातीं। इस प्रकार की मनमानी पुलिस अधिकारी ने की मगर उसका हुआ क्या ? उसका भी कुछ नहीं हुआ। गांव वालों ने शिकायत की और उसने ताजिया निकलवाया उसका भी कुछ नहीं हो पाया।

इस प्रकार में आपको रिपोर्ट दर्ज कराने के मामलों के बारे में निवेदन करूंगा उस समय माननीय मंत्री पंचायत मंत्री थे। आपके आदेश थे कि कलेक्टर चाहे तो उसकी जांच करे और यह सवाई माधोपुर पंचायत समिति का मामला था जिसमें ५०००) की धनराशि गबन करने का मामला था। कलेक्टर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिये भेजा मगर ३॥ महीने तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और आखिर में उसका पता लगाया तो पता लगा कि अभी तक थाने में ही पड़ा है और रिपोर्ट दर्ज हो कर नहीं पहुँची है।

हुआ क्या ? उस रिपोर्ट को एस. आई. के पास दबा दिया, जन मानस पर इसका क्या असर पड़ेगा ? एक मामला हो गया, उसको दरगुजर करना, ऐसे तथ्यों को दबाना इससे जन मानस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। एक सरपंच के खिलाफ गबन की एक रिपोर्ट भेजे, पंचायत के पैसों का, ५०००) रु० के गबन का मामला, मिस-एप्रोप्रियेशन ओफ फण्ड्स का मामला, उसकी जांच होती है, राज्य सरकार उसको सस्पेंड कर देती है, उसके बाद डिस्क्रिशन दे कलेक्टर कि विभागीय जांच की जाय या पुलिस को केस दे कर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराई जाय। वह रिपोर्ट साढे तीन महीने तक पुलिस के हाथ में जा कर दबा दी जाय, किसी साधारण व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं, कलेक्टर की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो तो इस प्रकार के मामलों से कितना बुरा प्रभाव जन मानस पर पड़ता है। जनता जिन्हें रक्षक मान कर चलती है, उनमें जनता की श्रद्धा नहीं रहती है और अपने दुख दर्द की फरियाद करने वहां नहीं जाती क्योंकि जनता जानती है कि फरियाद का कुछ नहीं होगा मुस्तगीस जरूर अटक जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं दो शब्द सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूँ। वह एक गम्भीर समस्या है। जो रीति नीति, परम्पराएं हमारे उच्च स्तरीय मन्त्री मण्डल के स्तर पर कायम कर दी जाती हैं, राजतन्त्र उस ही से चलता है। सामान्य प्रशासन की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

अभी हाल ही की बात है कि जिलाधीश कुछ क्लर्कों के, पटवारियों के ट्रान्सफर, स्थानान्तरण करता है। क्लेक्टर को एप्रोच किया गया कि ये स्थानान्तरण कर दीजिये,

(श्री हरिवल्लभ)

वे बिलकुल इन्कार कर देते हैं। पाँच-पांच, छ-छ साल एक जगह रहते हो गये और जिनके विरुद्ध शिकायतें थीं। ऐसी गन्दी शिकायतें थी कि जिनको यहां सदन में मैं आज नहीं कहना चाहता, उनका स्थानान्तरण कलेक्टर द्वारा किया गया. कलेक्टर को खुले इजलास में चेलेंज देते हैं कि हम तो जाते हैं पर आप नहीं रह सकते। आखिर कलेक्टर का स्थानान्तरण हुआ। यह क्या एड्मिनिस्ट्रेशन है ? कई कारण हैं, कई कारणों से स्थानान्तरण हुआ पर वहां का स्टाफ जानता है, जनता जानती है कि वह पटवारी थे जिन्होंने कलेक्टर का स्थानान्तरण करा दिया।

मैं इस आशा के साथ कि इन समस्याओं पर राज्य सरकार गहन विचार करेगी, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंड़ावत !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंड़ावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के ऊपर मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा था लेकिन उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, पुलिस की क्या परम्परा रही है उसके बारे में विशेष न कह कर एक दृष्टान्त देना चाहती हूँ। महाकवि कालीदास का संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुन्तला संसार का एक सर्व श्रेष्ठ नाटक है, इस नाटक के संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। कालीदास ने इस नाटक में जिक्र किया है कि जब राजा दुश्यन्त ने शकुन्तला को अंगूठी दी वह अंगूठी शकुन्तला के हाथ से पानी में गिर गई, उस अंगूठी को एक मछली निगल गई, वह अंगूठी एक मछुए को को मछली का पेट चीरने पर मिली तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसने उस अंगूठी को ले लिया। हालांकि उस अंगूठी पर महाराज दुश्यन्त का नाम अंकित था फिर भी पुलिस वाले ने वह अंगूठी लेकर उसे बेच दिया और उसकी शराब पी ली।

तो यह तो परम्परा पुलिस की जब से भारत का इतिहास बना है तब से चली आ रही है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती।

मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहती हूँ। टूरिज्म मुख्य मन्त्री जी के पास है तो मेरे दो चार विचार वे सुनेंगे इसी आशा से यह बातें कहना चाहूँगी।

भारत सरकार ने टूरिज्म को एक इन्डस्ट्री के रूप में स्वीकार कर लिया है, इससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, यह भारत सरकार ने स्वीकार किया है। इस इन्डस्ट्री को बढ़ावा दे कर हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

पिछले वर्षों में टूरिज्म की बढ़ोतरी हुई है। सन् १९५५ में हमारे यहां १५०० टूरिस्ट्स आये थे जब कि १९६६ में २८,००० टूरिस्ट्स राजस्थान देखने के लिये आये और हमें ५६ लाख की विदेशी मुद्रा इस पिछले साल में अर्जित हुई। मेरा निवेदन है कि टूरिज्म का जिस प्रकार

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

विस्तार करना चाहिये वह हमारे यहां नहीं कर रहे हैं, टूरिज्म का विस्तार हमें योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिये क्योंकि टूरिज्म से हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना पड़ता, दूसरी इन्डस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पर टूरिज्म की एक ऐसी इण्डस्ट्री है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। टूरिज्म के द्वारा जो रुपया हमारे देश में आता है, उसमें बहुत से लोगों को एम्प्लोयमेंट मिलता है; टैक्सी वालों को एम्प्लोयमेन्ट मिलता है, हैंडी-क्राफ्ट वालों को एम्प्लोयमेंट मिलता है, टूरिज्म से आया हुआ पैसा कितने ही क्षेत्रों में जा कर, कई एम्प्लोयमेंट के कामों को पूरा करता है। पर उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना है कि राजस्थान टूरिज्म की जुबान में पेरेडाइज आफ टूरिज्म कहा जाता है, लेकिन जितना विस्तार, जितना प्रचार हमें इसका करना चाहिये, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम बाहर वालों को हमारे यहां बुला सकें, वह हम नहीं कर पाये हैं, इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। स्पेन जैसा मुल्क ७५०० मिलियन रुपयों की कमाई टूरिज्म से करता है युगोस्लाविया ११२० मिलियन रुपया सालाना की आमदनी टूरिज्म से करता है। टूरिज्म को अगर हमारे यहां बढ़ावा दिया जाय तो जहां आज हम ५६ लाख विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त करते हैं, उसके स्थान पर करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा इससे अर्जित कर सकते हैं।

इसके लिये एक दो सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। एक तो इन्टर-स्टेट गाड़ियों का इन्तजाम ऐसा है कि कोई आदमी यहां गाड़ी ले कर आता है तो जगह-जगह पर चैकिंग होने से टूरिस्ट्स को बड़ी दिक्कत होती है। गुजरात से इस बारे में हमारा समझौता हुआ है पर उत्तर-प्रदेश से और दूसरे पड़ौसी राज्यों से अब तक हमारी कोई बात नहीं हुई है। जब हमारा एक देश है तो इन्टर स्टेट के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये। यूरोप के सब मुल्कों में जहां कि अलग-अलग जुबान है, अलग-अलग राज्य हैं, वहां एक परमिट लेकर टैक्सी में बिना किसी हिचक के सब जगह घूम सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहां टूरिस्ट्स के लिये होनी चाहिये।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे जम्मू कश्मीर और गुजरात में रिसेप्शन एण्ड इन्फोर्मेशन ब्यूरो खोल रखे हैं, उसी तरह बम्बई में और दिल्ली में खोलना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों स्थान राजस्थान के लिये प्रवेश द्वारा हैं इधर बम्बई और उधर दिल्ली।

इसके अलावा पब्लिसिटी की रकम टूरिज्म में बहुत कम है। किसी भी व्यवसाय में जब तक कि उसकी पब्लिसिटी नहीं की जाती वह व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये और एक अच्छी रकम पब्लिसिटी के लिये रखनी चाहिये। बाहर से ट्रेवल एजेंन्ट्स को बुलाकर खर्च करना चाहिये और किस तरह

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

से हमारे यहां टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है इस पर विचार करना चाहिये।

इसके साथ ही एक दिक्कत हमारे साथ और भी आती है, इस समय टूरिज्म विभाग के पास ऐसी पावर नहीं है कि उन दिक्कतों को दूर कर सकें। जम्मू काश्मीर में टूरिज्म विभाग को मजिस्ट्रेरियल पावर है, इस तरह की पावर हमारे यहां नहीं होने से कई प्रकार की शिकायतें आती हैं। हमारे यहां का राम बाग होटल एक मशहूर होटल है। लन्दन और यू० एस० ए० से टूरिस्ट्स ने शिकायतें भेजी हैं। गोल्फ कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्वीमिंग पूल आदि उन्हें उपयोग के लिए नहीं मिले जब कि इनका एडवरटाइजमेन्ट किया गया था। यह गलत पब्लिसिटी टूरिज्म विभाग क्यों करता है।

तो मेरे कहने का मतलब है कि दूसरे जो टूरिस्ट्स विभाग हैं उनके पास मैजिस्ट्रीयल पावर्स होती हैं, वह जाकर चैक कर सकते हैं, इन्क्वायरी कर सकते हैं और इन बातों को रफा दफा कर देते हैं। तो इस विभाग को बढ़ावा देने के लिए मैजिस्ट्रीयल पावर्स देनी चाहिए। एक इन्फरमेशन बाहर खोलना चाहिए और ट्रेवल एजेन्ट्स को बाहर से बुलाकर यहां की स्थिति से अवगत कराना चाहिए।

दूसरे जो देखने योग्य स्थान हैं, वहां भी उचित प्रबन्ध करें। इस समय होटलों की कमी है, जयपुर में केवल २५० बेड्स हैं। इसकी वजह से जो सारे के सारे टूरिस्ट्स हैं उनको नहीं बुला पाते, उनको रोकना पड़ता है। मुख्य मंत्रीजी के पास केवल यही पोर्टफोलियो है, उस ओर वह विशेष ध्यान देकर ऐसा प्रबन्ध करें जिससे हम विदेशी मुद्रा भी कमा सकें और हमारी दस्तकारी को भी प्रोत्साहन मिले। यह मानी हुई बात है कि आज जयपुर में हस्तउद्योग जो है, राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनकी ५० प्रतिशत बिक्री टूरिस्ट्स से होती है। हम बाहर भेजते हैं। यह टूरिस्ट्स के आने का नतीजा है कि हमने अभी २० हजार की कन्साइनमेंट मोन्टरीअल फेयर को भेजी है, जब तक यह मोन्टरीअल का फेयर चलता रहेगा राजस्थान का एम्पोरियम हर महीने २५ हजार की चीजें लेता रहेगा। इस तरह हम अपने विभाग को बढ़ा सकते है। उसके साथ साथ जो हमारे प्राचीन हस्तकला उद्योग हैं उनको भी संरक्षण मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ राज्य का इतिहास, संस्कृति और दर्शनीय स्थानों की सारे संसार में प्रसिद्धि होगी। तो हमारी आमदनी दोनों विजीबल और इन्विजीबल होती है।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। एक टूरिस्ट्स के सिलसिले में और दूसरा सामान्य प्रशासन के बारे में। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह पुलिस का बजट है। उस सिलसिले में मैं निवेदन करूं कि मैं पहली विधान सभा का सदस्य था। मुझे याद है सन् १९५३-५४ की बात है कि विरोधी दल के नेता ने स्वयं ने कहा था सारे का सारा राजस्थान

(श्री खेतसिंह)

का बजट अगर पुलिस पर खर्च कर दिया जाय तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं लेकिन पाबूदानसिंह, खानूड़ा और मानसिंह और भी दूसरी कुछ २०-२२ गैंग्स राजस्थान में आपरेट करती थीं, उनको खत्म किया जाय। उन दिनों इन्सान की हालत यह थी कि गांव में रहने वाला आदमी अपने आपको सुरक्षित नहीं समझता था। आज सारी गैंग्स खत्म हुई तो आप लोग यह कहने की स्थिति में आए कि पुलिस पर ज्यादा खर्च होता है। उस समय श्री भैरोंसिहजी भी इस सदन के सदस्य थे। उनसे पूछा जा सकता है, वह भी इस बात की ताईद करेंगे कि वे दिन कितने खतरनाक थे राजस्थान के नागरिकों के लिए सुरक्षा की कोई भी परिस्थिति नहीं थी। आज बहुत कुछ हालात बदले हैं। मैं विरोधी दल के सदस्यों से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी तो आप सही को सही कहने की प्रवृत्ति डालें....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : पहले तो खूंख्वार डाकू लूट ले जाते थे, आज तो हीजड़े ले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनसिंह जी से निवेदन करता हूं कि यह मामला पुलिस का है, फौजियों का नहीं है। फौजियों का जब सवाल आएगा, तो आपको बोलने की काफी छूट दी जायगी।

श्री खेतसिंह : उन दिनों बहुत बड़े डाकू थे और हत्याएं हुआ करती थीं गांवों को लूटा जाता था, लोग गांवों को छोड़कर भाग जाते थे, सारी परिस्थितियां आपसे छिपी हुई नहीं हैं। आज अगर कहीं डकैती होती है तो वह धौलपुर ही है जहां चम्बल के रैविन्स हैं। मेरा गृह मंत्री से निवेदन है कि धौलपुर के सदस्य अक्सर आपसे कहा करते हैं और मैं भी मानता हूं कि क्यों नहीं आप मध्यप्रदेश सरकार से इस बारे में बात करके जोइंट आपरेशन करें और जरूरत हो तो भारतीय सेना की सहायता लेकर भी इन डाकुओं को खत्म करें तो डाकू नाम की समस्या ही राजस्थान में नहीं रहेगी। हां छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती हैं और अगर न हो तो पुलिस को कौन रखेगा। लेकिन यह निश्चित मान कर चलें कि डकैती समस्या बहुत हद तक जोइन्ट आपरेशन से खत्म हो जायगी।

श्री देवीदत्त गाडिया : ये तो एम. एल. एज. को उठाकर भी ले जाते हैं।

श्री खेतसिंह : मेरा कटौती प्रस्ताव आर. ए. सी. के सिलसिले में है क्योंकि जिस इलाके से मैं आया हूं, उसके बहुत कुछ लोग राजस्थान के नौकर हैं, वे जब छुट्टी पर आते हैं तो अपनी काफी समस्याएं बताते हैं, जिनकी ओर आपको खास तौर से ध्यान देना चाहिए। जो आपकी आठवीं बटालियन है वह चार साल से नेफा में लगी हुई है। वहां बिल्कुल सामने से चीनी गश्त पर निकलते हैं, उनको देखते रहते हैं। इस साइट पर कहीं १६ हजार फुट की ऊंचाई पर आपकी पैट्रोल पार्टियां लगी हुई हैं। उन लोगों की ३२ और ३५ के बीच की

(श्री खेतसिंह)

संख्या की एक एक टुकड़ी रहती है। कइयों के तो सर्दी की वजह से हाथ और पैर गल जाते हैं, कइयों को बीमारी हो जाती है। उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। उनके लिए जो राशन भेजते हैं वह कलिंगा एयर लाइन्स के द्वारा ऊपर से ड्रोप किया जाता है, कई बार तो वह पेड़ों में ही अटका रहता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको चाहिए कि हर तीसरे साल आप बटालियन्स का ट्रांसफर करें। ४ साल गुजर गए एक ही बटालियन को। सेना में भी इतनी सख्ती नहीं है। इससे लोगों के अन्दर फस्ट्रेशन पैदा होता है।

जबकि वह सेना से भी आगे रहते हैं और चाइनीज के मुंह के सामने रहते हैं तो आपका कर्त्तव्य है कि सेना के बराबर उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए—राशन की, चिकित्सा, वर्दी, सर्विस इत्यादि की जो जवान खास तौर से बॉर्डर पर लगे हुए हैं उनको वही सुविधायें मिलनी चाहिए। मुझे मालूम पड़ा है कि बी. एस. एफ. नई बटालियन बनी है, उनको आपकी आर. ए. सी. से ज्यादा सुविधायें मिलती हैं तब और भी ज्यादा फस्ट्रेशन पैदा होता है। उनके बराबर के ही बटालियन तो उनसे ज्यादा और आर. ए. सी. को कम, यह अच्छी बात नहीं।

साथ ही आप जो इनके कमांडेंट्स लगाते हैं, आप अक्सर यंग आदमी जो अकादमी से या आबू कालेज से पास होकर आए हैं उनको सुपरिन्टेन्डेन्ट से लेकर आर. ए. सी. का कमांडेंट लगाते हैं जिनको कोई अनुभव नहीं होता है। आप आई. पी. एस. अधिकारियों को जिला प्रशासन में लगाते हैं उनको कम से कम ७ साल का अनुभव होना चाहिए। एक साल आया और दूसरे साल आप उनको एस. पी. बना देते हैं और फिर आप आशा करते हैं कि सुचारू रूप से प्रशासन चले? अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपको कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो नए आपके आई. पी. एस. अधिकारी आते हैं उनको एकदम जिलों में न भेजें।

(२.०० म. प.)

और खास तौर से मैं यह कहूँगा कि बाड़मेर में आपको तजुर्बेकार एस. पी. लगाना चाहिये जिसको वहां के रहन सहन और बोली चाली का अनुभव हो मगर ऐसा अनुभव से लगता है कि आप नये एस. पी. को वहां पर लगाते हैं और इससे कई समस्याओं का समाधान होना चाहिये, नहीं हो सकता क्योंकि न तो वह एस. पी. ग्रामीणों के रहन सहन से वाकिफ होता है और न वह उस एरिया से ही वाकिफ होता है। इससे भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में काफी दिक्कत आती है इसी तरह से कलेक्टरों को भी एक्सपीरियेन्स होना चाहिये। उनको कम से कम ४, ५, ६ या ७ सालों का अनुभव होना चाहिये। मगर यहां होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति को कलेक्टर लगा दिया जाता है जिसको कुछ भी अनुभव नहीं होता। आप दूसरे प्रान्तों में देखिये, वहां पर आपको ऐसा नियम मिलेगा कि

(श्री खेतसिंह)

कलेक्टरों को पहले एक्सपीरियेन्स होना चाहिये । यू. पी. में ६ साल एक्सपीरियेन्स के पहले कलेक्टर नहीं बनाते । कलेक्टर लोग हमारे यहां पर बिल्कुल नये आदमी को बना देते हैं उनको उस एरिया का कुछ भी अनुभव नहीं होता उनसे पूछते हैं कि घोरीमोना की सड़क बन्द क्यों कर दी है । यहां पर मजदूरी करने वाले क्या करेंगे । तो उन्होंने कहा कि ये मजदूर गडरा रोड पहुँच जावेंगे । They can go there उनको यह मालूम नहीं कि कहां घोरीमना और कहां गडरा रोड हैं । इसलिये वहां की सारी स्थिति से उनको ज्ञान होना बहुत जरुरी है कि घोरीमोना और गडरा रोड में कितना फासला है । इसलिये मेरा यही आपसे निवेदन है कि आपके एक्सपीरियेन्स्ड हैंड लोग जाने चाहिये । इससे ही आपका एडिमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चल सकेगा ।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि समय की पाबन्दी भी होनी चाहिये । होता यह है कि अधिकारी २॥ बजे और कभी कभी ३ बजे दफ्तर में आते हैं और ६ बजे तक दफ्तर में बैठे रहते हैं । क्लर्क १० बजे आ जाते है और फिर उनको जब तक अफसर बैठा रहे बैठा रहना पड़ता है इसलिये उनको बड़ी दिक्कत रहती है । अतः समय की पाबन्दी हो । पहले यही हुआ करता था । और इसके लिये सरप्राइजिंग चेकिंग होना चाहिये । हमारे यहां पहले दौलतसिंहजी कमिश्नर थे वे १० बजते ही ओफिस में आते थे और सभी ओफिस में चक्कर लगाते थे ।

श्री फतेहसिंह : वे फौजी अफसर थे ।

श्री खेतसिंह : इससे क्या होता था कि सारे आफीसर्स और क्लर्क १० बजे पहुंच जाते थे व समझते थे कि कमिश्नर भी १० बजे ओफिस में पहुंच जाते हैं तो हमें भी पहुंच जाना चाहिये । इसलिये समय की पाबन्दी होनी चाहिये । आपने आज कमिश्नरों की पोस्ट को समाप्त कर दिया । आज उनके स्थान पर कलेक्टर या अन्य कोई अधिकारी हो वह सरप्राजिग चैक करें । इसलिये सरप्राइजिग चेकिंग होना चाहिये कि समय की पाबन्दी की जा रही है या नहीं । जब कलेक्टर अपने दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाते हैं तो उनको मालूम नहीं होता कि कौन व्यक्ति कहा पर है और आया वह देरी से आता है या जल्दी समय पर आ जाता है । आम तौर पर हम देखते हैं कि कलेक्टर अपने दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि लोग अपनी सीटों पर नहीं रहते और इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं । अमुमन मैं देखता हूँ आपके सेक्रेटेरियेट में भी यही हाल है । लोग अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं दफ्तर में गये और हाजरी की और अपने चाय पीने के लिये चले गये । इस तरह से अपने हर लेवल पर सरप्राइजिंग चैकिंग होना चाहिये कि लोग समय में अपने अपने स्थानों पर और अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे रहें । अगर कोई अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं मिले या काम करता हुआ नहीं मिले तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये । आज उसका नतीजा यह होता है कि आज कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन पेश करे तो उनको जवाब

(श्री खेतसिंह)

महीनों तक नहीं मिलता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि जो लोग आपको एप्लीकेशन देते हैं उनको तीन दिन में हां या नां का जबाब मिल जाना चाहिये। यह नहीं कि वह महीनों तक लगातार चक्कर काटता रहे और खर्चे से बरबाद हो जाए। इससे जो लोगों में आपके प्रति नाराजगी पैदा होती है वह कम होगी और इस ओर आपको जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये।

आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस प्रकार के रूल्स बनाये हैं कि जो अधिकारी होंगे मुन्सिफ मेजिस्ट्रेट या एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट उनका कार्य प्रणाली की तरफ ध्यान देना चाहिये। आपने यह रूल्स बनाये हैं कि २० दिन तक दौरा करना होगा। आपका इससे मतलब यह होगा कि जनता के दुखों को वे लोग सुनें और उनको दूर करें। मगर होता यह है कि वे लोग दौरे पर जाते हैं और वहाँ कुछ समय के लिये रह कर रात को अपने घर वापिस पहुँच जाते हैं। क्योंकि अगर वे रात भर बाहर रह जावें तो उनकी बीबी कहीं नाराज हो जावे तो वे सब लोग शाम को घर वापिस पहुँच जाते हैं। वे पांच मिनट के लिए वहाँ पर ठहरते हैं। वे यह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनके दौरे के २० दिन पूरे होने चाहिये। वे रात को बाहर नहीं ठहरते। ये पुराने अफसरों में अमुमन हुआ करता था कि वे रात को वहाँ पर ठहरते थे। उस समय जीपों का चलन नहीं था। वे वहां गांव में रहते और रात को सारे गांव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे होते थे और उनसे वे बात-चीत करते थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मगर आज परिस्थिति बदल गई है। रात को कम से कम उनका हाल्ट गांवों में होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि वे ५ मिनिट गांव में आये और वहां से वापिस रवाना हो गये। इससे गांव के लोगों की समस्या जिसको आप हल करना चाहते हैं हल नहीं हो सकती। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वे ऐसा करेंगे तो काफी लोगों को राहत मिलेगी और वे उनके दुख दर्द को सुन भी सकेंगे। चूंकि आपकी घन्टी बज गई है, मैं थोड़े में ही निवेदन करूंगा।

एक बात में आपको यह भी निवेदन करूंगा कि आपके जो आफीसर्स अगर वे मद्रास से आते हैं तो वे ग्रामीण लोगों की भाषा को मारवाड़ में क्या समझेंगे। इसलिये आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनको इसकी जानकारी होनी चाहिये या जब कभी वे गांवों में जावें तो उनके साथ उन ग्रामीण लोगों की भाषा को समझने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिये जो गांव के लोग अपनी बातें बतावें उनको ठीक तरह से उसको समझा सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। होता यह है कि ग्रामीण लोग कुछ कह देते हैं और अधिकारी कुछ गलत समझ जाते हैं और इससे लोगों में एक प्रकार की धारणा बन जाती है कि फलां अफसर को हमने यह बात कही और उसको वह उल्टी

(श्री खेतसिंह)

तरह से यह समझ गया । इसलिये यह भी आपके हित में होगा अगर आप ऐसा करेंगे ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि सीनियर आर. ए. एस. और आर. पी. एस. हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मौका देना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि काफी डिपार्टमेंटों के हैड हैं वे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टेक्निकल हैड बैठा है। अगर आपके एग्रीकल्चर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी होता तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चल सकता है। आप इस बात को मानते हैं कि पहले जब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का आपका हैड ऑफ डिपार्टमेंट था तो उन दिनों ज्यादा अच्छा काम चलता था। बस इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हुआ अपने कटौती के दोनों प्रस्तावों को मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ और इसके साथ साथ सामान्य प्रशासन और कारागार इन तीनों मांगों पर कटौती के प्रस्ताव रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में अभी मेरे पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कही हैं और यह कहा कि आज की बात नहीं है करीब करीब हम जब से विधान सभा में आये हैं और हमारी विधान सभा बनी है तब से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन इनका कोई निराकरण नहीं होता और इसका निराकरण होना सम्भव भी नहीं है। हमने और बड़े बड़े देश के लोगों ने और जनसेवा के प्रतिनिधियों ने जैसे हमारे भारत के नन्दाजी ने भी यह कई बार आश्वासन दिया था कि पुलिस द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है वह उसको मिटा कर रहेंगे। मगर नहीं मिटा। इसका मतलब यह होगा, उपाध्यक्ष महोदय कि हम चलते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उतना ही पुलिस वाले ज्यादा सतर्क रहते हैं उसको करने में। जहां हम रेल्वे स्टेशनों पर यह सुनते हैं कि जेब कतरों से सावधान रहो और जेब कतरों से बचते रहो। जब हम यह सुनते हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि लोगों के हाथ अपनी जेबों की तरफ जाते हैं और उधर से गुन्डे लोग और जेब कतरे लोगों की जेब कतर कर पैसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से जितना भ्रष्टाचार पर कन्ट्रोल करने की बात की उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा और वह क्यों बढ़ा इसका खास कारण यह है कि उपर से आदेश आते हैं, आई० जी० पी०, के और डी० एस० पी० के पास जाते हैं और उसके बाद एस० पी० और डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेंट पुलिस के पास होते हुए थानेदार के पास जाते हैं और इसलिये सैकड़ों गुना रिश्वत देनी पड़ती है। अगर थानेदार रिश्वत देता है और लेता है तो हैड कान्सटेबल कैसे बगैर रिश्वत लिये चल सकता है।

छोटा मोटा अपराधी होता है, सामने अपराधी नहीं आता है तो फरजी अपराधी

(श्री हीराभाई)

साबित करके ऊपर वालों का मुंह बन्द करना पड़ता है। यह रवैया ऐसा बन गया है। हमारे देश के राज्य का नायक है, मुखिया है वह बहुत भ्रष्ट है तो देश की जनता को भ्रष्टाचार से बचाने का क्या मतलब होगा। लड़कियों को भगा लें जाते हैं, कत्ल किये जाते हैं, कोटा के पास में ऐसा कहा गया सुखाड़ियाजी का राज नहीं होगा मेरा राज होगा जब तक लूट कर न चले जाओ। हिम्मत करके लूट करते हैं और सुखाड़ियाजी साहब जानते नहीं, ऐसी बात नहीं वे विश्वास करते हैं। जनता में ही चेतना लानी है जनता इसको रोकने को तैयार होगी तब ही भ्रष्टाचार मिटेगा वरना भ्रष्ट राज में भ्रष्टाचार चलेगा। फरजी केस बनाते हैं भ्रष्टाचार का सवाल है। हम शिकायत करने कहाँ जायं ? ८ फरवरी का किस्सा है। ८ फरवरी के दिन माननीय मुख्य मन्त्रीजी और खनिज मन्त्रीजी हरिदेवजी जोशी कुशलगढ़ में पधारे थे। नल का उद्घाटन करना था। उन्होंने प्लान बनाया। प्लान । ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे मुंह पर आकर कह देते तो हरज नहीं था। हमारे में कहावत है :—

"मारवो तो उन्दराने आखो डूंगर खनजो"।

पहले सरकार जानती थी कि कुशलगढ़ उनके फेवर में किसी हालत में नहीं है तो उन्होंने उनके फेवर के एस. डी. ओ., थानेदार मुकर्रर कर दिये। २८ फरवरी के पहले मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया। फिर ८ फरवरी को आते है। हमारे लोगों पर पत्थर फिकवाये जाते हैं। हमारे समाजवादियों का नारा है मारेंगे नहीं और मानेंगे और गांधीजी के सिद्धान्तों को मानेंगे। हमारे दफ्तर के सामने सुखाड़ियाजी उस गाड़ी में थे, नारे लगवाये 'हीराभाई ने क्या किया ? देश को बरबाद किया।'

'मारवो तो उन्दरो आवो डूंगर खनजो" वाली कहावत है। दो तीन छोरों से पत्थर फिकवाये। एस. पी. उनके साथ था। एस. पी. ने दुत्कार दिया। फिर उनको मौका नहीं मिला। समाजवादियों को पकड़े कैसे ? पुलिस के एक आदमी को बुलाकर भेजा और कहा कि नीचे बुलाया है। कहा कि इन्होंने सुखाड़ियाजी को जूतियां बतायीं। जूतियां मतलब चप्पल। चप्पल मारो सुखाड़ियाजी को यह केस चल रहा है। समाजवादियों ने विरोध किया और जूतियां मारी तो जूतियों का आप मुन्सिफ कोर्ट में जाकर दावा कर सकते थे। लेकिन पुलिस वालों को क्यों उलझाया। कम से कम १४ आदमी समाजवादियों के गिरफ्तार कराये (शेम शेम की आवाजें) बाजार से गिरफ्तार किया, बाजार की गलियों से पकड़ पकड़ कर ले गये। सुखाड़िया साहब की सारी साजिश वहां रही। पहाड़ी पर उद्घाटन किया। यह लोग उलझेंगे। उनको पकड़ लेना। मेरी पार्टी के लोग उनके पीछे थे उनको पता ही नहीं था। लोगों को गिरफ्तार कराया। इतनी पिटाई की। हवालात में बन्द किया।

× × × × × हमारे आदमियों ने नहीं किया।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री उपाध्याय)

पिटाई की। क्या सुखाड़िया साहब का जेवर छीना था ?

श्री उपाध्यक्ष : × × × यह शब्द एक्सपन्ज कर दीजिये।

श्री हीराभाई : हमने किया है क्या ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह बड़ा प्रिसिडेन्स कायम किया जा रहा है। चेयर को इतना सेन्सिटिव नहीं होना चाहिये कि × × × उसको एक्स्पन्ज कर दीजिये किसी को सर्टिफिकेट देने की बात है तो दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन का यह कर्तव्य है कि जो बात विचाराधीन इस वक्त नहीं है उस पर असंगत बात कही जाय और वह ऐसी बात हो जो किसी व्यक्ति के चरित्र से सम्बन्धित हो तो आसन को अधिकार है कि वह एक्स्पन्ज कर दे।

श्री विजयसिंह रावत : सुखाड़िया जी का कोई जेवर था........

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह सोना काण्ड हुआ यह मामला केन्द्र की लोक सभा में भी चल रहा है। जांच का एक नाटक रचा गया है कि सोने की चोरी हुई और माननीय सदस्य कह दें कि हमने कौन सी चोरी की, चोरी की होगी तो उन्होंने की होगी। मैं निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा कि यह कोई असंगत बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सादड़ी के सोना काण्ड के सम्बन्ध में उन पर आरोप हैं और उन्होंने केन्द्रीय सरकार सी० बी० आई० से जांच कराने के लिये कहा है। वह एलीगेशन सही है या गलत है यह जांच होने पर मालूम होगा। यदि इन आरोपों का उल्लेख कोई माननीय सदस्य करे तो चूंकि वह केवल मुख्य मन्त्री जी से सम्बन्धित हैं इसलिए उनको एक्स्पन्ज करा दिया जाय यह सही परम्परा नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें हमें अपने नियम देखने होंगे। हमारे नियमों में यह साफ व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाये जांय जो जुर्म की परिभाषा में आता हो और नाम लेकर लगाये जांय तो यह आवश्यक होगा कि उसकी पूर्व सूचना दी जाय ताकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह बात कही गयी है, वह या तो विभाग के मन्त्री महोदय के माध्यम से या सदन के सदस्य हैं तो खुद को सफाई पेश कर सकें। बिना किसी पूर्व सूचना के जो विचाराधीन कटौती प्रस्ताव हैं उनसे सम्बन्धित न हो तो इस तरह से किसी बात के कहने से न तो उनका उत्तर दिया जा सकता है और यह इस तरह की परम्परा होगी कि हर माननीय सदस्य जिससे प्रभावित होता है। सदन की परम्परायें भी इस बात को मान्यता देती है कि जो कुछ भी बात कही जाय जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ कर कही जाय किसी तीसरे रेफरेन्स में यह कहें यह उचित नहीं होगा।

× × × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : यह कोई नया एलीगेशन नहीं है। आपकी व्यवस्था नये एलीगेशन के बारे में है। यह वही एलीगेशन है जिसके लिये सी० बी० आई० जांच कर रही है और यह सर्व मान्य तथ्य है कि इसकी जांच हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आपने जो यह व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहूँगा कि पूर्व सूचना का सम्बन्ध केवल यह है कि वह माननीय सदस्य सदन में उपस्थित रह सके और कोई बात कही जाय वह उनकी मौजूदगी में कही जाय। सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं। जो बात कही जानी है, वह कही जा सकती है। उचित अनुचित यह बात दूसरी है। बिना पूर्व सूचना के वह बात ही न कह सके यह उस भावना से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह था कि अगर इन्होंने उन संस्थाओं और इतने जिम्मेदार समझे जाने वाले लोगों पर आरोप लगाया तो उसका मतलब यह है कि आप भ्रष्टाचार को पनपाते हैं। आप भ्रष्ट हैं तो दूसरों को भी भ्रष्ट समझते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि समाजवादी कभी गलत धन्धा नहीं करेंगे और चूंकि सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री हैं, इसलिये अंकुश लगाने के तौर पर कहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने यह सब कुछ किया। अगर सुखाड़ियाजी यह कह दें कि हमने कुछ नहीं किया तो मैं कहूंगा कि आपने जब कुछ नहीं किया तो १४ आदमियों को आपने क्यों गिरफ्तार किया। आपके इशारे पर पत्थर फेंके। आपके अगर कोई पत्थर लगा होता तो आपको डाक्टरी सर्टिफिकेट मिल जाता और वह आपके पास होता। आप कहते हैं कि चप्पल मारा। मुझे इस बात का पता नहीं कि आपको चप्पल मारा या दिखाया क्योंकि मैं तो उस रोज दूसरी जगह मीटिंग में गया हुआ था। मगर आपने उन लोगों को उलझाया। आपने मजिस्ट्रेट को हटाया और जब १८ तारीख को चुनाव होने वाले थे उससे पहले ही आपने मजिस्ट्रेट को बदल दिया। और आपने एक दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और एस. डी. ओ. को छुट्टी दे दी। आपने उनको कह दिया कि तुम दौरे पर चले जाओ और लोग बन्द रहें।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि यह मुकदमा एस. डी. एम. की अदालत में चल रहा है....

श्री हीराभाई : मैं यह कह रहा हूं कि वह पुलिस में फंसा है और गिरफ्तारियें अभी होना बाकी है। दो आदमियों के पीछे पड़ा है। आज होम मिनिस्टर यह तो कह सकते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए मगर जो लोग लड़कियें चुराकर ले जावें उनको पकड़ नहीं पाते। अगर गिरफ्तार कर पाते हैं तो हिम्मत से कहें। बाकी दो आदमी हैं। पकड़ कर ले जावेंगे। आप यह

(श्री हीराभाई)

नहीं समझें कि आप अपनी मनमानी करेंगे और इन्साफ नहीं होने देंगे। मेरे में भी हिम्मत है। आप यह न समझें कि मैं भील हूं और मुझे भील समझ कर आप मसलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप जनतंत्र को दबाना चाहते हैं मगर जनतंत्र दबाया नहीं जा सकता...

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के कारण अश्रव्य)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर।

श्री हीराभाई : आज चुनावों में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जनतंत्र का इस तरह से गला घोटा जाता है। आज कोई कहीं डाका डाल कर २० आदमियों को मार डाले तो मार सकता है क्योंकि उसमें ताकत है। हम मुकाबला करने में कमजोर हैं इसलिए आप ऐसा करते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि कभी तो हम भी मजबूत होंगे और डाकुओं से बदला लेंगे। मगर हम इन्सानियत को मान्यता देते हैं और ऐसा बदला नहीं लेंगे जिस प्रकार इन्सानियत को छोड़कर आप काम करते हैं...

(हियर हियर)

इसलिये जब मुन्सिफ मेजिस्ट्रेट का बादला कराया वह बिल्कुल गलत है। वहां पर मुलजिम सड़ रहे हैं वह आपने इसलिये कराया कि आपको चुनाव जीतना था। एस. डी. ओ. को दौरे में भगा देना और जब १८ तक तारीख हो जाए और एस. डी. ओ. वापिस नहीं आवे। उदयपुर में ऐसे गुन्डे जो यह कहें कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो उदयपुर की जेलों में ले जाये जावोगे। इस तरह से आपने कार्य किया है और कानून को अपने हाथ में लिया है। आपने लोगों को हथकड़ियें डलवाई हैं। मैंने १९६० से अब तक देखा है कि किसी भी राजनैतिक बन्दी को हथकड़ियें नहीं पहिनाई जाती हैं। मगर आपने ऐसा किया कि आपने राजनैतिक बन्दियों को हथकड़ी पहनाई। आप गांधीवादी बन कर ऐसा करते हैं उसमें आपके साथ एस. पी. भी शामिल हैं। आपने जनता के चुने हुए लोगों को हथकड़ियें पहनाई हैं। वहां का प्रधान है उसकी उदयसिंह थानेदार ने इतनी पिटाई की कि कह नहीं सकता और उसको घसीटते हुए जेल में लेजाया गया मैं नहीं चहाता कि कोई समाजवादी ऐसा कहे। अगर कोई कहे तो हम उसकी जुबान निकालने को तैयार हैं। मगर हमारे लोगों ने अपनी जुबान पर पाबन्दी रखी। हम अपनी जिम्मेदारी के साथ रहे। मगर सुखाड़िया साहब जिम्मेदारी से नहीं रहे। आपने अपने एस. डी. ओ. को हमारी छाती पर थोप रखा है। आपने किसी भी हालत से प्रधान जो कि समाजवादी दल का था आपने सस्पेन्ड कराया क्योंकि आपको दो आदमियों को सफेद टोपी लगानी थी। और इसके बारे में एस. डी. ओ. से बदला निकलवाया और प्रधान पर चरित्रहीनता का केस बनाया गया और किसी के बयान लिये गये और

(श्री हीराभाई)

उस पर आरोप लगा कर समाजवादी प्रधान को आपने सस्पेन्ड किया। यह क्या कोई राजनीति है? मैंने पत्र लिखा था कि यह हमारे हरिदेव जोशी के रिश्तेदार हैं। ए. ए. ओ. से बी. डी. ओ. बना कर प्रधान के खिलाफ आरोप बना कर उसके खिलाफ झूठा केस बना कर इस तरह हमारे प्रधान को सस्पेन्ड कराया और उसको हथकड़ियें पहिना कर फिराया। इस तरह से वहां के उदयसिंह थानेदार को आपने आई. जी. पी. से भी ज्यादा बड़ा बनाया।

मैं यह कहूंगा कि हम समाजवादी आपकी रक्षा करते हैं अगर हम आपकी रक्षा नहीं करते तो कम्युनिस्ट आपको कभी के पकड़ कर निकाल देते। और आपको कभी के धूल में मिला देते। अगर अभी भी इसी प्रकार आपका रवैया रहा तो आप १० साल बाद देख लेना कि आपकी क्या हालत होती है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कांग्रेस की सरकार न बने। हम यही चाहते है कि जनतन्त्र की परम्पराओं के अनुसार समाजवादी सरकार बनी रहे। मगर हो क्या रहा है उसके लिये मैं कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रमुख साहब ने आ कर मुझे कहा यह रहे ३ लाख रुपये, वे रात को एक बजे मेरे पास आये और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है। आप तीन लाख रुपये लो और उधर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं पैसों से बिकने वाला नहीं हूं। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। आदमी पैसे को पैदा करने वाला है। आदमी करोड़ों और अरबों रुपया पैदा कर सकता है और रोटी और धन पैदा कर सकता है। मैंने उनसे कह दिया कि आप जोशीजी से जाकर कह देना कि मैं कोई खरीदा जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सरकार उनको बनानी है तो वे जानें। कितनी भी तकलीफ हमें हो सकती है हम उसको सहन करेंगे। यहां तक मैंने उनको कह दिया।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री हीराभाई : आपसे यह नहीं हुआ। आप हमारी सरकार बनी तो हमारे साथ लदे और उनकी बनी तो उनके साथ लदे हैं। यह बात मैं जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सतीश बाबू ने अनाज की बहुत जरूरत बताई यह तो अलग बात हुई।

अब रहा प्रशासन का प्रश्न। वहां पर बोर्डर एरिया है। आज से करीब एक महीने पहले की बात है एक ट्रक जिसका कन्ट्रोल करने वाला था वह उदयपुर से गुजरात चने का ट्रक ले जा रहे थे। मगर होम साहब को चालान करना था मगर उनका नहीं किया और वहां पर चनों पर पाबन्दी लगा दी। आज जुर्म तो होम साहब करें। और जनता उसकी सजा भुगते यह क्यों? तो यह प्रशासन में जितना भ्रष्टाचार है वह हमारी सरकार की जिम्मेदारी से होता है। हम विरोधी दल वाले खामखां चिल्लाकर खाली नाटक पेश कर रहे है वर्ना यह इन्हीं के काले कारनामों से होता है। यह भ्रष्टा-

(श्री हीराभाई)

चार दूर इनसे होने वाला नहीं है और मैं इतना भिखमंगा नहीं हूं कि जो कहूं कि भ्रष्टाचार को कन्ट्रोल करो। यह तो तब दूर होगा जब कि कांग्रेस सरकार हट जायेगी और दूसरी सरकार आयेगी, उसके बाद में यह हो सकता है। कांग्रेस सरकार खत्म हो जाने के बाद यह सब चीजें खत्म होंगी। ५ साल फिर भी कांग्रेस आयेगी लेकिन रास्ता साफ हो जायेगा तो फिर किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। मुझे डर है कि जहां अच्छी सड़क है और लोगों की कमजोरी है और सड़क पर चलने वाला आदमी या तो दारू पीता है या टट्टी करता जाये तो उस सड़क पर चलने वाले यात्री लोगों में से १०–२० आदमी ऐसे गन्दे हैं कि पूरी सड़क को बदनाम करते हैं तो वह सड़क पर चलने वाले आदमी गन्दे है और वह सड़क को भी गन्दा करते हैं। इसलिए हमारे प्रजातन्त्र के राज्य को बदनाम करने वाले और गन्दा बनाने वाले आज सरकार में बैठे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरी अर्ज आपसे यह है कि थानेदार ने चुने हुए लोगों को हथकड़ियां पहनाई उसके बारे में यदि सरकार उचित समझें तो उसको वाजिब दण्ड दे और इन्होंने कोई अपराध किया है तो उनको फांसी दें और उनकी वकालात मैं करूं तो मुझे भी फांसी दें। मुझे डर नहीं है। लेकिन वह थानेदार अगर अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।

दूसरे वहां के प्रधान को एक जाली अपराध बनाकर सस्पेन्ड कर रखा है उसके बारे में सुखाड़िया साहब तत्काल विचार करें और अगर उसने अपराध किया है तो उसको दण्ड मिलना चाहिए लेकिन राजनीतिक षडयन्त्र नहीं कराया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे एस० डी० ओ० कुशलगढ़ है या तो उसको हटा दें और थानेदार को हटाओ और अगर आप नही हटाओगे तो ठीक है यह जनतन्त्र का गला तो घुटेगा ही लेकिन इसका नतीजा सुखाड़िया साहब बुरा आयेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हो सकता है कुर्सी पर आप पांच साल रहो, या ३ साल रहो लेकिन जनता के साथ इतना करना और मेरी पार्टी वालों को और राजनैतिक दल वालों को कह दो कि हीरा तुमसे दुश्मनी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरी पार्टी वाले कहेंगे तो। लेकिन वहाँ के लोगों के साथ जितना अत्याचार किया जाता है वह नहीं किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ माननीय सदस्य : बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी पार्टी का सारा टाइम ले लिया।

Page No.108

श्री हीराभाई : मैं कारागार के लिए कहना चाहता हूँ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादियों का कारागार से ज्यादा काम पड़ता है इसलिए जेल के बारे में कहने दें।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच-सात बार जेल में रहा। मध्यप्रदेश और राजस्थान में ७ बार जेल में रह चुका हूँ। वहां पर हालत यह है कि आप पकड़ कर लाते हैं और रोजाना ४ आना की रोटी देते हैं। कम से कम आप यह तो सोचें कि चार आने एक आदमी के लिए कैसे काफी हो सकते हैं। राजनैतिक बन्दी भी आते हैं और जब तक मजिस्ट्रेट केस साबित नहीं कर दे तब तक सही है या गलत है वह भी नहीं मालूम। जब तक सुखाड़िया साहब का फैसला नहीं हो जायेगा तब तक हम तो उनको अपराधी ही कहेंगे और यह कहेंगे मैं तो बरी हूँ। तो एक तो जेल के अन्दर इनकी डाइट बढ़ाई जाये। दूसरे जब जेल के अन्दर लोग प्रशिक्षण लेते हैं तो जिस तरह का आदमी है जिस कास्ट का वह आदमी है उसी तरह का प्रशिक्षण उसको दिया जाये और वापिस जाने के बाद उनके लिए सर्टीफिकेट की व्यवस्था की जाये ताकि बाहर जाकर वह आदमी धन्धे में लगे। इसी तरह से कारागरों में दवाइयों का इन्तजाम बिलकुल नहीं होता है। किसी का पेट सड़ रहा है तो किसी का क्या सड़ रहा है। तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि दवाइयों की व्यवस्था आप कीजिए वर्ना हम जेलर साहब को कहते हैं तो चार-चार दिन तक तो वह सुनता ही नहीं है। कहते हैं तो वह कहता है कि बजट नहीं है। उदयपुर में मैं ६ महीने रहा हूँ वहाँ जेल में कैदी को ६ आना मिलता है और जो हवालाती होता है उसको सिर्फ ४ आना के हिसाब से देते हैं। आदमियों का पेट छोटा बड़ा नहीं होता है। पेट दोनों का बराबर है। इसलिए मेरे जो यह जेल के बारे में, शिक्षा के बारे में और डाइट बढ़ाने के लिए सुझाव हैं उनमें कम से कम एक रुपया प्रति व्यक्ति बन्दी का कर दिया जाये बाकी जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए सर्टीफिकेट दिया जाये ताकि वह बाहर जाकर कमा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस, कारागार और सामान्य प्रशासन की मांगों पर बहस हो रही है। मैंने भी कुछ कटौती प्रस्ताव इन विभागों की मांगों के सम्बन्ध में पेश किये हैं। सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रान्त में जो प्रशासन की हालत है वह न केवल ऐसी है कि जिसके बारे में हम थोड़े बहुत चिन्तित हों वास्तविक स्थिति प्रशासन की यह पहुंच गयी है कि यदि यह कहा जाये कि प्रशासन वास्तव में एक प्रशासन के तौर पर राजस्थान में कोई प्रशासन नहीं रह गया है केवल मात्र कुछ पद हैं, अधिकारी हैं उनको कुछ पॉवर्स हैं, उनके पास कुछ बजट है और वह उसको खर्च करने मात्र तक इस प्रशासन को सम-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भते हैं तो यह चीज सही होगी और उपाध्यक्ष महोदय न मन्त्रियों में आपस में, केबीनेट मिनिस्टर्स में आपस में कान्फीडेन्स है, न कांग्रेस दल में एक दूसरे में कान्फीडेन्स है एक दूसरे की इज्जत है, न मन्त्री मण्डल के मन्त्रियों की सेक्रेटरीज के दिमाग में कोई इज्जत है और इन सेक्रेटरीज के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स या उसके बाद में क्लर्क और फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं उनमें आपस में कान्फीडेन्स है । आज प्रशासन के अधिकारियों में कान्फीडेन्स बिलकुल खत्म हो चुका है और आम जनता में उपाध्यक्ष महोदय यदि यह कहा जाये कि नीचे से नीचे पटवारियों से लेकर और ऊपर से ऊपर चीफ मिनिस्टर तक उनके आश्वासनों में उनके आदेशों में, उनकी मीठी मीठी बातों में आज लोगों का कान्फीडेन्स बिलकुल टूट चुका है और स्थिति यह हो गयी है उपाध्यक्ष महोदय कि यह प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए नहीं, लोगों को सुविधायें देने के लिए नहीं लेकिन इस तलाश में है कि किसी तरह से लोगों को तकलीफें पहुंचाई जायें, किस तरह से लोगों को दिक्कत पहुंचाई जाये और उनसे पैसा ऐंठा जाये, किस तरह से उनसे बदला लिया जाये और इस तरह से आज सारे राज्य के अन्दर मैं यह कहना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय कि एक तरह से एनार्की की सी स्थिति है एक तरह से प्रशासन का अभाव की सी स्थिति है। कारण क्या है इस सारी स्थिति का ? हम यदि इन कारणों को ढूंढने चलें तो उपाध्यक्ष महोदय, यह कहावत है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है और इसलिए इस प्रशासन के इस प्रकार से इसके स्तर के गिरने का सबसे बड़ा कारण हमारे इस राज्य प्रशासन के चोटी में जो इसके नेता हैं जिस प्रकार से सरकार का गठन हुआ है जिस प्रकार से मन्त्रि मण्डल को बनाया गया है, जिस प्रकार से इसमें नियुक्तियां होती हैं, जिस प्रकार से अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, जिस प्रकार से तबादले होते हैं ये सब के सब उसके कारण हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी पेड़ की बुनियाद ही खराब हो, जिसकी जड़ ही भ्रष्टाचार से भरी हो उसमें फल कैसे लगने वाले हैं ? उसमें क्या चीज पैदा होने वाली है ? इस तरह से यह मन्त्रिमण्डल जो आज ट्रेजरी बेंचेज पर बैठा है उपाध्यक्ष महोदय, क्या इसकी नैतिकता यहां पर कायम रही है ? यह सेंट परसेंट भ्रष्टाचार के उसूलों पर आधारित है । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछले आम चुनावों में आम जनता ने कांग्रेस को बहुमत में नहीं चुना । कांग्रेस को बहुमत में रहने देने के लिए वोट देने से इन्कार कर दिया लेकिन जिस तरीके से, जिन भ्रष्ट तरीकों को अपना कर, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसी को एक लाख रुपये देने का वायदा किया गया है, किसी को कुछ रिश्वत देने का वायदा किया है ....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । आप विषयान्तर हो गये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा कटौती का प्रस्ताव है प्रशासन के अन्दर गिरावट और उसके क्या कारण हैं और उसी के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बारे में मैं बोल रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कटु है बेशक........

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए काफी देर तक बोलते रहे, मैंने टोका नहीं लेकिन आप विषय से बहुत दूर जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : यह राय की बात हो सकती है । लेकिन आज प्रशासन में जो स्टैण्डर्ड गिरता जा रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा है । लोगों का कॉन्फीडेन्स लोगों का विश्वास इसमें से उठता जा रहा है । इसके कारण क्या हैं ? यदि वे कटु भी क्यों न हों हमें उनमें जाना पड़ेगा तभी हम उसको सही तौर पर महसूस कर सकेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही नहीं है कि इस मन्त्री-मण्डल को बनाने के लिए कुछ लोगों को जो कांग्रेस के टिकिट पर चुन कर नहीं आए उन्हें मन्त्री बनाने का आश्वासन दिया गया .....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । इसके लिए मन्त्री मण्डल की जो तनख्वाहे है वे भी जी० ए० डी० से जाती हैं, आप उसके लिए कटौती का प्रस्ताव रख कर इन बातों को यहां पर ला सकते थे । लेकिन आपने प्रशासन के स्तर की गिरावट के लिए ही ही कहा है, उसके बारे में ही आप कह सकते हैं लेकिन उसके राजनैतिक कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : प्रशासनिक स्तर की गिरावट किन कारणों से है, मन्त्रि-मण्डल भी प्रशासन का ऊंचे से ऊंचा अंग है और उस ऊंचे से ऊंचे स्तर तक जब हम जायेंगे, प्रशासन के तो देखेंगे कि मन्त्रि-मण्डल में क्यों गिरावट है ? आज आपस में कशमकश है, आपस में मन-मुटाव हो रहे हैं । एक तरफ जिसकी तरफ पचास हजार रुपया सरकार का बकाया निकलता है, जिसको वह देता नहीं है और इसके लिए जिसको जेल में होना चाहिये था उसको मुखाड़िया जी लालच देकर मन्त्री-मण्डल में रख रहे हैं........

एक माननीय सदस्य : राव धीरसिंह जी हैं ।

श्री रामानंद अग्रवाल : ....और दूसरी ओर ऐसे पुराने कांग्रेसी कार्य-कर्त्ता, जो लोग तीस-तीस वर्षों से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, जो पार्टी का काम करते हैं, उनकी उपेक्षा करके अगर ऐसे लोगों को आप मन्त्रि-मण्डल में रखोगे तो आपके इस मन्त्री-मण्डल को ऊपर से होमोजीनियस कह सकते हैं, लेकिन वह अन्दर से होमोजीनियस नहीं हो सकता । इनके दिलों में एकता नहीं हो सकती । इसके कारण आप शासन के स्तर में जो एक ऊंचाई लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकते, इसमें आप कामयाब नहीं रह सकते । और उपाध्यक्ष महोदय, आज तो रोजमर्रा जिस दिन से मन्त्रि-मण्डल को कायम किया गया है, यह सुनने में आ रहा है कि मन्त्रियों की दूसरी लिस्ट निकलने वाली है । आज कितने ही लोगों को आश्वासन दे रखा है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि तुमको मन्त्री बनायेंगे और ऐसे लोगों को, उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बयान निकाल दें, जो यह कहें कि हम सुखाड़िया जी को लीडर बनाने को तैयार नहीं हैं, उनको सबसे पहले मन्त्रि मण्डल में ले लिया जाए और इस तरीके से इस मन्त्री-मण्डल का गठन करके और इस तरह से यह सरकार को चलाने की कोशिश की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का मन्त्रि-मण्डल का गठन, जिसमें लोगों को रुपये-पैसों का लालच देकर, पद का लालच देकर कुछ चीजों की माफी करने की बात कह कर और ऐसे लोगों को इस राज्य के उच्चतम शिखर पर बैठाया जाय तो वह किस प्रकार का प्रशासन चलायेंगे। किस प्रकार की आज्ञाएं देंगे, किस प्रकार की नियुक्तियां करेंगे और किस प्रकार के हुकुम देंगे। अभी जो हम इस बजट पर बहस कर रहे हैं, आज सारे राजस्थान में इतनी कमी है, पेय जल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है हमारे पास और इसलिए हम गांवों के अन्दर जाकर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक भी मंत्री मण्डल के विस्तार के बारे में आज तक मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा है कि इस आर्थिक दिक्कत की वजह से हम मंत्री मण्डल का विस्तार नहीं करेंगे। आर्थिक कठिनाइयों की वजह से हम ज्यादा खर्चा नही बढायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आज इस प्रकार की लिस्टें मौजूद हैं, मुख्य मंत्रीजी इन्तजार कर रहे हैं कि कब यह सेशन खत्म हो और फिर तो अगला बजट सेशन ही बुलायेंगे और अभी जो लोग उनके पास जाते हैं उन्हें कहते हैं कि थोड़े दिन और इन्तजार करो, २१ जुलाई निकल जाने दो, २२ जुलाई को मैं लिस्ट निकाल दूंगा और इस तरह से आप जनता को धोखा तो देते ही हैं, अपने दल के लोगों को भी धोखा देते हैं। अपने कुलिग्स को भी धोखा देते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज आपको हमारे दल की ज्यादा चिन्ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे भी हमारे अंग हैं, हमारे सब के अंग हैं, हमारे नेशन के अंग हैं और अगर नेशन के किसी अंग को भ्रष्ट किया जाता है तो उसके बारे में कहने का हमको अधिकार है।

श्री रामकिशन : आप तो लोगों के रोज रिक्शे के पैसे खर्च करवाते हैं, रोज आपसे कहते जाते हैं कि हमें मिनिस्टर बनाओ और आप बनाते ही नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज मुख्य मंत्रीजी को यह घोषणा करनी चाहिए कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की है उसमें मंत्री मण्डल का विस्तार इस तरह से नहीं होगा। अलबत्ता जो पिछड़ी जातियों के हैं, जो आदिम जातियों के हैं जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं उन लोगों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को मंत्री मण्डल में लिया जाय और ऐसे लोग जो अनावश्यक हैं, जो इस मंत्रीमण्डल में भर लिए गए हैं हाथ उठाने वाले और अंगूठा टेकने वाले, उन लोगों को बदल कर इन लोगों में से मंत्रीमण्डल में लिया जाए तो यह एक बात ठीक हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जब यह स्थिति है तो आज मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे मंत्रियों के लिए सेक्रेटरीज के दिमाग में क्या इज्जत हो सकती है। आज सेक्रेटरीज़ खुदा बन कर बैठे हैं। आज सेक्रेटरीज़ यह कह देते हैं कि अच्छा तुम फलां मिनिस्टर से मिल कर आए हो तो उन्हीं से अपना काम कराओ। उनके सी. आई. डी. अलग से काम करते हैं। हमारे गृह मंत्रीजी के सी. आई. डी. अलग से हो सकते हैं लेकिन हमारे सेक्रेटरीज़ के सी. आई. डीज. अलग होते हैं उनको पता रहता है कि कौन आदमी किस मिनिस्टर से मिला है और वे कहते हैं कि अच्छा तुम मिनिस्टर से मिले हो तो जाओ अपना काम भी मिनिस्टर से ही करवा लो। और हमारे मंत्रियों की यह हालत है कि आज जो इस तरह से मेहरबानी से आए हैं तो वे आज सेक्रेटरीज़ के समक्ष अपना मुंह खोल नहीं सकते। सेक्रेटरीज के ये शासक नहीं है, सेक्रेटरीज के ऊपर अपना ऑर्डर देने वाले नहीं हैं बल्कि सेक्रेटरीज इनके शासक बने हुए हैं और मुख्य मंत्रीजी उनके राज को चलाते हैं। और बाकी लोग जैसे नाबालिग हों, जिनका कोई अधिकार नहीं हो, वैसे कोर्ट आफ वार्ड हो मंत्रीमण्डल जो है वह एक तरह से कोर्ट आफ वार्ड है और जिसके इन्चार्ज सुखाड़ियाजी हैं और सारे वार्ड्स बैठे हैं जिनके ऊपर नियन्त्रण करके और इस शासन को चलाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इस प्रकार की जब सेक्रेट्रीज की हालत हो, मन में आए उस तरह से राज्य का प्रशासन चलायें, मन में आए जिस तरह से कागजों को रोक दें, देरी कर दें और हमारा मन्त्री मण्डिल उसके अन्दर उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले सके, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके, इससे बढ़ कर प्रशासन की गिरावट और क्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण है आज हमारे प्रशासन की कमियों का, आज हमारे सेक्रेट्रीयेट में जितनी डिले होती है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार वहां पर चलता है, जिस तरह लोगों को हुकुम निकलवाने में पैसा खर्च करना पड़ता हैं, मेरे ख्याल से सबसे हाईरेट सेक्रेट्रीयट की है रिश्वतखोरी की। नकल लेने के लिए पैसा खर्च करो, फाइलें निकलवाने के लिए पैसा खर्च करो हुकुम निकलवाने के लिए पैसा खर्च करो और फाइल को मिनिस्टर के पास पुटअप करवाने के लिए पैसा खर्च करो। इस तरह से अलग अलग तरह की रेट सैक्रेटरियेट में चलती है। इस तरह की हालत है लेकिन हमारे मन्त्री मण्डल में हिम्मत नहीं है कि इन चीजों की रुकावट कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही किस्से नियुक्तियों में होते हैं। हमारी सरकार खुद नियम बना देती है और खुद ही नियमों का पालन नहीं करती है। किसी फलाने व्यक्ति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को जरूर लेना है तो उसकी मेरिट है या नहीं, मेरिट के लिए आपने सिलेक्शन कमेटी बैठा रखी है, नियमों के अनुसार उसे सिलेक्शन कमेटी के सामने जाना चाहिए लेकिन फलां व्यक्ति नहीं आ सकेगा इसलिए उसको सिलेक्शन कमेटी में नहीं भेजेंगे। उसकी अलग से अलग नियुक्ति कर दी गई कोई स्पेशल कारण लेकर। और इस तरह से मैं व्यक्तियों में नही जाना चाहता, लेकिन कई मिसालें मौजूद है जिनमें लोगों को सिलेक्शन कमेटी में बुलाने का नियम होते हुए भी सिलेक्शन कमेटी के सामने नहीं हुआ और उन्हें अलग से अलग अपाइन्ट कर दिया गया। जब इस तरह से आप अपाइन्टमेंट करते हैं तो आपके गजेटेड आफिस में, आपकी ईमानदारी में निष्पक्षता में कैसे विश्वास हो सकता है, और जब आप निष्पक्षता नहीं बरतते हैं, ईमानदारी नहीं बरतते हैं तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसे आप एक्शन ले सकते हैं। जब आपकी कमजोरियों का उन्हें पता है, आपकी इन खामियों का पता है तो आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। यदि आप एक खराबी करते हैं तो वह सौ खराबी करेंगे, सौ तरीके की बात करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस तरह के शासन के चलाने में इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण और मनमाने ढंग की बात होती है तो एक उदाहरण कितना मल्टीप्लाई हो सकता है—यह आप अन्दाज लगा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने इस प्रकार के मामले बहुत लाये गये, और दूसरे दूसरे मिनिस्टरों के सामने लाये गये कि आज लोगों को यह यकीन हो गया है कि किसी मिनिस्टर से सम्बन्धित कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पाप कर ले, कितनी ही गैर कानूनी कार्यवाही कर ले—उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। बहुत से अपाइन्टमेंट के मामले, और मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों के द्वारा जबरदस्ती जमीन हड़पने के मामले इस सदन में कितनी बार लाये गये, और उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिये गये कि वह इन्क्वायरी करायेंगे, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उनके बारे में इन्क्वायरी नहीं कराई। उपाध्यक्ष महोदय, एक मार्फीदार की जमीन का केस इस सदन के सामने रखा गया था, जिसकी नाबालिगियत के दौरान में मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदार मुन्नालाल गोयल ने उसकी ४० बीघा जमीन को हड़प कर लिया था........

श्री उपाध्यक्ष—आर्डर प्लीज ! आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं........

श्री रामानन्द अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने शुरू में व्यवस्था दी थी कि किसी अधिकारी के नाम को सम्बोधित करके अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक होगा कि पूर्व सूचना दी जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, यह केस पहले सदन में आ चुका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। और गवर्नमेन्ट की तरफ से इन्क्वायरी करने का आश्वासन भी दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—जितनी बार इस तरह के व्यक्तिगत सवाल आयेंगे उतनी दफा यह आवश्यक होगा कि पूर्व सूचना दी जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन आप इस पर विचार करेंगे, माननीय सदस्यों के बारे में, या मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बारे में इस प्रकार के आरोप हों तो उनकी जरूर सूचना देते रहे हैं लेकिन इस प्रकार की सूचना अधिकारी के लिए नहीं मिल सकती क्योंकि उनका डिफेन्ड करना है तो वह गवर्नमेंट को करना है और गवर्नमेंट को ही उसका जवाब देना है। यह मामला गवर्नमेंट के नोटिस में है और इस मामले की इन्क्वायरी के लिए गवर्नमेंट ने कहा था लेकिन उसकी इन्क्वायरी आज तक नहीं हुई है। मेरा कहना यह है कि जब इस तरह के अधिकारियों के, जो एक्स, वाई, जेड, किसी मिनिस्टर से सम्बन्धित हों, खिलाफ इन्क्वायरी नहीं हो। यह एक सीरिअस मामला है और इस तरह के मामलों से शासन तंत्र ठीक नहीं रह सकता। मैं फिर यह कहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैंने अपाइन्टमेंट्स का जिक्र किया। आज आप तबादले की हालत देखें तो तबादले में इससे भी बुरी हालत है। आज शासन में, आज गवर्नमेंट तबादले के बारे मे नियम बनाने को तैयार नहीं है। अगर नियम तबादले के बना दिये जायं तो लोगों का हरेसमेंट नहीं किया जा सकता है, लोगों को विक्टीमाइज नहीं किया जा सकता है। हम रोजमर्रा सुनते हैं कि प्रशासनिक कारणों से हमने फलां का तबादला किया है। इस प्रकार के मनमाने ढंग की आर्बीट्रेरी पावर्स मंत्री महोदय अपने पास रखना चाहते हैं और इस तरह से अधिकारियों के पास में रखना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी इस देश में सही तरीके से डेवलप नहीं हो पायेगी। आज सर्विस सही तरीके से, ईमानदारी से और फिअर लैस होकर काम कर सके-इस तरह की आप फिजां पैदा करें। इस तरह के नियम बनायें। यह नहीं कि जैसी मर्जी आवे, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को उनके जिले से सौ मील और दो सौ मील दूर फेंक देते हैं। थर्ड क्लास सर्वेन्ट को एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में फेंक देते हैं और अगर मर्जी आये तो कोई गजेटेड आफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट में सारी उम्र रह जाये। इसमें और कोई कारण नहीं है केवल आप तबादले को पनिशमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी का कोई अपराध है तो आप उसको चार्ज शीट दीजिये, उससे जवाब तलब कीजिये और उसके बाद में फिर एक्शन लीजिये आपके रूल्स के अनुसार। आपने कहा कि हम डेढ़ सौ रुपये पाने वाले को उनके डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं भेजेंगे, उसके डिवीजन से बाहर नहीं भेजेंगे। लेकिन क्या आप इस बात को आज मानते हैं। आज कितने ही व्यक्ति वर्षों से पड़े हुए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के बाहर लेकिन आप सुनते नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। आज छोटे छोटे कर्मचारी इस कारण से परेशानी में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से आप तबादले के नियम बनायें, हर स्तर पर तबादले के नियम बनायें। हम नहीं चाहते कि अधिकारियों के भी और कर्मचारियों के भी ऐसे दिमाग बन जाय कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही न रह सके, उनके दिमाग में ऐसी भावना नहीं रहें। लेकिन हम यह भी नहीं चाहें कि शासन की तलवार उनके सिर पर लटकी रहे और वह फिअरलेस होकर काम नहीं कर सकें और इस तरह सही नागरिक की तरह उनका डेवलपमेंट नहीं हो सके। आज की स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कोई तबादले के नियम नहीं हैं, किसी स्तर पर तबादले के नियम नहीं हैं और अगर हैं तो उनकी अवहेलना में ज्यादा मान्यता होती है बजाय इसके कि रूल्स के मुताबिक काम किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, तो यह कुछ कारण हैं जिनके कारण हमारे प्रशासन में ढिलाई आ रही है, प्रशासन का स्तर गिरता जा रहा है। उसके अन्दर जरूरत है सुधार होने की। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा इसमें सुधार लाने के लिए, एक तो मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए कदम उठायें कि मुख्य मुख्य विभागों की आप एक कन्सलटेटिव कमेटी बन इये। प्रजातंत्र के अन्दर म्यूचुअल इन्सपेक्शन गवर्नमेंट पार्टी और विरोधी पार्टी के सम्बन्धित सदस्य कर सकें और जो इस बात की नजर एक दूसरे पर रख सकें तो एक दूसरे के साथ रहने पर गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। आपकी मेजोरिटी है, ऐसी कमेटी में आप अपनी मेजोरिटी रखिये लेकिन अपोजीशन का भी उसमें होना चाहिए। इस तरह से कन्सलटेटिव कमेटी इम्पार्टेन्ट डिपार्टमेंट्स की स्टेट लेवल पर होगी तो उसमें आप इम्पार्टेन्ट मैटर, पालिसी के मामले, एक्जीक्यूशन के मामले पीरियोडिकल लाते रहेंगे तो इससे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन बढ़ सकती है अलबत्ता इससे आपको मौका नहीं रहेगा गड़बड़ी करने का, मनमानी करने का। मैं मांग करूंगा कि इस तरह की डिपार्टमेंटल कन्सलटेटिव कमेटी दोनों, अपोजीशन और गवर्नमेंट की मिला कर बनाई जाय और उसकी पीरियोडिकल मीटिंग हों। उसके सामने एक्जीक्यूशन के मामले, पोलिसी के मामले और जो इस सदन के द्वारा तय किये जायं, आयें और वहाँ डिस्कस किये जायं। मैं समझता हूं कि इस तरह की कमेटी में कुछ हिस्सा पंचायत समिति और जिला परिषद का भी हो। पंचायत समिति और जिला परिषद को इस मामले के अन्दर एसोसियेट किया जाय तो इसके अन्दर सुधार हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और बातों के बारे में जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जो ने पिछले चुनाव के पहले घोषणा की थी कि उनका मंहगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर होगा। अभी केन्द्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के अन्दर कुछ और गजेन्द्र गड़कर कमेटी की रिकमन्डेशन पर कुछ राहत दी है, चाहे वह अभी भी नाकाफी है तो हमारी सरकार जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक स्तर पर लाई थी, उसको वही हमेशा रखना चाहिए था, उसूलन वही स्तर रखना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि आप महंगाई को नहीं रोक सकते हैं तो महंगाई भत्ते की बढोत्तरी को भी नहीं रोक सकते हैं। और लोगों की रीग्रल वेजेज में कमी करने का आपको अधिकार नहीं है। आप इस बात को मान चुके हैं कि पेरिटी रखेंगे केन्द्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महगाई भत्ते में तो उनकी वेजेज में समानता लानी होगी और इसलिए मुख्य मंत्री को यह घोषणा करनी चाहिए कि जितना स्तर उनका होगा इतना ही यहां का किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा। आज उनकी यह हालत है, मैं यह समझता हूं कि यह एक ओपन सीक्रेट है कि आम तौर पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से आफिसर लोग घरों पर काम लेते हैं। उनसे बरतन मंजवाते हैं, उनसे बच्चे खिलवाते हैं, और उनसे अपने कपड़े धुलवाते हैं। अगर वह एतराज करें तो उनके ऊपर एक्शन ले लेते हैं और उनका तबादला कर देते हैं। कई ऐसे केसेज मेरे सामने आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में सेल्स टैक्स आफिसर थे, उनके कर्मचारी ने उनके कपड़े धोने और घर के अन्दर बरतन मांजने के लिए इन्कार कर दिया तो उन्होंने उसका तबादला कर दिया जयपुर। अल्पवेतनिक कर्मचारी कैसे करे और कैसे गुजारा चलाये और कैसे इसकी जांच करवाये।

(३ म. प.)

यह बड़ा अल्हड़ है, बड़ा इन्डिसिप्लिन्ड है। घर का काम करने से मना करने पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को अल्हड़ कहा जाता है तो यह ठीक नहीं है पर उनका कहना भी ठीक है, वे कहते हैं कि मिनिस्टरों के घर पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सारा घर का काम लिया जाता है, कपड़े धोना, बरतन मांजना, बच्चों को खिलाना, यह सब काम लिये जाते हैं तो वे क्यों नहीं लें। सबसे पहले मिनिस्टर लोग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अपने बंगलों पर घर का काम लेना बन्द करें। हर कलेक्टर, एस० डी० ओ०, सेक्रेटरी आदि इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपने हाउस होल्ड का नौकर समझते हैं, वे बाजार से सब्जी लाते हैं, बरतन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, मिर्जा इस्माइल रोड़ पर इन्हें आप मिनिस्टरों के बच्चों को खिलाते हुए देख सकते हैं। यह सब काम इसलिये इन गरीबों से लिये जाते हैं कि वे कमजोर हैं, उनमें शक्ति नहीं है, उनकी इस कमजोरी का आप फायदा मत उठाइये। इसके लिए मन्त्रि-मण्डल सबसे पहले अपने ऊपर स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल करे किसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की इस प्रकार की किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत हो तो मन्त्रि मण्डल खुद सुने और कोई अधिकारी इस हुक्म की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ एक्सन ले।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अब मैं थोड़ा पेन्शनर्स के बारे में कहना चाहता हूँ। राज्य सरकार ने पेन्शनर्स के बारे में घोषणा की है कि १०० से ऊपर पेन्शन पाने वालों को राहत दी है पर जिनको १०० रुपया से कम पेन्शन मिलती है उनको क्यों भूल गये। कम पेन्शन वालों को तो ज्यादा मिलना चाहिये था यह आपका कौनसा समाजवाद है कि १०० से ज्यादा पेन्शन वालों को तो राहत दे दी और जो १०० रुपयों से कम पेन्शन पाने वाले हैं उनको किसी प्रकार की राहत नहीं दी, कम पेन्शन वालों को तो ज्यादा राहत की जरूरत है। इस पर गवर्नमेंट फिर से विचार करके १०० से कम पेन्शन पाने वालों की पेन्शन में वृद्धि की घोषणा मुख्य मन्त्री जी करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दिक्कत अलवर में जो राज्य कर्मचारी हैं उनको है, वह यह है कि सरकार उनको अभी तक हाउस अलाउन्स नहीं देती है। ८ शहरों के कर्मचारियों को गवर्नमेंट हाउस रेंट देती है, उनमें गंगानगर भी शामिल है। अलवर, जो राजस्थान के शहर घोषित हैं उनमें ५ वें शहर में आता है, अलवर का पांचवा नम्बर है, गंगानगर से पहले अलवर का नम्बर आता है तो आपको अलवर के राज्य कर्मचारियों को दूसरे राज्य कर्मचारियों के समान हाउस अलाउन्स देना चाहिये। अलवर के राशनकार्डों को देखा जाय तो एक लाख के करीब अलवर की आबादी पहुँच गई है। अलवर में मकानों के किराये और मकानों की दिक्कत को देखें तो अलवर के अन्दर कई शहरों से ऊंचा किराया है, जयपुर के करीब करीब बराबर मकान किराया है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर के राज्य कर्मचारियों को हाउस अलाउन्स मिलना चाहिये।

अब मैं थोड़ा जेलों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा। गवर्नमेन्ट ने जेल सुधार कमीशन बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। गवर्नमेंट ने कहा था कि उस पर वह विचार कर रही है, आखिर कब तक यह विचार चलेगा, उस रिपोर्ट को अब तक लागू नहीं किया गया है।

इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमेटी बनी, उसकी रिकमन्डेशन्स पड़ी हुई हैं, उसकी काफी चर्चा हुई, उस कमेटी की कौनसी रिकमन्डेशन्स मान ली, कौनसी रिकमन्डेशन्स नहीं मानी इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। उन सिफारिशों को गवर्नमेन्ट को लागू करना चाहिये था, इस दिशा में गवर्नमेन्ट को शीघ्र कदम उठाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस की ओर से जो लोगों को यातनाएँ दी जाती हैं, उनके सम्बन्ध में जितना कहा जाय वह थोड़ा है। कोई बहुत बड़ा चेन्ज अब तक हमारी पुलिस के रवैये में हुआ नहीं। भरतपुर की एक ताजा मिसाल में रखना चाहता हूँ। भरतपुर में जगन्नाथ कक्कड़ हैं, बहुत पुराने, ३० वर्ष के समाजसेवी हैं, उनको वहाँ के कोतवाली थाने में बुरी तरह से पीटा गया।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : शराब पीकर पीटा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतना पीटा गया कि उनका मानसिक सन्तुलन खराब हो गया। उन्हें किस अपराध में पीटा गया, उनको बिना किसी अपराध के जब वे अपनी लालटेन की चोरी की रिपोर्ट करने गये थे उस बिना पर पुलिस वाले नाराज हो गये और नायब कोतवाल ने उनको बुरी तरह से मारा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी भेजा था वह किन्हीं कारणों से नहीं आ सका है। मैं चाहूँगा कि इस मामले की पूरी तरह से जाँच कर-वाई जाय।

जहाँ हम पुलिस वालों के गलत कामों की आलोचना करते हैं वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कान्स्टेबल, हैड कान्स्टेबल और अल्प-वेतन पाने वाले पुलिस के कर्मचारी हैं इनकी स्थिति बहुत हमदर्दी के लायक बन गई है। न तो उनके लिये हाउसिंग का इन्तजाम है, न ठीक तरह से उनके बच्चों की देख रेख का इन्तजाम है, उनका वेतन स्तर भी कम है, उनका आप संगठन बनाने नहीं देते, जिससे कि वे एजीटेट कर सकें, अपनी माँगें रख सकें। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार आज एक इस प्रकार की कमेटी मुकर्रर करे जो जांच कर के सिफारिश करे कि पुलिस के अल्पवैतनिक कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार सुधारा जाय। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे तो जो लेप्सेज हैं, जो कमियाँ हैं, जो जन विरोधी बातें हैं, उनमें भी सुधार हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, कैदियों की शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा कट मोशन है मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय विरोधी दल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि हम एक २ लाख जनता के प्रति-निधि चुन कर आये हैं, तो कम से कम सिवाय चुनावों के सम्बन्ध में और सरकार पर दोषारोपण के और कुछ नहीं कहें, यह उचित नहीं है। दोषारोपण के अलावा ऐसी सलाह और सुझाव देने चाहिये कि जिनसे उन लोगों का भला हो, जिनके कि प्रति-निधि चुन कर यहां आये हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि जिन सदस्यों को लिया, मन्त्री-पद का लोभ दे कर अपने में मिलाया है। मैं कहूँगा कि हरियाणा और यू. पी. को आप भूल गये हैं क्या जहाँ विरोधी दलों ने सरकारें बनाई हैं, जिन सदस्यों को विरोधी दलों ने वहां अपने में मिलाया उनमें से चीफ मिनिस्टर और मिनि-स्टर बनाया है ऐसी मिसाल और कहीं नहीं मिलेगी, राजस्थान में उन सदस्यों में से किसी को मन्त्री नहीं बनाया गया है....

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह कट मोशन पर बोल रहे हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : यह कितनी बड़ी शर्म की बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे में कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार का इतना ऊंचा आदर्श है कि जितने विरोधी दल के सदस्य इसमें शामिल हुए हैं उनमें से किसी को मन्त्री नहीं बनाया गया है, यह कितने बड़े आदर्श की बात है। यह उन सदस्यों के लिये भी ऊंचे आदर्श की बात है।

अब मैं कैदियों की शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। ५०, १०, ००० की राशि का बजट आप पेश कर रहे हैं जिस में ४५, ७६, ००० प्रशासन पर खर्च करते हैं। ८ हजार निर्माण, ३६६ हजार कारागार में विभिन्न वस्तुओं पर खर्च के लिये रखा है, केवल २७ हजार नवीन खर्च के लिये रखा है, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कैदियों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिये और शिक्षा का प्रावधान इसमें जरूर रखना चाहिये। कैदियों के लिये शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा के साधन किस प्रकार के हों, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको नियमित रूप से धार्मिक पुस्तकें पढ़ानी चाहिये, उनको समाचार पत्र दिये जाने चाहिये, रेडियो सुनाने का प्रबन्ध किया जाय, जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा उन्हें फिल्में दिखाई जायं। बड़े बड़े कारागार हैं, वहां इस प्रकार की व्यवस्था है पर जिला स्तर पर, और सब डिविजन स्तर पर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं।

श्री मुकट बिहारीलाल : माननीय सदस्य इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स की चोरी में जेल गये थे, उन अनुभवों के आधार पर इस प्रकार के सुझाव दे रहे हैं क्या ?

श्री मोहनलाल मोदी : आप सदन के किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं तो सदन में प्रमाण पेश करिये। प्रमाण पेश नहीं कर सकते और इस प्रकार की गलत बातें कह कर बोलने से रोकना चाहते हैं तो इस तरह किसी को बोलने से नहीं रोक सकते। माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है, वह बिलकुल झूठ है।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द हट जाने चाहिये।

श्री शिवचरण सिंह : जो श्री मुकुटबिहारीलाल ने आरोप लगाये हैं, उनको वापस लेना चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्य का भी आश्वासन लिखा हुआ है कि जिस समय भी चाहें, मैं कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हूँ। मेरे पास सबूत है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार को कारागार के बन्दियों के बौद्धिक विकास की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। मानवीय दृष्टि से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि बन्दियों को उचित शिक्षा दी जाय और समाज के अन्दर उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति कम हो और उनके दिमाग में ऐसी अच्छी भावनायें भरनी चाहिए ताकि वे जेल से निकल कर अपराध करना बुरा

(श्री मोहनलाल मोदी)

समझें । पहले जब कोई कारागार से निकलता था तो उनके मन की भावनायें कुछ और होती थीं। पहले शर्म महसूस होती थी, वह आज नहीं होती और आइन्दा भी बुरा कर्म करने को आतुर रहते हैं ।

इसके अलावा कारागारों में पुस्तकालयों का होना आवश्यक है। अच्छा साहित्य पढ़ने से उनकी उन्नति होगी । जो बड़े–बड़े साहित्य लिखे गए हैं वे कारागारों में लिखे गये हैं। तिलक ने कर्म-रहस्य नामक जो किताब लिखी वह कारागार में ही लिखी है। कारागारों में धार्मिक फिल्म दिखानी चाहिए, जिससे वे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

राजस्थान में चाहे ए. क्लास कारागार हों चाहे सी. श्रेणी, जिला स्तर के हों या सब-डिवीजन स्तर के हों, सब जगह शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। मेरी नीम के थाने के जेलर से बात हुई थी,

(३.१२ म. प.)

(श्री केदारनाथ सभापति पदासीन)

उन्होंने कहा था कि हमारे यहां कोई शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, अगर किताबों और स्लेटों का प्रबन्ध किया जाय, तो मैं शिक्षा दे सकता हूँ। तो जिलों के अन्दर ज्यादा प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन की मांग पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान के प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी ओर में सरकार का और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान का प्रशासन दोष-पूर्ण है, इसमें बहुत सुधार की आवश्कता है । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सुधार में सत्ता-रूढ़ दल के नेता-गण बाधक हो रहे हैं । नेता-गण दिन-प्रतिदिन प्रशासकीय कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रशासन में पक्षपात और अनियमिततायें बढ़ती जा रही हैं और पक्षपात और अनियमितताओं के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है अथवा दे रहे हैं।

उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यह मानता हूँ कि कांग्रेस दल ने इस देश के लिये कई बलिदान किये हैं। कांग्रेस में बहुत सारे व्यक्ति हैं, जिनके प्रति मैं श्रद्धा और आदर रखता हूँ. लेकिन यह जनता की आम धारणा है कि आजादी के बाद अधिकतर वे लोग कांग्रेस में शामिल हुए जो भ्रष्टाचार के साधनों को अपनाकर अपना घर बनाना चाहते हैं, और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। यह सही है कि कुछ लोग कांग्रेस दल में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसलिए प्रविष्ट हुए ताकि खादी की टोपी और खादी के कुर्ते के पीछे उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेन्स मिल जाय।

(श्री फतेहसिंह)

मैंने यह बताया कि राजस्थान के शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये नेता गण जो खास तौर से जिम्मेदार हैं, उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। ये नेतागण प्रशासन में किस तरह हस्तक्षेप करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, उसके दो चार उदाहरण दूंगा।

करीब डेढ़ दो महीने की बात है। मेरे क्षेत्र में जवाजा गाँव में एक सेठ के यहां से ५३ बोरी गेहूँ की बरामद की गई। उस सेठ के पास अनाज का व्यापार करने का कोई लाइसेन्स नहीं था, जो होना चाहिए था, लेकिन उस सेठ के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई अथवा नहीं की जा रही है। इसका एक कारण यह है कि उस सेठ का भाई कांग्रेस का बड़ा नेता है और वह नेता किसी मन्त्री के मित्र कहलाते हैं। जिस तरह से यहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसी बातों से सरकार को बहुत सतर्क रहना चाहिए।

मैं एक दूसरा उदाहरण भ्रष्टाचार का देना चाहता हूँ। वह यह है कि करीब दो ढाई साल पहले की घटना है। टाटगढ़ गांव में एक औरत बच्चा देने वाली थी लेकिन वहां की अनपढ़ दाइयां बच्चा पैदा नहीं करा सकीं। इसलिए बच्चा पैदा कराने के लिए टाटगढ़ के अस्पताल में वह आई। उसको आपरेशन टेबुल पर रखा गया, वहां पर डाक्टर उनसे ५०) रु० रिश्वत मांगता है लेकिन उसके पास रुपया नहीं था, उसके पति बड़े गरीब हैं,

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से साल की बात है? क्या नाम है?

श्री फतेह सिंह : करीब दो ढाई साल की। टाटगढ़ की डिस्पेन्सरी में। मैं उसके नाम वगैरह सब आपको दूंगा। वह चांदी की कड़ियां पहनी हुई थी, आपरेशन टेबुल पर उसकी चांदी की कड़िया उतार कर और उसके पति ने उनको गिरवी रखकर रिश्वत दी और बच्चा पैदा कराया मुझे उस समय विधान सभा के सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था लेकिन मैंने भी ऊपर के अधिकारियों को लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, यह तो भ्रष्टाचार का अनुपम उदाहरण है।

मैं और भी कई उदाहरण देना चाहता हूँ। १९६२ में चीन ने जब हम पर आक्रमण किया, सारा देश चीन का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा हुआ। सुरक्षा कोष का निर्माण हुआ और सब जगह सुरक्षा कोष के लिए धन और सोने के लिए भीख माँगी जाने लगी मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। देश के लिए ऐसा करना भी चाहिये। ब्यावर में भी ऐसी समितियों का निर्माण हुआ और सोना मांगने के लिए एक उप-समिति का निर्माण किया गया। उसके संयोजक जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, लक्ष्मी मिल के तत्कालीन मालिक, श्री कुन्दनमल लालचन्द के पास पहुँचे और उनसे उनको २८ तोले की सोने की एक कन्ठी दान में मिली। वह कन्ठी सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी

(श्री फतेहसिंह)

लेकिन वहां न जाकर उसका क्या हुआ वह तो आपको बाद में बताऊंगा । इतने में पाकिस्तान का आक्रमण होता है १९६५ मे उस समय फिर सेठ के पास वही संयोजक और अन्य नेतागण पहुँचते हैं । उस सेठ ने कहा कि मैंने जो २८ तोले की कन्ठी दी थी उसका क्या हुआ ? हमको तो बताओ ? हमको तो रसीद भी नहीं मिली । नेता महोदय फक हो गए । अन्त में जब बहुत चर्चा हुई तो २८ तोले के बजाय २२ तोले की कन्ठी उन्होंने निकाल कर दी । इसकी रिपोर्ट सरकार और बड़े २ अधिकारियों को दी गई और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इसकी शिकायत ए. आई. सी. सी. को और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी गई लेकिन उस नेता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । कार्यवाही यह हुई कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया गया ।

यह बात हुई । आज यहाँ किस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को यह सरकार और नेतागण प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैंने बातें रखी । यह मैंने केवल एक पहलू को लेकर अपने विचार व्यक्त किये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे सोने के किस्से तो राजस्थान में बहुत हैं ।

श्री फतेहसिंह : राजस्थान में ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे तो और कहाँ मिलेंगे । अब मैं आपके सामने एक ताजा घटना रखता हूँ । चुनाव में सरकारी मशीनरी बड़ी निष्पक्ष थी, उन्होंने किसी तरह का पक्षपात नहीं किया । ये बातें कहीं गईं । मेरी खुद की जानकारी और आंखों के सामने की घटना है वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ । २ सितम्बर को बड़ाखेड़ा में चुनाव सभा हुई उसमें मैं भी था और कांग्रेस का उम्मीदवार भी था । उसके बाद में ११ दिसम्बर को बड़ाखेड़ा में फिर चुनाव सभा हुई । मैं भी वहीं पर था । वहाँ पर क्या होता है दो अध्यापकों ने जो मिडिल स्कूल के हैड मास्टर थे उन्होंने वहाँ पर ग्राम सभा में कांग्रेस का प्रचार किया । कांग्रेस के लिये वोट मांगे । उसकी शिकायत, उसकी रिपोर्ट मैंने शिक्षा मंत्री महोदय को, वहाँ के रिर्टनिंग आफिसर को, इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को भेजी । डायरेक्टर आफ एज्युकेशन को और एडीशनल डायरेक्टर आफ एज्युकेशन को भेजी है, जिसके मेरे पास प्रमाण हैं रजिस्ट्री से उनको भेजा गया जिसकी रसीदें मेरे पास मौजूद हैं । उसका परिणाम क्या हुआ । जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत थी जो मदनगंज किशनगढ़ में थे उनका जनवरी में तबादला ब्यावर के केन्द्र बड़ाखेड़ा में कर दिया गया । जो भ्रष्टाचार करते हैं, कानून की अवहेलना करते हैं उनकी इच्छानुसार तबादला कर दिया जाता है । वे कहते थे कि हमें तो शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री का आदेश है कि तुम कांग्रेस का प्रचार करो, तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है । यह शासन किस तरह से चलेगा श्रीमान् । आपको शासन चलाना है । आपको एक नजर से देखना है । ये मैंने दो चार उदाहरण दिये हैं क्या आप इसको

(श्री फतेहसिंह)

प्रशासनिक भ्रष्टाचार मानते हैं या ये भ्रष्टाचार नहीं।

सभापति महोदय, अभी मेरे माननीय साथी सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने कहा था और उन्होंने जस्टिस मुल्ला की रिपोर्ट का उदाहरण दिया था। उन्होंने पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में कहा था, It is every fish in the pond that stinks. ऐसा जस्टिस मुल्ला ने कहा था।

प्रशासन के हर एक कर्मचारी में भ्रष्टाचार की सडांध की बू आती है। चाणक्य ने ढाई हजार वर्ष पहले कहा था जिस प्रकार शहद के छत्ते पर बैठी हुई मक्खी स्वतः ही शहद के स्वाद को खींचती है उसी प्रकार ये राज्यकर्मचारी और नेतागण अपने स्थान पर बैठे हुए नेतागण राज-धन का दुरुपयोग करते हैं। चाहे आप मानें या न मानें लेकिन यह ध्रुव सत्य बात है। होना क्या चाहिये ? हमें इसको किस तरह से मिटाना है यह सोचने की बात है। आपने विजीलेन्स कमीशन का गठन किया, एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट पहले से है। मेरा तो यह मानना है कि एन्टी-करप्शन विभाग करप्शन को प्रोत्साहन दे रहा है। मेरी खुद की जानकारी है जिसे में मुख्य मन्त्रीजी को बताना चाहूँगा। हालांकि वह किस्सा खत्म हो गया तो भी उसी का मैं जिक्र करूंगा।

गेगल पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में एक आदमी का कत्ल हुआ। उसके सिलसिले में कुछ आदमियों की गिरफ्तारी हुई। इनवेस्टीगेशन अधिकारी जो था उसने मुलजिम से रिश्वत ली। उसके बाद में उन्होंने उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो मृतक के रिश्तेदार थे। मैं उस वक्त मृतक के जो रिश्तेदार थे उनकी तरफ से वकील था। मुकदमा आगे चला, सेशन्स कोर्ट में गया। उस समय हमारे यहां जी० एम० मेहता सेशन्स जज थे। मुलजिम को बरी किया गया। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इसमें इनवेस्टीगेशन आफिसर ने सारे मामले का बंगलिंग किया है मृतक के रिश्तेदारान को परेशान करने के लिये। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। दस-पन्द्रह दिन तक उसको सस्पेंड जरूर रखा गया। चूंकि वे किसी बड़े नेता के रिश्तेदार थे उनको वापिस सर्विस में ले लिया गया।

सभापति महोदय, राजस्थान सतर्कता आयोग का प्रथम प्रतिवेदन हमें कल ही प्राप्त हुआ था, इसलिये उस सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक कहना नहीं चाहता लेकिन इसको देखने पर यह मालूम हुआ कि ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और पंचायत समितियों को इस सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है। सही बात तो यह है कि पंचायत समितियों, ग्रामपंचायतें, आदि के जरिये विकास योजनाओं के लिये जो पैसा मिलता है जो इनके माध्यम से खर्च होता है इनके जरिये इस सारे करप्शन का विकेन्द्रीकरण हो गया है। ऐसा यह इधर और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य मानते हैं। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से कहूँगा यह जोसतर्कता

(श्री फतेहसिंह)

आयोग का प्रथम प्रतिवेदन दिया गया है और जो आरक्षी विभाग की रिपोर्ट आयी है ६६–६७ की वह तो आधा घण्टा पूर्व ही हमको मिली है, इसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है इसके बारे में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। मैं अब सरकार को कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूँ, केवल बातों से काम नहीं होने वाला है।

पहला सुझाव मेरा यह है कि जिन बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मंत्रियों पर या विधान सभा सदस्यों पर आरोप हैं, बड़े बड़े राजकर्मचारियों या नेताओं पर आरोप हैं उनकी जांच के लिये एक जुडिशियल कमीशन की नियुक्ति करिये। आपको यह मालूम होगा कि जब संयुक्त दल का निर्माण हुआ था उसने सत्रह सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया था। हमारे दल ने उसमें यह भी प्रावधान रखा था कि अगर हमारा शासन बनता है और हमें उधर बैठने का मौका मिलता है जहां आज आप बैठे हुए हैं हम जुडिशियल आयोग की स्थापना करते और इन आरोपों को निष्पक्षता से जाँच कराते। यहां पर अभी चर्चा हुई थी और पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी कि मुख्य मंत्री महोदय पर सादड़ा के सोने के बारे में आरोप हैं। यह आरोप संसद में भी लगाये गये। मैं तो यह कहूँगा अगर मुख्य मंत्री जी खुद ही इस प्रकार की इन्क्वायरी कमीशन बिठा देते जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनको खुद को इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करना चाहिये था जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती और कानून की प्रतिष्ठा भी बढ़ती।

दूसरा मेरा सुझाव यह है। लोग विधान सभा के सदस्य बन जाते हैं धन उपार्जन करते हैं गलत तरीके से। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूँ। आप इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था करिये जिससे हरेक विधान सभा सदस्य जब से चुनकर आता है या मंत्री या बड़े अधिकारी वे सब अपनी चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सरकार को दें ताकि समय आने पर मालूम हो सके कि कहीं भ्रष्टाचार के साधनों का अवलम्बन करके तो इन्होंने कहीं धनोपार्जन नहीं कर लिया। इनके बारे में कई लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं कि जब तक विधान सभा सदस्य नहीं बना यह साधारण व्यक्ति था आज डिप्टी मिनिस्टर बन जाने पर या विधान सभा सदस्य बन जाने पर फीएट कार खरीद ली, बच्चों की शादियों में हजारों रुपया खर्च कर देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता ऐसे भी कई लोग हैं। अगर सब की चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा मिल जाय तो जनता के सामने कह सकते हैं कि इनके पास पहले से ही इतनी सम्पत्ति थी और आपके आरोप निराधार हैं।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि हमको जनता को विश्वास में लेना चाहिये। छोटे पैमाने पर नहीं कम से कम जिला स्तर पर विजीलेन्स कमेटी का गठन करना चाहिये जिसमें आफिसियल नोन आफिसियल दोनों का सहयोग प्राप्त हो। जब तक आम

(श्री फतेहसिंह)

जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा मंत्रि-मंडल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके द्वारा राजस्थान के शासन का भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। आप इस तरह की कमेटी का गठन करिये हम हर तरह से सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

और एक सुझाव यह भी है जो पार्टी की नीति से सम्बन्ध रखता है। भ्रष्टाचार फैलता जाता है क्योंकि फ्री ट्रेड नहीं है ट्रेड पर प्रतिबंध है। कन्ट्रोल और लाइसेन्स की व्यवस्था चल रही है। यदि आप फ्री ट्रेड कर दें,

(३.३० म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कन्ट्रोल और लाइसेन्स की व्यवस्था को समाप्त कर दें तो फिर यह भ्रष्टाचार काफी हद तक राजस्थान के प्रशासन से ही नहीं भारत के प्रशासन से भी खत्म हो जावेगा।

श्रीमान्, एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे इस राजस्थान के प्रशासन में आवश्यकता है कि हम बदमाशों, ब्लेक मार्केटियरों और चोर बाजारी करने वालों पर विजिलेन्स रखें। यहां पर उल्टी बात हो रही है, उल्टी गंगा बह रही है। यहां विजिलेन्स रखा जाता है विधान सभा के सदस्यों पर, ईमानदार आदमियों पर। मैं एक नई नई बात बताता हूँ। कल ब्यावर गया तो मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ कि मेरे आवागमन पर, मेरे मकान पर कौन आता है और कौन जाता है उसकी भी जानकारी रखता है पुलिस विभाग। यदि आपके इस प्रकार के आदेश हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह मेरा ही नहीं बल्कि इस सदन का भी अपमान है।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है और आपके ऊपर कोई निगरानी रखता है आप मुझे बतायें मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री केसरीसिंह : बिना आदेश भी जाते हैं।

श्री फतहसिंह : मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मैं केवल दो ही शब्द कहूंगा। चुनाव के दिनों में जरूर आपको सतर्कता रखनी है, आपको राजस्थान का शासन चलाना है, लॉ एन्ड ओर्डर मेन्टेन करना है।

श्री भैरोंसिंह : जो चिट्ठियाँ आती हैं उनको भी सेन्सर करके भेजते हैं। और इस बुरी तरह खोलते हैं कि कागज भी फट जाता है और लिफाफा भी फट जाता है। प्रमाण के लिये तो अभी लाया नहीं हूँ। विधान सभा के पते पर मेरे खुले हुए पत्र आये हैं और उनको मैंने विधान सभा के अध्यक्ष महोदय को दिखाया है।

श्री फतेहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक और जानकारी देना चाहता हूँ। चुनाव के दिनों में मैंने मेरी पार्टी के नेता महारावल और महारानी साहिबा को पत्र लिखा और पत्र लिखने के दूसरे ही दिन मुझे ब्यावर में अन्य लोगों से जानकारी मिल जाती है कि उस पत्र में क्या लिखा गया है। मैंने खुद ने टाइप किया था और पोस्ट किया था। महारानी और महारावल साहब को नहीं मिलता है पत्र उसके पहले ही उस पत्र की जानकारी दूसरे पक्ष को मिल जाती है। किसी तरह का नेतिक आचरण तो होना चाहिये यह भी आप नहीं जानते। आपके शासन को क्या फतेहसिंह पलटने वाला था ? निस्संदेह फतेहसिंह ने आपके शासन को पलटने का व्रत लिया है और वह प्रजातन्त्रीय तरीकों से ही पलटेगा अन्य तरीकों से नहीं।

इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह आपका कर्त्तव्य है, आपका धर्म है कि आप राजस्थान के प्रशासन से भ्रष्टाचार को खत्म करें जिससे आपको यश मिलेगा और अगर आप इसको खत्म नहीं करते हैं, किसी के लिहाज में आते हैं तो मैं यह समझूंगा कि आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। गीता में भी उल्लेख है :

तुम धर्म के अनुकूल रण से
जो हटे पीछे कभी।
निज धर्म खो अपकीर्ति लोगे
और लोगे पाप भी ।।
अपकीर्ति गायेंगे सभी फिर
अमिट अपमान से।
अपकीर्ति, सम्मानित पुरुष
को अधिक प्राण प्रयान से।।

उपाध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्टाचार के कारण राजस्थान की जनता बड़ी दुखी हो रही है और वह त्राही त्राही कर रही है। यह दुःख ऐसा है जिसको राजस्थान की जनता अब बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए मैं पुनः मुख्य मंत्रीजी से और उस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से और मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि आप अगर अपने शासन को ठीक तरह से चलाना चाहते हैं और जनता के दुःखों को दूर करना चाहते हैं तो आप इस भ्रष्टाचार को खत्म करिये। नहीं तो आपकी व आपके राज्य की भी वह स्थिति होगी जैसा तुलसीदासजी ने कहा है :

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवस नरक अधिकारी।

इसलिये यदि आप नरक से बचना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को समाप्त करिये वर्ना आपका व आपके शासन का नाश होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में पुलिस स्टेशन पर होने वाली अनियमितताओं की ओर निवेदन किया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस स्टेशन पर जो कोई मुकदमा या कोई मामला दर्ज कराने जाता है तो लोग वहाँ से लौटते हैं, दुःखी होते हैं, परेशान होते हैं और उनको

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

फटकार मिलती है। ऐसी बातें हर रोज हर थाने पर मिलती हैं और गरीब लोगों के लिये कोई ऐसा चारा नहीं है कि उनकी सुनवाई हो सके। दबाव से कोई मामला दर्ज होता हैं तो उसके लिये वे यह करते हैं कि जो बात वह कहता है कि हमारे साथ यह दुर्घटना हुई तो उसको हल्के जुर्म मे दर्ज करते हैं। फरियादी जो दर्ज कराने जाय कम से कम उसके हस्ताक्षर लिये जायं और उसको वह मामला जो लिखा गया है सुनाया जाय।

जितने मामले दर्ज होते हैं वे लूज पेपर पर लिख लेते हैं ताकि दूसरे-तीसरे दिन जैसा चाहे वैसा करें। पुलिस स्टेशन पर जो हैड कोन्स्टवल या थानेदार होते हैं वह उन लोगों को टालते हैं और टालने के बाद जो भी कार्यवाही होती है ऊपर की ऊपर रहती है और वे मामले का चालान नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार करते हैं और लोगों को तंग करते हैं और जैसा वे चाहते हैं वैसे मामले दर्ज करते हैं और चालान करते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं होती हैं। अकलेरा से माननीय सदस्य विट्ठलप्रसादजी आये हैं उन्होंने यहां प्रश्न किया है। ऐसा मामला आया कि एक आदमी को एक्साइज वालों ने पकड़ा, इतना मारा उसको कि वह मर गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट द्वारा वह मामला चलाया गया जो आपके सामने आयगा। झालरापाटन में भी कोऑपरेटिव बैंक के चपरासी का १८ साल का लड़का ट्रक पर नौकरी करता था। वह ट्रक से मर गया था। दो महीने बाद उसकी रिपोर्ट हुई। उसे कहा गया कि दिल्ली गया है, पंजाब गया है। छः महीने इस तरह से निकाल दिये काफी लिखा-पढ़ी की। आदरणीय मुख्य मन्त्री को भी लिखा लेकिन आज तक उस केस में क्या हुआ यह पता नहीं चल सका। उसका बूढ़ा बाप मर रहा है और रो रहा है। इस तरह से गरीबों के साथ काफी तादाद में हरकतें होती हैं। उनकी कोई सुनाई नहीं होती हैं। जाते हैं तो कहते हैं कि केस थानेदार के पास है। तहकीकात में महीनों लेते हैं। पैसा जिसमें मिल जाता है वह कार्य शीघ्र होता है। इसलिये इस प्रकार की जो ज्यादती हो रही है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो पुलिस के चुंगुल में फँसते हैं वे पैसा देकर निकल जाते हैं। आये दिन पुलिस स्टेशन पर चर्चायें होती हैं। काफी लिखा-पढ़ी की गई परन्तु कुछ नहीं हुआ। इस तरह से हर थाने पर यह शिकायत होती है कि ऊपर वाले पांच हजार दस हजार रुपया लेते हैं। पुलिस स्टेशन द्वारा हमारी रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये वहाँ हमारी रक्षा न होकर जनता के साथ कितनी ज्यादाती हो रही है। पुलिस के लिये यह नहीं सोचा जा रहा है कि किस प्रकार से इन ज्यादतियों का निराकरण होगा और गरीब जनता कैसे बचायी जा सकेगी। इस बारे में व्यवस्था होनी चाहिये यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द जाटव !

श्री गोकुलचन्द (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस पर मेरा कटौती प्रस्ताव है। खैरथल

Page No.128

(श्री गोकुलचन्द)

मन्डी है जो हरियाणा के बोर्डर पर है यह एक अच्छी मन्डियों मे से है। वहां पर अच्छा व्यापार चलता है। मेरा भी अभी गई बार ही सम्पर्क ६७ में बना लेकिन सब जानते हैं कि वहां पर लोग आतंकित रहते हैं। किसी भी समय चोर डाकू आ सकते हैं। इनके भय से आक्रान्त लोगों ने दर्खास्ते मुख्यमन्त्री जी को भी भेजी हैं। उसकी प्रतिलिपि मुझे भी मिली है। तो इस ओर उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मे गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि उस इलाके की सुरक्षा के लिये खैरथल मन्डी की पुलिस चौकी को सुरक्षा के लिए सशस्त्र बनाया जावे। पता नहीं वहां किस समय क्या हो जावे। लोग भयभीत हैं। मैं समझता हूं इतना ही कहना काफी होगा कि इसके लिए आवश्यक ठोस कदम उठाएं।

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

सबसे पहले में भूतपूर्व नरेशों के महलों पर पुलिस गार्ड के खर्चे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। ६५-६६ में यह ४,२१,७९२) था। इसके बाद ६६--६७ में ४,६२,०००) हो गया इसके बाद रिवाइज्ड ५,२८,०००) का हो गया और इस साल ६ १३.०००) का है। तो समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो जनता की मांग यह चल रही है कि भूतपूर्व नरेशों के जो विशेषाधिकार हैं वे धीरे-धीरे कम होने चाहिये और दूसरी ओर आप उनका खर्चा बढ़ा रहे हैं तो यह जनता की मांग के विरुद्ध है। सरकार इसके बारे में कदम उठावे।

दूसरे कटौती प्रस्ताव में लूणाकरनसर कस्बे में दो बहुत बड़ी चोरियां हुई। एक में सन् ६६ में ३० हजार की चोरी हुई दूसरी १५ हजार के जेवरात की चोरी हुई। और दोनों अनट्रेसेबल चली गईं। आज तक के पचास वर्ष के इतिहास में इतनी बड़ी चोरियां वहां नहीं हुईं। इसके बाद भी पुलिस ने एफर्ट्स नहीं किये। इसलिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दो चोरियों से वहां व्यापारी वर्ग में बड़ी खलबली मच गई है। इन का पता लगाया जाना चाहिये।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष जी, आम तौर से जनता में चर्चा रहती है कि विभाग के पास वेहिकल हैं उनका दुरुपयोग होता है। इसके बारे में विधान सभा में भी आवाज उठाई गई थी। इस दुरुपयोग को रोकने का एक उपाय यह भी हो सकता है कि उनकी सारी जीपों का वेहिकलों का पूल कर दिया जावे और जब जिस विभाग को जरूरत हो तुरन्त दे दी जावे। कुछ हद तक इससे दुरुपयोग में रुकावट आवेगी और खर्चे में भी बचत होगी।

एक कटौती प्रस्ताव प्रशासन सुधार के बारे में भी है। इस बारे में सुधार समिति सरकार ने नियुक्त की थी। उसने रिपोर्ट पेश की। उसमें कई सुझावों के साथ एक

Page No.129

(श्री भीमसेन)

सुझाव यह भी दिया कि सामान्य शिकायतों के निराकरण के लिये जिला स्तर पर जन-प्रतिनिधियों की एक कमेटी होनी चाहिये और उसको उनकी शिकायतें सुनने और उन्हें निराकरण कराने के अधिकार होने चाहिये। अगर ऐसी व्यवस्था कर पावेंगे तो आम जनता को सन्तोष मिलेगा इससे वहां के सरकारी अधिकारियों पर चेक भी रहेगा। इसको सरकार को मान्यता देनी चाहिये।

यही मेरे तीन-चार कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : मेरे कटौती प्रस्ताव में पुलिस के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जिक्र है। देश के प्रत्येक राज्य में पुलिस की संख्या आबादी के अनुसार होती है। हमारे राजस्थान को सात सौ मील की पाकिस्तान के साथ लगी बोर्डर भी है। इतना बड़ा प्रान्त है, काफी बड़ा क्षेत्रफल भी है, दो करोड़ की आबादी भी है पर पुलिस का अनुपात देखें तो राजस्थान की पुलिस पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के मुकाबले में बहुत कम संख्या में है।

आप देखेंगे कि पंजाब में जहां पर हमारे प्रान्त के बाराबर ही जनसंख्या है २१६ लाख वहां पुलिस की संख्या ३४ हजार के लगभग है और यहां २६०४० ही है। फिर हमारा इतना बड़ा बोर्डर भी है।

श्री भीमसेन : बोर्डर पुलिस के अलावा ये आंकड़े है। आर. ए. सी. अलग है।

श्री शिवचरणसिंह : अलग नहीं है, श्रीमान्।

श्री रामकिशन : आप तो खुद स्तीफा दे आये।

श्री शिवचरणसिंह (महुवा) : में बैठा तो हूं आपके पास।

श्री रामकिशन : हमें जरूरत है रक्षा करने की, तंग क्यों करते हैं।

श्री शिवचरणसिंह : मैं अर्ज करूं हमारे यहां पुलिस विभाग में पे ग्रेड बहुत कम हैं। एक कान्स्टेबल की ग्रेड ५५-१-७० है। वे थर्ड ग्रेड एम्पलोयीज माने जाते हैं। हैड कान्सटेबल की ७०-२-१५० है। अन्य राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के मुकाबले में बहुत न्यून है।

पुलिस की भ्रष्टाचार की बातें की जाती हैं। मै निवेदन करूंगा कि जब भर पेट रोट नहीं मिलेगी उसको, और फिर किसी प्रकार के दूसरे रास्ते को वह अपनाता है तो इसे अनैतिकता की दृष्टि में नहीं मानता। अगर पुलिस को इस भ्रष्टाचार को मिटाना है तो पे ग्रेड रिवाइज करनी होगी। नीचे से ऊपर तक के नौजवान को भर पेट वेतन मिलेगा तो फिर उनके बारे में शंका नहीं की जा सकती। आज आप नहीं कह सकते कि वे ईमानदार नहीं है या चरित्रवान नहीं हैं।

(श्री शिवचरणसिंह)

आज हमारे यहाँ पर पुलिस में इस प्रकार की व्यवस्था है कि नीचे के तबके के लोग हैं उनके कामों के बारे में तो पूरी सख्तियां, और पाबन्दियां हैं जब कि ऊपर रेंक में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, सुपरिन्टेन्डेन्ट के रेंक में जिनका बहुत कुछ काम सुपरविजन का है, सख्तियां और पाबन्दियां बहुत कम हैं।

कानून में इस रेंक के लिये व्यवस्था है कि एस० पी० एक साल भर में कम से कम ६ केस इन्वेस्टिगेट करेगा। सी० ओ० श्री सरटेन केसेज को इन्वेस्टीगेट करेंगे। पर उनकी तरफ से होने वाले इन्सपेक्शनों में इन्वेस्टिगेशनों में किसी बात पर एक्शन नहीं होता। किसी सुपरिन्टेन्डेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया हो या नहीं किया हो यह देखने वाला कोई नहीं है। किसी सी० ओ० ने स्पेशल केस इन्वेस्टीगेट किये या नहीं किये यह देखने वाला कोई नहीं। आज यह परम्परा चली आ रही है कि सी० ओ० और एस० पी० के केडर के लोग केसों के इन्वेस्टीगेशन में कतई दिलचस्पी नहीं लेते। सब-इन्सपेक्टर लेवल पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। अगर वे स्वयं इन्वेस्टीगेट करने लगें तो केसों में इन्वेस्टीगेशन में सुविधा होगी एफीशियेन्सी आवेगी और केस भी अधिक सफल होंगे।

हमारे यहाँ डकैतियों की भी चर्चा होती है। मैं स्पष्टतया अर्ज करूंगा कि यह डकैतियों की समस्या पाकिस्तान बोर्डर की हो या धौलपुर की हो, इसके पीछे सोशियल इकोनॉमी कारण हैं। मध्य प्रदेश के पास चम्बल रेवीन वाला १२ मील का एक बेल्ट है इनमें हजारों वर्षों के सामाजिक संस्कार रहे हैं लोगो में। वहाँ डकैत परम्परा रही है। तो मैं अर्ज करूंगा कि अगर इस समस्या को हमें हल करना है तो इसमें हमें सामाजिक तौर से सुधार की व्यवस्था करनी चाहिये। वहाँ के लोगों को रोजगार धन्धों में लगाना होगा। ऐसी एजेन्सियां क्रीएट करनी होंगी जो जीवन यापन की उपयुक्त सामग्री उन लोगों को मुहय्या कर सके, गरीबों की उनकी हालत बदल सके, पेट भर कर खाना उनको आजीविका के साधनों के द्वारा मिल सके।

मैं अर्ज करूं कि इन सारी जगहों पर डकैत प्रॉब्लम को प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण कारण पुलिस के द्वारा होनेवाली ज्यादतियां भी हैं। किसी मामूली केस में भी अगर कोई वहाँ का व्यक्ति मफरूर होता है तो गिरफ्तार करके अत्यन्त बुरी तरह से उसे परेशान किया जाता है। तो इसके डर से पुलिस के हाथ में जाने के बजाय जंगल की शरण लेना वे ज्यादा पसन्द करते हैं और मजबूरन डकैती द्वारा जीवन-यापन करना पड़ता है।

तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि वहां की पुलिस के भी थोड़ा लिबरल होना चाहिए। जहाँ इस प्रकार की मनोवृत्ति हो वहाँ पुलिस आफिसर्स को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। वहां की आर्थिक

(श्री शिवचरणसिंह)

स्थिति को सुधारने के लिए कुछ मेजर्स एडॉप्ट करने चाहिए।

इसी तरह से हमारा पाकिस्तान बोर्डर का सारा इलाका है वहां पर ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां पर प्री-पार्टीशन के वक्त से ही दोनों ओर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और वहां पर कुछ पीर हैं और उन पीर के नीचे उधर की तरफ भी जो लोग हैं वह मुरीद हैं, और इधर के लोग भी मुरीद हैं, और धार्मिक परम्पराओं के अन्तर्गत लोगों का इधर-उधर जाना-आना है क्योंकि इधर की साइड में हमारी तरफ पॉपुलेशन बहुत कम है और फर्टीलिटी नहीं है और अनाज की पैदावार भी नहीं है और उधर की साइड में कैनाल एरिया है और कैनाल एरिया होने की वजह से वहां अनाज काफी पैदा होता है और अनाज की कीमत बहुत सस्ती रहती है। बारिश के दिनों में वहां के लोग अपने मवेशियों को इधर राजस्थान की टैरीटरी में भेज देते हैं क्योंकि यहां बहुत बड़े ग्रेजिंग चान्सेस मिलते हैं, तो वहां बोर्डर का रूटीन था कि जब असाढ़, सावन, भादों, क्वार और कार्तिक के महीने होते थे तो पाकिस्तान के मवेशी हमारे हिन्दुस्तान में आते हैं और ५-६ महीने यहां के लोग मवेशियों को चराते हैं और कार्तिक के बाद जब अगहन का महीना आता है उस महीने में क्योंकि हमारे यहां गेहूं की फसल कटती है तो इधर के मवेशी सारे पाकिस्तान में चले जाते हैं क्योंकि तब वहां पर दूब पैदा होती है और वहां के बड़े बड़े जमींदार हैं वह कैटल ब्रीडर्स को इन्वाइट करते हैं क्योंकि इससे उनके खेतों को खाद मिलती है। तो जो वहां पर बोर्डर के आसपास केसेज होते हैं उनका भी एकमात्र कारण यही है कि वहां पर बोर्डर के ऊपर हमारी एडीक्वेट फोर्सेस नहीं हैं। वहां पर ८ बटालियन आर० ए० सी० की हैं और कुछ और हैं तो वह फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि जो हमारे बोर्डर को प्रोटेक्ट कर सके। मैं अर्ज करूं कि बोर्डर पर आज ऐसी-ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां कि दो-दो सौ मील का गैप है, कहीं ६० मील का गैप है और आपकी पैट्रोलिंग व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वह पूरी तरह से गार्ड कर सके। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि बोर्डर पर अधिक से अधिक फोर्स लागाई जाय और जो धार्मिक परम्पराओं के अन्तर्गत जो पीरों के मुरीद हैं, अधिकांश मुसलमान लोग हैं जो वहां आते-जाते हैं वह उनका आना-जाना रोकना चाहिए जिससे कि पाकिस्तानियों का आना-जाना बन्द हो और इस आने और जाने के बीच में क्या होता है कि कैटल लिफ्टिंग की वारदातें होती हैं, और हमारा उनसे सम्पर्क बनता है, और हमारी सीक्रेसी लीक होती है और हमारी फोर्सेस की पोस्टिंग की इनफर्मेशन भी उन लोगों को मिलती है।

इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां पुलिस में प्रमोशन्स के मामले में बड़ी धांधली होती है। मैं अर्ज करूंगा कि आर० ए० एस० और आर० पी० एस० के प्रमोशन के तो रूल्स हैं कि उनकी कमेटी होती है और वह पी० एस० सी० करती है लेकिन लोअर केडर के प्रमोशन के लिए जो कमेटी होती है वह डिपार्टमेन्टल ऑफिसर्स

(श्री शिवचरणसिंह)

की ही होती है। अगर हमारे ऑफिसर किसी थानेदार से प्रिजुडिस हो जाते हैं तो यह निश्चित बात है कि थानेदार को प्रमोशन नहीं मिल सकता क्योंकि लोअर केडर का प्रमोशन एन्टायरली सीनियर ऑफिसर्स की व्हिम्स पर चलता है और य भी देखने में आता है कि प्रमोशन्स में इस तरह की परम्परा चलती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोअर लेवल पर प्रमोशन्स हैं उसके लिए भी एक कमेटी बना दी जाय जिसमें डिपार्टमेन्ट के ऑफिसर्स न होकर इन्डिपेन्डेन्ट लोग हों और यह प्रमोशन्स इन्डिपेन्डेन्ट बाडी के माध्यम से होने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि आप देखेंगे कि जो आई० पी० एस० और आर० पी० एम० ऑफ़िसर्स हैं उनकी एक एसोसियेशन है और उसकी रेगुलर मीटिंग होती है, और ऑफ़िसर्स लोग उसमें प्रस्ताव पास करते हैं और अपनी सुख-सुविधा और आराम के सजेशन्स देते हैं। लेकिन बड़े खेद की बात है कि जब नॉन-गजेटेड पुलिस आफ़िसर्स की यूनियन की बात होती है तो वहां लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह से आई० पी० एस० और आर० पी० एस० ऑफिसर्स के लिए एसोसियेशन है और उसके रूल्स हैं उसी तरह से हमारे नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिए भी चाहे वह एसोसियेशन हो या यूनियन हो उनको बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। ताकि वह अपने ग्रीवान्सेज को और अपनी तकलीफों को और दिक्कतों को आप लोगों के सामने रख सकें और, प्रकट कर सकें। आज आप देखेंगे कि एक पुलिस कान्सटेबल का काम कितना सख्त है। ८ घन्टे की ड्यूटी देने के बाद उनको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं दिया जाता है। हिन्दुस्तान में दूसरी जगहों पर फैक्टरी एक्ट लागू होता है, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होता है, लेकिन पुलिस का कर्मचारी ऐसा है जो इतनी देर ड्यूटी देता है और आप उसको कुछ नहीं देते। आप कभी उसके लिए ओवरटाइम की बात नहीं सोचते। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आपके यहां आरक्षी के लोग हैं उनकी ड्यूटीज इतनी हार्ड हैं और फिर भी आप उनको कोई विशेष भत्ता नहीं देते हैं। इस सदन के अन्दर भी आज पुलिस विभाग के लोग काम करते हैं, उनके लिए यहां असेम्बली की तरफ से विशेष प्रावधान होना चाहिए। वह जो बेचारा ८ घन्टे से अधिक परिश्रम करता है और जो उनको १०-१२ आना असेम्बली की ओर से मिलता है उसके अलावा उनको स्पेशल अलाउन्स आदि की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से पुलिस कर्मचारियों को ओवरटाइम देना चाहिए ताकि वह अपने काम को ठीक तरह से कर सकें और अपने काम में दिलचस्पी ले सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं अर्ज करूंगा कि

Page No.133

(श्री शिवचरणसिंह)

आजकल आई ए० एस० और आई० पी० एस० का वही ग्रेड है जो कि पहले आई० सी० एस० का होता था। आप देखेंगे कि उस समय जो आई० सी० एस० ऑफिसर्स थे वह अपने साथ में दो-दो तीन-तीन बैरे, कुकर्स, वाशरमैन और अटेन्डेन्ट्स रखते थे और उनका काफी ऊंचा रहन-सहन था। उनसे उस रहन-सहन को देखते हुए ही यह पहले की ग्रेड्स हिन्दुस्तान बना उसके बाद में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० को वही ग्रेड दी गयी और इनको वही वेतन श्रृंखला दी गयी, लेकिन आज आप चाहें किसी को भी देखें चाहे वह चीफ सेक्रेटरी हो, कलेक्टर हो या कोई भी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० ऑफिसर हो कोई भी व्यक्तिगत नौकर नहीं रखता। सबके यहां सरकारी क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स काम कर रहे हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी की कोई ४५ चिट्ठियां देखीं कि जिनमें लिखा है कि कलेक्टर अपने घरों पर क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स से काम नहीं लेगा, और कोई भी नहीं लेगा, लेकिन खेद की बात है कि कलेक्टर, एस० डी० एम० अपने घरों पर चपरासियों से काम लेते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे मालूम होता है कि नियमों की पालना में ढिलाई होती है। तो मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप चपरासियों की सेवाओं की सुविधा लेना चाहते हैं तो इनकी पे ग्रेड्स रिवाइज कीजिए। जबकि यहां ब्रिटिशर्स थे और आई. सी. एस. ऑफिसर्स थे वह जिस प्रकार से खर्च करते थे और जिस प्रकार के स्टेन्डर्ड से वह रहते थे उसी प्रकार के स्टेन्डर्ड को मेन्टेन करने के लिए यह जरूरी था कि यह पे ग्रेड्स मिली लेकिन जब आज के ऑफिसर्स उस स्टेन्डर्ड को मेन्टेन नहीं करते, उस तरीके से नहीं रहते तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाहे वह कोई भी ऑफिसर हो उनको या तो पाबन्द किया जाये कि वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कतई काम नहीं लेगा और अगर लेगा तो दूसरे नौकर अपने निजी रखेगा, वर्ना उनको पाबन्द कर देना चाहिए कि जो रखेंगे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे में अर्ज करूंगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। समय काफी हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर जिस समय पाकिस्तान का सन् ६५ के अन्दर हमला हुआ था तो उस समय राजस्थान की पुलिस को यह मालूम था कि राजस्थान के अन्दर किन-किन स्थानों पर अनुचित ढंग से वायरलैस सैट्स रखे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन्

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

६५ के अन्दर ५-७-६५ को राजस्थान की पुलिस को सूचना मिली कि अजमेर का एक पोलिटिकल सस्पेक्ट यूसुफ मियां जो कि दरगाह का दीवान है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैंने पहले व्यवस्था दी थी कि व्यक्तिगत नाम आप इस तरह से नहीं ले सकते जब तक कि पूर्व सूचना नहीं हो। क्योंकि जब आप किसी का नाम लेते हैं तो उसके बारे में सरकारी पक्ष की ओर से जवाब नहीं दिया जा सकता और ऐसा नहीं होने पर उस व्यक्ति के बारे में जो चर्चा की जाती है वह बिलकुल एक-तरफा रह जाती है।

(४.० म० प्र०)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन आदमियों के नाम बता रहा हूँ जिन्होंने अनुचित ढंग से वायरलैस सैट रखे।

श्री उपाध्यक्ष : तोप ही रखी हो, जो नियम हैं उनके अनुसार ही बहस होगी उसके अलावा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : नियमों में कहाँ लिखा हुआ है कि इस विधान सभा के सदस्य के द्वारा सरकारी अधिकारियों के अलावा किसी पर आरोप लगाए जायं तो उनकी पहले सूचना दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में लिखा हुआ है, आप देखिए। मैं कह रहा हूं आपको।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब....

श्री भैरोंसिंह : अगर डाकुओं के हमले के बारे में यहाँ पर कहना हो तो क्या पहले उस डाकू को लेटर लिखें कि श्रीमान विधान सभा में पधारिये आप, हम बोलने वाले हैं आपके खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा जरूरी नहीं है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): आपकी ही कुर्सी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो पाकिस्तान को फेवर करता हो और उससे विधान सभा को ही उड़ा देने का खतरा हो, तो भी उसका नाम नहीं ले सकते ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर !! इसमें मैंने ही या आसन ने यह कभी भी व्यवस्था नहीं दी कि किसी का नाम लेकर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है। चर्चा बिल्कुल किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि अगर ऐसे शब्दों को प्रयोग में लाया जाय जो मानहानिकारक हों या वह इस तरह के आक्षेप लगाये जायं जो किसी जुर्म की परिभाषा में आते हों, तो उसकी पूर्व सूचना दी जाय ताकि सरकारी पक्ष की ओर से अगर कार्यवाही करनी हो

(श्री उपाध्यक्ष)

तो कार्यवाही की जा सकेगी और उसके बारे में जानकारी जो कुछ भी दे सकें, वह दी जा सके। इसका आशय इतना ही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उनके साथ दूसरा व्यक्ति मनवर हुसैन जो कि राजस्थान ट्रक कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में दूकान चलाता था, वह भी था। उन्होंने अनुचित ढंग से अजमेर के अन्दर इन्दरकोट के पास महादेवजी के मन्दिर से कुछ आगे, पहाड़ी की चोटी पर एक स्थान है वहां पर अनुचित ढंग से वायरलैस सैट लगा रखा था और उसके साथ में मनवर हुसैन...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप बारबार व्यवस्था का उल्लघंन कर रहे हैं आप जिस बात को कहना चाहते हैं उसका नाम लिए बिना भी रेफरेंस के तौर पर कह सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा कटौती का प्रस्ताव है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है जो कटौती का प्रस्ताव है वह मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आपके जो कटौती के प्रस्ताव हैं उन पर ही अगर आप कहें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो कटौती के प्रस्ताव नहीं है उनके बारे में बहस होगी तो उनका जवाब नहीं दिया जा सकता और जब तक....

श्री भैरोंसिंह : जवाब नहीं दें तो यह गवर्नमेंट के सोचने की बात है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जहां भारत की सुरक्षा का प्रश्न हो वहां कितनी ही व्यवस्था क्यों न हो, जहां देश की सुरक्षा का सवाल हो, राजस्थान की सुरक्षा का सवाल हो वहां कितनी ही नियमों की पाबन्दी हो, सदन के मेम्बर को अधिकार है वह उस सूचना को सदन में रखे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अर्ज कर दूं कि जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है उस प्रश्न पर तो यहां चर्चा भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा का अधिकार भारत सरकार का है उसका बजट वहां से होता है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): भारत सरकार अगर हमारे देश को कुए में झोंक देगी तो हम नहीं झोंकने देंगे।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है भारत सरकार के विभाग इसमें काम करते हैं जिनको गिरफ्तार करने का राज्य की पुलिस को अधिकार है उनके बारे में यहां कहा जा सकता है, लेकिन उसमें भी पाबन्दी एक है कि उनका नाम लेकर यदि आप कहें तो उसके बारे में पूर्व सूचना होनी चाहिए ताकि अगर वे एक्शन लेना आवश्यक समझेंगे तो एक्शन लेंगे और अगर उसकी राज्य सरकार को जानकारी होगी तो....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री खेतसिंहजी ने कहा कि जोधपुर का कलेक्टर शाम को चार बजे दफ्तर में आता है तो आपने अलाऊ क्यों किया ?

श्री उपाध्यक्ष : नाम नहीं लिया था उन्होंने, नाम लेते तो मैं रोक देता। मैं अच्छी तरह से सुन रहा था उनकी बात को।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर वहां का तो एक ही होता है। जब तहसीलदार का नाम लिया जाता है और उसको तहसीलदार कह कर चर्चा की जाती है तो फिर इसमें क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कहा जाता है कि अमुक २ ने इस प्रकार का काम किया। मैं समझता हूं कि यहां पर इस तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह के तत्व हैं जो इस तरह के काम करते हैं। इससे मंत्री महोदय यदि जानकारी करना चाहें तो माननीय सदस्य से मिल करके जानकारी कर लेंगे। जिसके ऊपर क्लेरीफिकेशन करना होगा वह भी सदन के अन्दर कर देंगे और उस पर कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है कि...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आप जो इतना प्रेस कर रहे हैं तो इस सदन में यह परम्परा रही है कि इस तरह से जहां तक हो सके नाम नहीं लिये जायं उसको स्ट्रिक्ट करके माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं, जो लेप्सेज सामने आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और हमको अधिकार है, कि हम उनको सदन के सामने रखें, आप इस तरह से स्ट्रिक्ट होकर उस पर रुकावट डाल रहे हैं। तो जो इस प्रकार की डेट्रीमेंटल और इन्क्रीमेंटल स्थिति जो कि माननीय सदस्य के बारे में है उनको नहीं बोलने की परम्परा रही है और सूचना देने की बात रही है। लेकिन और तरह से जो बातें पब्लिक इण्ट्रेस्ट में होती है उसको यहां कहने में कोई रुकावट पैदा की जाय तो उचित नहीं हो सकता। जो भी बातें यहां पर कही जाती हैं उनके बारे में यदि मंत्री महोदय उत्तर दे सकें तो उसका उत्तर दे दें और यदि नहीं दे सकें तो यह कह सकते हैं कि जानकारी प्राप्त करके कहूँगा। बाकी इनको कहने में कोई रोक नहीं है। इस तरह से यदि रोक लगायेंगे तो फिर हमारा जो परपज है सारी डिबेट का वह स्मेश हो जाएगा और इस सारी डिबेट का कोई पब्लिक इंट्रेस्ट सर्व नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य अगर विषयान्तर होकर बोलें तो जो सदन के और माननीय सदस्यों के अधिकार हैं उनकी हानि उस स्थिति में ज्यादा होती है। अगर डिबेट में नियमों का पूरा पालन किया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अंकुश किसी विभाग के ऊपर या सरकार के ऊपर लगाया जा सकता है उतना विषयान्तर होकर बोलने से नहीं हो सकता। क्योंकि आज आप नियमों में प्रावधान देखिएगा कि कटौती

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव रखने का मतलब ही यही है कि जो बोलने की छूट है उस पर अंकुश रख कर जो कटौती के प्रस्ताव पेश होंगे माँगों के बारे में उन्हीं पर कहना होगा। जो माननीय सदस्य नियमों का पालन करते हैं उन्हें तो यह दिक्कत उठानी ही पड़ेगी, और जो माननीय सदस्य उनका उपयोग नहीं कर हाउस में पधार कर किसी विषय पर बोलने लग जायं तो जैसे आज सामान्य प्रशासन और पुलिस पर बहस चल रही है उसको छोड़ कर चुनावों के बारे में चर्चा करने लगें तो इससे न तो उसका उत्तर ही दिया जाएगा और जो सदन का कर्तव्य है कि सरकार के ऊपर अंकुश रखे, सरकार तो निरंकुश इस मायने में रहेगी कि जो बातें यहाँ पर बिना कटौती प्रस्तावों के कही जायेंगी उनका जवाब देने का कष्ट भी नहीं करेंगी और उनको प्रेस भी नहीं किया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि जो प्रावधान नियमों में रखा गया है उसकी मन्शा भी यही है कि नियमों के अनुसार ही यहां पर बोलें ताकि सरकार पर पूरा अंकुश इस सदन का रह सके और उनको जवाब देने के लिए बाध्य किया जा सके। इसलिए यह मेरी कठिनाई है कि मैं विषयान्तर होने पर पर माननीय सदस्यों को उससे अवगत करूं इस बात को इस रोशनी में न लें कि आसन का कोई इस तरह का मन्सूबा है कि आपके जो विचारों की स्वतन्त्रता है सदन के अन्दर और जनतन्त्रवाद में विचारों की स्वतन्त्रता ही अगर सदन में नहीं हो तो कोई अधिकार बचा हुआ ही क्या रहता है? यह जनतन्त्र-वाद भी हो सकता है, ऐसा भी मैं नहीं सोचता, और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो बहुत से अच्छे २ कटौती के प्रस्ताव दिए हैं। बहुत सी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कटौती के प्रस्ताव दिए हैं उनके ऊपर ही अपनी बहस को सीमित रखें। दूसरी बातें कहें उससे फायदा नहीं है।

श्री मदनसिंह (दाँतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक सवाल आता है कि ऐसे सवालों में अगर नाम नहीं दिया जाएगा तो जाति पर आक्षेप होगा। यह कहना पड़ेगा कि फलां अमुक.अमुक जाति के लोग वायरलेस सेट रखते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के यदि नाम नहीं लेंगे तो पूरी जाति पर आक्षेप लगाना पड़ेगा इससे तो नाम लेना ही अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा इस बात पर गहराई से विचार करिए। सदन के माननीय सदस्यों को और सदन को इतना बड़ा अख्तियार है कि यहां कोई भी बात कही जाय वही यदि सदन के बाहर कही जाय तो वह जुर्म हो सकती है, लेकिन वही बात अगर सदन में कही जाती है तो वह जुर्म नहीं है इसलिए उसके ऊपर पाबन्दी नहीं हो सकती। तो जब इतना अधिकार आपको है तो अपनी भी जिम्मेदारी हो जाती कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात कही जाय तो वह रास्ता नहीं ढूंढ सके या उसको किसी अदालत के दरवाजे के खटखटा कर वहां पर रख सके। इसलिए अपनी जिम्मेदारी और अधिक हो

(श्री उपाध्यक्ष)

जाती है। इसलिए अगर मानीय सदस्य किसी बात को यहां उठाना चाहते थे तो पहले कटमोशन देने की तकलीफ जिस प्रकार करते हैं उसी तरह से नाम देने की तकलीफ करते और अगर वह हो ..

श्री भैरोंसिह : यह सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार का तत्व है उसके बारे में कह दीजिये। आम तौर पर मंत्री महोदय, मैं समझता हूँ, का यह कर्त्तव्य है कि वह बुला कर या आकर पूछें कि इसमें असलियत क्या है, कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अजमेर के जिन व्यक्तियों के पास १९६५ के अन्दर वायर लैस सेट था, और जिस स्थान पर उन्होंने लगा रखा था, उस सम्बन्ध के अन्दर....

श्री भैरोंसिह : अजमेर के कौन-कौन व्यक्ति थे; उनके नाम बतायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनके नाम, एक नाम था यूसुफ मियाँ महाराज ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस ढंग से नाम मत लीजिये।

श्री भैरोंसिह : यह तो हाउस का राइट है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझ से पूछा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित करके पूछिये कि कौन-कौन नाम हैं, उसके बाद में व्यवस्था दी जायगी।

श्री भैरोंसिह : मैंने इसमें पूछा है, मैं माननीय सदस्य से जानकारी आपके माध्यम से चाहता हूँ कि कौन-कौन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है और उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें यह है कि नाम नहीं खोले जायं।

श्री भैरोंसिह : ऐसी व्यवस्था हाउस में नहीं हुई है। आप मेम्बर्स के अधिकार को लेना चाहते हैं और लोगों की आलोचना न कराके सरकार को बचाना चाहते हैं – तो बात दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह न आसन की परम्परा रही है कि इस तरह से सरकार का यहां पर पक्ष हो....

श्री भैरोंसिह : अंकुश आप हम पर लगा रहे हैं, सरकार पर नहीं लगा रहे हैं। सरकार के ऊपर अंकुश लगाने की बात हम कहते हैं तो आपका अंकुश हम पर आता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी भावनाओं को समझियेगा और अपनी भावना को समझियेगा।

श्री हीरालाल : भावना तो ठीक है, बात यह है....

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य विषयान्तर हो जाय और कुछ बोलें तो उन पर यह अंकुश रहे कि मत बोलें। यह अंकुश विरोधी दल पर ही होता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न की गहराई को भावावेश से....

श्री भैरों सिंह—मैं भावावेश में नहीं कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज ! आर्डर ! आप इस पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे....

श्री भैरोंसिंह—पन्द्रह वर्ष से मैं सदस्य हूं और गहराई से विचार करता रहा हूं। आज कोई नया नहीं आया हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—किसी व्यक्ति के बारे में, समझ लीजिये, मैं आम नागरिक हूँ, अब मेरे बारे में इस तरह के आक्षेप लगाये जायं जिसकी मुझे जानकारी नही हो, जिसकी पूर्व सूचना, जो नियमों में प्रावधान है, बिल्कुल साफ नियमों में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के आक्षेप लगाये जायं जो मान हानिकर हों, जिसके बारे में उस पर मुकद्दमा चल सकता हो, जो एक जुर्म की परिभाषा में आता हो तो उसमें एक मामूली सी बात रखी हुई एक अड़चन कि उसका पूर्व नोटिस दिया जाय कि इस तरह का मसला सदन में उठाना चाहते हैं। उसके बाद में पूरे अख्तियार से पूरा कह सकते हैं। यदि यह पूछ लें तो शासन को यह अधिकार है कि रूल्स को रिलेक्स कर सकता है। माननीय सदस्य पूछते हैं तो रिलेक्शन आफ रूल्स का प्रावधान है। माननीय सदस्य श्री भैरों सिंह ने यह समझा है कि सदन के माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं उनका हनन करने की कोई प्रवृति है, तो मैं आज्ञा देता हूँ कि उनके नाम बता दें माननीय सदस्य।

श्री मदन सिंह दांता—पार्लियामेन्ट में मेनन कहां हैं, लेकिन मेनन के लिए बोले हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अजमेर का रहने वाला व्यक्ति हैं जिसका नाम है युसुफ मियां महाराज खादिम, अजमेर जो दरगाह में खादिम है। उसके साथ जयपुर का राजस्थान ट्रंक कम्पनी का एक व्यापारी, जिसका नाम अनवर हुसेन है—वह दोनों व्यक्ति ५.७.६५ को रात्रि के नौ बजे जयपुर के राम निवास बाग के अन्दर थे और राजस्थान पुलिस का सी० आई०, जो कि नित्य प्रकाश है, उसके साथ एक कान्स्टेबल था। इन चार व्यक्तियों ने रात्रि को बातचीत की और जिस समय उन्होंने यह सी० आई० डी० के सर्किल इन्सपेक्टर से कहा कि वायर लैस सेट के बारे में अगर किसी प्रकार की सूचना आली है तो तुरन्त हमें इत्तला देने की कृपा करें और यह वायर लैस सेट अजमेर के अन्दर

(श्री देवीदत्त गाडिया)

एक कब्रिस्तान पर लगा रखा है, उसको हटा दिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना राजस्थान सरकार के पास ५-७-६५ को पहुंच गई थी ५-७-६५ को मिली थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इस सूचना को राजस्थान के गुप्तचर विभाग ने राजस्थान के सी० आई० डी० डी० आई० जी० को दी, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पर यह कार्यवाही होनी चाहिए थी कि तुरन्त वह अजमेर में जाकर उस वायर लैस सेट को जब्त करते और जो सी० आई० डी० का अधिकारी इसमें सम्मिलित था उसको निलम्बित करते। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि उसके अन्दर सी० आई० डी० का एक जिम्मेदार अधिकारी था, और अजमेर के अन्दर रहने वाले जितने सी० आई० डी० अधिकारी थे—एस० पी० सी० आई० डी० के सर्किल इन्सपेक्टर, उसके साथ हेड कान्स्टेबल था, एक सिपाही था—इस तरह अजमेर के चार आदमी, जो सी० आई० डी० के जिम्मेदार अधिकारी थे और जयपुर के दो आदमी-इन छः आदमियों के नोटिस में होने के बाद वायर लैस सेट के मामले को दवाया गया और जब जांच के लिए वहाँ गये तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि डी० आई० जी० ने उसकी जांच करने के लिए यहाँ के डी० वाई० एस० पी० को, जो भार्गव थे यह काम सुपुर्द किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह डी० वाई० एस० पी० जो इसकी जांच कर रहे हैं, अजमेर के एस० पी० के रिश्तेकार होने की वजह से····

श्री विजय सिंह रावत—सी० आई० डी० का नाम जानना चाहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—कोई जरूरी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया—तो इस प्रकार इस केस को दवाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना जब केन्द्रीय सरकार को हुई तो केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के आई० जी० को लेटर लिखा। उस लैटर का नम्बर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्री को बताना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैटर जिस समय आई० जी० के पास पहुँचा और जिस हैड क्लर्क ने इसको रिसीव किया, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस लैटर को सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को नहीं भेजा गया और जो इसमें व्यक्ति इन्वोल्व्ड था, वह उस लैटर को लेकर वाला वाला हजम कर गया। लैटर का नम्बर है, ७सी ११६६। ६५६। इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री आफ होम अफेअर्स, गवर्नमेंट आफ इण्डिया और यह लैटर २५ नवम्बर, १९६६ का है और इसकी कापी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, राजस्थान को गई है। माननीय उपाध्यक्ष महदय, वह जो केन्द्रीय सरकार से पत्र आया, उसको भी गायब किया गया है और उस वायर लैस सेट को जब्त नहीं किया गया और न उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया····

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य—शेम-शेम!

श्री देवीदत्त गाडिया—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना होने के बाद, मैं आपका ध्यान कुछ ऐसी बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बारां के अन्दर डी० एस० पी० मान सिंह था। वहां की गरीब जनता पर शाहाबाद के उस इलाके में डाकुओं ने डकैती डाली थी, तो जो डकैती का मामला पकड़ा गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डी० एस० पी० उस डकैती के माल में से दो किलो सोना और ग्यारह सेर चांदी को हजम कर गया, वह तैंतीस हजार का माल हजम कर गया। जब इस बात के लिए शिकायत की और इसकी जांच करना शुरू किया गया, तो मेरी समझ में नहीं आता है उसकी जांच किस कारण से पेंडिंग पड़ी हुई है। वह तैंतीस हजार का माल हजम कर गया और राजस्थान सरकार ने उसको पुरस्कार क्या दिया, चाहिए तो यह था कि उसको निलम्बित करते और उसको जेल में भेजते लेकिन उसको एडीशनल एस० पी० बना कर भेज दिया गया है। उससे साफ जाहिर होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी० एस० पी० अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए और तरक्की पाने के लिए होम मिनिस्टर से मिल गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के छोटे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के नाम पर और उनके वेतन में वृद्धि करने के नाम पर कहते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज चार हजार ऐसे कर्मचारी हैं जो पुलिस अधिकारियों के यहां पर घर पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, जो राजस्थान के आई० जी० रिटायर हो गये हैं, जिनको सुखाड़िया साहब का कृपा पात्र होने के कारण से सूरतगढ़ फार्म के अन्दर रख रखा है, आज उस आई० जी० के यहां पर, जो रिटायर हो गया है, दस बारह पुलिस के सिपाही काम करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अधिकारी हो, रिटायर होने के बाद वह सामान्य नागरिक बन जाता है, उसके यहां पर आज भी पुलिस के कर्मचारी घर पर काम करें, यह राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात है। आज राजस्थान के अन्दर चार हजार पुलिस के कर्मचारी राज्य अधिकारियों के घरों पर काम करें, और राजस्थान के बजट का इस प्रकार सालाना पांच लाख रुपया राज्य अधिकारियों के घरों पर काम करने के लिए आप देते हैं जब कि इस बजट के अन्दर आपने कहीं कहा नहीं है। अगर राजस्थान के वित्त मंत्री अधिकारियों के घरों पर काम करने के नाम पर मांग बजट में प्रस्तुत करते तो हम समझते कि बजट में राज्य अधिकारियों के घरों पर काम करने के लिए उनको रखा है। इस प्रकार वह राजस्थान की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को यह धोखा देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आज आई० जी० के पी० ए० हैं लक्ष्मीनारायण, उनका लड़का है सुरेन्द्र कुमार, जो १९६२-६३ में सी० आई० डी० विभाग में सिपाही की पोस्ट पर था और कुछ दिन हुए उसको आई० जी० की कृपा से हैड कान्स्टेबल बना दिया गया। उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद थानेदार पुलिस और पुलिस इन्सपेक्टर बनाकर ट्रेफिक

(श्री देवीदत्त पाडिया)

पुलिस विभाग में भेज दिया गया। इस प्रकार आई० जी० के कृपा पात्र होने के नाते आई. जी. के पी. ए. का लड़का होने के नाते तरक्की जल्दी दी गई जब कि उससे सीनियर लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग की हुई है—उनको तरक्की नहीं दी है। इतना ही नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि १९६५ के अन्दर जयपुर के अन्दर रामगंज बाजार में मस्जिद के अन्दर मुस्लिम नेताओं की एक मीटिंग हुई, जिसकी सी० आइ० डी० ने रिपोर्ट दी है कि नेताओं ने यह तय किया है कि हथियार बनाये जायं और उसकी जिम्मेदारी उसी राजस्थान ट्रक कम्पनी के अनवर हुसैन को दी थी। इसकी सूचना गुप्तचर विभाग ने आई. जी. और डी० आई० जी० को दी थी इसका क्या हुआ ? इस प्रकार सी० आई० डी० विभाग के कर्मचारी इत्तला देते हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। जिस व्यक्ति ने वायरलेस सेट के बारे में इत्तिला दी थी आज उसको निकाल दिया गया क्या आपकी यही नैतिकता है जो उसको हटा दिया गया। आज वह गरीब मुसलमान जो देश का वफादार था, जिसने अपनी जिम्मेदारी समझ कर सूचना दी थी वह आदमी उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर की सड़कों पर मजदूरी करता नजर आ रहा है, दर दर ठोकरें खा रहा है आज वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। आप उसको सजा दे रहे हैं जिसने देश भक्ति का कार्य किया।

इसके अलावा जब डकैतियों का प्रश्न आता है राजस्थान के अन्दर बारां, शाहाबाद क्षेत्र है वहां आये दिन डकैतियां पड़ती हैं। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा, तार दिया था उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। आज मैं उसके बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ उस इलाके के अन्दर बांसाखेड़ा गांव है वहां के सरपंच के घर में सत्रह डाकू आगये उन्होंने दोनों भाइयों को बाहर कर दिया और डकैती करके जितना भी जेवर था, करीब दस हजार का था वह लेगये और फिर उन दोनों भाइयों को उस मकान में बन्द कर दिया और उस घर में आग लगा दी। इतने ही उनकी पत्नी खेत से आयी उसने अपने पति और देवर को जलता हुआ देखकर किवाड़ खोले और उनको बाहर निकाला। जिस समय पुलिस को यह सूचना देने गये तो पुलिस वाले उनसे ५०० रुपया रिपोर्ट लिखाई का मांगने लगे। उन्होंने कहा हमारा सारा जेवर चला गया घर जल गया हम कहां से दें तो उन पुलिस वालों ने उन डाकुओं से १५०० रुपया लेकर उनको तो छोड़ दिया और उनमें से दो डाकुओं को और उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया। उन दोनों को डाकुओं के साथ पकड़ लिया बारां अदालत में जब मामला चला तो उन दोनों भाइयों को रिहा किया गया। आज हालत यह है कि जो डाका डालते हैं उनको तो पकड़ते नहीं लेकिन जो रिपोर्ट लिखाने आते हैं उन्हीं को हथकड़ियां डाल देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बासाखेड़ा के अन्दर डकैती पड़ी वहां के एक परिवार के दो बच्चे हरलाल और लट्टू को

(श्री देवीदत्त गाडिया)

उठाकर ले गये और उनकी जवान औरत को उठाकर ले गये उस औरत के साथ दो दिन तक बलात्कार उन डाकुओं ने किया उसके बाद उसको छोड़ा ।

(५. २४ म. प)

(श्री अध्यक्ष, श्री निरंजन नाथ आचार्य पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आये दिन इस प्रकार डकैतियां उस इलाके में पड़ती है, देवली के थानेदार शाहाबाद के थानेदार उन डाकुओं से मिले हुए हैं। जनता के सूचना देने के बाद भी उन पर कोई ध्यान नहीं देते ।

एक और बात आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ उदयपुर के खेरवाड़ा ट्रेनिंग सेन्टर से ट्रेनिंग पास शुदा कान्सटेबिल को आप हैड कान्सटेबिल को जगह नहीं देते आपके जो सिफारिशी होते हैं उन व्यक्तियों को तरक्की दे दी जाती है गोविंदअली, सोहनलाल जो व्यक्ति ट्रेनिंग करके आये थे उनको मौका नहीं दिया गया । इस प्रकार से नियुक्त करना प्रजातन्त्र के खिलाफ बात है । आज राजस्थान में सीकरेट खर्च के नाम पर आई० जी० पी० की देखरेख में राजस्थान पुलिस के लिये कपड़ा खरीदा जाता है उसके लिये ८० हजार रुपया बजट में है उस पर एक ही व्यक्ति लम्बे अरसे से चला आ रहा है । उसके खिलाफ शिकायतें भी है आई० जी० पी,० डी० आई० जी० का इन्टरेस्ट होने के कारण आजतक उनको बदला नहीं । इनमें अधिकारियों का हाथ है इसकी जांच की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के कर्मचारी को ट्रेविलिंग अलाउन्स नहीं मिलता चिकित्सा भत्ता नहीं मिलता । बड़े बड़े अधिकारी उनके नाम पर सब उठा लेते हैं । अध्यक्ष महोदय छापर क्षेत्र के ग्राम चेचट में पचास हजार रुपया खर्च कर कन्जरों के लिये बस्ती बनायी थी । ६७ के अन्दर वहां एक थानेदार गये उसने राजाराव कन्जर को कहा तुम चोरियां करके लाओ तुम अफीम का धन्धा करो और हमें दो हजार रुपया मासिक दो । जब उसने करने से इन्कार कर दिया तो उसके घर को आग लगा दी और उसके बच्चे को गोली से खड़े खड़े उड़ा दिया ।

इस प्रकार थानेदार और एस० पी० अनुचित कार्यवाही करने के लिये लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और जब उनके मरजी के अनुसार कोई कार्य नहीं करता तो उनके बच्चों को गोली से उड़ा दिया जाता है । आज एक तरफ तो यह हो रहा है दूसरी तरफ हमारे सुखाड़ियाजी दशाब्दी मना रहे हैं और कहते हैं कि मेरे शासन काल में कहीं पर गोली चली नहीं ये बातें आपके सामने है यह आपके लिये कलंक है । मुख्य मन्त्री इन्कार करते हैं कि गोलियां नहीं चली आज उनके शासन काल के ये नमूने हैं कि उनके शासन के समय थानेदार बच्चों के ऊपर गोली चलाये । इसी प्रकार अन्ता तहसील में एक पी० एस० आई० ने

(श्री देवीदत्त मार्डिया)

नाजायज तौर पर जमीन पर कब्जा कर लिया यह सब राजस्थान के लिये कलंक की बात है।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के सिपाहियों को कपड़ों पर इस्त्री करके पहनने को कहा जाता है आज उनकी हालत तो यह है कि दो समय का खाना नहीं मिलता। यदि वे इस्त्री किये हुए कपड़े पहन कर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन लिया जाता है। ऐसे सिपाहियों को सुविधायें दी जाय पहले छोटी तनखा वालों को दी जाय। बड़े अधिकारियों का भत्ता नहीं बढ़ाया जाय। आज आप जांच करके देखिये कोटा में सब थानेदारों ने, सु० पुलिस ने सब अपने अपने बंगले इन्डस्ट्रियल एरिया में बना लिये। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ आप इन्क्वायरी कराइये जितने बंगले बनाये गये हैं वे सब उद्योगपतियों के रुपये जो नंबर दो के हैं उनके द्वारा बने हुए हैं। वह पैसा पुलिस के अधिकारी जनता को उधार दे रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे है। आज हालत यह है कि राजस्थान की सीमा की सुरक्षा नहीं, किसी चीज को कोई पकड़वाता है तो उसको सजा दी जाती है।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पुनरावृति कर रहे हैं कृपा बैठ जायें।

माननीय मंत्री महोदय,

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पुलिस पर और जेल की डिमाण्ड के ऊपर....

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटोती प्रस्ताव था।

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत से कटौती प्रस्ताव रख कर काफी सुझाव दिये हैं, सदन के अन्दर बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस के अधिकारियों में कमियां हैं, खामियां हैं। इसी तरह से जेल के अन्दर कुछ सुधार करने के सुझाव दिये हैं। जहां तक कटौती प्रस्ताव हैं अलग अलग, उनके लिये और जो सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ पर एक बात की दिक्कत मेरे सामने आयेगी कि कुछ इस तरह की बातें सदन के सामने लाई गई हैं कि जो काफी सीरियस हैं, उनकी सीरियसनस को मैं महसूस करता हूँ। बारां से आये हुए माननीय सदस्य कल इनकी इत्तला दे देते तो मैं सम्बन्धित डिटेल्स मालूम करके असलियत की सूचना देता या माननीय सदस्य को सूचना देकर विश्वास दिलाता कि इसमें क्या कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव में इसका कोई जिक्र नहीं किया और एक जनरल कटौती प्रस्ताव रख कर इस प्रकार के सीरियस एलिगेशन्स कुछ व्यक्तियों पर लगाये हैं, इसके लिये मैं इस समय यही कह सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में मैं पूरी डिटेल्स लेकर जो कार्यवाही हो सकती है, वह करने की कोशिश करूंगा, कोई कमी नहीं रखूंगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कुछ माननीय सदस्यों ने, खास तौर से बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ डकैती के मामले को लेकर सदन में चर्चा की। कुछ माननीय सदस्यों ने भरतपुर के धौलपुर इलाके की बातें कही हैं। आप सब जानते हैं, इस बारे में सदन में हम चर्चा कर चुके हैं, एड्जर्नमेंट मोशन के जरिये और प्रश्नों के जरिये चर्चा कर चुके हैं कि चम्बल रेवाइन्स, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का धौलपुर इलाका और कोटा में बारां का इलाका है यह डेकोइट इनफेस्टेड एरिया है, और आज से नहीं एक अर्से से है। माननीय सदस्य जानते हैं कि केवल राजस्थान ही नहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तीनों ही प्रदेश डेकोइट मीनेस से इफैक्टेड हैं, वहां बराबर डेकोइट मीनेस है। जब यू. पी. और मध्य प्रदेश की पुलिस डेकोइट्स के खिलाफ अभियान करती है और इन पर प्रेशर पड़ता है तो ये राजस्थान में आ जाते हैं और राजस्थान की पुलिस का प्रेशर पड़ता है तो यू. पी. और मध्यप्रदेश में चले जाते हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि तीनों का कान्सोलिडेटेड एक्शन होना चाहिये। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि तीनों का कन्सोलिडेटेड एक्शन होता है। दिसम्बर ६६ में तीनों प्रदेशों के आई. जी. पी. की इकट्ठी बैठक हुई थी और उसमें इन डेकोइट्स को लिक्विडेट करने के मुद्दे तय किये थे। अभी आगरा में तीनों की कान्फ्रेन्स हुई थी, इस अभियान में तीनों स्टेट्स मिल कर डेकोइट्स को लिक्विडेट करने की कोशिश करें, इसमें काफी प्रगति हो रही है। इसकी डिटेल्स तो देना मेरे लिये मुमकिन नहीं पर मैं यह कह सकता हूँ कि इन डेकोइटस को लिक्विडेट करने में राजस्थान की पुलिस दूसरी स्टेट्स से पूरा सहयोग ले रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इनको लिक्विडेट किया जाय। अगर आंकड़े देखेंगे तो मालूम होगा कि राजस्थान के मुकाबले में यू. पी. में डेकोइटी और किड्नेपिंग के केसेज ज्यादा होते हैं। ये डेकोइट्स पनाह पाते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में और जब वहां से खदेड़े जाते हैं तो राजस्थान में आते हैं और राजस्थान की पुलिस उनको खदेड़ती है तो यू. पी. और मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। कोटा के बारां सब डिविजन में और भरतपुर के धौलपुर सब डिविजन में यह इन डेकोइट्स का मीनेस चल रहा है, जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, उसमें कहीं कोई खामी, कमी या गड़बड़ी मुझे नजर नहीं आती।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ अफसरों के बारे में बातें कहीं, उनसे इस सम्बन्ध में डिटेल्स हासिल करके मैं कार्यवाही करूंगा अगर कोई पुलिस अफसर डेकोइट्स के मामले में गड़बड़ी या ढिलाई बरत रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

एक माननीय सदस्य (अश्रव्य) :

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने जो कहा वह मैंने सुना नहीं।

मैंने अर्ज किया कि उत्तर प्रदेश मध्य-प्रदेश और राजस्थान के डकैतो के आंकड़े

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यदि देखेंगे ६४=६५, ६५=६६ और ६६=६७ के तो....

श्री रामकिशन (वैर) : वहां आबादी ज्यादा है। क्यों मिस्लीड कर रहे हैं आप सदन को। आप वकील हैं हम जानते हैं पर धर्म की स्थापना करने में इसका उपयोग करो, अधर्म की स्थापना में उपयोग मत करो वकालत का। वहां आबादी ज्यादा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं कहूँगा। उत्तर प्रदेश में ६४-६५ में २८८ डकैती हुई और राजस्थान में ८३ हुई. यह आबादी का अनुपात है ?

श्री भैरोंसिंह : आप यहीं के पिछले आंकड़ों से मिलान करिये कि बढ़े हैं या नहीं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, अभी प्रश्न नहीं होंगे, भाषण के बाद में प्रश्न करें।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था देते हैं लेकिन बाद में इस व्यवस्था का पालन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : पालन होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को शिकायत नहीं होनी चाहिये, उनको कल पूरा मौका दिया था सवाल करने का और जवाब का। ज्यादा अच्छा यह है कि मैं जवाब खत्म कर दूं, जो जल्दी खत्म करूंगा, उसके बाद में प्रश्न पूछें।

भरतपुर के धौलपुर सब-डिविजन का और कोटा के बारां सब-डिविजन का जहाँ तक सवाल है, सब तरीके अमल में लाये जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि डेकोइट्स को लिक्विडेट किया जाय पर चम्बल रेविन्स हैं, तीन स्टेटों का बोर्डर है, उन रेविन्स में डकैतों को पनाह मिल जाती है, इसलिये दिक्कत आ रही है। पर यह कहना कि कुछ नहीं किया गया, यह सही नहीं होगा। इस बोर्डर के ऊपर जो बहुत नोटोरियस गैंग्स थे उनको ६६ में लिक्विडेट किया गया है। धौलपुर, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं कि कितने गैंग्स थे, उनको लिक्विडेट किया गया, खास तौर पर........

एक माननीय सदस्य : प्रयत्न तो ठीक है, समझ गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : भरतपुर में कुछ नोटोरियन्स गैंग्स थे भौपा का, मानियाँ का, जग्गा का, खेमसिंह का, छोगसिंह का, ये गैंग्स बड़े नोटोरियस और खतरनाक थे इनको ६६ में लिक्विडेट किया गया। तो यह कहना कि डेकोइट्स को लिक्विडेट करने के बारे में पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सही नहीं है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आम तौर पर डेकोइट्स का प्रश्न है, राजस्थान में, आप मानेंगे कि भरतपुर के अलावा जोधपुर डिविजन में डेकोइट्स के काफी गेंग्स थे, उनको लिक्विडेट किया गया। जहाँ थोड़े बहुत डेकोइट्स के गेंग्स रह गये थे, वे भी लिक्विडेट हो चुके हैं, सिवाय चम्बल रेविन्स के जहाँ पर कि दिक्कत होती है कि पुराने गेंग्स को लिक्विडेट करते हैं और नये गेंग्स पैदा हो जाते हैं। आज राजस्थान की पोजिशन यह है कि कोई पुराना नोटोरियस गेंग काम नहीं कर रहा है, सिवाय बोर्डर के, जिसके लिए मैं माननीय सदस्यों को अलग से कहूँगा।

एक माननीय सदस्य ने पुलिस के बजट पर इस बात की बहस की कि ५२ में कितना बजट था और आज कितना बजट हो गया है और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि बजट बहुत बढ़ गया है। यह भी बताने की कोशिश की कि जरायम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जरायम के बारे में जो प्रतिवेदन मिला है उससे कहा कि जरायम ज्यादा बढ़े हैं। इसके लिए मैं अलग से कहूँगा। अभी मैं यह निवेदन करूँगा कि ५२ से ६७ तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, फिर भी ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ा है। पुलिस की ड्यूटीज इन्डस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कितनी बढ़ गई हैं, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राजस्थान में बहुत से शहरों में नई इन्डस्ट्रीज लगी हैं, कोलोनाइजेशन नये हुए हैं, बहुत से डेवेलपमेंट्स हुए हैं, और जहाँ यह सब हुआ है वहाँ पुलिस की ड्यूटीज बढ़ गई हैं, यह स्वाभाविक है। आबादी ज्यादा बढ़ी है, इन्डस्ट्रियल कोलोनीज में ज्यादा लोग आबाद हुए हैं।

आज कोटा कितना डेवलेपिंग सिटी है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, उनके अन्दर क्राइम्स की तादाद बढ़ती है। तो यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह स्वाभाविक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपकी थीसिज है।

श्री दामोदरलाल व्यास : No Sir, I will not reply to interruptions.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not interrupting. I am only asking आपकी इकानामिक थीसिज है कि इकानामिक डेवलपमेंट के साथ अपराध भी बढ़े ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं थीसिज बता रहा हूँ। पुलिस फोर्स जो १९५२ में थी वह २१३७६ थी और आज पुलिस फोर्स करीब २३ हजार है तो बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई, आप इस बात को न भूलिए। १९५२ और १९५७ के बीच तनख्वाहें और एलाऊंसेज कितने बढ़े हैं, डाइट के अन्दर, यूनीफार्म के अन्दर, मंहगाई के लिहाज से इन तमाम बातों को देखेंगे तो मालूम होगा कि खर्चा जो कुछ बढ़ा है, इन बातों को लेकर बढ़ा है और यह नहीं है कि पुलिस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को डबल, ट्रिपल या ४ टाइम्स कर दिया। इसके अलावा बजट के लिए जो खयाल है कि ज्यादा बढ़ गया, यह सही नहीं है। क्राइम्स की पोजीशन जैसे मैंने कहा थोड़ी बढ़ी है परन्तु आप आल इन्डिया फिगर्स भी देखें। अकाल की स्थिति को देखें, तीन-तीन साल से अकाल पड़ रहा है, मंहगाई और उसके साथ नए उद्योग लगाने से अपराध बढ़े। ये तमाम बातें हैं जिनका कम्यूनिटी पर असर पड़ा है और अपराधों का बढ़ना स्वाभाविक है। यह कोई एक्सट्राओर्डिनरी बात नहीं है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान के अपराधों की पोजीशन अगर स्टडी करें तो कम्परेटिवली यह इन्क्रीज कम हुई है। अपराध बढ़ रहे हैं इसके लिए अफसोस है और हम कम करने की कोशिश करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहाँ पुलिस स्टेशन्स के प्रश्न को लेकर इस बात को कहने की कोशिश की कि उनका लोकेशन गलत है, आरबीट्रेरी है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जहाँ जहाँ ये पुलिस स्टेशन्स कायम हैं, चाहे चौकियां हों या पुलिस स्टेशन्स हों, उनके सिद्धान्त वेल डिफाइन्ड हैं और वहाँ की टापोग्राफी, पाप्युलेशनन, No. of outposts, number of crimes calculated for the last five years, availability of houses, इन तमाम बातों को लेकर कायम किए गए हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी तबदीलियों की जरूरत होती है तो कलेक्टर और एस. पी. को पावर्स दी गई हैं कि दोनों मिलकर इसको इग्जेमिन करें कि किसी थाने या चौकी के जुरिस्डिक्शन में चेंज करने को जरूरत है क्या। अगर है तो वे अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज सकते हैं और सरकार उस पर अमल करती है। पुराने थानों में काफी तबदीलियां की गई हैं। पुलिस जुरिस्डिक्शन और जो रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन है, को-टरमीनस रहे, ताकि उनका आपस में तालमेल रहे परन्तु एक एक चौकी और थाने के लिए यह सम्भव नहीं है कि रोजाना तबदील करते रहें। अलबत्ता कलेक्टर और एस. पी. समझें कि किसी भी दृष्टि से या डिटेक्शन आफ क्राइम के लिहाज से या जनता की सुविधा के लिहाज से उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो किया जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने, खास तौर से बारां से आने वाले माननीय सदस्य, ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ करप्सन की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ करप्ट अधिकारियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, कार्यवाही नहीं की जाती है, यह बात सही नहीं है। जितनी शिकायतें आती हैं, उनकी जांच होती है, चालान होते हैं, सजायें होती हैं और जो गलत होती हैं उन पर अलबत्ता कोई कार्यवाही नहीं होती। सदन से मैं यह वायदा करता हूं कि माननीय सदस्य ने स्पेसीफिक मिसाल दी है उनकी जानकारी करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या उनकी जानकारी सही है या नहीं, इन्क्वायरी हुई या नहीं, नहीं हुई तो खड़े होकर इसी सदन में बताऊंगा। आपको मौका नहीं दूंगा कहने का इसमें कोई ढिलाई हुई। मैं पालिसी इन्फरमेशन देना चाहता हूँ। पुलिस अधि-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कारियों के खिलाफ बराबर एन्टी-करप्शन विभाग में कार्यवाही हुई है बल्कि चालान भी हुए हैं और कुछ केसेज ड्रोप भी हुए हैं क्योंकि वे गलत साबित हुए। मैंने जो कारण अपराध बढ़ने के बताए उनके साथ में जो विभाग के अन्दर रिपोर्ट्स नहीं ली जाती थीं, वह प्रैक्टिस बन्द होने से अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है जितने केसेज रजिस्टर हुए उनमें से कितने फाल्स केसेज थे। उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि आजकल बहुत से झूठे मुकदमे दायर होने लग गये....

श्री श्रवणलाल : आज तक आपने आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जहां तक पुलिस अधिकारियों की करप्शन का सवाल है....

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो एक बात बताइए...

श्री दामोदर लाल व्यास : आप तसल्ली रखें तो क्या हर्ज है.....

श्री मदनसिंह दांता : तसल्ली इतनी रखी कि आपको मौका दिया इतनी बातें कहने का।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस विभाग की जो रिपोर्ट आती है, अक्सर अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें लिखा जाता था कि कितनी प्रापर्टी चोरी हुई और उसमें से कितनी बरामद हुई कितना माल डाके में गया और बरामद हुआ। अब की बार तो आपने होशियारी की कि आपने सिर्फ परसेंटेज ही दिया। यह भेद क्यों है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : परसेंटेज जो आपको बताया तो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यह आप खयाल मत करें कि होशियारी की है, विभाग को क्या इन्टरेस्ट हो सकता है ? मैं विशेष जानकारी करके बता सकता हूं कि कितनी प्रापरटी बरामद हुई। यह क्यों सोचते हैं कि जान-बूझ कर यह किया गया है।

अब मैं आपको अनुपात बताता हूं पुलिस परसोनेल का जो एन्टीकरप्शन विभाग ने वर्क आऊट किया है : १९६५ में ९२ आदमी रेड हैंडेड पकड़े गए, १५०० शिकायतें हुईं, फाल्स शिकायतें ७६७, प्राइमा—फैसी २९४, केसेज इन्वेस्टीगेटेड ८२, कन्विक्शन्स १९, डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज ४२।

१९६६ में— रेड हैंडेड	२९
कम्पलेंट्स रिसीव्ड	१०५९
फाल्स कम्पलेंट्स	४१२
प्राइमा-फैसी केसेज	१४८
केसेज इन्वेस्टीगेटेड	१३९
कन्विक्शन्स	२२
डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज	४२

इसलिए यह कहना कि पुलिस परसोनेल के खिलाफ करप्शन के केसेज में सरकार कार्यवाही नहीं करती, यह सही नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, एन्टी—

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करप्शन विभाग के अलावा और केसेज जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन्स के फे खिलाफ शिकायत होती है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जांच करती है और अगर कोई ऐसी बात पाई गई जिसमें करप्शन इन्वाल्वड है तो एन्टीकरप्शन में जाता है वरना बराबर डिपार्टमेंटल सजा दी जाती है। आप अगर स्वीपिंग रिमार्क्स पास कर रहे हैं कि विभाग कुछ नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, उधर कहेंगे सोना लिया गया या लड़कियों को उड़ाया गया, उनमें पुलिस का हाथ है तो आप पुलिस फोर्स के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के बनने के बाद एन्टी सोशल एलीमेंटस को लिक्यूडेट करने में पुलिस ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारी आर. ए. सी. को आप जानते हैं कि बार्डर पर कितनी जानें दी हैं। पाकिस्तान आक्रमण के समय भी और उससे पहले भी जो स्मग्लर्स थे जगमालसिंह और कई गैंग्स हैं उनको क्वीलिडेट किया। कुछ ऐसे केसेज हो सकते हैं जो बेईमान भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपने कर्तव्य से गफलत भी कर सकते हैं और ठीक काम नहीं करते लेकिन सारे पुलिस फोर्स के लिए यह बात कहना न्यायसंगत नहीं होगा। पुलिस के अन्दर इफीशियेंट भी हैं, ईमानदार भी हैं। अच्छा काम भी करने वाले हैं देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानी करने की उनमें हिम्मत है और जो गलत आदमी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं न रुकावट है। आपने जब भी फैक्ट्स रखे है तो एक्शन हमने समय पर लिया है और लेते रहेंगें।

अब मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि पुलिस पर्सनल्स को, कर्मचारियों को सुविधायें नहीं हैं। कुछ ने वेतन, भत्ते और कुछ बातों को लेकर कहा। मैं अर्ज करूंगा इस बात के लिये कि ऐसी बात नहीं है अगर आप देखेंगे इस बात को तो सन् १९५० में से बराबर इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है और उनकी तनख्वाहों की उनकी भत्ते आदि की सुविधाओं की आज जो पोजीशन है उसको देखें तो माननीय सदस्य इस बात को स्वयम् जानते भी हैं और वे स्वयम् विचार करेंगे कि पहले से कितनी अधिक सुविधायें राज्य सरकार की ओर से इनको प्रदान की गई हैं। वेतन शृंखलाओं में वृद्धि ६६ में ही की गई है। वेतन शृंखला ५० से ६० है। भर्ती होते ही एक कान्स्टिबल को वेतन ५५ रुपया, मंहगाई भत्ता ४७ रुपया, मैस अलाउन्स अब १२ रुपया कर दिया गया है पहले ५) था उसको बढ़ा कर १२ कर दिया गया है, मकान किराया ६ रुपया और सिटी अलाउन्स ५ रुपया। कुल १२० रुपया भर्ती होते ही मिलता है। सिटी के अलावा दूसरी जगह सिटी अलाउन्स नहीं है वहां पर पांच रुपया कम मिलता है तो (११५) तो मिनिमम हो ही जाते हैं भर्ती होते ही। पुलिस हैडकान्स्टिबल और ट्राफिक वगैरा दूसरे क्षेत्रों में काम करने वालों को भी अलाउन्स वगैरा दिया जाता है। फ्री युनिफॉर्म दी जाती है और मैस के लिये

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जैसा मैंने कहा कि ७) रुपया बढ़ा कर १२) कुल कर दिया है। इससे उनको अच्छी डाइट मिलते रहने से उनकी तन्दुरुस्ती में भी फर्क आया है।

जहां तक हाउसिंग का प्रश्न है इस बात की भी कोशिश की गई है कि पुलिस पर्सनल्स अपनी फेमिलीज के साथ रह सकें।

एक माननीय सदस्य : इसके अनुपात में आई० पी० एस० आदि को कितनी फैसिलिटीज़ हैं और उनका वेतन का अनुपात भी कितना है ?

श्री अध्यक्ष : At the end of the Speech।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको हाउसिंग फैसिलिटीज बता रहा हूं। गत दो वर्षों के अन्दर ४,२४७ हैडकान्स्टेबल और कान्स्टेबल को मकान दिये गये हैं रहने के लिये। ७,०७५ को बैरक में रहने की इजाजत दी गई है। हर साल एक फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार हाउस बनाये जा रहे हैं। यह माननीय सदस्य भी जानते हैं कि हर साल उनके लिये मकान बनाये जा रहे हैं। गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया ने पुलिस हाउसिंग स्कीम के अन्दर ४२,६३,०० रुपये स्वीकृत किये हैं। वे इस दिशा में खर्च किये जावेंगे। पुलिस कान्स्टेबल और हैड कान्स्टेबल फैमिलीज़ को लेकर रह सकें इसके लिये मकान बनाये जा रहे हैं, फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार ४,०४७ आदमियों को अकमोडेशन दी गई है और ७०७५ को बैरक में अकमोडेशन दी गई जैसा मैंने पहले निवेदन किया। जो लोग शहर में रहते हैं उनको सुविधायें दी गई हैं। मकान का किराया दिया जाता है ताकि किराये का एडवर्स भार उन पर न पड़े। मकान हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बैरकों में रहने का इन्तजाम और हाउसिंग फैसिलिटी इस प्रकार उनको मिली है। ताकि वे बीबी बच्चों के साथ रह सकें। ऐसा नहीं है कि इस तरफ खयाल न हो। बराबर सरकार का खयाल है।

फ्री मेडीकल एड के लिये जैसा माननीय सदस्य जानते हैं खास तौर से पुलिस लाइन्स में बड़े बड़े शहरों में उनके इलाज की व्यवस्था है, डाक्टर की व्यवस्था है। पुलिस में देखा गया है कि टी. बी. से ज्यादा अफेक्टेड हैं तो टी. बी. सेनिटोरियम में अलग बेड रखे गये हैं ताकि उनको वहां रिच डाइट मिल सके।

पुलिस बेनिवोलेन्ट फन्ड है। वह कर्मचारियों की वेलफेयर के लिये काम आता है। पहले मरने के बाद परिवार को सहायता देने के काम आता था। आज कर्मचारियों और उन कर्मचारियों के बच्चों को Those who have lost their lives स्कोलरशिप दी जाती है ताकि वे पढ़ सकें। कालेज में पढ़ने के लिये स्कोलरशिप दी जाती है। जो कोन्स्टिबल्स मर गये हैं उनके बच्चों को उतना ही अधिकार है लेने का जितना कि मौजूदा कान्स्टेबल लेते हैं। ६५ से ६६ तक बेनिवोलेन्ट फन्ड में से

Page No.152

(श्री दामोदरलाल व्यास)

७७३ कर्मचारियों को ४,९३,७५०) की स्वीकृति दी गई है और गतवर्ष छात्रवृत्ति दी गई है जिससे पुलिस वालों के बच्चों को आगे पढ़ाई चालू रखने में सहायता मिल सके।

इसी तरह पुलिस वेलफेयर फन्ड है। उसमें सरकार कान्ट्रिब्यूट करती है ५० हजार रुपया और वह भी उनके वेलफेयर के काम में आता है।

इसी तरह कुछ पुलिस के कर्मचारी हैं उनकी दिक्कतों को सुनने और मिटाने के लिये हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रिवान्सेज कमेटी बना रखी है जिसमें कान्स्टेबल्स और हैडकान्स्टेबल्स का रिप्रेजेन्टेटिव होता है, सब-इन्स्पेक्टर होता है, महीने में एक दफा मिलते हैं। हर आदमी को ग्रिवान्सेज बताने का मौका दिया जाता है और उसके ऊपर के अधिकारियों तक पहुँचाने के लिये मौका मिलता है। जिस तरह एस. पी. के लिये लाजमी है कि ओडिनरी रूम में महीने में हर कर्मचारी को मौका दे कि वह आकर दिक्कतें बता सकें।

आर. ए. सी. के लिए आप सब ही माननीय सदस्य जानते हैं। दूसरी बहुत सारी सुविधायें देनी चाहिये वह राज्य सरकार ने दी हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय मन्त्री महोदय।

जब तक ये मांगे स्वीकृत न हों तब तक सदन की अनुमति से मैं सदन की अवधि बढ़ाता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह से मैंने अर्ज किया कि सरकार पुलिस कर्मकारियों की वैलफेयर के लिये पूरी तरह सतर्क है और कोशिश करती है कि जितनी इमदाद हो सकती है, जितनी उनकी जिन्दगी आसान हो सकती है क्योंकि उनकी ड्यूटीज बड़ी हार्ड हैं, उसके लिए पूरी कोशिश करती है।

(५ म. प.)

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात के लिये बतलाया तबादलों पर, पोस्टिंग पर, प्रोमोशन पर। तो ये शिकायतें तो आम तौर पर रहती हैं और इस के कई कारण हैं। तबादले होते हैं तो कुछ लोगों को शिकायतें होती हैं, तरक्की होती है तो जो रह गये उनको शिकायतें होती हैं। पर यह कहना कि कोई राजनैतिक कारणों से यह सब किया जाता है तो मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसी बात होती नहीं है। तबादले तो सर्विस के साथ लगे हैं। प्रोमोशन और पोस्टिंग भी होते हैं। तो इसलिये इन बातों को यहाँ जोड़ने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्री रामकिशन : बिलकुल निर्लिप्त भाव से कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आखिर में, मैंने कहा कि वह मौका आपको मिल जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : बोर्डर की स्थिति के बारे में कहा गया, मैं दुबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। क्योंकि इस पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के एडजोर्नमेंट मोशन पर काफी बहस हो चुकी है और जो स्थिति है उस पर अधिक कहने की जरुरत नहीं है।

पर एक बात कहूंगा कि अगर कोई यह कहे कि वहां बोर्डर पर कोई बहुत एबनोर्मल पोजीशन है तो यह गलत है। विरोधी दल के नेता हैं, उनसे बातें की हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि वहां नार्मल कन्डीसन है। एबनोर्मल नहीं। कई फुटकर बातें तो होती रहती हैं। कोई किसी की मवेशी पकड़ कर ले गया। चोरी करके या उड़ाकर ले गया। तो यह नार्मल है। जहां जहां बोर्डर हैं, इस तरह की छुटपुट वारदातें होती रहती हैं, होती आई है। पिछले जमाने में जब रियासतें थीं और एक रियासत की सीमा दूसरी रियासत की सीमा से लगती थी तब भी बोर्डर पर इस तरह की बातें होती रहती थीं। ये घटनाएं रोज होती थीं। इसमें एबनोर्मलटी की बात नहीं है।

इन्टरनल सिक्योरिटी के लिये डिस्ट्रिक्ट पुलिस काफी सतर्क है। जहां तक बोर्डर की सिक्योरिटी फोर्स का सवाल है भारत सरकार का अधिकार है इस पर और वे पूरे सतर्क हैं। चिन्ता की बात नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट इधर होता है तो उधर पैनिक हो जाता है उधर होता है तो इधर पैनिक फैल जाता है। यह सब इतने लम्बे चौड़े बोर्डर पर होना नेचुरल है।

श्री हीराभाई : कभी वे हमारे अन्दर आ जावें दखल जमा लें तब भी आपके लिए तो कुछ नहीं है वह भी नार्मल है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

यह जैसलमेर बाड़मेर उधर का वाकया है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो कहना चाहूंगा कि माननीय गृहमन्त्रीजी कम से कम यह तो न कहें कि जो घटनाएं बोर्डर पर घटित हुई हैं वे नार्मल हैं। या तो कम से कम वे न कहें।

श्री दामोदर लाल व्यास : यह मेरा खयाल है और इसको मैं एबनोर्मल नहीं मानता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब तो मरवायेंगे आप हमको।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी का यह मोस्ट ओब्जेक्शनेबल स्टेटमेन्ट है यह। उन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है अगर हाथ होने पर घटनाएं नार्मल होती हैं तो इससे बढ़कर शर्म की और गैर जिम्मेदारी की कोई और बात नहीं हो सकती।

श्री हीराभाई : साथ ही साथ यह भी होता है, उधर वाले अपराधी होते हैं और और वे हमें अपराधी बताते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह और मामला है, इन्टर नेशनल पोलिटिक्स का मामला है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने कहा था और असमाजिक तत्व दोनों ओर से आते जाते हैं कुछ चोर डाकू चोरियां करके चले जाते हैं। आपका खयाल है इन सबमें पाकिस्तान का हाथ है, कुछ जानवर उठा कर ले भागते हैं। तो मैंने इस पर कहा था कि हो सकता है मैंने यह नहीं कहा कि हाथ है। मैंने कहा कि हो सकता है। आप हाउस की प्रोसीडिंग्स को उठाकर देख लीजिये। मैं आज भी कहता हूं कि अगर वहां के अन सोशल एलीमेन्ट्स को पाकिस्तान के किसी भी अफसर का पुलिस का या फौज का प्रोटेक्शन है तो हो सकता है। आज भी कह सकता हूं कि हो सकता है, वरना यह कोई इनसिस्ट करके चला जावे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छिपाने की बात कहता हूं। पोजिटिवली कह सकता हूं जो पहले कहा था। हो सकता है। इसमें बदलने का सवाल नहीं है। नार्मल कन्डीशन बताई है इसलिये कि एबनोर्मल बात हमारे नोटिस में आई नहीं और इनका यह कहना कि बहुत एबनोर्मल कन्डीशन है, मैं माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य से अर्ज करूंगा, विरोधी दल के नेता हैं नहीं, वे भी मौजूद थे। आपस में बैठकर बातचीत की थी। और उसके बाद तो आपको विश्वास हो जाना चाहिये कि कन्डीशन एबनोर्मल नहीं है। ये घटनाएं पहले भी होती थीं। ४७ के बाद में ही होनी शुरू हुई हों ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इसका स्टेटमेन्ट तैयार करा लीजिये। मैं बनाकर पेश कर दूंगा कि जिसमें इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं कैटल लिफ्टिंग, लकड़ी छाली ले जाने की बात, ईवन डकैतियां भी पहले हुआ करती थीं। इन चीजों पर एबनोर्मल कन्डीशन नहीं होती।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, बहुत से माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिये हैं। मौका नहीं मिला बात करने का वे चाहें तो मैं जो गवर्नमेन्ट का उनमें दृष्टिकोण है उनके कट मोशनों पर वह मैं उनके पास भिजवा दूंगा। वे जानना चाहेंगे उसको तो।

रहा सवाल जेल का। जहां तक जेल का सवाल है एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि वहां उनको शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है। तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि उनको शायद मालूम नहीं है कि बराबर वहां जेल के कैदियों को शिक्षित करने के लिये प्रावधान है और ६३। ६४ में हरेक जेल में बड़ी जेलों के अन्दर परमानेन्ट टीचर्स भी हैं। इसके अलावा जो आपको मैं फिगर दूंगा ६०।६१ में १४६१ लिटरेट किया गया, ६१।६२ में १२३१, ६२-६३ में १४४६ को, ६३।६४ में १०८ को, ६४।६५ में १०३२ को और ६५-६६ में १०८८ को लिटरेट किया गया।

इसके अलावा वहां लायब्रेरी भी है। पूरा प्रबन्ध है कि लोग उसका फायदा उठावें। इसके साथ साथ जेल के लोगों को इम्तहान की तैयारी भी कराते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इम्तिहान में बैठने का प्रबन्ध भी है। मिसाल के तौर पर सेन्ट्रल जेल में ६३।६४ में मध्यमा में २९ कैदी बैठे और उनमें से २० पास हुए। फीमेल कैदी ११ बैठीं और ११ पास हो गईं प्रवेशिका में। इसी तरह से बम्बई हिन्दी विद्यापीठ की परीक्षाएं भी दी गई हैं। सेन्ट्रल जेल जयपुर से प्रथमा में ७ और प्रवेशिका में क्रमशः ७ और १३ बैठे जिनमें से क्रमशः ३ व ६ पास हुए। इसी तरह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाओं में भी बैठे हैं।

इसी तरह जुवेनाइल रिफार्मेटरी जेल में हाई स्कूल में एक बैठा और एक पास हो हो गया।

जयपुर में भी जेल से दो लड़के बराबर कालेजों में जाते हैं। अटेण्ड करते हैं क्लासें। और वे इम्तिहान में बैठेंगे। इसलिये उनके पढ़ाने का प्रबन्ध है।

कुछ ने यह कहा कि जो जेल कमीशन कायम हुआ तो उसकी रिकमण्डेशन पर अमल नहीं किया गया। मैंने पहले भी सदन में बताया था कि कुछ रिकमण्डेशन इम्पलीमेन्ट की जा चुकी हैं। कुछ ऐसी बाकी हैं जिनमें कुछ फाइनेन्शियल इम्पली-केशन हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि फाइनेन्शियल पोजीशन ऐसी नहीं होने के कारण उनको इस साल इम्पलीमेन्ट नहीं किया गया परन्तु उनको इम्पलीमेन्ट करने के लिये फैसला किया जा चुका है और फाइनेन्शियल पोजीशन ठीक होते ही उनको इम्पलीमेन्ट कर दिया जायेगा।

कुछ कट मोशन ऐसे हो सकते हैं जिनका जवाब देने से रह गया हो तो उनके उत्तर में उनको भेज देने की कोशिश करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जेल रिफार्म्स कमीशन की सिफारिशें क्या प्रिन्सिपली इन टोटो सरकार ने मान ली हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जो सजेशन हैं कमीशन के और जिनको इम्पलीमेन्ट कर दिया वे तो आपके पास सदन में और पहले बहस हो चुकी हैं।

अब रहा सवाल कुछ ऐसे मुद्दों का जिनको नहीं किया वे हैं वे जिनमें फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स हैं। उस पर हमने प्रिन्सिपली पूरा माना है जैसे उनके एम्पलोयीज हैं, उनकी तनखा बढ़ाने का सवाल है, कैदी हैं कैलोरिक फूड वेल्यू उनकी बढ़ाने का सवाल है। प्रिन्सिपली ठीक हमने मान लिया है बढ़ जाने चाहिये। कोशिश इम्पलीमेन्ट करने की कर रहे हैं।

इसी तरह बहुत सी सिफारिशें हैं। अभी रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट की पूरी किताब लेकर मैं आया नहीं हूं। आपने पढ़ रखा है। वे केवल इम्पलीमेन्ट नहीं हुई हैं सिफारिशें जिनमें फाईनेन्शियल इम्पलीकेशन्स है या कमिटमेन्ट होते हैं जो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस साल हम उन सबको पूरा करने की पोजीशन में नहीं हैं।

तो जैसा मैंने अर्ज किया कि जितने भी कटमोशन्स माननीय सदस्यों ने दिये हैं और उन्होंने अपने-अपने सुझाव दिये हैं उनके ऊपर बराबर इस बात की कोशिश करेंगे कि उन सुझावों के ऊपर जो कुछ भी हो सके वह किया जाये और कहीं कोई सूचना गलत होगी तो माननीय सदस्यों को सूचना देंगे कि इत्तला सही है या नहीं है और खास तौर से बारां से आने वाले माननीय सदस्य से जरूर में कुछ सूचना लेना चाहूंगा और फिर सदन को भी और माननीय सदस्य आपको भी बताऊंगा कि उनकी सूचना कहाँ तक सही है कि ३-४ साल तक किसी के खिलाफ करप्शन का केस होकर व्यवस्था नहीं हो रही है तो उसकी व्यवस्था में करूंगा। मैंने पहले भी अर्ज किया था और अब फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पहले सूचना देकर बाद में सदन में उठायें तो ज्यादा आसानी हो सकती है कि मैं सदन को सही स्थिति की इत्तला दे सकूं। यही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक भी वक्त ऐसा नहीं होगा जिस वक्त आपको यह खयाल पैदा हो कि किसी को शील्ड करने के लिए या गलत प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही हुई है या कोई ओमीशन हुआ है कि जिसमें किसी के खिलाफ कार्यवाही न करें, ऐसा कभी नहीं होगा।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, आपकी पुलिस के द्वारा हमारे कुशलगढ़ के समाजवादियों के लोगों को हथकड़ी पहना कर घुमाया गया और उनके साथ मार पीट की गयी। तो अगर इन्होंने जायज केस बनाया है तो मुझे एतराज नहीं हो सकता लेकिन पुलिस वालों ने फर्जी केस बनाया, लोगों को तबाह किया और गिरफ्तार किया और अभी भी उनके खिलाफ अपराध कायम कर रखा है तो अगर गलत काम पुलिस वालों ने किया है तो उनके खिलाफ क्या आप कार्यवाही करोगे और अगर यह केस गलत किया है तो क्या उस केस को मुख्य मंत्रीजी वापिस लेने के लिए तैयार हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि आज मुझको मौका नहीं मिला नहीं तो मैं साबित करता कि न तो पुलिस की गलती है यह गलती है इन नेताओं की कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें, भाषण नहीं होगा। कोई प्रश्न हो क्लेरीफिकेशन के लिए तो पूछिये।

श्री मदनसिंह दांता : कितने केसेज ऐसे हैं कि जो पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिनिस्टर लेवल तक पहुंचते हैं और केसेज को वहां पर पेन्डिग रखते हैं और आज गालियां पुलिस को खानी पड़ती हैं। पुलिस समय पर इत्तला देती है मैं समझता हूं कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेज जो कि मिनिस्टर्स के पास पड़े रहते हैं। सीकर में दूध कान्ड है उसमें एक लाख रुपया लोग खाये बैठे हैं जो कि पुलिस के एस० पी० के

(श्री मदनसिंह दांता)

पास ४५ हजार ले गये और उन्होंने उसको ठुकराया परन्तु मंत्रीगण इसलिए पेन्डिग रखते हैं कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया गया इसका पुलिस क्या करे।

श्री दामोदरलाल व्यास ; अध्यक्ष महोदय, जहां तक दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का सम्बन्ध है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिस्टर के पास कोई केस पेन्डिग नहीं रहता है। यह उनका गलत खयाल है कि मिनिस्टर के पास केसेज़ आते हैं। आपने अगर यह बात सुनी तो गलत है बल्कि आपको कहना चाहिए कि एक केस में आप मेरे पास में आये और मैंने प्रोम्प्ट एक्शन लिया और यह न कहें कि मिनिस्टर के पास केसेज़ पेन्डिग रहते हैं। लेकिन साथ ही इस बात को भी आप याद रखिये कि जितने भी क्राइम्स के केसेज हैं जिस समय कोई केस रजिस्टर हो रहा हो वह मिनिस्टर के पास आते हैं और मिनिस्टर उस पर अनावश्यक दखल देता है तब जबकि इन्साफ का खून होता हो।

जहां तक हीराभाई के प्रश्न का सम्बन्ध है कुछ गिरफ्तार हुए कुछ को हथकड़ियां पड़ गयीं और मुकदमे बन गये, जब मैं एक्सप्लेन करने लगा तो आप लोग मेरी मजाक उड़ाने लगे। अब रहा सवाल इस बात का कि मुकदमा क्या है क्या नहीं है मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं जानकारी करूंगा। अगर बेगुनाह फँसते होंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा और किसी ने कोई जुर्म किया होगा तो उसका अदालत फैसला करेगी और अदालत जो फैसला देगी वह आप और हम देख लेंगे कि क्या हुआ। इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए कि बेगुनाह का चालान करने की हमारी इच्छा नहीं है और कहीं पुलिस ने ऐसी कार्यवाही की होगी तो उसको रोकने की कार्यवाही हम करेंगे।

श्री हीराभाई : गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है कि चुने हुए लोगों को हथकड़ियाँ नहीं डाली जायें। क्या आप उसको जायज़ मानते हैं या नाजायज़ मानते हैं। अगर नाजायज़ मानते हैं तो उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं मानता हूं कि जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं और पब्लिक के इलेक्टेड हैं उनको हथकड़ियां न डाली जाये जब तक कि कोई कन्डीशन्स जो मेन्शन्ड हैं वह परमिट न करती हों और जैसा आपने कहा मैं उसकी जानकारी करूंगा कि उसमें कितने आदमी मेम्बर्स थे जिनको हथकड़ी डाली गयी।

श्री रामकिशन : मैंने जगन्नाथ कक्कड़ जो भरतपुर के कार्यकर्ता हैं उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार का प्रश्न पूछा था....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूँ कि इस इम्पॉरटेन्ट केस को मैं भूल गया। श्री जगन्नाथ कक्कड के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसकी सूचना मुझे तार द्वारा दी थी और मैंने प्राम्प्ट एक्शन लिया और सब-इन्सपेक्टर को इसके अन्दर हटाया गया और एस०

(श्रीदामोदरलाल व्यास)

पी० को कहा है कि वह इन्क्वायरी करे और रिपोर्ट करे । जितना कम्फड़ को माननीय सदस्य आप जानते हैं उतना ही मैं भी जानता हूँ । वह पुराने पोलिटीकल वर्कर हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इन्क्वायरी से साबित होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामकिशन : क्या वह सब-इन्सपेक्टर हट गया क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां से हटा दिया है । कोतवाली से हटा दिया है ।

श्री मदनसिंह दाता : अजमेर में सब-इन्सपेक्टर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य एक प्रश्न का हल हो रहा है और आप दूसरे सब-इन्सपेक्टर को ले रहे हैं । पहले प्रश्न का हल हो जाने दीजिए ।

श्री रामकिशन : आपने क्या कहा हटा दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोतवाली से हटा दिया है ।

श्री रामकिशन : तो कोतवाली से हटाकर क्या बगल के घर में चला गया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस लाइन में चला गया होगा ।

श्री रामकिशन : कहीं नहीं गया है वह । वहीं है । अभी चार-पांच रोज पहले तो वहीं था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो आज की कह रहा हूँ । आइये मैं आपको रिपोर्ट बताऊं मैं असेम्बली में बोल रहा हूँ कोई बाजार में नहीं बोल रहा हूं । जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ।

श्री रामकिशन : मैं तो आपको जिम्मेदार समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) : आर्डर, आर्डर श्री श्रवणलाल

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सर्विसेस के अन्दर १२.१।२ परसेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं हालांकि यह मामला मूव नहीं हुआ था लेकिन फिर भी अर्ज करूंगा कि पुलिस के अन्दर १२.१।२ परसेन्ट जो संविधान में रिजर्वेशन का कोटा है उसको बराबर ध्यान में रखा जाता है और उसी के माफिक रिक्रूटमेन्ट होता है और रिक्रूटमेन्ट में कोई कमी नहीं होती है ।

श्री श्रवणलाल : जहां तक सवाल इस बात का है कि सर्विसेज में उस रिजर्वेशन से लेते हैं लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां प्रमोशन का सवाल है वह बतायें कि कितनों को आपने प्रमोशन दिया है जो लोग काफी दिनों से काम कर रहे हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं दिया गया है ...

श्री दामोदरलाल व्यास : खुद माननीय सदस्य जानते हैं रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट का है प्रमोशन का नहीं। प्रमोशन्स तो सीनियोरिटी-कम-मैरिट्स फार्मूला पर है और हर आदमी को अधिकार है पूरे प्रमोशन का। आप स्पेसिफिक इनफार्मेशन जानना चाहें तो आप मुझे बता दें मैं उसकी जानकारी करके बताऊंगा। किसी का हक मारा गया हो और उसको प्रमोशन नहीं मिला जब कि मिलना चाहिए तो आप मुझे बतायें मैं उस केस को देख लूंगा।

श्री श्रवणलाल : कहीं भी किसी भी जगह प्रमोशन वाला सवाल है वह कहीं हल नहीं हुआ है और जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है उन व्यक्तियों को इस तरह से कुचला जाता है और उनका हक मारा जाता है और जो सिफारिशी होते हैं उनको प्रमोशन मिल जाते हैं ...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बताया था कि भूराभाई के मर्डर केस में डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज श्री गोपालमल जी मेहता जो कि आजकल यहां हैं उन्होंने इनवेस्टीगेटिंग आफिसर श्री लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कुछ रिमार्क्स पास किये थे कि उन्होंने इनवेस्टीगेशन को बंगल-अप कर दिया है और उनके फैसले के बाद उसको सस्पेन्ड किया गया था यह मुझे जानकारी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड करके फिर थोड़े समय के बाद वापिस क्यों ले लिया गया है? क्या कोई विभागीय जांच की गई? आप इस सम्बन्ध में कोई जानकारी दे सकते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी नहीं। मैंने माननीय सदस्यों को इसलिए अर्ज किया था कि अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले से एडवांस इन्फोर्मेशन मुझे दे दें तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। यहां पर एकदम से खड़े होकर कोई बात कहें तो मैं उसके सम्बन्ध में कुछ अर्ज नहीं कर सकता, यह मेरी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावत।

श्री भिजयसिंह रावत : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस अधिकारी हैं और उनके खिलाफ उस क्षेत्र की जनता ने कोई एजीटेशन किया हो और प्रस्ताव पास किए उनके कारनामों से तंग आकर तो उनको वहां से हटाने के बारे में या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोई योजना अपने दिमाग में रखते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ यदि कोई एजीटेशन होता है तो मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य किस के बारे में कह रहे हैं, परन्तु आम तौर पर जनता में किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ असंतोष होता है तो हम उसका तबादला, कर देते हैं और यदि कोई उसके खिलाफ चार्जेज होते हैं, कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच भी करवाते हैं।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

(व्यवधान) कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं!

श्री दामोदरलाल व्यास : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ केसेज के बारे में डिटेल्स देने का उन्होंने वायदा किया है तो उसे देना वे न भूल जायं। अगर उन्होंने डिटेल्स नहीं दी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(कई माननीय सदस्य खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूँ कि जोधपुर में जो एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था आर. ए. सी. और बी. एस. एफ. के सम्मिलित ट्रेनिंग का। अब आर. ए. सी. तो बी. एस. एफ. से अलग हो गई है तो वह ट्रेनिंग सेंटर आपने रखा है या सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है।

(श्री दामोदरलाल व्यास अधिकारी दीर्घा से जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे थे)

श्री विजयसिंह रावत : दोनों के बीच में टेलीफोन लगा देना चाहिए।

श्री चुन्नीलाल (नोखा) : डाकुओं के बारे में मैंने एक प्रश्न उठाया था....

श्री दामोदरलाल व्यास (श्री खेतसिंह की ओर मुखापेक्ष) : अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है, विचाराधीन है।

श्री चुन्नीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गृह मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बहादुरसिंह और जगमालसिंह डाकू मारे गए हैं? उनको खत्म कर दिया गया है या क्या किया है। मैं यह इसलिए पूछना चाहता हूँ कि डाकू बहादुरसिंह ने मेरे भाई कालूराम की हत्या की थी और उसका पता नहीं चला था....

श्री अध्यक्ष : डाकू मर गए या जिन्दा हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या आपको इसकी इत्तला नहीं मिली कि जगमाल-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सिंह मारा गया या नहीं। जगमालसिंह पाकिस्तान की जेल में था और बाद में मारा गया।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है····

श्री चुन्नीलाल : माननीय अध्यक्ष में यह····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य ! (श्री चुन्नीलाल की ओर मुखापेक्ष) आपके पीछे ही एक और माननीय सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए खड़े हैं। कई बार खड़े हो चुके हैं।

श्री चुन्नीलाल : माननीय अध्यक्ष ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, आपके ही पीछे एक सदस्य खड़े हैं, आप उन्हें पहले पूछने दें, वे कई बार खड़े हो चुके हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्तावों में तीन मसले रखे थे और वे मसले बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में मैंने पहले प्रश्न भी पूछे थे लेकिन उनकी जानकारी आज तक सदन की मेज पर नहीं रखी गई और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मसले उठाए थे अपने कटौती प्रस्तावों के बारे में। इनमें से एक का भी उत्तर नहीं दिया गया है।

दूसरी बात यह है कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट चम्बल रिवाईन के किनारे पर पड़ता है और वहाँ पर दो सौ मील के एरिया के पोरशन में इसकी वजह से बड़ा उत्पात रहता है। वह क्षेत्र डाकुओं से उत्पीड़ित क्षेत्र है और वहाँ पर कुछ व्यवस्था होना जरूरी है, लेकिन आपने इसके सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय जिन तीन घटनाओं के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं वे बिल्कुल नई बातें हैं, उनके बारे में शुरू में ही बताते तो मैं कुछ जानकारी करता लेकिन इस वक्त तो मैं एक का भी जवाब नहीं दे सकता। पहले तो आप सूचना देते तो जितना जवाब दिया जा सकता था, दिया जाता। अब भी आप चाहते हैं कि मैं उस बारे में जानकारी करके आपको जवाब दूं तो आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए मैं मालूम कर लूंगा। आप मुझ से यह अपेक्षा करें कि मैं सारे राजस्थान का दफ्तर ही यहाँ पर लगा कर बैठ जाऊँ तो यह तो मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन घटनाओं के बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं मुझे उसकी जानकारी दे दें मैं उनको पूरा संतोष दिलाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे एक दफा गलत करके तो बताइए। मैं आपको पूरा सन्तोष दिलाने की कोशिश करूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है कि थानेदारों का जब आगे प्रमोशन होता है तो उनको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ?

Page No.162

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहाँ से सवाल उठा कर लाते हैं। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : इसमें सवाल उठाने का क्या प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : माननीन सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री मदनसिंह फिर भी बोलते रहे एवं श्री अध्यक्ष उन्हें बैठ जाने के लिए सम्बोधित करते रहे)

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य! माननीय सदस्य। माननीय सदस्य!

(इस बीच श्री मदनसिंह बोलते रहे)

(पूर्ण अश्रव्य)

माननीय सदस्य मुझे मजबूर होकर आपका नाम लेना पड़ेगा।

(फिर भी बोलते रहे) (अश्रव्य)

माननीय सदस्य ठाकुर मदनसिंहजी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे संतोष नहीं हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। Chair is on its legs.

श्री चुन्नीलाल : मुझे संतोषजनक जानकारी नहीं मिली है! ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। इतने प्रश्नों का मौका मैंने दे दिया है, अब मुझको समय को भी देखना पड़ता है।

श्री विजयसिंह रावत : On a point of Order, Sir.

श्री चुन्नीलाल : मैं यह जानना चाहता हूँ... ...

श्री अध्यक्ष : There is a point of Order.

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय आपकी तरफ से यह व्यवस्था की गई है कि जिन सदस्यों के कटौती प्रस्ताव सदन में मूव नहीं हो सके हैं उनको मूव किया हुआ मान कर उनका जवाब दिया जाएगा....

श्री अध्यक्ष : यह कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आप (श्री चुन्नीलाल) पूछ लीजिए। आप बड़े उद्विग्न हो रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि डाकू बहादुरसिंह को मार दिया गया है तो

(श्री चुन्नीलाल)

इस जवाब को ही में कैसे संतोषजनक मान सकता हूँ। क्या सरकार को तसल्ली है कि डाकू बहादुरसिंह मार दिया गया है और अगर मार दिया गया है तो किस जगह पर मारा गया और मार दिया गया तो क्या राजस्थान पुलिस को उसकी लाश मिली। क्या प्रूफ है सरकार के पास कि जिससे संतोष हो सके कि वह डाकू मार दिया गया। डाकू बहादुरसिंह के द्वारा मेरे भाई की हत्या की गई थी और सरकार मुझे संतोषजनक जवाब भी न दे सके इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री चुन्नीलाल : यह जरूरी बात है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं है।

(शोरगुल (व्यवधान) (अश्रव्य)

(श्री चुन्नीलाल प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बारबार उठ रहे थे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! अब स्थान ग्रहण कर लें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं सभापति नहीं हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर सवाल नहीं पूछने देंगे तो अध्यक्ष से सभापति बना देंगे।

(हँसी)

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष : Chair is on its legs, आप देखते नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री चुन्नीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्दगी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर। यह परम्परा का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री मदनसिंह दांता : ये परम्परायें बदली भी जा सकती है।

(श्री चुन्नीलाल एवं श्री मदनसिंह दांता साथ साथ बोलते रहे)

(पूर्ण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन को मजबूर न करें। मैंने बहुत पर्याप्त समय दे दिया है।

(व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

ऑर्डर ऑर्डर। मैं माननीय सदस्य की उद्विग्नता को देखते हुए गृह मंत्रीजी से

(श्री अध्यक्ष)

निवेदन करूंगा कि आप इन्हें मौका दें, जो कुछ भी ये प्रश्न रखें उनका इन्हें समाधान करा दें बाहर, ताकि उन्हें पूर्णतया संतोष हो सके।

(विपक्ष की ओर से हियर हियर)
माननीय मुख्य मन्त्रीजो।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, सामान्य प्रशासन की मांग के सम्बन्ध में यहाँ पर जो चर्चा हुई और जो कटमोशन्स आए, उनके सब के विस्तार में न जाकर के कुछ ही मुद्दों पर जो कि ज्यादातर माननीय सदस्यों के द्वारा जो यहाँ पर उठाए गए हैं उन्हीं पर मैं प्रकाश डालूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने शासन में गति लाने के लिए, शासन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी जो पहले बनी थी, उसकी सिफारिशों पर कितना अमल किया गया है उसके सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विजिलेन्स कमेटी या और प्रकार का आर्गेनाइजेशन बनाया जाय उस सम्बन्ध में अपने कटमोशन भेजे थे। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी बनाई थी और उसने कुल २३२ रिकमन्डेशन्स की थी उनमें से सरकार ने १२० को इम्पलीमेंट कर दिया, ११४ के ऊपर एक्शन हो रहा है और ५८ के अन्दर कुछ पर निर्णय नहीं हुआ है और कुछ को नामंजूर किया है। इस प्रकार रिकमन्डेशन्स के ऊपर एक्शन लिया गया है। कुछ एक्शन इस वजह से इस वक्त हम रोक कर चल रहे हैं कि अखिल भारतीय आधार पर रिफार्म्स कमीशन बना है और वह रिफार्म्स कमीशन भी बहुत से मुद्दों के अन्दर जा रहा है जिस पर अखिल भारतीय आधार के ऊपर कार्यवाहियां होंगी और उस मौके पर राजस्थान को भी एक्शन लेने के अन्दर अपने यहाँ के अनुभव और आल इन्डिया रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट दोनों को मिला कर एक्शन लेने में सुविधा होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, आफिसर मिलने वालों को समय दें, पंक्चूअल समय पर आयें इन चीजों के बारे में कट मोशन्स आया व्हीकल्स के बारे में कुछ माननीय सदस्यों के कटमोशन आये कि व्हीकल्स का ठीक उपयोग नहीं होता है, उसके सम्बन्ध में, टूर के सम्बन्ध में समय-समय पर काफी विस्तृत सरक्यूलर्स इश्यू किये गये हैं, उनके ऊपर अमल करने के लिए कहा गया है। अगर कोई स्पेसिफिक इन्सटान्स ऐसा सामने आये जहाँ पर इन चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है और साबित किया जा सके तो हमारे इन्स्ट्रक्शन्स के मुताबिक उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन जब तक चार्ज साबित नहीं हो, अगर इस प्रकार के लेप्सेज हैं, कमियां हैं तो उसके अन्दर कार्यवाही करने के लिए हमारे सामने दिक्कत आती है। लेकिन राज्य सरकार की कतई मन्शा नहीं है कि आफिसर्स टूर्स पर, जो समय निश्चित किया गया, उसके अनुसार न जायें। न हमारी यह मन्शा है कि क्लास फोर सर्वेन्ट्स से वह काम लें और किसी प्रकार की ज्यादती हो। इस सम्बन्ध में, व

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हम यह चाहते हैं कि जो उनसे मिलने के लिए लोगों के लिए समय निर्धारित किया गया है उसमें भी किसी प्रकार का अभाव हो। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि हम अब तक इस बात को सक्रिय रूप से करने में कामयाब नहीं हुए हैं और यह शायद सारे भारतवर्ष और हो सकता है, और जगहों के अन्दर भी यह प्रश्न हो, लेकिन रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए खास तौर से डिलेज के मामले में और दूसरी चीजों के मामले में हमें जिस हद तक कामयाब होना चाहिए, नहीं हो पाये हैं। हम चाहते हैं कि इस दिशा के अन्दर कामयाबी मिल सके और उस चीज को कार्यान्वित कर सकें। इसलिए जो सुझाव यहां पर भी दिये गये हैं या अलग अलग समय पर और सुझाव सामने आयेंगे उनके बारे में ध्यान रख कर चला जायगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सर्विसेज के बारे में यह आक्षेप किया जाता है कि हम इन्टरफिअर काफी करते हैं और उनको काम करने के लिए कम मौका मिलता है प्रमोशन में या ट्रान्सफर के अन्दर या और रूल्स वगैरह बना कर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जहां तक कि एक व्यक्ति जो सर्विस में आता है उसके केरिअर में सबसे बड़ा अवसर होता है सर्विसेज में रिक्रूटमेंट का और रिक्रूटमेंट के बाद उसके केरिअर में इम्पार्टेन्स होती है प्रमोशन की, जो इसके लिए सबसे बड़ा गाईडिंग फेक्टर होता है हमारी सर्विसेज में काम करने वाले के लिए। राजस्थान में जहां तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये आम तौर से सर्विसेज रिक्रूट होती हैं। प्रमोशन में तमाम स्टेट्स पर अगर माननीय सदस्य निगाह डालेंगे और वहां के रूल्स और प्रोसीजर को एक्जामिन करेंगे तो मेरे ख्याल में उनको मालूम होगा कि प्रमोशन के बारे में जो व्यवस्था हमने राजस्थान में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के जरिये की है कि जिनके अन्दर जो उसके सी० आर्स० होते हैं उसके आधार पर वह डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिस डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर प्रिसाइड करते हैं और उस कमेटी के अन्दर दूसरे हैड आफ डिपार्टमेंट्स और सेक्रेटरी अपाइन्टमेंट्स जो शरीक होते हैं वे रिकार्ड्स के बेसिस पर उनका प्रमोशन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, समय समय पर एडमिनिस्ट्रेटिव एफीसियेन्सी कैसे हम ला सकें उसके लिए सरकार विचार करती रही है। बीच में हमने यह भी रूल बनाया, न केवल हम रुटीन के तौर पर सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन करते हुए चले जायेंगे बल्कि कुछ पर्सेन्टेज ऐसा भी रखा जाय जिसके अन्दर मेरिट को सामने रख कर प्रमोशन किया जायगा। उस आधार पर भी रूल्स बनाये गये जिससे एक नौजवान के अन्दर, जो बाद में रिक्रूट हुआ है, यह भावना रह सके कि वह अच्छा अचीवमेंट करता है तो आउट आफ टर्न उसको प्रमोशन मिल सकता है। उसके बारे में रूल्स बनाये और उस पर आगे बनाने के बारे में प्रयत्न किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी हैड आफ डिपार्टमेंट्स के लिए या किसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी प्रमोशन पोस्ट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सीनियोरिटी ही उसका क्राइ-टेरिया हो, उसके लिए सरकार सीनियोरिटी के साथ-साथ इस बात को ख्याल में रख कर चलती है और चलेगी कि सीनियोरिटी के साथ उस आदमी को भी चुने जो हैड आफ डिपार्टमेंट के पद को सम्भालने के लिए योग्य हो। इस बात को भी ध्यान में रख कर चला जायगा। मैंने आपसे निवेदन किया, हमने प्रमोशन और रिक्रूटमेंट के लिए इस प्रकार के नियम इसलिए बनाये कि जिससे सर्विसेज को किसी व्यक्ति विशेष की तरफ देखने का अवसर न आये और वह अपने सी० आर्स० वगैरह, जिसको आफिसर जो उससे सीनियर है, वह लिखता है, और उसके आधार पर उसका प्रमोशन होता है, पास्ट रिकार्ड के आधार पर-इस प्रकार का नियम राजस्थान के अन्दर लागू किया गया है।

मैं अध्यक्ष जी, यह निवेदन करूं कि हमारे यहां चर्चा के दौरान में यह भी कहा गया कि छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के ट्रान्सफर्स एक डिस्ट्रिक्ट में कई बार और एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में कर दिये जाते हैं। मैंने पहले भी एक बार सदन में निवेदन किया था, हमारी राज्य सरकार की तरफ से यह इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि जो कम वेतन पाने वाला राज्य कर्मचारी हो उसको उसके जिले में, जहां तक हो सके, रखा जाय। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर ट्रान्सफर आवश्यक हों तो उसी जिले में किया जाय और विशेष आवश्यक हो तो उसके बाहर किया जाय। लेकिन इस वजह से उस डिस्ट्रिक्ट के लोग उसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं खपाये जा सकते क्योंकि रिक्रूटमेंट में एक पर्टीक्यूलर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो जाता है इसलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं। कुछ जगह स्वयं अपना पोस्टिंग कराने के लिए कई बार प्रयत्न करते हैं, कुछ जगह एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से किये जाते हैं। लेकिन जहां तक लो पेड एम्प्लाईज का सवाल है, कहीं किसी का ट्रान्सफर होता है वह मिनिस्टर तक, या कई वक्त सेक्रेटरी तक रेफर नहीं होता है और जो इमीजियेट अधिकारी हैं, हैड आफ डिपार्टमेंट या दूसरे लोग वह करते हैं। अब किसी के साथ में ज्यादती जैसी बात है तो उसको सरकार देख सकती है। इसके अलावा नियमों का सरक्यूलर्स का और पालिसी का जहां तक सवाल है, इसके मामले में पालिसी का भी हैं जो स्पष्ट है, कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी डेलीगेशन आफ पावर्स में भी इस सरकार ने समय समय पर इस बात का प्रयत्न किया है कि हैड आफ डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज की और उसके नीचे जितनी पावर हम डेलीगेट कर सकते हैं उनको डेलीगेट किया जाय जिससे काम एक्सपीडाइट हो और जल्दी से जल्दी फैसला हो सके और भी कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा था, कुछ और डिसेन्ट्रलाइजेशन की तरफ विचार किया जा रहा है, उस पर विचार करके सेक्रेटेरियट का काम कम हो इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। मैं आज जो इस सदन में बहुत सी चर्चायें सामने आई उन चर्चाओं में डिस्ट्रिक्ट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा स्ट्रेन्थन हो उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं. दो राय नहीं हो सकती। हम भी इस बात को मानकर चलते है और समय समय पर उसके लिए प्रयत्न भी किया है लेकिन धन के अभाव की वजह से और दूसरे भी कई कारणों की वजह से जितना कि हम सोचते है कि एफ्फीशिएंसी डिस्पोजल हो सके, रुकावटें भी सामने आती है। आज डिस्ट्रिक्ट के अन्दर आज से दस साल पहले या पन्द्रह साल पहले कलेक्टर के पास या डिस्ट्रिक्ट के किसी आफिसर के पास जितनी रेस्पान्सिबिलिटी थी, आज की चेंडड सरकम्सटान्सेज के अन्दर रेसपान्सिबिलिटी काफी बढ़ गई और काफी रेसपान्सिबिलिटी बढ़ जाने की वजह से उनको जितना ध्यान केन्द्रित होना चाहिए, कभी कभी उसके अन्दर हम यह पाते है कि कमियां नजर आती हैं।

आज फूड का प्रोब्लम खड़ा है, फेमिन का प्रोब्लम है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का सवाल खड़ा है, फेमिली प्लानिंग को एकदम आगे बढ़ाने का सवाल हैं, पंचायती राज के सुपरविजन का सवाल है ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जाती हैं और यह एक नया स्वरूप है जो आज के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश हुआ है। इसके लिये अभ्यस्त होने में भी जो समय लगा है हमारे सामने है। खामियाँ हमारे सामने आई हैं, पर निश्चित तौर से निवेदन कर सकता हूँ कि राजस्थान में चाहे जिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सेक्रेटेरियट के लेवल पर हो, माननीय अध्यक्षजी, आज की मौजूदा फेमिन कन्डीशन, आज की मौजूदा फूड शार्टेज की कन्डीशन, आज की जो जनरल हालत है जो मुश्किलातें आज की हैं उनमें जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान के अन्दर फंक्शन कर रहा है, मैं समझता हूँ यह क्रेडिटेबल बात है उसके लिये और इस बात को कहकर नहीं चल सकते कि हम उसकी बुराई ही बुराई करें। एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं पाता ऐसा नहीं कह सकते।

यह ठीक है, समय समय पर कोई भी सरकार आज होगी उसे निरन्तर विचार करना पड़ेगा। जिस किसी भी पेटर्न को आज एडोप्ट करके चलेंगे तीन साल के बाद और हो सकता है साल भर के बाद उस पेटर्न से काम न चले, दूसरा बदलना पड़े, तो चेंजिंग पेटर्न होते और आते रहेंगे।

आज सदन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में काफी कहा गया। जब कभी जी. ए. डी. के बारे में जनरल डिसकशन होता है तो यह आम तौर से चर्चा की बात रहती है। स्वाभाविक बात है। उसके बारे में बहुत सों ने कहा हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हम इस तरफ बैठने वाले हैं आप इत्मीनान रखकर चलिये और मैं यह दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि हम भी कोई राजस्थान में भ्रष्टाचार फैले इस बात को हरगिज नहीं चाहते। हम भी उसे मिटाना चाहते हैं। आज कोई भी सरकार इस बात को पसन्द नहीं करती कि विरोधी पक्ष में बैठे रहने वाले उनकी किसी भी कमजोरी का लाभ उठावें या उठाने का अवसर भी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उनको मिले। इसको हम भी समाप्त करना चाहते हैं।

मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर, जब देश में सवाल खड़ा हुआ कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अगर विजिलेन्स कमीशन जैसी कोई इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी को कायम कर दिया जावे और उसको वह अख्तियार दिये जावें वह टर्म आफ अपोइन्टमेन्ट हो उसकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों को होती है तो उस सम्बन्ध में राजस्थान उन कुछ प्रदेशों में से एक था जिसने पहले करके अपने यहाँ पर विजिलेन्स कमीशन की स्थापना की। मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि विजिलेन्स कमीशन के तौर पर उस व्यक्ति की नियुक्ति की जो एक आई० सी० एस० अधिकारी है जिसके बारे में भारत सरकार में होम मिनिस्टर से मैंने बात की उस समय के, श्री गुलजारीलाल नन्दा से। टण्डन एक थे, जिनकी इन्टेग्रिटी के बारे में उनको भी सबको पूर्ण विश्वास था। भारत सरकार में जिनकी इन्टेग्रिटी के बारे में विश्वास था। ऐसे आदमी को लाकर मुकर्रर किया। इस वजह से कि असर उसके स्टेटस का भी पड़ेगा और इन्डिपेन्डेन्ट फंक्शन के लिये मौका मिलेगा।

आपके सामने, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल की विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, दूसरी प्रस्तुत करने वाले हैं जल्दी ही, और भी रिपोर्ट आवेंगी उससे देखेंगे कि सरकार ने उनकी हर सिफारिश को स्वीकार किया है और एक पर भी डिफर नहीं किया है।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी हमने क्रीएट की है, उसके पास आज किसी को भी शिकायत हो, किसी अफसर के पास शिकायत हो, आपको अधिकार है जनता को अधिकार है वे उसके पास सीधे एप्रोच कर सकते हैं। विजिलेन्स कमीशन को अधिकार है कि वह डिटेल में जाकर सिफारिश कर सकता है। तो वह इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी राजस्थान में अपोइन्ट की गई है।

अब इसके बाद में यह समझता हूं कि हमारी मन्शा के लिये कि हम कोई राजस्थान के अन्दर यह चाहते हों कि सरकारी अफसरों को छूट दे दी जावे कि भ्रष्टाचार किये जाओ यह जो कई बार भाषण किये जाते हैं मैं अदब से कहना चाहता हूं कि हम में खामियां है, हम मानते हैं, खामियां हैं, मैं नहीं मानता नहीं हैं, पर उनको दूर करने के लिये ईमानदारी पूर्वक कोशिश करना चाहते हैं। यह निश्चित है। अब इसमें सफलता नहीं मिलती यह हो सकता है, पर हमारे प्रयत्नों में कमी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता।

माननीय अध्यक्षजी, एक प्रकार से मुझे दुख भी होता है कि सदन में जब कभी बहस के दौरान सवाल आता है एक आसान बात हो गई है सबसे आसान कि मिनिस्टर के ऊपर छींटाकसी की जावे।

मैं निवेदन करूं आपसे, अभी यहां पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कहा गया छोटी सादड़ी के सोने के बारे में मुझे चोट पहुँचाती है यह चीज, मैं निवेदन करना चाहता हूं और शायद बहुत से माननीय सदस्य भी दिल में जानते होंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है । पर जो भी माननीय सदस्य समझते हों । मैं उन व्यक्तियों में से रहा हूँ कि इस सदन में एक बार नाथद्वारा की बात को लेकर बहुत जोरों से बात कही गई जो शायद देश में कहीं नहीं हुआ होगा । चाहे भावनावश कहिये चाहे खुद की दृष्टि से कहिये, मैंने अपने ऊपर सरजूप्रसाद कमीशन, चीफ जस्टिस के कमीशन को बिठा लिया और सारे उस केस की एन्क्वायरी वाली बातें कीं । माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी दूसरी पार्टियों के व्यक्ति मेमोरेण्डम लेकर राष्ट्रपति के पास गये । होम मिनिस्टर के पास गये । और उस वक्त होम मिनिस्टर नन्दाजी थे । उसमें ४२ पोइन्ट या कितने थे । उस पर कहा गया कि इसमें प्राइमा फेसी कुछ नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस वक्त बीच में यह चल रहा था कि कौन सरकार बनावे, इस बात का काफी प्रचार किया जा रहा था कि मैं सरकार इस लिये बनाना चाहता हूँ कि मुझे भय है कि कहीं हमारी सरकार अगर नहीं बनेगी तो छोटी सादड़ी के सोने के काण्ड को लेकर न मालूम क्या गजब होने वाला है, क्या नहीं इस तरह से जाकर सारे काण्ड को छिपाना चाहते हैं । इसलिये प्रयत्न में लगा हूँ कि हमारी सरकार बने । तो इसलिये जहाँ हमारी सरकार बनी हमने भारत सरकार के गृहमन्त्रीजी को लिखा कि जिस किसी प्रकार से आप इस बारे में सन्तोष करना चाहते हों आप सन्तोष कर सकते हैं या आपके सदन के नेता कर सकते हैं । करने वाली बात मैंने की है । मैं नहीं समझता कि मैं इसके सिवाय और क्या कर सकता था । आज कहा जाता है ज्युडिशियल कमीशन बिठा दीजिये, यह बिठा दीजिये, वह बिठा दीजिये, मैंने यह देखा, माननीय अध्यक्षजी, नाथद्वारा के बारे में ज्युडीशियल कमीशन बिठा दिया और निर्णय हुआ तो किसी ने धन्यवाद नहीं दिया ।

श्री भैरोंसिंह : वह कमीशन आपने नहीं बिठाया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बातें उठाई जाती हैं और मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, जनतन्त्र के प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने अपने राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के स्लोगन को ही काम में लिया तो लोगों की आस्था जनतन्त्र के प्रतिनिधियों के अन्दर से उठ जाने वाली है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो उठ गई ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे वे आपके इस स्लोगन का लाभ उठावेंगे और अपने हक में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : अगर लोकतंत्र की इतनी चिन्ता है तो परमानेन्ट जांच कमीशन जैसी व्यवस्था कर दीजिये। फिर पता लगेगा कि चार्जेज लगाते हैं वे सही हैं या गलत हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस बात को नहीं मानता। कुछ माननीय सदस्यों को तो रोज कमीशन बिठाकर इन्क्वायरी करा करें तो काम मिल जावेगा, छींटे उछालने का अवसर मिल जावेगा पर इसका अन्त नहीं होने वाला है। यह कुल मिलाकर दृष्टिकोण मैंने देखा है।

श्री भैरोंसिंह : लोकतंत्र की चिन्ता जनता को खुद को मुख्य मंत्रीजी से ज्यादा है। अगर उनको भी चिन्ता है तो जांच कमीशन से डरें नहीं, इससे उनकी असलियत का पता लग जावेगा, कोरे भावनात्मक लम्बे चौड़े भाषणों से लोकतंत्र नहीं बचेगा। आपको अपने चरित्र ठीक करने होंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज यहाँ पर मिनिस्टरों के बिजली के खर्चे, पानी के खर्चे के बारे में, पैट्रोल के बारे में जो व्यवस्था दी गई है हमारे रूल्स में, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसमें एक मेक्सीमम लिमिट है। कोई यह समझकर चलता हो कि पानी के लिये १८००) रु. साल का फिक्स कर दिया गया तो उसका मतलब यह होता है कि वह १८००) रु. कोई मिनिस्टर को मिल जाते हैं तो वह बात उनके दिमाग में नहीं रहनी चाहिये।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि कोई यह समझते हों कि बिजली की यह मेक्सिमम लिमिट रखी है, उतनी बिजली नहीं जलाते हैं तो मिनिस्टरों को मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। उस लिमिट से कम बिजली जलती है तो कम खर्च लगेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा और अगर उस लिमिट से ज्यादा बिजली खर्च होगी तो उसके चार्जेज मिनिस्टर्स को देने पड़ते हैं। कुछ को देने भी पड़े हैं। जो लिमिट रखी है पैट्रोल की या और कोई चीज की, उससे ज्यादा खर्च होता है तो चार्ज किया जायगा, कम खर्च होता है तो उतना ही खर्चा लगेगा। यह कहा गया कि गवर्नमेंट की कारों में से पैट्रोल निकाल कर जिनके पास प्राइवेट गाड़ियां हैं वे अपनी कारों में डाल देते हैं। जब तक कान्क्रीट सबूत नहीं हों इस प्रकार के चीप एलिगेशन्स लगा कर गुमराह करने की कोशिश न की जाय। इन एलिगेशन्स के बारे में बहुत आसान समझ लिया है, मिनिस्टर्स के लिये कह दें कि गवर्नमेंट की गाड़ियों से पैट्रोल निकाल कर अपनी प्राइवेट गाड़ियों में डाल लेते हैं, इस प्रकार की बातें चलने लगेंगी तो भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसा करने का मौका मिलेगा, भ्रष्ट अधिकारी कहेंगे कि आप क्या बात करते हैं, आप तो पैट्रोल की चोरी करते हैं, आपके मेम्बर्स कहते हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया कि तथ्यों पर आधारित कॉन्क्रीट मजबूत बात हो तो उन बातों के बारे में हम इनकारी कर के नहीं चलते।

श्री भैरोंसिंह : कहें किसको ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सदन में बहस हुई है, जवाब दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : कहें किसको ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस जवाब के अलावा और फोरम्स रहे हैं उनका उपयोग किया गया है, किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। इस बात से हम इन्कार नहीं करते। मैं दृढ़ता पूर्वक कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये, चाहे मिनिस्टर का हो चाहे किसी का हो, आप में उत्सुकता है तो हम में भी उत्सुकता है। सादड़ी के सोने का नारा यहां बहुत चला, उदयपुर की दीवाल पर सादड़ी के सोने का नारा लगाया गया, जिस गुणवन्तलाल को पार्लियामेंट के लिये कुछ माननीय सदस्यों ने चित्तौड़ पार्लियामेंट सीट से खड़ा कर दिया था, जिनके लिये समझते थे कि वह जीतेंगे, उस गुणवन्तलाल की जमानत जब्त हुई।

श्री हीराभाई : आप लोग स्तीफा देकर चुनाव लड़ो तब पता चलेगा।

(शोरगुल)

(चुप रह, बैठ जा, बैठ जा की ध्वनियां)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री रामकिशन : हीराभाई तो बैठ जायेंगे पर आप उनको भी तो कन्ट्रोल करिये। किस तरह बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री विजयसिंह रावत : आप इधर वालों को ही कहते हैं, उधर वालों को तो कुछ नहीं कहते।

श्री अध्यक्ष : सब सदन को कहता हूं। आप कैसे मानते हैं कि एक ही तरफ वालों को कहता हूं। आप तो बैठे बैठे बोलते हैं, मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शान्ति से सुनें, नियन्त्रण रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने गवर्नमेंट सर्विसेज के लिये विजिलेंस कमीशन की व्यवस्था की है उसका स्वागत सदन में हुआ लेकिन मंत्रियों, जिला प्रमुखों, प्रधानों, पंचायतों के सदस्यों के लिये क्या व्यवस्था की है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेज हों, उनके बारे में क्या परमानेन्ट व्यवस्था करने का सरकार विचार करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आल इन्डिया लेविल पर आल इन्डिया कमीशन विचार कर रहा है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह व्यवस्था नहीं हो जाय तब तक इन पर कोई चैक नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो वहां फैसला होगा उसको माना जायगा।

दूसरी बात निवेदन कर दूं कि यहां यह सवाल उठाया गया कि अपने एसेट्स के बारे में मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दे दिया करें तो ठीक होगा। जो पहले कमेटी बनी, होम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मिनिस्टरी ने तय किया उसके अनुसार हर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपने एसेट्स की लिस्ट होम मिनिस्टरी को भेजता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Make it public.

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी को लिस्ट दे दें उससे लाभ नहीं होने वाला है आप तो परमानेन्ट व्यवस्था कीजिये इसकी राजस्थान में ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ व्यक्तियों को तो अच्छा भी कर दें, जब तक हम इधर से हट नहीं जायं तब तक संतोष नहीं हो सकता ।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपकी खुशी के लिये नहीं करेंगे ।

श्री मदनसिंह दांता : राजस्थान का चीफ मिनिस्टर अपने खिलाफ इन्क्वायरी करा ले, अगर आप हिम्मत रखते हैं तो इतना भी कर दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह इतना मुख्य और अहम् प्रश्न है, उसको मुख्य मंत्रीजी हंसी में टालना चाहते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि आल इन्डिया लेवल पर तय हो रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब तक यह व्यवस्था नहीं हो तब तक कोई फोरम नहीं है कि मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आल इन्डिया लेविल पर जो फंसला होगा, यहां भी किया जायगा । यहां पर समय समय पर जो हो सकता है वह किया जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तक तो किया नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जयपुर । आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने एक चौहटन ऐसी जगह छोड़ी जहां अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और उन्होंने एक इम्प्लीकेशन निकालने की कोशिश की, माननीय सदस्य भूल गये कि हमने एक ही जगह नहीं, खानपुर में भी अपना केन्डीडेट खड़ा नहीं किया, दो जगह से खड़े नहीं किये थे, यह इन्टरनल पार्टी के सोचने की बात थी कि कहां खड़ा करें कहां खड़ा नहीं करें । आप जो कहते थे पर चौहटन की जनता ने श्री हादी को वहां से चुन कर भेज दिया है, हादी में विश्वास प्रकट किया है तो हमको विश्वास प्रकट करना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : दो बार इन्कार किया या नहीं यह कह दीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इस बात की खुशी है, मैं उम्मीद करता हूं, गंगारामजी वाले पत्र की चर्चा की जाती है, उसका नहीं रखा जाना, क्या हुआ, मैं समझता हूं इसके विस्तृत विवेचन में यहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पड़ना उपयुक्त नहीं होगा । मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य मानेंगे कि गंगारामजी ने जो कुछ लिखकर भेजा उसमें राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी कोई बात नहीं थी, उनके पास सर्टेन बातें आईं, उन्होंने आगे पहुँचाने की कोशिश की । कुछ बातें होती रही हों, उनका हाथ रहा हो कि पाकिस्तान के पास पहुँच जांय, उसका वे उपयोग करें, वह भी निश्चित रूप से कहीं इस प्रकार की बात नहीं रही है । अगर कहीं किसी तरफ से यह साबित हो जाय कि गंगाराम जी राष्ट्र विरोधी व्यक्ति हैं और पाकिस्तान के पास वह लेटर भी किसी से शरीक होकर उस तरफ पास ऑन करवाया है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं उनको कह दूंगा कि गंगारामजी आप इस पद को छोड़ दें । पर आज तक निश्चित रूप से जो मैंने देखा है, उनको समझा है, वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं ।

श्री रामसिंह (जायल) : वह तो वक्त आयेगा तब कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : राष्ट्र विरोधी नहीं हैं यह विवाद नहीं है, उन्होंने जो पत्र लिखा, उसके कन्टेन्ट्स सही हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कह दूं जो कन्टेन्ट्स लिखे, जो बाद में कहा यह कहा कि काफी संवाद आये थे, उन कन्टेन्ट्स के बारे में हमने इन्क्वायरी भी करवाई, वह प्रूव नहीं हुए ।

श्री भैरोंसिंह : अब तो राष्ट्र द्रोह का मामला नहीं आयेगा, माननीय अध्यक्ष, इस पर विचार करना होगा कि यह एक राष्ट्रीय मसला है, जिन सदस्य ने पाकिस्तान के हाथ में एक ऐसा हथियार दिया, ऐसी बातें लिखीं जो सरकारी जांच के अनुसार गलत साबित हुईं, जिसके अनुसार पाकिस्तान ने भारत विरोधी प्रचार किया, वह व्यक्ति झूठा पत्र लिखे, ऐसी बातें लिख दे जो गैर जिम्मेदाराना हों, उस व्यक्ति का प्रोमोशन होता है, उसको उप-मंत्री बना कर सम्मान बढ़ाया जाता है, तो यह व्यवस्था सेट-अप में है, जो कुछ उसने लिखा उस पर आपने मोहर लगाई है कि वह सही नहीं है तो अब तो मुख्य मंत्री जी कोई सार नहीं है, जबरदस्ती बन्दरी के मरे हुए बच्चे को छाती से लगाने के समान है । यह राष्ट्र का प्रश्न है, प्रशासन का प्रश्न है, तो ऐसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति गैर जिम्मेदार ढंग से ऐसी बातें लिख दे ।

(६ म. प.)

आपने जांच कराई और शिकायत गलत साबित हुई । लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि आप जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को जो गलत पत्र लिखकर पाकिस्तान के हाथ में हिन्दुस्तान के लिए हथियार सौंपता है, ऐसे गैरजिम्मेदार व्यक्ति को आप उपमन्त्री बनायें, यह किसी तरह से उचित नहीं ।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पाकिस्तान के हाथ में हथियार दिया यह गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं प्रमाण दूं ? यह कोई भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं । यह राष्ट्रीयता का प्रश्न है, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है । मुख्य मन्त्रीजी इस प्रकार कहें कि जांच करा ली, वह राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र-प्रेमी हैं। उसको कुछ भी समझें। मैंने यह आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने अराष्ट्रीय कार्यवाही की है। मैंने तो केवल शिकायत की थी । ऐसा पत्र जिम्मेदारी के साथ लिखा जाना चाहिए था और लिखने के बाद उसकी गोपनीयता को बनाए रखना था । वह पत्र पाकिस्तान के पास कैसे चला गया । मैं आज कोई पत्र गोपनीयता में आपको लिखूं या आप मुझे लिखते हैं, वह पाकिस्तान चला जाय उसका सीधा मतलब है कि या तो उसको आपने भेजा है या मैंने भेजा है···

(शोरगुल)

यह प्रश्न आया है और बार बार उठेगा ।

श्री अध्यक्ष : उठेगा तो उसको रोका नहीं जा सकता । आपने जो प्रकाश डाला है वह पर्याप्त है । मैं जानता हूँ कि यह प्रश्न फिर उठेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक प्रश्न और आया । राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में । पे कमीशन की नियुक्ति की घोषणा वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण के दौरान भी की थी और जहां तक महंगाई भत्ते का सवाल है, गजेन्द्रगडकर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसको सामने रखते हुए राज्य सरकार विचार करेगी और उस सम्बन्ध में भी निर्णय लेगी । अभी हमने न यह फैसला किया है कि हम उस रिपोर्ट को मानेंगे ही नहीं, न ही, हमने कहा है कि आटोमैटीकली उसको मान लिया जाय । उस पर विचार करके इम्पलीकेशन्स को समझ कर निर्णय लिया जायगा । इसी के साथ मैं और विस्तार में न पड़ कर निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को वापस लेकर इस मांग को स्वीकार करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने कटौती का प्रस्ताव राज्य कर्मचारियों के हा रेंट के बारे में दिया है।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका हाउस रेंट के बारे में अलवर के लिए सवाल है उसके बारे में मैं तत्काल कुछ भी नहीं कह सकता । दूसरी जगह और कहां कहां क्या कन्डीशन्स हैं उनके इग्जैमिन करने के बाद कुछ कहा जा सकता है ।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैंने अपने भाषण के दौरान ब्यावर के सुरक्षा कोष में दिए गए सोने की कंठी का जिक्र किया था । अगर मुख्यमंत्री को जानकारी है तो दे दें, नहीं तो किसी और प्रश्न के मार्फत जानकारी चाहूंगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जो पूछ रहे हैं उस सम्बन्ध में सारा इतिहास और बैकग्राउंड जो आपने बताया है उसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,८६,७१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४६,६६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३६,५४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ६:५ सायं, गुरुवार दि० १५-६-६७ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर देखिये)

सूची

१.	सरदार समंद	७३६.७६	एकड़
२.	चन्दलाई	९५०.१०	,,
३.	भांकरा वाला	३१५०.२८	,,
४.	केरटीया	१४३०.६२	,,
५.	भीन्तड़ा	४७४३.१८	,,
६.	माडपुरिया	१७४५.१८	,,
७.	मंडली	२७१२.००	,,
८.	नीम्बली	१८७६.४२	,,
९.	फर्म सरदार समंद	४३६०.३४	,,
१०.	ददिया	७६४.५८	,,
११.	डीबर	३३४२.४०	,,
१२.	चथ बांडाई	१२९७.९८	,,
	योग	२७११२.८४	एकड़

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर देखिये)

सत्र ६६–६७ में विभिन्न व्यापारियों द्वारा प्रथम श्रेणी के नमक की प्राप्ति का विवरण

क्र०सं०	व्यापारी का नाम	किस्म आवंटन	तादाद वेगन
१.	श्री सूरजमल धूत	विशेष आवंटन	५६
२.	श्री केशरीमल चन्दालाल	जोनल स्कीम	१२
३.	श्री भंवरलाल कल्याणमल	,,	१४
४.	श्री लालचन्द ओमप्रकाश	,,	५
५.	श्री मानकचन्द लालचन्द	,,	८
६.	श्री नारायणलाल पालीवाल	,,	२८
७.	श्री मगनीराम रामकिशन	,,	५
८.	श्री गणेश फ्लोर मिल	,,	४
९.	श्री अग्रवाल एण्ड को०	,,	४
१०.	श्री गोविन्दनारायण महावीरप्रसाद	,,	४
११.	श्री जीवनलाल जुगलकिशोर	,,	४
१२.	श्री श्रीवल्लभ मेघराज	,,	४
१३.	श्री बद्रीनारायण बंशीधर	,,	४
१४.	श्री बद्रीनारायण रामेश्वर	,,	४
१५.	श्री बद्रीनारायण पूनमचन्द	,,	४
१६.	श्री मुरलीधर ईश्वरलाल	,,	४
१७.	श्री नैनसुखदास राधाकिसन	,,	४
१८.	श्री देवाल्सू	,,	११
१९.	श्री सोर्स ट्रेडर्स	,,	१९
२०.	श्री गोविन्दलाल रामनिवास	फ्री-इन्डेन्ट	१७

२१.	श्री जीवनलाल जुगलकिशोर	"	३७
२२.	श्री गोविन्दलाल महावीरप्रसाद	"	१६
२३.	श्री बद्रीनारायण पूनमचन्द	"	४१
२४.	श्री रामभगत रामचन्द्र	"	२२
२५.	श्री नैनसुखदास राधाकिशन	"	२६
२६.	श्री इकबाल साल्ट ट्रेडर	"	२
२७.	श्री मुरलीधर भंवरलाल	"	३
		कुल योग	३६२

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १४ जून १९६७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल बा.ढ़दार)	
१६	१	(२) गांव शेखसर	(च) गांव शेखसर
१७	११	(क) क्या यह	(२) क्या यह
२५	१७	श्री बिजयसिह	श्री विजयसिह
२८	,,	किन	किस
३५	शीर्ष	(श्री नारायणसिंह भमूदा)	(श्री नारायणसिंह मसूदा)
,,	१	पाली जलदाय)	पाली (जलदाय)
,,	५	(कृपया परिशिष्ट सं १ देखिये)	(सरकार से सूची प्राप्त नहीं हुई)
३६	१०	श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल बयाना	श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना)
४१	१	शिक्षा मंत्री श्री अबदुल्ला खां :	शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां)
५५	६	श्री केसरीसिह हांड़ा :	श्री केसरीसिह हाडा
६७	अन्तिम से ७	श्री लभचन्द वैद	श्री लाभचन्द वैद
७१	४	श्री प्रेमसिह (छेबड़ा)	श्री प्रेमसिह (छबड़ा)
८४	अन्तिम से ३	श्री मूलचन्द डागा : (पाली)	श्री मूलचन्द डागा (पाली)
८५	१४	उनवो लगान बीडोघी	उनको लगान बीघोड़ी
,,	अन्तिम से ३	(कृपया परिशिष्ट ? देखिये)	(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)
८७	,,	स्कूलों में	स्कूलों में
८८	१	(३) इहन पब्लिक स्लों का	(३) इन पब्लिक स्कूलों का
९५	८	रिट्रोस्पेक्टि वी	रिट्रास्पेक्टिवली

१	२	३	४
९८	शीर्षक	अनुदानों की मांबों पर विद्यार	अनुदानों की मांगों पर विचार
,,	१०	उतको	उनको
१०६	८	एवं दुर	एव दुरु-
११२	१	(गंगानगर	(गंगानगर)
११६	अन्तिम से ६	धाधली	धांधली
११७	६	Henad	head
१२०	अन्तिम से ६	अलल्प	अल्प
१२१	११	श्री देवेन्द्रकुमार मीरण	श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
१२३	शीर्ष	(श्री मूलचन्द कटेवा)	(श्री मूलचन्द कटेवा)
१२५	६	कर कर	कम कर
१२६	६	१.६	१०६
,,	अन्तिम से ५	१',	११,
१३०	१८	आडर में	आर्डर में
१३५	अन्तिम से ८	निोदन	निवेदन
१३६	,, ७	आते अो	आते
१३७	शीर्षक	अनुदानों की मांगों पर ावचार	अनुदानों की मांगों पर विचार
,,	शीर्ष	(श्री गोरधन सोनो)	(श्री गोरधन सोनी)
,,	६	रक्षा के	रक्षा के लिए
१३८	६	श्री रामसिंह : (जायल)	श्री रामसिंह (जायल) :
,,	अन्तिम से ६	व मव	व भव
,,	,, २	बदल बदल गया	बदल गया
१३६	१६	not pe	not be
१४०	६	उकता है	सकता है
,,	६	कर्मचारो	कर्मचारी
,,	१४	thre	there
,,	१६	मृहोदय	महोदय
,,	२२	की प्रोमोशन	के प्रोमोशन
,,	अन्तिम से ३	जावगे	जावेंगे
१४१	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
,,	१	उच्चाधिकारो और मंत्रो	उच्चाधिकारी और मंत्री
,,	२	स्थार्थी	स्वार्थी

१	२	३	
१४१	अन्तिम से ६	ाविभाग	विभाग
"	" ७	अधिकारी	अधिकारी
"	" ३	डिस्ट्रिक्ट मै	डिस्ट्रिक्ट में
१४२	१	लये यह लागू	के लिये यह लागू
"	" २	बहुत	बहुत से
"	६	तकसूरी	तकसंरी
१४३	१४	२०	२००
१४४	६,१५व१६	ओब्जर्वेशन	ओब्जर्वेशन
१४५	४	रखन को	रखने की
"	१६	प्रोसिक्युशिन	प्रोसीक्यूशन
१४६	शीर्षक	अनुदानी	अनुदानों
"	३	बजार्यो जनता के हित	बजाय जनता के हित के
"	४	क्षुद	खुद को
"	५	स्वाथ	स्वार्थ
"	१३	को वलि	की बलि
१४७	५	डिस्पोजन	डिस्पोजल
१४८	७	चाहे जंसा	चाहें जैसा
"	१३	डिस्पोजल	डिस्पोजल
"	२०	पब्लक	पब्लिक
"	२३	ओनेस्टली	ऑनेस्टली
१४६	शीर्ष	(श्री पी. के. चौदरी)	(श्री पी. के. चौधरी)
१५०	५	इनकम्पाटेन्ट	इनकम्पोटेन्ट
"	अन्तिम से १०	एक्वली	इक्वली
१५१ व १५२	शीर्ष	अनुपस्थित सदस्यों के–१४जून; १६६१ तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुदानों की मांगों पर विचार –१४ जून, ११६१ अनुदानों की मांगों पर विचार
१५२	२२	टिस्पोज	डिस्पोज
१५३	शीर्ष	(श्री पी. के. चौधरी)	(श्री पी. के. चौधरी
"	१२	इम्पल मेन्ट	इम्प्लीमेन्ट
"	अन्तिम से १०	इन्टरपिटेशन	इन्टरप्रिटेशन
१५४	३	डिपाटमेन्ट्स	डिपार्टमेन्ट्स
"	१३	स्टेट	स्टेट

१	२	३	४
,,	अन्तिम से २	मैरिट्स	मेरिट्स
१५५	१३	a ne	alone
१५६	५	वैर यर्स	वेरि।ऱ
,,	७	और कोई १।। लाख की आबादी की है	
१५७	अन्तिम से १	श्रा सतोशचन्द्र	श्री तीशचन्द्र
१५८	१० व १२	रिवाईव	रिवाइज़
१५९	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अ।वाल)
,,	अन्तिम से २	पर खर्व	पर खा
१६१	१६	तथाक थत	तथा कथित
,,	१९	मं	मैं
१६२	१५	लॉग लोग बुक	लोग लॉग-बुक
१६३	१४	सम्बन्ध	सम्बन्ध
१६४	७	मत्रियों	मंत्रियों
,,	१६	का है	की है
१६५	२३	हले	पहले
१६६	१२	बात का	बात को
,,	१४	कम्पेशनल	कन्सेशनल
,,	२१	मन्त्रो ज	मन्त्री जो
,,	२३	स बन्ध म	सम्बन्ध में
१६७	७	में नहीं	मैं नहीं
,,	२१	गठबन्वन	गठबन्धन
,,	अन्तिम	सबॆस	सबसे
१६९	४	परम्परओं	परम्पराओं
१७०	शीर्षक	अनुदानो की	अनुदानों का
१७३	४	जिम	जिक्र
,,	१७	खिनाफ	खिलाफ
,,	२०	सो.	सी.
१७४	६	कै।	कैसे
१७५	अन्तिम से ६	संख्य	संख्या
१७६	१९	कमाशट	कमीशन

१	२	३	४
,,	१२	राजस्थान का	राजस्थान को
,,	२५	मामले की	मामले
१७८	६	बड़े पडित	बड़े पंडित
,,	१६	इसका	इसको
१८१	शीर्ष	(श्री हरिवल्लभ	(श्री हरिवल्लभ)
१८२	१	पंपलदा	पीपल्दा
,,	४	उनेंने	उन्होंने
१८४	१०	थाने।र	थानेदार
,,	अन्तिम से ६	किससे	किसे
१८६	३	वद्ध तरीके	बद्ध तरीके
१९०	२३	प्रवेश द्वारा	प्रवेश द्वार
१९१	शीर्ष	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
१९५	अन्तिम	मे या	से या
१९८	५	भी ०	भी १०
१९९	६	इस ओर	इस ओर
२०३	२१	प्लान ऐसी	प्लान से ऐसी
२०३	अन्तिम से ४-५	हमारे आदमियों ने नहीं किया	×
२०३	१-२	अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए	×
२०५	१-२	क्या सुखाडिया साहब का जेवर छीना था? × ×	क्या सु. साहब को जेवर छीना था × × × × × हमारे आदमियों ने नहीं किया
२०४	३	२८ फरवरी	८ फरवरी
२०६	अन्तिम	बादला	तबादला
२१३	२०	आले	आले
२१५	७	महोदय	महोदय
२१०	१४	राव वीरसिंह	राव वीरसिंह
२२४	६	मण्डिल	मण्डल
२२६	८	मुख्य मंत्री	मुख्यमंत्री
२२७	४	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष

१	१	३	४
,,	८	श्री रामानद	श्री रामानन्द
२२६	अन्तिम से ६	बन इये	बनाइये
२३७	,, ७	दिये ज ने	दिये जाने
२४४	अन्तिम	इसक	इसके
२५०	१७	श्री फतहसींह	श्री फतेहसिंह
२५४	अन्तिम से १०	ज्या ाती	ज्यादती
२५५	,, ६	पहले में	पहले में
२५७	,, ५	बाराबर	बराबर
२५८	,, १०	रोट	रोटी
२६३	६	और य	और यह
,,	अन्तिम से ७	में अज	में अर्ज
२६४	शीर्षक	अनुदानों की मगों	अनुदानों की माँगों
२६५	१६	व्यक्तिगर	व्यक्तिगत
२६६	८	जवपुर में	जयपुर में
२७२	६	मूचना	सूचना
२७३	अन्तिम से ७	पर मान्नीय	माननीय
२७४	४	की ओर	की ओर
२७५	१	मानीय	माननीय
,,	१३	श्री देवीदत्त गाड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
२७८	५	रिलेक्शन	रिलेक्सेशन
२७९	शीर्ष	(श्री देवीद्रत गाड़िया)	(श्री देवीदत्त गाड़िया)
२८०	५	श्री देवीबत्त गड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
,,	अन्तिम से ७	महृदय	महोदय
२८१	शीर्ज	(श्री देवीदत्त पाड़िया)	(श्री देवीदत्त गाड़िया)
२८६	८	छाार क्षेत्र	छापर क्षेत्र
२८७	१	जमीब पर	जमीन पर
,,	अन्तिम से २	कृपा	कृपया
२९२	११	गैंग	गैंग
२९५	अन्तिम से ८	पाप्युलेशन	पापूलेशन
२९७	१०	अ प	आप
२९८	१६	रेड हैडेड	रेड हैडेड

१	२	३	४
२९९	२	के के खिलाफ	के खिलाफ
,,	१३	फोस	फोर्स
३००	४	हत हूँ	हता हूँ
,,	१०	में से	से
,,	अन्तिम	युनिकार्म	युनिफार्म
३०१	३	तन्दुस्ती	तन्दरुस्ती
,,	१७, १८		कान्स्टेबल
	२७, व २८	कान्स्टिबल	
३०५	२०	ियासत	रियासत
३०६	१२	या तो	यह तो
,,	२१	है यह।	है।
,,	२७	हैं और	हैं
३०८	अन्तिम से ६	में १४९१	में १४९१ को
३०९	११	एक पास है।	एक पास
३३०	४	ोती हैं।	होती हैं।
३४१	२	श्री मोहमलाल सुखड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया